BED II- CPS 10

सामाजिक विज्ञान का शिक्षणशास्त्र (भाग I)

Pedagogy of Social Science (Part I)

शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

ISBN: 13-978-93-85740-77-0
BED II- CPS 10 (BAR CODE)

BED II- CPS 10

सामाजिक विज्ञान का शिक्षणशास्त्र (भाग I)

Pedagogy of Social Science (Part I)

शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

अध्ययन बोर्ड	विशेषज्ञ समिति
□**प्रोफेसर एच० पी० शुक्ल** (अध्यक्ष- पदेन), निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**प्रोफेसर एच० पी० शुक्ल** (अध्यक्ष- पदेन), निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**प्रोफेसर मुहम्मद मियाँ** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), पूर्व अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया व पूर्व कुलपति, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	□**प्रोफेसर सी० बी० शर्मा** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा
□**प्रोफेसर एन० एन० पाण्डेय** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, एम० जे० पी० रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	□**प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय व सामाजिक विज्ञान संकाय, अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल
□**प्रोफेसर के० बी० बुधोरी** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), पूर्व अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, एच० एन० बी० गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, उत्तराखण्ड	□**प्रोफेसर जे० के० जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**प्रोफेसर जे० के० जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**प्रोफेसर रम्भा जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**प्रोफेसर रम्भा जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**डॉ० दिनेश कुमार** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**डॉ० दिनेश कुमार** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**डॉ० भावना पलड़िया** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**डॉ० भावना पलड़िया** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**सुश्री ममता कुमारी** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं सह-समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**सुश्री ममता कुमारी** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं सह-समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी** (सदस्य एवं संयोजक), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
□**डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी** (सदस्य एवं संयोजक), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	

दिशाबोध: प्रोफेसर जे० के० जोशी, पूर्व निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

कार्यक्रम समन्वयक:	कार्यक्रम सह-समन्वयक:	पाठ्यक्रम समन्वयक:	पाठ्यक्रम सह समन्वयक:
डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	**सुश्री ममता कुमारी** सह-समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	**डॉ० सोमू सिंह** सहायक प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तरप्रदेश	**सुश्री ममता कुमारी** सह-समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड

प्रधान सम्पादक	उप सम्पादक
डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	**डॉ० सोमू सिंह** सहायक प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तरप्रदेश

विषयवस्तु सम्पादक	भाषा सम्पादक	प्रारूप सम्पादक	प्रूफ़ संशोधक
सुश्री ममता कुमारी सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**सुश्री ममता कुमारी** सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**सुश्री ममता कुमारी** सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**सुश्री ममता कुमारी** सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

सामग्री निर्माण

प्रोफेसर एच० पी० शुक्ल निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**प्रोफेसर आर० सी० मिश्र** निदेशक, एम० पी० डी० डी०, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

© उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, 2017

ISBN-13 -978-93-85740-77-0

प्रथम संस्करण: 2017 (पाठ्यक्रम का नाम: सामाजिक विज्ञान का शिक्षणशास्त्र (भाग I), पाठ्यक्रम कोड- BED II- CPS 10)

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पुस्तक के किसी भी अंश को ज्ञान के किसी भी माध्यम में प्रयोग करने से पूर्व उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। इकाई लेखन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए पूर्णरूपेण लेखक जिम्मेदार होगा। किसी भी विवाद का निपटारा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में होगा।

निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा निदेशक, एम० पी० डी० डी० के माध्यम से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के लिए मुद्रित व प्रकाशित।

प्रकाशक: उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय; **मुद्रक:** उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

कार्यक्रम का नाम: बी० एड०, कार्यक्रम कोड: BED- 17

पाठ्यक्रम का नाम: सामाजिक विज्ञान का शिक्षणशास्त्र (भाग I), पाठ्यक्रम कोड- BED II- CPS 10

इकाई लेखक	खण्ड संख्या	इकाई संख्या
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, त्रिपुरा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, त्रिपुरा	**1**	**1**
डॉ० सोमू सिंह सहायक प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तरप्रदेश	**1**	**2**
डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	**1** **2**	**3** **1**
डॉ० उमाकांत प्रसाद सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, विनय भवन, विश्वभारती, शांतिनिकेतन, वीरभूमि, पश्चिम बंगाल	**1**	**4**
डॉ० सरिता आनन्द सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, विनय भवन, विश्वभारती, शांतिनिकेतन, वीरभूमि, पश्चिम बंगाल	**1**	**5**
डॉ० रूचि भार्गव सहायक प्रोफेसर, खालसा कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, अमृतसर, पंजाब	**2**	**3**
डॉ० जीतेन्द्र कुमार पाटीदार सहायक प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, एन० सी० ई० आर० टी०, नई दिल्ली	**2**	**4** व **5**

BED II- CPS 10
सामाजिक विज्ञान का शिक्षणशास्त्र (भाग I)
Pedagogy of Social Science (Part I)

खण्ड 1		
इकाई सं०	**इकाई का नाम**	**पृष्ठ सं०**
1	अध्ययन के समेकित क्षेत्र के रूप में सामाजिक विज्ञान: संदर्भ एवं सरोकार	2-15
2	विद्यालयों के प्रमुख सामाजिक विज्ञान विषय (भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास), सामाजिक विज्ञान के शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता, सामाजिक विज्ञान विषयों के बीच संबंध	16- 30
3	बच्चों में प्राकृतिक जिज्ञासा और अधिगम	31- 45
4	सामाजिक विज्ञान अधिगम के संदर्भ: समावेशी कक्षा, कक्षा में विविधता, लोकतांत्रिक स्थान, शिक्षार्थियों की विशेष आवश्यकताएँ	46- 64
5	सामाजिक विज्ञान में सूचना एवं संचार तकनीकी: सामाजिक विज्ञान के विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, वाणिज्य एवं राजनीति विज्ञान में आई.सी.टी. का उपयोग	65-87

खण्ड 2		
इकाई सं०	**इकाई का नाम**	**पृष्ठ सं०**
1	सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या निर्माण के सामान्य उपागम	89-106
2	इकाई: दो	-
3	सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री, आवश्यकता और उद्देश्य, संग्रहण एवं उपक्रम; सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष, आवश्यकता, संस्थापन, घटक एवं संस्थापन	107-132
4	सामाजिक विज्ञान का शिक्षक	133-156
5	सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों का पेशेवर विकास	157-176

खण्ड 1

Block 1

इकाई 1 - अध्ययन के समेकित क्षेत्र के रूप में सामाजिक विज्ञान: संदर्भ एवं सरोकार

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 सामाजिक विज्ञान का अर्थ
1.4 सामाजिक विज्ञान की प्रकृति
1.5 सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र
1.6 प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में अंतर
1.7 सामाजिक विज्ञान : विशेषीकृत ज्ञान बनाम अंतरानुशासनिक ज्ञान
1.8 सारांश
1.9 शब्दावली
1.10 अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर
1.11 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
1.12 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

प्रसिद्ध विद्वान अरस्तु ने कहा था कि 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।' इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अकेला नहीं रहता, बल्कि एक समूह बनाकर रहता है, जिसे समाज कहते हैं। सामाजिक विज्ञान मानव के संदर्भ में सामाजिक क्रिया-कलापों का अध्ययन करता है। इस भौतिकता के युग में न केवल हमारा सामाजिक जीवन, बल्कि समाज का स्वरूप भी जटिल हो गया है, जिसके कारण सामाजिक वातावरण में तनाव एवं चिंताओं में वृद्धि हुई है। जिन्हें कम करने व दूर करने के लिए विद्यार्थियों को उस सामाजिक संसार को समझना होगा, जिसमें वह वास्तविक रूप से निवास करता है। छात्रों में यह सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ़. केनेडी के शब्दों में कहना चाहिए कि, 'सर्वप्रथम तुम यह सोचना एवं अपेक्षा करना छोड़ो कि समाज आपके लिए क्या कर सकता है, वरन् यह चिंतन एवं मनन आरंभ करो, कि आप समाज के लिए क्या कर सकते हो!' यहीं से विद्यार्थियों में सहयोग उत्तरदायित्व एवं देशभक्ति की भावना आरंभ हो जाएगी। यह कार्य सामाजिक विज्ञान के ज्ञान एवं बोध से किया जा सकता है। इसलिए छात्रों को अराजकता एवं अन्याय के वातावरण को खत्म करने, शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने एवं गुणात्मक जीवन की दृष्टिकोण से समाजिक विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र,

प्राकृतिक विज्ञान से भिन्नता एवं विशेषीकृत एवं अंतरानुशासनिक ज्ञान में भेद आदि का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। आइए, उपरोक्त प्रकरणों की चर्चा करके सामाजिक विज्ञान के बारे में व्यापक बोध प्राप्त करें।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. सामाजिक विज्ञान का अर्थ समझ सकेंगे एवं उसे परिभाषित कर सकेंगे।
2. सामाजिक विज्ञान की प्रकृति का वर्णन एवं विश्लेषण कर सकेंगे।
3. सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों को समझ सकेंगे।
4. सामाजिक विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान में भेद कर सकेंगे।
5. विशेषीकृत एवं अंतरानुशासनिक ज्ञान का अर्थ बता एवं इनमें विभेद कर सकेंगे।

1.3 सामाजिक विज्ञान का अर्थ

आइए, सर्वप्रथम यह जानते हैं, कि सामाजिक विज्ञान से क्या आशय है? विभिन्न समाजवैज्ञानिकों यथा – अगस्त काम्टे, मैक्स वेबर, दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, इमैनुअल कांट आदि के विचारों का गहनता से अध्ययन करने पर ये स्वत: प्रमाणित हो जाता है कि सामाजिक विज्ञान 'समाज का विज्ञान' है। सामाजिक विज्ञान न केवल मनुष्य के संबंधों का तथ्यात्मक वर्णन करता है, बल्कि समाज का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। सामाजिक विज्ञान मनुष्य एवं उसके सामाजिक भौतिक वातावरण का अंत:क्रियात्मक विश्लेषण करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य अकेला पैदा हुआ, परवर्ती काल में उसने स्वयं को समाज के रूप में संगठित किया। अत: सामाजिक विज्ञान उन सामाजिक एवं भौतिक कारकों का विश्लेषण करता है, जिनके कारण मनुष्य ने न केवल स्वयं को समाज के रूप में व्यवस्थित किया, बल्कि अपने अधिकार समाज को सौंप दिये। सामाजिक विज्ञान मनुष्य के सामाजिक समूह के रूप में मानव समाज के विभिन्न संगठनों, संस्थाओं की उत्पत्ति एवं क्रमबद्ध विकास के प्रति ज्ञान एवं समझ विकसित करने वाला विषय है; जैसे – परिवार, धर्म एवं वर्ग। यह न केवल मनुष्य के मनुष्य के साथ आपसी संबंध वरन् संस्थाओं एवं संगठनों के संदर्भ में मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है, साथ ही, किसी देश की सीमाओं से परे मानव के सारे विश्व के साथ मानवीय संबंधों का अध्ययन भी करता है, जैसे – वसुधैव कुटुम्बकम् मानव एवं विश्व के साथ अंतर्संबंधों का ज्वलंत उदाहरण है। सामाजिक विज्ञान एक अनुशासन के रूप में हमारे जीवन से जुड़ा विषय है, जो अतीत में मनुष्य के जीवन जीने के तरीके क्या थे या वर्तमान में क्या हैं? उसकी विभिन्न आवश्यकताएं क्या थीं या क्या हैं? इन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती थी या होती है? आदि प्रश्नों को सामाजिक परिस्थियों में विश्लेषित करता है। सामाजिक विज्ञान एक बहुमुखी विषय है, जो यह बताता है कि इसकी विभिन्न शाखाएं आपस में मिलकर इसे एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित करती हैं, जैसे – इतिहास, भूगोल, नागरिक-शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि। जहां पर छात्रों को इतिहास से मानव के विकास

एवं ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान मिलता है, अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र से समझा जाता है, पृथ्वी और पर्यावरण के मानव के साथ संबंधों को भूगोल के द्वारा जाना जा सकता है तथा राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्थाओं का ज्ञान नागरिकशास्त्र से प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान ऊपर निर्दिष्ट विषयों के अतिरिक्त अन्य अनुशासनों से भी अपनी विषय-वस्तु प्राप्त करता है। जिनकी विषय-वस्तु समय-सापेक्ष बदलती रहती हैं, परिणामत: सामाजिक विज्ञान की विषय-वस्तु भी बदल जाती हैं। अत: सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है। यह समसामयिक मुद्दों एवं घटनाओं के सामाजिक पक्ष का अध्ययन-विश्लेषण करता है, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में वर्ष 2016 में बहुचर्चित नोटबंदी की घटना घटी, अब सवाल यह है कि इस नोटबंदी ने सामाजिक मुद्दों (भ्रष्टाचार एवं कालाधन) की रोकथाम में क्या योगदान दिया? क्या इससे आम जनता का सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ? नोटबंदी ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए अथवा उन्हें कम करने में अपनी भूमिका निभाई? क्या नोटबंदी ने विभिन्न उद्योगों के संदर्भ में उत्पादन, खपत एवं बिक्री को प्रभावित किया? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ऐसे सभी प्रश्नों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है।

सामाजिक विज्ञान वह अनुशासन है, जो विद्यार्थियों में आसपास के वातावरण एवं पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के बारे में संज्ञान एवं आलोचनात्मक समझ विकसित करता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। इस अर्थ में सामाजिक विज्ञान यथार्थवादी विचारधारा पर केन्द्रित विषय है, यह मनुष्य के आपसी संबंध, संस्कृति, सहयोग, समस्याएं एवं मुद्दों पर विचार करता है। सामाजिक विज्ञान न केवल समसामयिक मुद्दों को उठाता है, बल्कि विभिन्न सामाजिक समस्याओं यथा –अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, बालश्रम, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि के कारण एवं उनके प्रभावों का वैज्ञानिक विधियों से समाधान प्रस्तुत करता है।

सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो वैश्विक युग में छात्रों में यह समझ विकसित करता है कि विश्व के विभिन्न देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं। किसी एक देश में घटी कोई आर्थिक, राजनैतिक, प्राकृतिक घटना दूसरे देशों के नागरिकों के सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। जैसे – 2015-16 में अमेरिका में आई आर्थिक मंदी ने न केवल अमेरिका में नौकरियों के अवसरों को कम किया बल्कि अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित किया। आइए, इसे एक अन्य उदाहरण से समझें –जैसे हमारा देश पेट्रोलियम पदार्थों के लिए ईरान, इराक, सउदी अरब एवं कुवैत आदि देशों पर निर्भर है, वहीं पर इन देशों की जनता खाद्य पदार्थों की पूर्ति हेतु भारत पर निर्भर है।

आपने सामाजिक विज्ञान क्या है? प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान को समझ लिया होगा कि सामाजिक विज्ञान का केन्द्र बिन्दु मनुष्य एवं समाज ही है। सारांशत: जो विज्ञान विभिन्न मुद्दों, विषयों एवं घटनाओं की व्याख्या समाज व मनुष्य को केन्द्र में रखकर करता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है।

1.4 सामाजिक विज्ञान की प्रकृति

- सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन है, इसका अध्ययन समाज के व्यक्ति, समाज की भलाई एवं इसे उन्नतशील बनाने के लिए करते हैं। क्योंकि ये विद्यार्थियों को सामाजिक संरचना, प्रथा, संस्कृति, मानव संबंध व सामाजिक बुराइयों के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा करता है ताकि छात्र स्वयं को बदलती हुई परिस्थियों में समायोजित कर सकें।
- सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंत:विषयक है। ये अपनी विषय-वस्तु को हमारे जीवन से जुड़े अन्य विषयों यथा – इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र व नागरिक-शास्त्र से ग्रहण करता है। एक संतुलित एवं समायोजित जीवन जीने के लिए इन विषयों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अत: सामाजिक विज्ञान अंत:विषयक होते हुए भी दूसरे विषयों यथा –प्राकृतिक विज्ञान से अलग पहचान रखता है।
- सामाजिक विज्ञान हमें सामाजिक समस्याओं एवं बुराइयों से परिचित करता है कि इनके क्या दुष्परिणाम होंगे, इनको दूर कैसे किया जा सकता है आदि की प्रक्रिया एवं प्रविधि का ज्ञान सामाजिक विज्ञान के द्वारा होता है। यथा –जनसंख्या वृद्धि व भ्रष्टाचार को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसका अध्ययन सामाजिक विज्ञान का विषय है।
- सामाजिक विज्ञान की प्रकृति मानव कल्याण से संबंधित है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, मृत्युदर को घटाना व जीवन-प्रत्याशा को बढ़ाना आदि मुद्दों का गहनता से अध्ययन किया जाता है।
- सामाजिक विज्ञान छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की समझ से छात्रों में नैतिकता, सत्यवादिता, सकारात्मक आवृत्ति आदि का विकास होता है।
- सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक संबंधों से जुड़ा विषय है, रोज नित्य नई प्रौद्योगिकी/तकनीकी के विकास के कारण मानव संबंधों, सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण सामाजिक विज्ञान की विषय-वस्तु में भी परिवर्तन होता रहता है। यथा –पुराने जमाने में मानवीय संबंधों में आत्मीयता होती थी, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए एक-दूसरे पर निर्भर था। लेकिन तकनीकी के विकास के कारण मानव जीवन में स्वतंत्रता आई है, यही कारण है कि शहरों में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता है। अत: सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है।
- सामाजिक विज्ञान समूहों, वर्गों, संगठनों व मानव के संस्थाओं के साथ अंतर्संबंधों का अध्ययन, वर्णन, व्याख्या एवं विश्लेषण करता है, जिससे हम एक-दूसरे की स्वतंत्रता व आपसी निर्भरता के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं।
- सामाजिक विज्ञान का दृष्टिकोण एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण है, क्योंकि ये बताता है कि हमारे जीवन में समाज, मीडिया, सरकार, परिवार, विद्यालय, राज्य, गैर-सरकारी संगठन, संस्था,

समितियां एवं प्रजातंत्र आदि की क्या उपयोगिता है, यही कारण है कि उपयोगी वस्तुओं को समाज ग्रहण कर लेता है एवं अनुपयोगी वस्तुओं का त्याग कर देता है।

- सामाजिक विज्ञान की प्रकृति संस्कृति, मूल्यों, प्रथाओं व परंपराओं को सुरक्षित, संरक्षित व एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने वाली है जैसे –हमारी संस्कृति अनेकता में एकता की है, जिसका अध्ययन न केवल आप हम सब कर रहे हैं बल्कि भविष्य की पीढ़ी भी करेगी। अत: हस्तांतरण स्वयं हो जाएगा। यथा – विभिन्न समाजों में विभिन्न संस्कारों को अलग-अलग तरीके से संपादित किया जाता है, हम उन्हें देखकर सीखते और व्यवहार करते हैं।
- सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक जीवन एवं व्यवहारिक जीवन में कैसे समायोजन स्थापित किया जाए आदि की शिक्षा प्रदान करता है।
- सामाजिक विज्ञान एक यथार्थवादी विषय है जो कि सामाजिक संबंधों व घटनाओं आदि के संबंधों में यथार्थता से अवगत कराता है। उदाहरण के लिए जब भी मार्केट में किसी चीज की माँग की अपेक्षा उसका उत्पादन कम होता है तो उस वस्तु के मूल्य में अचानक उछाल आ जाता है।
- सामाजिक विज्ञान विभिन्न प्रकार की सरकारों व राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन एवं व्याख्या करता है जिससे ऐसे छात्र विकसित करने में मदद मिलती है जो भविष्य में समाज व देश का नेतृत्व कर सकें।
- सामाजिक विज्ञान मीडिया एवं प्रेस आदि का हमारे सामाजिक जीवन में क्या महत्व है आदि के संदर्भ में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है।
- सामाजिक विज्ञान का केन्द्रबिन्दु छात्रों का सामाजीकरण करना है।
- सामाजिक विज्ञान न केवल विज्ञान है वरन् कला भी है।

1.5 सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र

सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र उतना ही विस्तृत है, जितना कि मानव इतिहास एवं मानव जीवन। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में मानव संबंध, संस्थान एवं मानव व्यवहार सम्मिलित हैं।

- सामाजिक विज्ञान में मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य अकेला नहीं रहता, बल्कि एक समूह बनाकर रहता है, जिसे मानव समाज कहते हैं। सामाजिक विज्ञान में इस मानव समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है जैसे – मानव ने समाज क्यों बनाया, इसका स्वरूप क्या था, इसके उद्देश्य एवं आवश्यकताएं क्या थी, कैसे मानव समाज का मूल स्वरूप समय के साथ बदलता गया? आदि।

- सामाजिक विज्ञान में मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है जैसे मनुष्य का मनुष्य के साथ एवं मनुष्य का अन्य संस्थाओं के साथ संबंध, यथा –समाज, परिवार व विद्यालय आदि संस्थाओं के साथ मनुष्य का किस प्रकार का संबंध था, वर्तमान में किस प्रकार का है और भविष्य में कैसा रहेगा? ये संस्थाएं किस प्रकार से मानव संबंधों को प्रभावित करती हैं एवं किस प्रकार से मानव जीवन को गुणात्मक बनाने में योगदान देती हैं आदि प्रश्न, मानव समाज में मानव संबंधों के अध्ययन के लिए आवश्यक हैं। अत: सामाजिक विज्ञान मानव संबंधों के पक्ष-विपक्ष दोनों पहलुओं का अध्ययन करता है।
- सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का अध्ययन सम्मिलित है। ये किसी भी समाज की सांस्कृतिक संपदा को सुरक्षित करने, उन्नत बनाने एवं इस सांस्कृतिक संपदा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का सर्वोत्तम माध्यम है। सामाजिक विज्ञान न केवल भारत की विभिन्न संस्कृतियों का समझ पैदा कर छात्रों में सांस्कृतिक स्तर पर अनेकता में एकता के सारतत्व की समझ बनाता है, बल्कि विश्व की अन्य देशों की संस्कृतियों का अध्ययन करने का अवसर भी प्रदान करता है जिससे छात्रों में सार्वभौमिक संस्कृति सम्मान आदि सामाजिक गुण निर्मित होते हैं।
- सामाजिक विज्ञान में व्यक्ति एवं भौतिक वातावरण के बीच अंत:संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से व्यक्ति एवं वातावरण एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज के भौतिक युग में मनुष्य की आवश्यकताओं में भारी वृद्धि हुई है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों एवं हानिकारक गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन हो रहा है, फलत: ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पैदा हो गया है, इससे न केवल मौसम एवं वातावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है, बल्कि मनुष्य को अनेक स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न होने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर ग्लोबल वार्मिंग से मनुष्य की त्वचा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में मानव का अन्य संस्थाओं के साथ संबंध भी जुड़ा है, जैसा कि हमारे जीवन से अनेक संस्थाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहती हैं यथा – परिवार, धर्म, समुदाय, समाज एवं सरकार आदि। सामाजिक विज्ञान में उपरोक्त संस्थाओं के मनुष्य के साथ अंत:क्रियात्मक संबंधों का यथार्थ वर्णन किया जाता है। जिससे पक्ष-विपक्ष दोनों उजागर होते हैं। जैसे –धर्म किस प्रकार से मानव निर्माण में सहायक है, वहीं पर धार्मिक कट्टरता किस प्रकार से विश्व समुदाय के लिए हानिकारक है।
- सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण सम्मिलित हैं, यथा–वे कौन-कौन से कारक थे, जिनके कारण भारत गुलाम बना, किन शासकों ने भारत को लूटा, अंग्रेजों ने भारत पर कैसे लंबे समय तक शासन किया, स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला कैसे और कहां से उठी, स्वतंतत्रा आंदोलनों का नेतृत्व किन-किन स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, उन

आंदोलनों की प्रकृति क्या थी आदि भूतकालीन घटनाएं हमें वर्तमान एवं भविष्य में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती हैं।

- सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति एवं अर्थव्यवस्था के अंत:संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि धन गुणात्मक जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि सामाजिक परिवेश में कानून का राज एवं सुरक्षा होगी तो विदेशी निवेश के बढ़ने की संभावना होगी, जो न केवल समाज के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, जबकि असुरक्षा एवं गुंडागर्दी का माहौल न केवल विदेशी निवेश के घटने की आशंका में वृद्धि करेगा, बल्कि बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाने में भी मदद करेगा। इस सदर्भ में चीन का उदाहरण लिया जा सकता है, जिसने अपने देश के नागरिकों को निपुण एवं दक्ष बनाया, जिसके कारण उसने भारत के बाजार को प्रभावित किया एवं अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। अत: अच्छे एवं दक्ष नागरिक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। यही समाज एवं अर्थव्यवस्था में अंत:संबंध को दर्शाता है।
- सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सम-सामयिक घटनाओं का अध्ययन भी सम्मिलित है। सम-सामयिक घटनाएं न केवल विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन करने में योग देती हैं, वरन् एक स्वतंत्र सोच का भी विकास करती हैं। विद्यार्थी विश्व के विभिन्न देशों में हो रहे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिवर्तनों से अवगत होते रहते हैं। इससे उन्हें बदलती हुई परिस्थितियों में स्वयं को मानसिक रूप से समायोजित करने में मदद मिलती है। यथा –यूरोप और एशिया के विभिन्न देशों के मध्य वर्तमान संबंधों का अध्ययन, इन देशों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायक है।
- सामाजिक विज्ञान के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय समझ के विकास का अध्ययन किया जा सकता है। यथा – छात्रों में विभिन्न देशों की संस्कृतियों के अध्ययन से अनेकता में एकता की समझ पैदा होती है। सामाजिक विज्ञान छात्रों में यह दृष्टिकोण विकसित करता है कि हम सब न केवल अपने देश के नागरिक हैं, बल्कि विश्व समुदाय के भी नागरिक हैं, ताकि छात्र किसी वैश्विक घटना का वस्तुनिष्ठ एवं समालोचनात्मक मूल्यांकन करके सही निष्कर्ष पर पहुंच सकें।
- सामाजिक विज्ञान में विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं का अध्ययन सम्मिलत है। यथा - चित्रकारी, पच्चीकारी, मिट्टी के पात्रों का निर्माण एवं मूर्ति निर्माण आदि। ललित कलाओं का अध्ययन न केवल छात्रों का संवेगात्मक, नैतिक, मानसिक और सौंदर्यात्मक विकास करता है, बल्कि सृजनात्मक क्षमताओं के बढ़ाने में भी सहायक है।
- सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रौद्योगिकीय प्रभाव भी सम्मिलित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट एवं मोबाइल ने हमारे सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों को बदला है।

- यद्यपि सामाजिक विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान दोनों अलग-अलग क्षेत्र हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि दोनों किस प्रकार से एक-दूसरे पर आश्रित हैं। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्राकृतिक विज्ञानों के कार्यात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। वहीं पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं शरीरक्रिया विज्ञान आदि का ज्ञान किस प्रकार से हमारे सामाजिक जीवन के लिए लाभकारी है, आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे – रसायन विज्ञान से निर्मित विभिन्न प्रकार की औषधियों से समाज के लोगों के द्वारा स्वास्थ्य लाभ लेना।

उपरोक्त विश्लेषण एवं विचार-विमर्श से आप समझ गए होंगे कि सामाजिक विज्ञान को किसी प्रकार की सीमा में नहीं बांधना मुश्किल है। इसका क्षेत्र असीमित है। समाजिक विज्ञान के क्षेत्र में एक विस्तृत श्रृंखला समाहित है। क्योंकि इसकी विषय वस्तु न केवल सामाजिक विज्ञान के विषयों बल्कि भौतिक विज्ञान के विषयों से भी निर्धारित होती है। वह प्रत्येक क्षेत्र जो हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में समाहित हैं।

1.6 प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में अंतर

प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में निम्न अंतर हैं-

- प्राकृतिक विज्ञान का उद्गम कोपर्निकस एवं गैलिलियो की वैज्ञानिक क्रांति से माना जाता है। कोपर्निकस ने ग्रहों की परिक्रमा आदि से विश्व जगत को अवगत कराया तथा गैलिलियो ने टेलीस्कोप से संबंधित खोजें की, जबकि सामाजिक विज्ञान का उद्गम अगस्त काम्टे एवं इमायल दुर्खिम आदि के सामाजिक विचारों से हुआ है।
- प्राकृतिक विज्ञान अनुशासन के रूप में प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित है जैसे सूर्य का उगना एवं अस्त होना, भूकंप एवं आकाशीय तारे आदि प्राकृतिक घटनाओं के स्वभाविक उदाहरण हैं। वहीं पर सामाजिक विज्ञान मनुष्य, मानव समाज, सामाजिक समूह एवं मनुष्य का सामाजिक संस्थाओं के साथ संबंध आदि से जुड़ा है।
- प्राकृतिक विज्ञान एकविमीय है, जबकि सामाजिक विज्ञान बहुविमीय है।
- प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों में सामान्यीकरण अधिक होता है, जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में समय के बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि सामाजिक विज्ञान में इस सामान्यीकरण की कमी रहती है, यथा दुर्खिम के सामाजीकरण के सिद्धांत के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का एक जैसा सामाजीकरण नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी वस्तु को छत से नीचे फेकेंगे, तो वह निश्चित रूप से नीचे ही गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी।

- प्राकृतिक विज्ञान में प्रयोगशालात्मक परिस्थियां होती हैं, जहां पर नियंत्रित एवं व्यवस्थित परिस्थियों में अन्वेषण किये जाते हैं, जैसे – हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाना। जबकि सामाजिक विज्ञान में अन्वेषण वास्तविक परिस्थियों में किये जाते हैं। परिस्थितियां उस सीमा तक ही नियंत्रित एवं क्रमबद्ध होती हैं, जिस सीमा तक परिस्थितियां अनुमति प्रदान करती हैं। सामाजिक विज्ञान में पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता है, यथा –युवाओं की शिक्षा के स्तर आधार पर उनकी दहेज प्रथा के प्रति मनोवृत्ति का अध्ययन। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि प्राकृतिक विज्ञान की तरह सामाजिक विज्ञान पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं हैं। क्योंकि दहेज प्रथा के प्रति मनोवृत्ति को सामाजिक संस्कृति, संस्कार एवं प्रथाएं भी प्रभावित करेंगी, जिनका भी पूर्ण नियंत्रण असंभव है।
- प्राकृतिक विज्ञान में भौतिक आविष्कार किए जाते हैं। आविष्कार अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। इसलिए आविष्कारों की वांछनीयता एवं लागू करने की सीमा का निर्धारण सामाजिक विज्ञान करता है।
- प्राकृतिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता होती है। शोधार्थी की व्यक्तिगत पसंद या नापसंद का प्रयोग पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत सामाजिक विज्ञान में आत्मनिष्ठता होती है, क्योंकि शोध-परिणाम शोधार्थी की व्यक्तिगत पसंद या नापसंद से प्रभावित होते हैं। आइए, इसे एक उदाहरण से समझें –जैसा कि आप जानते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है, शोधार्थी चाहकर भी इसे आग नहीं बता सकता। लेकिन कोई शोधार्थी मजदूरों के सामाजिक जीवन पर वास्तविक परिस्थियों में अवलोकन प्रविधि का प्रयोग करके शोध कार्य कर रहा है तो वहां पर शोधार्थी द्वारा मजदूरों के सामाजिक जीवन को अनावश्यक रूप से उन्नति या अवनति बताने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- प्राकृतिक विज्ञान में विश्वनीयता होती है, यथा –किसी प्रयोग को बार-बार दोहराए जाने पर एक जैसे परिणाम प्राप्त होते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञान में विश्वसनीयता की कमी होती है, क्योंकि किसी प्रयोग को बार-बार दोहराए जाने पर एक जैसे परिणाम प्राप्त नहीं होते, जैसे – आज के युवावर्ग में दहेज प्रथा के प्रति जो मनोवृत्ति है, जरूरी नहीं है कि एक या दो वर्ष के बाद वैसी ही रहे। अत: सामाजिक विज्ञान की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न रहता है।
- प्राकृतिक विज्ञान में शोध के परिणामों की व्याख्या के लिए मानकों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सामाजिक विज्ञान में किसी प्रकार के व्यवहार की व्याख्या के लिए मानकों की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं, हम समाज में किसी व्यक्ति के व्यवहार की वांछनीयता या अवांछनीयता मानक के आधार पर ही उसे 'अच्छा', 'बहुत अच्छा' या 'बुरा' या 'बहुत बुरा' कहते हैं।
- प्राकृतिक विज्ञान में वैधता अधिक पाई जाती है क्योंकि त्रुटि की संभावना कम होती है, वहीं पर सामाजिक विज्ञान में वैधता की कमी पाई जाती है क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य के इर्द-गिर्द

घूमता है, जिसके व्यवहार में स्थिरता नहीं है, जिसके कारण त्रुटि होने की संभवना बनी रहती है। परिणामत: वैधता प्रभावित होती है।

- प्राकृतिक विज्ञान में 'प्रत्यक्षता' का गुण होता है, जैसे –एसिड को त्वचा पर डालकर उसके प्रभाव को प्रत्यक्ष तौर पर सीधा देखा जा सकता है, जबकि सामाजिक विज्ञान में 'अप्रत्यक्षता' का गुण होता है। यदि हम युवाओं की राजनीतिक पार्टी के प्रति मनोवृत्ति जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें युवाओं का साक्षात्कार लेना होगा, तत्पश्चात किसी प्रकार का अनुमान या परिणाम जानना संभव हो सकेगा।
- प्राकृतिक विज्ञान में 'निरपेक्षता' पायी जाती है, जबकि सामाजिक विज्ञान में 'सापेक्षता' पायी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भार एवं लंबाई के लिए पूर्ण अस्तित्वहीनता (निरपेक्षता) की संकल्पना की जा सकती है, लेकिन यह संकल्पना नहीं की जा सकती कि कोई व्यक्ति पूर्णरूप से, सामाजिक या असामाजिक है। व्यक्ति में सामाजिकता कम या अधिक (सापेक्षता) तो हो सकती है, लेकिन उसे पूर्णरूप से सामाजिक या असामाजिक नहीं कहा जा सकता है।

1.7 सामाजिक विज्ञान: विशेषीकृत ज्ञान बनाम अंतरानुशासनिक ज्ञान

सामाजिक विज्ञान में जब हम विशेषीकृत ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं तो यह सूक्ष्मता (माइक्रो) की ओर संकेत करता है। विशेषीकृत ज्ञान को विषय की सीमा में बांधकर नहीं देखा जा सकता है, बल्कि यह विषय की गहनता एवं गहराई को बताता है। विशेषीकृत ज्ञान, ज्ञान के क्षेत्र की प्रकृति की लम्बरूपता (वर्टिकल) को स्पष्ट करता है। विशेषीकृत ज्ञान का मूल्यांकन दूसरे विषयों से प्राय: असहसंबंधता के संदर्भ में होता है जिसकी स्वयं की एक पारिभाषिक शब्दावली होती है, जो कि विशेषज्ञ ज्ञान की दूसरे सामान्य विषयों से अलग पहचान बनाने में योगदान देती है।

आइए, अब विशेषीकृत ज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के संदर्भ में समझें – जैसा कि आप जानते हैं, हृदयरोग से पीड़ित व्यक्ति का उपचार केवल हृदयरोग विशेषज्ञ ही कर सकता है क्योंकि उसके पास उसका विशेषीकृत ज्ञान है। यह सामान्य चिकित्सक (फिजिशियन) के क्षेत्र से बाहर का विषय है। यहां पर विशेषीकृत ज्ञान की सूक्ष्मता एवं गहनता को भी समझना आवश्यक है, जाहिर है, सामान्य हृदय रोग का उपचार, सामान्य लक्षणों के आधार पर प्राकृतिक औषधियों से हृदयरोग विशेषज्ञ (कार्डियोलॉजिस्ट) कर सकता है। लेकिन हृदय की शल्यक्रिया केवल कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन ही कर सकता है। यही ज्ञान की सूक्ष्मता विशेषीकृत ज्ञान की श्रेणी में आएगी। यद्यपि आप विशेषीकृत ज्ञान के बारे में समझ विकसित कर चुके हैं, लेकिन इसे सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में समझना अति-आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, धन प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, रुपये की कीमत शेयर बाजार की मंदी एवं तेजी पर निर्भर करती है, अब वे कौन-कौन से कारक हैं, जो शेयर बाजार में तेजी या मंदी लाते हैं अथवा रुपये को अन्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले कैसे मजबूत किया जा सकता है आदि। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर अर्थशास्त्र में विशेषीकृत ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही कुशलता से दे सकता है। लेकिन इसकी और अधिक गहराई में

जाएं तो अर्थशास्त्र में 'धन एवं वित्त' (मनी एंड फाइनेंस) का विशेषज्ञ व्यक्ति और अधिक विशेषीकृत ज्ञान प्रदान कर सकता है। उपरोक्त सभी प्रश्न किसी मनोवैज्ञानिक के लिए असंभव नहीं तो बहुत कठिन जरूर हैं, क्योंकि यह उसके विशेषीकृत ज्ञान से बाहर का विषय है।

स्पष्ट है, विशेषीकृत ज्ञान किसी विशेष ज्ञान की विशेषज्ञता, सूक्ष्मता एवं गहनता को बताता है लेकिन इसके विपरीत अंतर्विषयक ज्ञान में ज्ञान की बहुमुखता समाहित है। यह ज्ञान की परंपरागत सीमाओं में विश्वास नहीं रखता, बल्कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विश्लेषण एवं संश्लेषण करके उसके क्षेत्र को सूक्ष्म से व्यापक बनाता है, दूसरे शब्दों में कहें, तो अंतर्विषयक ज्ञान दो या दो से अधिक शैक्षणिक अनुशासनों को एकीकृत करता है। यह विशेषीकृत ज्ञान की तरह विषयों के अलगाव में विश्वास नहीं रखता है, बल्कि संबंधित विभिन्न विषयों के ज्ञान की सामान्यता के संदर्भ में अंतर्विषयक ज्ञान का मुख्य केन्द्र बिन्दु है। अंतर्विषयक ज्ञान शैक्षणिक अनुशासनों के विभिन्न उपागमों को अपने अंदर समेटे रहता है और अंतर्विषयकता का उक्त नारा विशेषीकृत ज्ञान की तरह अलगाव का नहीं बल्कि सह-संबंधिता एवं एकीकृतता का है।

आइए, अंतर्विषयक ज्ञान को एक उदाहरण से समझें – आपके शिक्षक-प्रशिक्षक आपको उत्तराखंड की किसी जनजाति के सामाजिक जीवन पर केस स्टडी करने के लिए कार्य दें, तो आप सामाजिक जीवन का मूल्यांकन केवल उनके रहन-सहन तक सीमित नहीं कर सकते हैं,, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण पक्षों जैसे – जनजातियों की प्रजातंत्र में भागीदारी, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, आसपास का परिवेश, समूह गत्यात्मकता आदि को भी व्यापक केस स्टडी के दृष्टिकोण से समाहित करना होगा, इसके लिए आपको नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास एवं मनोविज्ञान का ज्ञान होना अतिआवश्यक है। विभिन्न विषयों की आपसी एकीकृतता एवं बहुउपागमता ही अंतर्विषयक ज्ञान है।

अभ्यास प्रश्न

1. सामाजिक विज्ञान सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करता है । (सत्य/असत्य)
2. सामाजिक विज्ञान सांस्कृतिक हस्तांतरण करता है। (सत्य/असत्य)
3. प्राकृतिक विज्ञान में प्रयोगशालात्मक परिस्थितियां होती हैं। (सत्य/असत्य)
4. प्राकृतिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा कम विश्वसनीयता होती है। (सत्य/असत्य)
5. सामाजिक विज्ञान में सापेक्षता पाई जाती है। (सत्य/असत्य)
6. सूक्ष्मता किस प्रकार के ज्ञान में होती है?
7. किस प्रकार का ज्ञान बहुमुखी होता है?
8. मनुष्य कैसा प्राणी है?
9. प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार का संबंध है ?
10. निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था नहीं है**?**

    a. परिवार b. समाज c. धर्म d. कर्मचारी यूनियन

11. निम्न में से कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित नहीं है :

    a. इतिहास b. भूगोल c. नागरिकशास्त्र d. जीवविज्ञान

12. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

अ. इतिहास	i. पर्यावरण
ब. नागरिकशास्त्र	ii. सरकार
स. भूगोल	iii. धन
द. अर्थशास्त्र	iv. भूतकाल

1.8 सारांश

- इस इकाई के अध्ययन के बाद आप समझ चुके होंगे कि सामाजिक विज्ञान 'समाज का विज्ञान' है। यह विभिन्न सामाजिक संगठनों की उत्पत्ति एवं विकास का ज्ञान प्रदान करता है। यह न केवल मनुष्य एवं उसके सामाजिक-भौतिक वातारण का अंत:क्रियात्मक विश्लेषण करता है, बल्कि स्वयं मानव के अलावा, देश, समाज, यहाँ तक कि विश्व के अन्य देशों के साथ मानवीय संबंधों का ज्ञान एवं अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान एक बहुआयामी विषय है, जो न केवल सामाजिक मुद्दों, घटनाओं के सामाजिक पक्ष का अध्ययन करता है, वरन् समाज व मनुष्य को केन्द्र में रखकर छात्रों को आसपास के वातावरण एवं पर्यावरण में आ रहे परिवर्तनों को ज्ञान प्रदान करता है।
- सामाजिक विज्ञान की प्रकृति समाज केन्दित है, यह एक अंतरानुशासनिक विषय है, जो सामाजिक जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों से अपनी विषयवस्तु प्राप्त करता है। इसकी विषयवस्तु समयानुसार बदलते रहने के कारण यह एक गत्यात्मक विषय है। सामाजिक विज्ञान हमारी संस्कृति, परंपरा, मूल्यों आदि को सुरक्षित, संरक्षित एवं एक पीढी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इसका दृष्टिकोण उपयोगितावादी एवं यथार्थवादी है। जाहिर है, सामाजिक विज्ञान न केवल विज्ञान है वरन् एक अर्थ में कला भी है।
- सामाजिक विज्ञान का विस्तार वहां तक फैला है जहां तक मानव जीवन। यह मानव समाज, मानव संबंध, विभिन्न संस्कृतियों, व्यक्ति एवं भौतिक वातावरण, सामाजिक संस्थाओं, भूतकालीन घटनाओं का विश्लेषण एवं वर्णन करता है। यह अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रक्रिया एवं व्यवहार, अंतरराष्ट्रीय संबंध आदि के अतिरिक्त हमारे सामाजिक जीवन से जुड़े अन्य पक्षों को अपने क्षेत्र में शामिल करके स्वयं की सीमा को अधिक व्यापक एवं विस्तृत बनाता है।
- विशेषीकृत ज्ञान द्वारा ज्ञान की सूक्ष्मता, गहनता, गहराई एवं उसके क्षेत्र की प्रकृति की लंबरूपता का पता चलता है। इसकी स्वयं की एक पारिभाषिक शब्दावली होती है, जो विशेषीकृत ज्ञान को दूसरे अंतरानुशासनिक ज्ञान से अलग करती है। इसके विपरीत अंतरानुशासनिक ज्ञान की प्रकृति बहुमुखी है (जिसकी एक से अधिक शाखाएं या क्षेत्र हैं)। यह ज्ञान की परंपरागत सीमाओं को पार करके ज्ञान को

एकीकृत बनाता है। अत: यह विभिन्न विषयों की बहुउपागमता एवं एकीकृतता ही अंतरानुशासनिक ज्ञान की विषय-वस्तु एवं क्षेत्र है।

- आप यह भी जान चुके हैं कि प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित है, जबकि सामाजिक विज्ञान समाज व सामाजिक घटनाओं एवं उनके अंत:संबंधों से जुड़ा है। प्राकृतिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, सामान्यीकरण शक्ति एवं वैधता होती है। जबकि सामाजिक विज्ञान में उपरोक्त सभी की कमी पाई जाती है। प्राकृतिक विज्ञान में प्रयोगशालात्मक परिस्थितियां होती है, वहीं सामाजिक विज्ञान में वास्तविक परिस्थितियां होती हैं। एक तरफ प्राकृतिक विज्ञान में क्रमश: प्रत्यक्षता व निरपेक्षता का गुण होता है, जबकि सामाजिक विज्ञान में क्रमश: अप्रत्यक्षता व सापेक्षता का गुण होता है।

1.9 शब्दावली

1. **व्यवहार विज्ञान** : मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान व्यवहार विज्ञान कहलाता है।
2. **विदेशी निवेश** : कोई व्यक्ति, संस्था या देश जब किसी दूसरे देश में व्यापार बढ़ाने के लिए पैसा लगाता है या खर्चा करता है तो यह विदेशी निवेश कहलाता है।
3. **सम-सामयिक घटनाएं** : कोई भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या भौगोलिक महत्व की घटना जो वर्तमान में घटित हुई है, सम-सामयिक घटना कहलाती है।
4. **प्रौद्योगिकी** : अभियांत्रिकी या अन्य वैज्ञानिक ज्ञान से विकसित की गई कोई मशीन या उपकरण।

1.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. असत्य
2. सत्य
3. सत्य
4. असत्य
5. सत्य
6. विशेषीकृत ज्ञान में
7. अंतरानुशासनिक ज्ञान
8. सामाजिक
9. कार्यात्मक
10. द

11. द

12. अ- iv , ब- ii, स-i , द - iii

1.11 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. बीनिंग, ए.सी. एवं बीनिंग, डी. एच. (1952) – टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज इन सेकेंड्री स्कूल्स, मैकग्रॉ हिल पब्लिशिंग, मुंबई।
2. एडगर, बी. डब्ल्यू एवं स्टेनली, (1958) टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज इन हाई स्कूल, हैथ एवं कंपनी, बोस्टन।
3. जॉर्ज, ए. एम. एवं मदन ए. (2009) टीचिंग सोशल साइंस इन स्कूल्स, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
4. वैब, कीथ (1995) एन इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लेम्स इन द फिलॉसोफी ऑफ सोशल साइंस, पींटर. न्यूयॉर्क।
5. मॉन्टुस्चि, ई. (2003) ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस कंटीनम, प्रेस लंदन।
6. शर्मा, बी. एल. एवं माहेश्वरी बी. के., टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, आर लाल बुक डिपो, मेरठ।
7. मेहलिंगर, ए. डी.(एड.) (1981), यूनेस्को हैंडबुक फॉर द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज, यूनेस्को।
8. रूट, एम. (1993), फिलॉसोफी ऑफ सोशल साइंस, ऑक्सफोर्ड, ब्लैकबेल।
9. ट्रिग, आर. (1985), अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंसेस, ऑक्सफोर्ड, बेसिक ब्लैकबेल।
10. बत्रा पी. (एड. 2010), सोशल साइंस लर्निंग इन स्कूल्स : पर्सपैक्टिव एंड चैलेंजेज, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।

1.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. सामाजिक विज्ञान क्या है? उपर्युक्त उदाहरण देकर समझाएं।
2. सामाजिक विज्ञान की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए।
3. सामाजिक विज्ञान की क्षेत्र की व्याख्या कीजिए।
4. सामाजिक विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान में मूलभूत अंतर क्या है उदाहरण देकर समझाएं।
5. विशेषीकृत ज्ञान एवं अंतर्विषयक ज्ञान की तुलना कीजिए।

इकाई 2 - विद्यालयों के प्रमुख सामाजिक विज्ञान विषय (भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास), सामाजिक विज्ञान के शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता, सामाजिक विज्ञान विषयों के बीच संबंध

2.1 प्रस्तावना
2.2 उद्देश्य
2.3 विद्यालयों के प्रमुख सामाजिक विज्ञान विषय
  2.3.1 भूगोल
  2.3.2 अर्थशास्त्र
  2.3.3 राजनीति शास्त्र
  2.3.4 इतिहास
2.4 सामाजिक विज्ञान के शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता
2.5 सामाजिक विज्ञान विषयों के बीच संबंध
  2.5.1 राजनीति विज्ञान और भूगोल
  2.5.2 राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्
  2.5.3 राजनीति विज्ञान और इतिहास
2.6 सारांश
2.7 शब्दावली
2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
2.9 संदर्भ ग्रंथ सूची
2.10 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

जनसंख्या विस्फोट, नगरीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नति, यातायात, उद्योग, सूचना आदि क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों ने मानव समायोजन की विभिन्न समस्याओं को जन्म दिया तथा सामाजिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानव को बाध्य किया। आज इलेक्ट्रॉनिक विचार करने वाली मशीनों के संचालन के लिए मानव मस्तिष्क की आवश्यकता है क्योंकि इसके द्वारा उनके प्रोग्रामों को बनाया जाता है अतः सामाजिक अंतःचेतना (Social Consciousness) के अभाव में प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक उन्नति मानव हित के

लिए कार्य नहीं कर सकती। वर्तमान सामाजिक संस्थाएं और मूल्य इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। मानव ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में अभी तक असफल है जिसमें बढ़ी हुई शक्तियों और भौतिक समृद्धि के साथ तालमेल हो सके। इस तालमेल की स्थापना के लिए आज चारों ओर सामाजिक विज्ञानों की शिक्षा की मांग बढ़ती जा रही है। मानव समाज में हुए सामाजिक परिवर्तनों को समझने तथा उनके साथ तालमेल स्थापित करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। इसी संदर्भ में इस इकाई में विभिन्न सामाजिक विज्ञान संबंधी विषयों के अर्थ एव उनका अध्ययन एवं शिक्षण की आवश्यकता तथा सामाजिक विज्ञान विषयों के बीच सहसंबंध को स्पष्ट किया गया है।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के अध्ययन के पश्चात आप -

1. राजनीति विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे ।
2. भूगोल विषय का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे ।
3. इतिहास का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे।
4. अर्थशास्त्र विषय का संप्रत्य स्पष्ट कर सकेंगे ।
5. सामाजिक विज्ञान के शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकता बता सकेंगे।
6. राजनीति विज्ञान एवं भूगोल विषय के सह संबंध की विवेचना कर सकेंगे ।
7. राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र विषय के सह संबंध की विवेचना कर सकेंगे।
8. राजनीति विज्ञान एवं इतिहास विषय के सह संबंध की विवेचना कर सकेंगे।

2.3 विद्यालयों के प्रमुख सामाजिक विज्ञान विषय

सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन दोनों मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं परंतु सामाजिक विज्ञान प्रौढ़ावस्था पर तथा सामाजिक अध्ययन बालकों के स्तर पर। अतः यह स्पष्ट है कि सामाजिक अध्ययन मूलतः सामाजिक विज्ञानों से ही अपनी विषय वस्तु ग्रहण करता है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान है जिसको निर्देशात्मक अभिप्रायों के लिए सरलीकृत एवम पुनः संगठित किया गया है अतः सामाजिक विज्ञानों तथा सामाजिक अध्ययन में दार्शनिक या सिद्धांतिकअंतर नहीं है वरन केवल व्यवहारिक एवं सुविधा की दृष्टिकोण से अंतर है ।

सामाजिक अध्ययन नामक पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत देता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। यह अध्ययन क्षेत्र विषयों के एक संघ तथा पाठ्यक्रम के एक खंड का निर्माण करता है। यह खंड वह है जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से संबंधित है।

2.3.1 भूगोल

भूगोल दो शब्दों भू यानी पृथ्वी और गोल से मिलकर बना है। भूगोल पृथ्वी का अध्ययन करता है अर्थात विश्व की प्राकृतिक दशाओं का विवेचन करता है। क्लाडियस टालमी के अनुसार भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय में विज्ञान है।

स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का स्थल महासागर जीव-जंतुओं वनस्पतियों फलो तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है।

भूगोल एक प्राचीनतम विज्ञान है और इसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ती है। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरैटोस्थनीज ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतर क्रियाओं और इन अंतर क्रियाओं से उत्पन्न रूपों का अध्ययन करता है। यह बताता है कि कैसे क्यों और कहां मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का शुद्ध होता है? और कैसे यह क्रियाकलाप एक-दूसरे से अंतर संबंधित हैं?

भूगोल स्थान का विज्ञान है। भूगोल प्राकृतिक व सामाजिक दोनों ही विज्ञान है जो कि मानव व पर्यावरण दोनों का ही अध्ययन करता है। यह भौतिक व सांस्कृतिक विश्व को जोड़ता है। भौतिक भूगोल पृथ्वी की व्यवस्था से उत्पन्न प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। मानव भूगोल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जनांकिकीय प्रक्रियाओं से संबंधित है और यह संसाधनों के विभिन्न प्रयोगों से भी संबंधित है।

भूगोल मानवीय ज्ञान की वृद्धि में तीन प्रकार से सहायक होता है-

i. विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का विवेचन करके मानवीय वास स्थान के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करता है
ii. अन्य विज्ञानों के द्वारा विकसित धारणाओं में अंतर्निहित तथ्य की परीक्षा का अवसर देता है क्योंकि भूगोल अवधारणाओं का स्थान विशेष पर प्रयोग कर सकता है
iii. यह सार्वजनिक अथवा निजी नीतियों के निर्धारण में अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि प्रदान करता है जिसके आधार पर समस्याओं का स्पष्टीकरण सुविधाजनक हो जाता है।

भूगोल के अध्ययन विधि परिवर्तित होती रही है। प्रारंभिक विद्वान वर्णनात्मक भूगोलवेत्ता थे बाद में भूगोल विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित हुआ और आज यह विषय न केवल वर्णन करता है बल्कि विश्लेषण के साथ-साथ भविष्यवाणी भी करता है।

2.3.2 अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ और शास्त्र की संधि से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन ।

- प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी 'पुस्तक एन इंक्वारी इनटू द नेचर एंड द कॉसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस' मैं अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है।
- डॉ अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत में अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देकर इस को लोकप्रिय बना दिया।
- आधुनिक अर्थशास्त्री सैम्यूलसन ने अर्थशास्त्र को 'विकास का शास्त्र' कहा है।
- लियोनेल रोबिंसन के अनुसार आधुनिक अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार है वह विज्ञान जो मानव स्वभाव का वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों और उनके प्रयोग के मध्य अंतरसंबंधों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मैं अर्थ संबंधी बातों की प्रधानता होना स्वभाविक है परंतु हमको यह न भूल जाना चाहिए कि ज्ञान का उद्देश्य अर्थ प्राप्त करना ही नहीं है अपितु सत्य की खोज द्वारा विश्व के लिए कल्याण सुख और शांति प्राप्त करना भी है। अर्थशास्त्र यह भी बतलाता है कि मनुष्यों के आर्थिक प्रयत्नों द्वारा विश्व में सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय है यद्यपि उसमें व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हितों का भी विवेचन रहता है।

  अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह शास्त्र समाज के उस अंग का वर्णन करता है जिसमें धन की उत्पत्ति, वितरण, उपभोग तथा विनिमय संबंधी क्रियाएं निहित रहती हैं। अर्थात अर्थशास्त्र भी मानव जीवन का अध्ययन करता है। यह मानव जीवन की अर्थ क्रियाओं का अर्थ आवश्यक्ताओं का अध्ययन करता है । मूल्य, मांग और आपूर्ति की अवधारणा अर्थशास्त्र में केंद्रीय है ।

2.3.3 राजनीति शास्त्र

राजनीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द ‘ पोलिस’ शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ है ‘ नगर राज्य’ राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय माना जाता था। इसके अंतर्गत नगर राज्य की समस्त गतिविधियां एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक राज्य और सरकार के बीच कोई अंतर नहीं मानते थे। वह कभी भी वैयक्तिक जीवन एवं सामाजिक जीवन में कोई विभेद नहीं करते थे। उनके अनुसार राजनीति मनुष्य समाज राज्य एवं नैतिकता का समग्र अध्ययन है।

- **परंपरागत राजनीतिक चिंतकों के अनुसार** राजनीति विज्ञान, राज्य का अध्ययन है।
- **J.W. Ganner States के अनुसार-** राजनीति विज्ञान राज्य के साथ ही शुरू होता है और राज्य के साथ ही समाप्त होता है। कुछ विद्वान इसे राज्य एवं सरकार का अध्ययन मानते हैं।
- **George Catlin States के अनुसार-** राजनीति से तात्यपर्य या तो राजनीतिक जीवन की क्रियाओं या उन क्रियाओं के अध्ययन से है और यह समस्त क्रियाएं सामान्यतया सरकार के विभिन्न अंगों से संबंधित होती हैं। राजनीति विज्ञान एक ऐसा विवेचनात्मक अध्ययन है, जो

राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थानों के विवरण उनके इतिहास उनके सिद्धांतों उनकी कार्य विधि दिशा निर्देशक बलों, अंतर्निहित प्रभावों परिणामों जो उन प्रभावों से जनित है और उनका देश के जीवन पर प्रभाव तथा पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों को जोड़ता है।

- राज्य सरकार और राष्ट्रीय संस्थान के अध्ययन के रुप में राजनीति विज्ञान का संप्रत्यय वर्तमान में पर्याप्त नहीं माना जाता है उपरोक्त परिभाषाएं केवल विधिक स्वरूप को परिलक्षित करती है। उनसे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि राज्य के अंदर क्या घटित हो रहा है। इसलिए राजनीतिक चिंतको द्वारा इसे अलग तरीके से परिभाषित किया गया है।
- **Harold Lasswell के अनुसार**- राजनीति राजनैतिक शक्तियों को आकार देना केवल उनको साझा करना है।
- आधुनिक चिंतकों के अनुसार समस्त राजनैतिक क्रियाएं शक्ति को हासिल करने एवं उसे बरकरार रखने की ओर अग्रसर हैं। शक्ति राजनीति में केंद्रीय विचार है, शक्ति कौन प्राप्त करेगा? कैसे प्राप्त करेगा? कब प्राप्त करेगा? और क्या प्राप्त करेगा? इन प्रश्नों से संबंधित है।

कुछ विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को द्वंद समाधान का अध्ययन माना है। राजनीतिक प्रक्रिया का उद्देश्य या तो परिवर्तन लाना है या परिवर्तन का विरोध करना है । लोग अपनी आवश्यक्ताओं की पूर्ति हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब संसाधन सीमित हैं और लोग उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं तभी द्वंद उत्पन्न होते हैं। राजनीति इन्हीं द्वंद का समाधान करती है।

कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को अनेक बलों के सहसंबंध का अध्ययन मानते हैं। उनके अनुसार राजनीति संस्थान एवं राजनीति निर्वात में संचालित नहीं हो सकती है। सामाजिक एवं आर्थिक बल राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं इसलिए इन बलों का सहसंबंध राजनीति में महत्वपूर्ण है।

उपरोक्त परिभाषाओं को संकलित कर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है, कि राजनीति विज्ञान राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं, शक्ति सत्ता प्रभाव राजनैतिक प्रक्रियाओं एवं राजनीतिक बलों का क्रमबद्ध अध्ययन है।

2.3.4 इतिहास

इतिहास शब्द का प्रयोग विशेषता दो अर्थों में किया जाता है। एक है प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाएं और दूसरा उन घटनाओं के विषय में धारणा। इतिहास शब्द (इति + ह + आस; अस् धातु, लिट् लकार अन्य पुरुष तथा एकवचन) का तात्पर्य है "यह निश्चय था"। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्तरी (History) शब्द का प्रयोग करते थे। हिस्तरी का शाब्दिक अर्थ "बुनना" था। अनुमान होता है कि ज्ञात घटनाओं को व्यवस्थित ढंग से बुनकर ऐसा चित्र उपस्थित करने की कोशिश की जाती थी जो सार्थक और सुसंबद्ध हो।

इस प्रकार इतिहास शब्द का अर्थ है-परंपरा से प्राप्त उपाख्यान समूह (जैसे की लोक कथाएं), वीरगाथा यह ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उस में अब

तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन होता है। प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। इन घटनाओं व ऐतिहासिक साक्ष्यों को तथ्य के आधार पर प्रमाणित किया जाता है।

इतिहास को मानव सभ्यता का कोष कहा जाता है। इतिहास अतीत की कहानी है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उन्नति का विश्लेषण प्राप्त होता है। इतिहास भूतकाल का विश्लेषण करके वर्तमान को स्पष्ट करता है तथा इसके साथ ही भविष्य के लिए मार्ग प्रदर्शित करता है।

इतिहास के मुख्य आधार युग विशेष और घटनास्थल के वे अवश्य से हैं जो किसी न किसी रूप में प्राप्त होते हैं। जीवन की बहुमुखी व्यापकता के कारण स्वर्ग सामग्री के सहारे विगत युग अथवा समाज का चित्र निर्माण करना दुःसाध्य है। सामग्री जितनी ही अधिक होती जाती है उसी अनुपात से बीते युग तथा समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करना साध्य होता जाता है। पर्याप्त साधनों के होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि कल्पना मिश्रित चित्र निश्चित रूप से शब्द या सत्य ही होगा। इसलिए उपयुक्त कमी का ध्यान रखकर कुछ विद्वान कहते हैं कि इतिहास की संपूर्णता असाध्य सी है, फिर भी यदि हमारा अनुभव और ज्ञान प्रचुर हो ऐतिहासिक सामग्री की जांच पड़ताल को हमारी कला तर्क प्रतिष्ठित हो तथा कल्पना संयत और विकसित हों तो अतीत का हमारा चित्र अधिक मानवीय और प्रामाणिक हो सकता है सारांश यह है कि इतिहास की रचना में पर्याप्त सामग्री, वैज्ञानिक ढंग से उसकी जांच, उससे प्राप्त ज्ञान का महत्व समझने के विवेक के साथ ही ऐतिहासिक कल्पना की शक्ति तथा सजीव चित्रण की क्षमता की आवश्यकता है। स्मरण रखना चाहिए इतिहास न तो साधारण परिभाषा के अनुसार विज्ञान है और न केवल काल्पनिक दर्शन अथवा साहित्य रचना है इन सब के इतिहास का स्वरूप जाता है।

लिखित इतिहास का आरंभ पद्य अथवा गद्य में वीरगाथा के रूप में हुआ फिर वीरों अथवा विशिष्ट घटनाओं के संबंध में अनुश्रुति अथवा लेखक की पुस्तक से गद्य में रचना प्रारंभ हुई। इस प्रकार के लिए कपड़ों, पत्थरों, छालों और कपड़ों पर मिलते हैं। कागज का आविष्कार होने से लेखन और पठन पाठन का मार्ग प्रशस्त हो गया लिखित सामग्री को अन्य प्रकार की सामग्री जैसे खंडहर बर्तन धातु के खिलौने तथा यातायात के साधनो आज के सहयोग द्वारा ऐतिहासिक ज्ञान का क्षेत्र और कोश बढ़ता चला गया। उस सब सामग्री की जांच पड़ताल की वैज्ञानिक कला का विकास होता गया। प्राप्त ज्ञान को सजीव भाषा में गुंफित करने की कला ने आश्चर्यजनक उन्नति कर ली है फिर भी दर्शन के लिए कल्पना अभ्यास, किंतु अधिकतर व्यक्ति की नैसर्गिक क्षमता एवं सूक्ष्म तथा क्रांत दृष्टि पर आश्रित है। यद्यपि इतिहास का आरंभ एशिया में हुआ तथापि उसका विकास यूरोप में विशेष रूप से हुआ।

अभ्यास प्रश्न

1. भूगोल विषय को परिभाषित कीजिए?
2. इतिहास विषय किस प्रकार हमारे वर्तमान को भूतकाल से जोड़ता है?

3. अर्थशास्त्र विषय मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है?
4. राजनीति शास्त्र विषय की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? उसका अर्थ क्या है?

2.4 सामाजिक विज्ञान के शिक्षण और अधिगम की आवश्यकता

विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के नवाचारों ने आज के मानव समाज में कई क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं जिसके परिणाम स्वरुप मनुष्य की जीवन शैली परिवर्तित हुई है। इन नवाचारों ने संप्रेषण संवादों एवं मानवीय संबंधों को गतिशील रखने में सहायक उपकरणों को भी नवीन एवं उन्नत कर दिया है जिसके कारण मानवीय संबंधों में सुगम्यता के साथ जटिलता भी आ गई है। जिस युग में हम रह रहे हैं उसमें व्यक्तित्व सूचनाओं की पहुंच आसानी से और बहुतायत में हो रही है। इन सूचनाओं को संभालना एवं उसमें से सार्थक तथा निर्विवाद सूचनाओं से लाभ लेना चुनौतीपूर्ण हो गया है। सूचनाओं में अफवाहों की अधिकता एवं सूचनाओं के मूल स्वरुप में छेड़छाड़ एवं परिचालन की वजह से व्यक्तियों तथा समुदायों के बीच तनाव या संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो जा रही है। ऐसे परिदृश्य में समाज के परिवर्तित स्वरूप तथा मानवीय संबंधों की जटिलता को समझने तथा व्यक्तियों को इस परिवर्तित समाज में समायोजित होकर सुचारु रुप से अपना जीवन जीने के लिए सामाजिक विषयों का अद्यतन ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सामाजिक विषय व्यक्तियों को अपने इतिहास से न केवल परिचित कराता है बल्कि उसके ज्ञान एवं समझ के आधार पर भविष्य को भी सवारने में मददगार है। नागरिक शास्त्र व्यक्तियों को समाज में अधिकारों एवं कर्तव्यों के ज्ञान के साथ साथ लोकतांत्रिक नागरिक जीवन जीने का प्रशिक्षण देता है। वही अर्थशास्त्र आर्थिक संस्थाओं एवं क्रियाओं का ज्ञान देता है जिससे व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना पाता है। सामाजिक विषय भूगोल के अंतर्गत भौगोलिक परिस्थितियों पर्यावरण जनसंख्या इत्यादि मानव जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों के ज्ञान से सुसज्जित करता है।

सामाजिक विज्ञान के शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकता को अपने देश भारत के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से और अधिक स्पष्ट रुप से समझा जा सकता है-

i. **लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था -** कई वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली आजादी मिलने के साथ साथ समस्याएं एवं में उत्तरदायित्व भी जुड़े। हमने अपने संविधान की रचना कर राष्ट्र को प्रजातंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया इस कारण लोगों को अधिकार मिले और लोगों ने स्वतंत्रता समानता तथा भाईचारे का अनुभव करना प्रारंभ किया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को लागू करने के बाद प्रमुख चुनौतियाँ यह थी कि कैसे लोकतंत्र एक शासन पद्धति से जीवन पद्धति तक पहुंचे ? किस प्रकार हमारे नागरिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समझेंगे स्वीकार करेंगे एवं अपने जीवन में लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं मूल्यों का समावेश करेंगे? ऐसे कौन से प्रयास करने होंगे जिनसे लोकतंत्र अपने देश में सफल हो सके? किस प्रकार राष्ट्र को विघटन कारी तत्वों एवं शक्तियों से बचाया जाए? इन्हीं प्रश्नों के आधार पर

विद्वानों एवं शासकों ने स्वीकार किया कि लोकतंत्र की सफलता पूरी तरह से नागरिकों की जागरुकता, विवेक, सक्रियता एवं सहभागिता पर निर्भर है इसलिए नागरिकों को न केवल उनके अधिकारों से परिचित कराना होगा बल्कि उन्हें कर्तव्यों का भी ज्ञान देना होगा ताकि में लोकतांत्रिक व्यवस्था में न केवल अपना समायोजन बना सकें बल्कि जिम्मेदारी पूर्ण जीवन जीते हुए सकारात्मक योगदान दे सकें। इन्हीं चिंताओं के आलोक में सामाजिक विषयों के आधुनिक आधारों का सूत्रपात हुआ तथा सामाजिक विषयों के अध्ययन एवं शिक्षण को महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक बना दिया। इसके फलस्वरूप एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का उदय हुआ जिसमे सामाजिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ तथा यह शिक्षा व्यवस्था आज भी संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तत्पर है।

ii. **समाजवादी राज्य (Socialist State) -** भारतीय समाज में आजादी के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि समाजवादी समाज की स्थापना की ओर शांतिपूर्ण कदम बढ़ाया। उन्होंने इसको सर्वोदय तथा भूदान आदि अहिंसात्मक आंदोलनों द्वारा ग्रहण करने का निर्णय लिया था। समाजवादी समाज की स्थापना के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। संविधान की धारा 38 में यह उपबंधित किया गया है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था करें जिसमें सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अनुच्छेद 39 उस मार्ग का वर्णन करता है जिस पर चलकर समाजवादी तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। राज्य ने निर्देशक तत्वों के अनुसार कार्य करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यन्वयन उत्पादन के विभिन्न साधनों का राष्ट्रीयकरण निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था आदि। इससे नागरिकों के ऊपर उनके संचालन एवं संगठन का भार आया फलस्वरूप नागरिकों के उत्तरदायित्व, संस्थाओं, समितियों, संगठनों आदि में वृद्धि इस प्रकार उनका जीवन जटिल बना मानवीय संबंधों को सरल एवं स्पष्ट करने नागरिकों को इन दायित्वों का पूर्ण रुप से निर्वाह करने तथा जीवन को समझने के लिए व्यवस्थित रुप से सामाजिक विषयों की शिक्षा देने की आवश्यकता हुई क्योंकि परिवार में इस तरह की शिक्षा न मिल सकी इसलिए विद्यालयों में सामाजिक विषयों की व्यवस्थित रूप से शिक्षा देने का प्रबंध किया गया।

iii. **पंचायती राज व्यवस्था -** महात्मा गांधी ने कहा कि राष्ट्र की उन्नति एवं प्रगति के लिए ग्रामों की प्रगति का होना आवश्यक है क्योंकि हमारे देश की 70% जनसंख्या ग्रामों में ही निवास करती है। उन्होंने कहा कि गांव स्वशासित तथा आत्मनिर्भर हो, ग्रामवासियों के रहन सहन के स्तर को उच्च बनाया जाए उनकी उन्नति के लिए कुटीर उद्योगों का विकास कृषि की उन्नति तथा ग्राम पंचायतों के निर्माण पर बल दिया। इस प्रकार उन्होंने भारत में ग्राम समाजवाद की स्थापना पर बल दिया पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई । इससे घर परिवार तथा ग्राम के वातावरण में परिवर्तन हुए इन परिवर्तनों के कारण यह आवश्यकता अनुभवी के नागरिकों को इस

प्रकार की शिक्षा प्रदान की शिक्षा प्रदान की जाए जिससे वह अपने वातावरण में स्वयं को समायोजित कर सकें तथा सामाजिक व्यवस्थाओं की जटिलता को स्पष्ट रुप से समझ सकें आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को महत्वपूर्ण समझा गया।

iv. **वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रभाव -** विज्ञान ने समाज के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किया हमारे समाज का जो पहले स्वरुप था घटना आ गई। वैज्ञानिक आविष्कारों ने ग्रामीण जनजीवन को भी अंतरराष्ट्रीय वातावरण के संपर्क में ला दिया इन आविष्कारों के कारण आज का विश्व बहुत छोटा हो गया है। आज गांव में बिजली ट्यूबवेल नवीन फलों नवीन औजारों, संचार के माध्यमों एवं यातायात के साधनों तथा अन्य वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग ने व्यक्ति को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रुप से प्रभावित किया है जिससे व्यक्तियों का रहन सहन उनके बीच आपसी संबंध भी प्रभावित हुआ है। इस परिवर्तित परिप्रेक्ष को समझने तथा उसके दुष्परिणामों से बचने एवं उसमें सफलतापूर्वक व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन यापन करने हेतु नागरिकों को सामाजिक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है केवल तभी आज का मनुष्य वैज्ञानिक उपकरणों के दुरुपयोग से उत्पन्न दुष्परिणामों से बच सकता है तथा उस दुरुपयोग से जनित हिंसा एवं द्वेष को दूर किया जा सकता है। सामाजिक शिक्षा मानवीय संबंधों के महत्व, पारस्परिक भाईचारा एवं एकता की भावना के महत्व को स्थापित करती है। हमारा देश प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की मूल भावना के साथ संपूर्ण सृष्टि को अपना परिवार मानता है। इस वैज्ञानिक दौर में भी हमारा देश विविधता में एकता सांस्कृतिक बहुलता को समेटे हुए आज भी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व को दे रहा है। इस कारण भी युवा पीढ़ी को सामाजिक विषयों का ज्ञान प्रदान करना आवश्यक है ताकि वह न केवल अपनी गौरवशाली परंपरा एवं संस्कृति को समझ सकें बल्कि उसके वर्तमान संदर्भों में प्रासंगिक विचारों को पूरे विश्व में प्रचारित एवं प्रसारित करते रहें।

v. **अंतर्राष्ट्रीयता सद्भाव की भावना का विकास -** सूचना क्रांति के फलस्वरुप पूरा विश्व एक गांव के सदृश्य कार्य कर रहा है। सूचना एवं संचार के माध्यमों में हुए नवाचारों ने मानव जाति के विभिन्न समुदायों को काफी नजदीक ला दिया है। विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक ही कॉलोनी में या एक ही शहर में अर्थात आसपास बस रहे हैं एवं अपनी वर्तमान जरूरतों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से पड़ोसियों पर कुछ मात्रा में निर्भर भी हैं। ऐसे में विभिन्न संस्कृतियों को जानने एवं समझने की महती आवश्यकता है। अंतर सांस्कृतिक समझ आपसी सहयोग समन्वय एवं शांति के लिए अनिवार्य तत्व है। कुछ वैश्विक समस्याएं जैसे पर्यावरण असंतुलन आतंकवाद ने संपूर्ण मानव जाति को सोचने पर मजबूर कर दिया है एवं विश्व समुदाय के नागरिक होने के नाते जिम्मेदारियों को भी रेखांकित किया गया है। उनकी समझ और उसके अनुरूप योगदान की अपेक्षा विश्व के हर नागरिक से की जा रही है। इन्हीं अपेक्षाओं के कारण बालक को एवं युवाओं में राष्ट्रप्रेम की भावना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयता की भावना भी विकसित किया जाना

महत्वपूर्ण है। सफल नागरिक के लिए विश्व की अनेक विकसित सभ्यताओं एवं संस्कृतियों को समझकर उनसे अपने लिए महत्वपूर्ण ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करना आवश्यक है।

vi. **नेतृत्व कौशल का विकास** -हम सभी इस बात से अवगत हैं कि वर्तमान छात्र ही देश के भावी कर्णधार होंगे अतः प्रारंभ से ही छात्रों को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जाना आवश्यक है कि वह आने वाले समय में देश का सफल नेतृत्व कर सके माध्यमिक शिक्षा आयोग के शब्दों में "लोकतंत्र तब तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि उस के सभी सदस्य जनता के अधिकांश भाग को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने हेतु सक्षम नहीं बनाते जनता अपने दायित्वों का निर्वाह तभी कर सकती है। जब उसे अनुशासन एवं नेतृत्व करने की कला का भी प्रशिक्षण दिया जाए।" सक्षम नेतृत्व कौशल के विकास हेतु सामाजिक विज्ञान का शिक्षण एवं अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

vii. **सामाजिक कुशलता का विकास** - शासकों की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वह आने वाली पीढ़ी को अर्थात नई पीढ़ी को सामाजिक मान्यताओं परंपराओं संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं से भली भांति अवगत कराएं तथा ऐसी समझ विकसित करे कि वह सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भली प्रकार कर सके। उसके अंदर सामाजिकता की भावना का संचार हो सके। सामाजिकता समाज में शांति भाईचारा सौहार्द इत्यादि मूल्यों की स्थापना के लिए अनिवार्य है। समाज में रहकर सामाजिक मूल्यों को अपने जीवन में समाहित करके ही सफल जीवन जिया जा सकता है। नागरिकों में सामाजिक कुशलता का विकास सामाजिक विज्ञान विषय के माध्यम से किया जा सकता है। व्यक्ति का सामाजिक विकास करने हेतु ही सामाजिक विषयों का शिक्षण एवं अध्ययन आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न

5. सामाजिक विषयों के अध्ययन की आवश्यकता लोकतन्त्र के दृष्टिकोण से क्यों आवश्यक है?
6. संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है की समाजवादी तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है?
7. पंचायती राज व्यवस्था से क्या आशय है?

2.5 सामाजिक विज्ञान विषयों के बीच संबंध

प्रसिद्ध शिक्षाविद हरबर्ट ने सह-संबंध के सिद्धांत के कल्पना की। उनका विचार था संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का चारित्रिक विकास है इस हेतु पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो सके। इसी को हर्बर्ट ने सहसंबंध का सिद्धांत कहा। उनका विचार था कि कोई भी नवीन ज्ञान हम सफलतापूर्वक ग्रहण कर सकते हैं यदि

उसका संबंध हमारे पूर्व ज्ञान से होता है। हर्बट के शिष्य जिलर ने सह संबंध के सिद्धांत का विस्तृत रुप प्रस्तुत किया और केंद्रीयकरण के सिद्धांत का निरूपण किया। सिद्धांत के अनुसार किसी एक विषय को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानकर अन्य विषयों का उसी के आधार पर शिक्षण किया जाए। उसने समस्त विषयों की शिक्षा देने के लिए 'इतिहास' को केंद्रीय विषय माना परंतु कर्नल पार्कर ने 'प्राकृतिक अध्ययन' को केंद्रीय विषय बनाया गाने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यवहार कुशलता बतलाया इस को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 'भूगोल' तथा 'अर्थशास्त्र' को केंद्रीय विषय माना। जॉन डीवी ने शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता प्राप्त करना माना और इस हेतु 'शिक्षालय व समाज' के जीवन को केंद्रीय विषय माना। गांधीजी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास तथा आत्मनिर्भरता उत्पन्न करना था। उद्देश्य प्राप्ति के लिए उन्होंने 'हस्तकला (क्राफ्ट)' को केंद्रीय विषय माना था।

प्रसिद्ध शिक्षाविद Jackpot का विचार है कि 'ज्ञान परस्पर संबंधित है वह एक है विभाजन केवल सुविधा मात्र है'। समन्वय या सह संबंध का अर्थ है दो या अधिक वस्तुओं विचारों या घटनाओं में संबंध स्थापित करना। शिक्षा में सहसंबंध का आशय है कि विभिन्न विषयों को इस प्रकार पढ़ाना कि उनसे प्राप्त ज्ञान में पारस्परिक संबंध हो। एक विषय को पढ़ाते समय कभी कभी ऐसे संदर्भ आ जाते हैं जो दूसरे विषयों से संबंधित होते हैं और शिक्षा में संबंध का तात्पर्य ही है कि हम इन संदर्भों को परस्पर सह-संबंधित कर दें। नागरिक शास्त्र मानव की सामाजिक जीवन से संबंध रखता है इसीलिए इसमें जीवन के प्रत्येक अंग पर विचार किया जाता है प्रत्येक शास्त्र का अध्ययन नागरिक के जीवन पर एक विशेष प्रभाव डालता है अतः सामाजिक जीवन में एक संगठित तथा दृढता है और इसी एकीकरण को जानने के लिए हम विभिन्न सामाजिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। नागरिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य आदर्श नागरिकता उत्पन्न करना है। इसकी प्राप्ति हम तभी कर सकते हैं जब नागरिक शास्त्र के शिक्षण का दूसरे विषयों से संबंध स्थापित किया जाए क्योंकि सामाजिक जीवन के अनेक पहलू हैं जैसे- आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि।

2.5.1 राजनीति विज्ञान और भूगोल

भूगोल जगत की प्राकृतिक दशाओं का अध्ययन करता है। किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति का नागरिकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है जैसे इंग्लैंड की भौगोलिक स्थितियों ने एक व्यापारिक राष्ट्र बनाया इसके अतिरिक्त प्राकृतिक वातावरण मनुष्य के रहन-सहन, भाषा, शारीरिक गठन आदि को प्रभावित करता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि शिवाजी की जीत का मुख्य कारण भौगोलिक स्थितियां थी। प्रसिद्ध विद्वान रूसो का विचार है 'जलवायु का प्रभाव शासन पर पड़ता है। जलवायु व सरकार का गहरा संबंध है। साथ ही भौगोलिक स्थिति का प्रभाव सैनिक शक्ति पर भी पड़ता है।' इन दोनों विषयों के संबंधों को दर्शाने हेतु विद्वानों ने भौगोलिक राजनीति (जियो पॉलिटिक्स) नाम के विषय का प्रादुर्भाव किया है। भूगोल से संबंध इसी बात में है कि मानव प्राकृतिक वातावरण के सहयोग से किस प्रकार सीखा है? और यह प्राप्त किया हुआ अनुभव मानव समाज के कल्याण में कहां तक सहायक है? यदि किसी राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति अर्थात भूमि, जलवायु, खनिज पदार्थ आदि साधन अच्छे हैं तो उस राष्ट्र की आर्थिक

दशा अच्छी होगी जब आर्थिक दशा अच्छी होगी तो नागरिक शास्त्र की सहायता से मनुष्य को कर्तव्यपरायण नागरिक बनाया जा सकता है तथा आदर्श सामाजिक जीवन की स्थापना की जा सकती है। भौगोलिक स्थितिया मानव समाज के कल्याण में भी सहायक होती है।

2.5.2 राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र मनुष्य के अर्थ संबंधित क्रियाकलापों तथा नागरिक शास्त्र नागरिकता से संबंधित विषयों की व्याख्या करता है। विभिन्नता के होते हुए भी दोनों शास्त्र एक दूसरे के सहयोगी हैं। जब अर्थशास्त्र धन की उत्पत्ति तथा वितरण की विवेचना करता है तो उसे नागरिक शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। नागरिक शास्त्र इस बात के लिए कानून बनाता है कि नागरिक पर कौन कौन से कर लगाए जाएं तथा उनको किस विधि से वसूल किया जाए? नागरिक शास्त्र यह भी बतलाता है कि करों को देना नागरिकों का मुख्य कर्तव्य है। कर प्रणाली जनता के हित में कार्य करती है। नागरिक शास्त्र जनहित का सिद्धांत अर्थशास्त्र को प्रदान करता है। जिस समाज में मानव की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति नहीं की जाएगी वहाँ सफल नागरिकता संभव नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब आर्थिक विषमता होगी तब समाज दो वर्गो में बंट जाएगा और असमान वितरण के कारण गृहयुद्ध होने की संभावना बनी रहेगी। 1789 की फ्रांसीसी तथा 1917 की रूसी क्रांति के मुख्य कारण आर्थिक थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नागरिकता की सफलता के लिए समाज में उत्पादन के साधनों पर अधिकार समान होना चाहिए। उनका उपयोग समस्त जनता के हित के लिए जनता द्वारा होना चाहिए। गरीबी मानव को कर्तव्य विमुख कर सकती है। नागरिक शास्त्र का आदर्श तभी सफल हो सकता है जब समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। नागरिक शास्त्र का मुख्य लक्ष्य –आदर्श समाज की स्थापना की प्राप्ति केवल तभी संभव है जब मनुष्यों की अपनी मौलिक आवष्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त धन एवं उत्पत्ति के साधनों का उपयोग करने के समान अवसर प्राप्त हो।

प्राचीन काल में कौटिल्य, बृहस्पति ने राजनीति पर जो ग्रंथ लिखे उनका नाम 'राजनैतिक अर्थव्यवस्था' रखा है। वास्तव में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक जीवन राजनीतिक संस्थाओं एवं विचारों द्वारा संचालित होता है और राजनीतिक आंदोलन आर्थिक कारणों से प्रभावित होता है। प्रसिद्ध अर्थवादी विचारक कार्ल मार्क्स के अनुसार 'आर्थिक तत्व ही समाज की प्रत्येक व्यवस्था का निर्धारण करते हैं।' चार्ल्स बियर्ड के अनुसार' अर्थशास्त्र के बिना नागरिक शास्त्र का वास्तविक एवं सारहीन ढांचा मात्र है और नागरिक शास्त्र के बिना अर्थशास्त्र प्रेरणा हीन'।

2.5.3 राजनीति विज्ञान और इतिहास

राजनीति विज्ञान का इतिहास से बहुत गहरा संबंध है। इन दोनों विषयों के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सीले (Sheeley) का कथन है " इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र निष्फल है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास निर्मूल है।" इस संबंध में फ्रीमैन का कथन है "इतिहास अतीति की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है" बर्गेस ने भी इतिहास का राजनीति शास्त्र से संबंध

बताया है और उनका विचार है 'यदि राजनीति विज्ञान व इतिहास का संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो उसमें से एक मृत नहीं तो पंगु अवश्य हो जाएगा और दूसरा केवल आकाश कुसुम बनकर रह जाएगा।'

इतिहास नागरिक के कर्तव्यों की सूची है तथा मानव सभ्यता का लेखा-जोखा है इसलिए इतिहास वस्तुतः राजनीति विज्ञान का मार्गदर्शक है तथा इसे दिशा प्रदान करने में सहयोग देता है और नागरिक शास्त्र केवल वर्तमान की सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं का विवेचन करता है और इतिहास के लिए लिए घटनाएं प्रस्तुत करता है। राजनीति विज्ञान शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य सामाजिक संघर्ष तथा कला को दूर करके आदर्श समाज की स्थापना करना है यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो आदर्श सामाजिक जीवन की स्थापना तभी की जा सकती है जब हमें प्राचीन समाज तथा उसके आदर्शों का ज्ञान हो। इनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इतिहास का सहारा लेना पड़ेगा। पूर्वजों के आदर्शों, उदाहरणों, सफलता और असफलताओं तथा त्रुटियों से हमें आदर्श समाज की स्थापना करने में बहुत सहायता मिलेगी क्योंकि मानव को उन्हीं गलतियों को नहीं दोहराना पड़ेगा। पुनरावृति से बचने तथा उदाहरणों से लाभ उठाने के लिए मानव को इतिहास का सहारा लेना पड़ेगा। राजनीति विज्ञान का शिक्षक इतिहास का सहारा लेकर अपने छात्रों में आदर्श नागरिकता के गुणों को विकसित कर सकता है। शिवाजी, राणा प्रताप आदि की कहानियां सुनाकर विद्यार्थीयों में स्वदेश प्रेम तथा देश भक्ति की भावना विकसित की जा सकती है। विद्यार्थियों को इतिहास के माध्यम से प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन, समाज के सदस्यों के अधिकार एवं प्राचीन शासन पद्धति से तुलना कर वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था का अध्यापन किया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न

8. _____का विचार है कि 'ज्ञान परस्पर संबंधित है वह एक है विभाजन केवल सुविधा मात्र है'।
9. प्रसिद्ध शिक्षाविद _____ने सह-संबंध के सिद्धांत के कल्पना की।
10. भौगोलिक स्थितियां मानव समाज के कल्याण में सहायक होती है। (सत्य/असत्य)
11. कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है?
12. "इतिहास अतीति की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है" यह कथन किसका है?

2.6 सारांश

इस इकाई में सर्वप्रथम आपने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले मुख्य विद्यालयी विषयों यथा भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान/सामाजिक अध्ययन एवं इतिहास के मूल संप्रत्यय, उनके विकास तथा वर्तमान स्वरूप का अध्ययन किया। इसके उपरांत सामाजिक विज्ञान के शिक्षण एवं अध्ययन की आवश्यकता (विशेषत: भारत के संदर्भ में) को भी समझा जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि परिवर्तित सामाजिक संदर्भ में व्यक्तियों को समायोजित एवं सफलतापूर्वक जीवन यापन करने हेतु सामाजिक ज्ञान, मूल्य एवं कौशलों की आवश्यकता होती है और इस हेतु नागरिकों को औपचारिक रुप से विद्यालयों में

सामाजिक विषयों का शिक्षण एवं अध्ययन जरूरी हो जाता है। सामाजिक विषयों के माध्यम से बालकों को आदर्श नागरिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाता है। सामाजिक विषयों के अध्ययन की आवश्यकता को लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था, नेतृत्व कौशल का विकास, वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रादुर्भाव, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास इत्यादि उप विषयों के माध्यम से इसे समझाया गया। इकाई के अंत में सामाजिक विषयों के आपसी संबंधों की भी चर्चा की गई जिसमें मुख्य रुप से राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र, भूगोल एवं इतिहास के साथ सहसंबंध को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझाया गया। इसके अंतर्गत आपने यह भी समझा कि ज्ञान एक ही है और समझने की दृष्टिकोण से इसको श्रेणियों में या विषयों में बांटा जाता है। विद्यार्थियों के हित में यह है कि सामाजिक विषयों का शिक्षण करते समय विषयों को सह-संबंधित करते हुए पढ़ाया जाए।

2.7 शब्दावली

1. **भूगोल** - भूगोल पृथ्वी एव पृथ्वी से संबन्धित अन्य वस्तुओं एवं मानवों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है।
2. **इतिहास** - इतिहास शब्द का प्रयोग विशेषता दो अर्थों में किया जाता है- एक है प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाएं और दूसरा उन घटनाओं के विषय में धारणा।
3. **राजनीति विज्ञान** - राजनीति विज्ञान राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं, शक्ति सत्ता प्रभाव राजनैतिक प्रक्रियाओं एवं राजनीतिक बलों का क्रमबद्ध अध्ययन है।
4. **अर्थशास्त्र** - अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है।
5. **लोकतन्त्र-** जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन और वर्तमान में जीवन जीने की एक पद्धति भी।
6. **पंचायती राज-** पंचायती राज से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था जिसमें स्थानीय स्तर पर नागरिकों की शासन में अधिक से अधिक सहभागिता से है।
7. **सह-संबंध-** शिक्षा में सहसंबंध का आशय है कि विभिन्न विषयों को इस प्रकार पढ़ाना कि उनसे प्राप्त ज्ञान में पारस्परिक संबंध हो।

2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. भूगोल दो शब्दों 'भू' यानी पृथ्वी और गोल से मिलकर बना है । भूगोल पृथ्वी का अध्ययन करता है। अर्थात विश्व की प्राकृतिक दशाओं का विवेचन करता है। क्लाडियस टालमी के अनुसार भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय में विज्ञान है।
2. प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। इन घटनाओं व ऐतिहासिक साक्ष्यों को तथ्य के आधार पर प्रमाणित किया जाता है।

3. धन मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अर्थशास्त्र मानव के उत्पादन के साधनों को प्रभावित करता है।
4. राजनीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द ' पोलिस' शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ है ' नगर राज्य' राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय माना जाता था इसके अंतर्गत नगर राज्य की समस्त गतिविधियां एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था।
5. लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरुक हों तथा एक सक्रिय विवेकशील एवं जिम्मेदार नागरिक की तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था में समायोजित होकर सहभागिता करे। यह जिम्मेदारी विद्यालयों में सामाजिक विषयों के शिक्षण पर है।
6. संविधान का अनुच्छेद 39 उस मार्ग का वर्णन करता है जिस पर चलकर समाजवादी तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है।
7. पंचायती राज व्यवस्था से तात्पर्य स्थानीय स्तर पर नागरिकों की शासन में अधिक से अधिक सहभागिता से है।
8. प्रसिद्ध शिक्षाविद जैकपाट (Jackpot)
9. हरबर्ट
10. सत्य
11. राजनैतिक अर्थशास्त्र
12. फ्रीमैन

2.9 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. त्यागी, जी.डी. (2014). सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रणाली विज्ञान. आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन.
2. त्यागी, जी.डी. (2011). नागरिक शास्त्र का शिक्षण. आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर.
3. सक्सेना,सरोज. (2007). नागरिक शास्त्र का शिक्षण. आगरा: साहित्य प्रकाशन.

2.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. आधुनिक प्रवृतियों को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक स्तर पर राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में स्थान प्रदान करने के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।
2. अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में राजनीति विज्ञान क्या भूमिका अदा करता है व्याख्या कीजिए।

इकाई 3 - बच्चों में प्राकृतिक जिज्ञासा और अधिगम

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा
3.4 जिज्ञासा और प्राकृतिक घटनाएं
  3.4.1 मौसम
  3.4.2 वनस्पति
  3.4.3 पशुवर्ग
3.5 स्थानिक-सामयिक, सामाजिक तथा आर्थिक संदर्भ
3.6 जिज्ञासा और वर्तमान भारतीय परिदृश्य
3.7 तार्किक शक्ति हेतु अनेकत्व दृष्टिकोण का विकास
3.8 सारांश
3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
3.10 संदर्भ ग्रन्थ व कुछ उपयोगी पुस्तकें
3.11 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

शिक्षक अपने बच्चों के बारे में क्या मान्यतायें और विश्वास धारण करता है, यह सिखाने के तरीकों तथा अपने छात्रों से अपेक्षाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। बच्चों में जिज्ञासा पैदा कर हम उनका सीखना आसान कर सकते हैं। यदि उनके अनुभव के आधार पर, रुचियों का ध्यान रखते हुए नवीन जानकारियों एवं अनुभवों को सहज रूप से जोड़ा जाए, तो उनमें सीखने की क्रिया ज्यादा प्रभावी होती है। उन्हें अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर देकर उनकी कल्पनाशीलता एवं सृजनशीलता को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है।

शिक्षक के संबंध अपने बच्चों के साथ दोस्ताना का हो तो वे गतिविधियों को करने तथा अपनी जिज्ञासा को प्रकट करने में हिचकते नहीं हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे जिज्ञासा को पनपने दें तथा उन जिज्ञासाओं को तृप्त करने हेतु गतिविधियों द्वारा उपयुक्त समझ के निर्माण को प्रोत्साहित करें। अक्सर कई शिक्षक पाठों को पूरा कराने में लग जाते हैं और गतिविधियों को निरर्थक एवं समय की बर्बादी मान बैठते

हैं। जबकि सच्चाई यह है कि गतिविधियों से विभिन्न दक्षताओं का विकास होता है। साथ ही, यह भी जरूरी है कि करायी गयी गतिविधि उपयुक्त, संदर्भित व संतुलित हो।

प्रस्तुत इकाई बच्चों के जिज्ञासा तथा इसके समझ विकास से सम्बन्ध के ऊपर आधारित है। इस इकाई में हम बच्चों के अन्दर के प्राकृतिक जिज्ञासा को विभिन्न पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक घटनाओं से जोड़ कर देखने का प्रयास करेंगे।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप-

1. बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा के महत्त्व को समझ सकेंगे।
2. प्राकृतिक जिज्ञासा को प्राकृतिक घटनाओं जैसे- मौसम, वनस्पति, पशुवर्ग आदि से जोड़ सकेंगे।
3. प्राकृतिक जिज्ञासा को स्थानिक तथा सामायिक संदर्भ से जोड़ सकेंगे।
4. जिज्ञासा और महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक संदर्भ में संबंध स्थापित कर सकेंगे।
5. स्पष्टीकरण और तार्किक शक्ति हेतु अनेकत्व या कई दृष्टिकोण के महत्त्व को समझ सकेंगे।

3.3 बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा

जिज्ञासा को एक उत्सुकता के रूप में समझा जा सकता है। व्यक्ति की यह उत्सुकता मुख्यतः जानने की इच्छा से संबंधित होता है। जिज्ञासा व्यक्ति या बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि जिज्ञासा बच्चे या व्यक्ति के सीखने के व्यवहार में समावेशित होता है। यह व्यक्ति में प्राकृतिक या जन्मजात क्षमताओं से जुड़ा होता है। साथ ही, किसी बच्चे या व्यक्ति में जिज्ञासा को प्रोत्साहित या हतोत्साहित किया जा सकता है। मनुष्यों द्वारा वैज्ञानिक खोज, शोध और अन्य अकादमिक कुशलताओं के पीछे जिज्ञासा या उत्सुकता एक प्रमुख कारण है।

जिज्ञासा क्यों महत्वपूर्ण है?

- जिज्ञासा बच्चों को अपने मानसिक क्षमताओं सहित अपने पूरे जीवन को विकसित करने में मदद करता है।
- यह दैनिक जीवन के कई रहस्यों (जब मैं ऐसा करता हूं तो क्या होता है?) के जवाब को प्रदान करता है।

- नई चीजें को सीखने के लिए बच्चों की क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही, सीखने और विकास की क्षमता में आत्मविश्वास पैदा करता है।
- चुनौतियों से निपटने के लिए अलग-अलग तरीकों के खुले विचारों और सहनशील होने की प्रवृति को बच्चों में बढ़ता है।
- यह उनके दुनिया के बारे में जागरूकता और मनोरंजन में भी योगदान देता है।

जिज्ञासा कैसे क्षीण होती हैं?

- **डर** - जब कोई बच्चा डरता है, तो वह वस्तु या स्थिति से परिचित नहीं होगा और पूर्व ज्ञान के साथ ही जुड़ा रहेगा।
- **अस्वीकृति** - जब कोई बच्चा हर समय "ऐसे नहीं करो" सुनता है, तो उसकी प्रयोग की इच्छा कम हो जाती है।
- **अनुपस्थिति** - जब एक बच्चे को अपने नए अनुभवों को साझा करने या सुरक्षा की पेशकश या देखभाल करने के लिए कोई वयस्क नहीं है, तो भी वह कोशिश करना बंद कर सकता है।

बच्चों के प्राकृतिक जिज्ञासा को कैसे प्रोत्साहित किया जाए?

- अपनी दुनिया में क्या हो रहा है, उसमें अपनी रुचि दिखाएं।
- बच्चों को अपने अभिरुचियों (संगीत, खेल, किताबें) में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- सवाल स्पष्ट रूप से, तथ्यात्मक रूप से, और बच्चे के विकास अवस्था को ध्यान में रखते हुए करें।
- खुले/ओपन-एंड (open ended) प्रश्न पूछें; जैसे - आप रेल यात्रा में कैसा महसूस करते हैं? या हरा रंग का आपका पसंदीदा रंग क्यों है? आदि)।
- किसी बच्चे के अभिरुचियों को पुनर्निर्देशित करें, लेकिन इन्हें हतोत्साहित न करें (जैसे, यदि वह अपने कप के पानी

को फर्श पर डालना पसंद करता है, तो बाथटब या पिछवाड़े में पानी के साथ प्रयोग करने के अवसर प्रदान करें)

- ऐसे खिलौने प्रदान करें जो एक बच्चे की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करती हों और उनके प्रयोग सीमित न हों।
- नई चीजों की खोज और नए कौशल में कुशलताओं के प्रयासों की प्रशंसा करें।
- बच्चों को अपने प्राकृतिक परिवेश का पता लगाने और अपने स्वयं के प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें।

अभ्यास प्रश्न

1. जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने हेतु बच्चों से कैसे प्रश्न पूछने चाहिए?
    a. ओपन एंडेड
    b. एंडेड क्लोज्ड
    c. बहुत छोटे
    d. पूर्व से ज्ञात प्रश्न
2. जिज्ञासा क्यों महत्वपूर्ण है?
    a. पुरानी बातों को सीखने के लिए
    b. नई चीजें को भूलने के लिए
    c. पूर्व ज्ञान को जानने के लिए
    d. नई चीजें को सीखने के लिए

3.4 जिज्ञासा और प्राकृतिक घटनाएं

बच्चा प्राकृतिक रूप से उत्सुक होता है। वह चीजों से समझना चाहता है, पता करना चाहता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, वह अपने और अपने पर्यावरण पर संबंधी दक्षता और नियंत्रण प्राप्त करता है, और साथ ही वह अपने को आकलित करता है कि अन्य लोगों के अनुकरण से वह क्या-क्या कर सकता है।

बच्चा व्यापक, पर्वेक्षक और प्रायोगिक दृष्टिकोण वाला होता है। वह केवल अपने चारों ओर की जटिल दुनिया से खुद को बंद नहीं करता है, बल्कि वह दुनिया का निरीक्षण करता है। वह अपने चारों ओर की वस्तुओं को जानने के लिए उसे छूता है, स्वाद लेता है, वह जानना चाहता है कि वह कैसे काम करती है। वह साहसिक होता है, वह गलतियां करने से डरता नहीं है।

एक शिक्षक के रूप में बच्चे की इस तरह की स्थितियों में क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? यह प्रश्न आपके दिमाग में उभरने चाहिए। क्या शिक्षक/शिक्षिका को बच्चे को खोजबीन करने से रोकना चाहिए?

उत्तर है नहीं। उसे उसके प्राकृतिक जिज्ञासा को विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। आइए अब हम विभिन्न प्राकृतिक घटना या सथियों के सन्दर्भ में जिज्ञासा को जोड़ने संबंधी क्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं:

3.4.1 मौसम

- टेलीविजन या अखबार में मौसम की रिपोर्ट देखने को कहें;
- एक जगह चुनें और इंटरनेट पर वहां के मौसम संबंधी जानकारी को ढूंढने के लिए कहें;
- मानचित्र को दिखाएँ और वहां के जलवायु या मौसम क्षेत्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहें;
- दिन या रात के दौरान अलग-अलग समय पर आकाश का निरीक्षण करने को कहें;
- अपने घर के अंदर और बाहर थर्मामीटर रखने को कहें;
- पतंग उड़ाने को कहें और हवा में दाब संबंधी जानकारी इकट्ठा करने को कहें;
- दूर के रिश्तेदारों से वहां के मौसम के बारे में पूछने को कहें;
- मौसम की स्थिति के ग्राफ या डायरी रखने को कहें;

- विभिन्न जलवायु क्षेत्रों से आने वाले लोगों के साथ मौसम के बारे में बात करने को कहें;
- उन लोगों के जीवन की पड़ताल करने को कहें, जो आप से अलग मौसम क्षेत्र में रहते हैं;
- एक कंटेनर में बारिश जमा करें और बारिश की विशिष्टता को जानने को कहें;
- इंद्रधनुष को देखने को कहें;
- गर्मी के दिनों तापमान के वजह से धातु से बनी चीजों के आकर में परिवर्तन को जानने को कहें;
- बिजली की चमक और गड़गड़ाहट के बाद होने वाली समय की गणना करने को कहें; आदि।

3.4.2 वनस्पति

- अंकुरण की क्रिया को अवलोकन करने को कहें;
- फल और सब्जियों (जो आप खाते हैं) के बीज को संरक्षित करने को कहें;
- पौधों के बीज के रोपण हेतु प्रोत्साहित करें;
- पौधों के पैक्ड बीज को दिखाएँ और उनका पालन करने को कहें;
- विभिन्न प्रकार के पेड़ों और फूलों के नाम जाननें को कहें;
- खाद के रूप में कचरे के भोजन को बचाने के लिए कहें; (जैसे- चाय बनने के बाद बचे चायपत्ती से खाद बनाने को प्रेरित कर सकते हैं)
- फूल की कली को फुल बनते हुए या खिलना की क्रिया का अंतराल पर अवलोकन करने को निर्देशित करें;
- अपने पर्यावरण में पेड़ों और फूलों की देखभाल करने में सहायता करने को कहें;
- एक पेड़ या पौधे के वृद्धि संबंधी प्रगति को रिकॉर्ड करने को कहें।

3.4.3 पशुवर्ग

- मकड़ी तथा उसके द्वारा निर्मित वेब को दिखाएँ;

- अपने आसपास के जानवरों की गतिविधियों का निरीक्षण करने को कहें;
- कुत्तों, बिल्लियों, गिलहरी, खरगोश, पक्षियों आदि के व्यवहार को अवलोकन करने हेतु प्रोत्साहित करें;
- अपने घर के आस-पास पक्षियों का पालन करने को कहें तथा घोंसले बनने को देखने को कहें;
- एक कैटरपिलर को तितली में बदलने को देखने हेतु प्रेरित करें;
- पशुओं तथा पक्षियों के समूह का संयोजन देखने को कहें;
- जिस तरह से कोई बड़ा पशु या पक्षी अपने छोटों की देखभाल करते हैं, उसे देखने को प्रोत्साहित करें;
- अपने घर के पालतू जानवर के साथ पशु चिकित्सक के पास जाने को कहें;

- पशुओं तथा पक्षियों में परिवर्तन का निरीक्षण करने को कहें;

अभ्यास प्रश्न

3. निम्न में से कौन से कार्य द्वारा बच्चे के जिज्ञासा को मौसम से जोड़ा जा सकता है?
    a. अखबार में मौसम की रिपोर्ट देखना
    b. इंटरनेट पर मौसम संबंधी गाने सुनने से
    c. शारीरिक क्रियाओं द्वारा
    d. अपने घर के अंदर जानवर पालने से
4. निम्न में से कौन से कार्य द्वारा बच्चे के जिज्ञासा को वनस्पति ज्ञान से जोड़ा जा सकता है?
    a. फल और सब्जियों को खाने से
    b. बचे हुए भोजन से खाद निर्माण को प्रोत्साहित करने से
    c. जानवरों के नाम याद करने से
    d. संगीत द्वारा
5. निम्न में से कौन से कार्य द्वारा बच्चे के जिज्ञासा को पशु वर्ग संबंधी ज्ञान से जोड़ा जा सकता है?
    a. विभिन्न स्थानों का भ्रमण से
    b. विद्यालय जाने से
    c. पक्षियों के समूह का संयोजन देखने को
    d. मांसाहार का सेवन करने से

3.5 सीखना और स्थानिक-सामयिक, सामाजिक व आर्थिक संदर्भ

पियाजे मानते हैं कि बच्चे खुद अपना ज्ञान बनाते हैं और सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे उनको दी जाने वाली जानकारी को निष्क्रिय होकर नहीं सीखते, बल्कि खुद को हासिल होने वाले ज्ञान से ही आगे की सीढ़ियाँ बनाते जाते हैं। वय्गोत्सकी ने भी बताया है कि किस तरह सामाजिक मेलजोल और संवाद बच्चे को उसकी समझ और ज्ञान विकसित करने में मदद करते हैं। सामाजिक रचनावाद का उनका सिद्धान्त कहता है कि सीखना बच्चे के सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक परिवेश के माध्यम से होता है। उन्होंने सहायक ढ़ाँचा खड़ा करने (स्कैफोल्डिंग) की एक प्रक्रिया का जिक्र किया है जिसमें कोई बड़ा व्यक्ति या बड़ा साथी बच्चे के साथ संवाद करके उसे अपना ज्ञान निर्मित करने में मदद करता है। उपरोक्त दोनों ही सिद्धांतों में बच्चे द्वारा खोजबीन करने और अनुभव करने की अपनी जिज्ञासा को तरजीह दी गयी है।

बाल मन और जिज्ञासा एक-दूसरे के पूरक शब्द हैं। जिज्ञासा का सीधा संबंध कौतुहल से है। उम्र बढ़ने के साथ ही अपने परिवेश की हर गुत्थी को सुलझाने की जुगत लगाना बाल्यावस्था की मूल-प्रवृत्ति

है। जिज्ञासा के बिना खोज करने की कोई प्रेरणा नहीं होती। जिज्ञासा के बिना, बच्चे के मन में उदासीनता और अरुचि पैदा हो जाती है और बिना जाँच-पड़ताल और खोजबीन की जिन्दगी के संवेगिक, सामाजिक तथा आर्थिक सन्दर्भ में विकास नहीं हो सकता है। शिक्षकों को बच्चों में जिज्ञासा को बनाए रखने के लिए उन्हें अनुभव करने तथा खोज करने के मौके देने होंगे। यह तभी सम्भव होता है जब बच्चा छूने, स्वाद लेने, देखने, सूँघने और सुनने की अपने पाँचों इन्द्रियों का उपयोग करके बाहर से प्राप्त होने वाली उत्प्रेरक जानकारियों को व्यवस्थित रूप से आत्मसात करे और उनसे समझ विकसित करे।

सीखना तथा स्थानिक-सामयिक सन्दर्भ

स्थानिक-सामयिक (spatio-temporal) तर्क एक स्थानिक पैटर्न को चित्रित करने की संज्ञानात्मक क्षमता होती है। इसके द्वारा बच्चा या व्यक्ति यह समझता है कि वस्तुओं या टुकड़ों को उस किस स्थान में कैसे फिट किया जा सकता है। इस तरह के तर्क के लिए बच्चे अक्सर कल्पना कर सकते हैं कि कैसे चीजें एक साथ फिट होती हैं कैसे चरणों या स्टेप द्वारा किसी कार्यो को पूरा किया जा सकता है। किसी पहेली को सुलझाने की कुशलता इस तर्क के साथ जुड़ी होती हैं। लगभग हर बच्चे के पास इस प्रकार के तर्क करने की क्षमता होती है। किन्तु, ये क्षमता अलग-अलग व्यक्तियों में भिन्न हो सकती है। स्थानिक-सामयिक सन्दर्भ में सीखना, स्थान और समय अनुक्रम के आलोक में विचारों को सीखने की घटना को दर्शाता है।

जो बच्चे ब्लॉकों के साथ निर्माण, पहेली को एकत्र करने, पेंटिंग, और संगीत वाद्ययंत्र बजाने का आनंद लेते हैं, वे विभिन्न प्रकार के स्थानिक-सामयिक तर्क शक्ति से संबंधित उच्च क्षमता दिखा सकते हैं। अक्सर यह तर्क-शक्ति आर्किटेक्ट, अन्तरिक्ष विज्ञान इंजिनियर और मूर्तिकारों द्वारा ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। बच्चे विभिन्न संप्रत्ययों को तस्वीरों, चित्रों, कलाकृतियों, रंगों, ज्यामितीय आकारों के रूप में समझना पसंद करते हैं। बालकों को कल्पना करने की स्वतंत्रता दे कर, हम उनकी अधिगम क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। उन्हें शब्दों के स्थान पर चित्रों के माध्यम से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित कर के हम विभिन्न विषयों से उनका संबंध जोड़ सकते हैं।

सीखना तथा सामाजिक-आर्थिक सन्दर्भ

शिक्षा प्रणाली समाज का एक हिस्सा है और यह इससे अलगाव में काम नहीं करती है। भारतीय समाज की विशेषताएं जैसे- जाति, आर्थिक स्थिति, लिंग संबंध, सांस्कृतिक विविधताएं और असमान आर्थिक स्थिति विद्यालय में बच्चों की शिक्षा और भागीदारी को गंभीरता से प्रभावित करता है।

बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्राकृतिक रूप में व्याप्त होती है। वह जानना चाहता है कि यह सब क्या है और क्यों है। युवा प्रवृत्ति होती है कुछ नया करने की। जिज्ञासाओं का होना समाज के रूपांतरण की पहली शर्त होती है। इसलिए विद्यालय में लक्ष्यों को तय करना और उन्हें हासिल करना सिखाना बेहतर हो सकता है। उन तमाम बातों को बच्चों के विद्यालयी क्रियाओं से जोड़ने की जरुरत है, जो हमारे जीवन से सीधा रिश्ता रखतीं हैं। शिक्षा में इनका जुडाव विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समूहों के बीच तेज असमानताओं को दूर करने में मदद करता है। इस प्रकार, यह ग्रामीण और शहरी; गरीबों और अमीरों; अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और अन्य जातीय समुदायों; बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के मध्य सामाजिक तथा आर्थिक अंतर को पाटने में बच्चों की समझ को विकसित करता है।

अभ्यास प्रश्न

6. बच्चों की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है:
    a. शिक्षा की
    b. की नहाने
    c. सुबह की सैर की
    d. जिज्ञासा की
7. सामाजिक मेलजोल और संवाद:
    a. बच्चे को उदंड बनाते हैं
    b. बच्चे की समझ विकसित करने में मदद करते हैं
    c. परिवार के लिए हितकर नहीं होते हैं
    d. संस्कृति को बिगड़ सकती हैं

3.6 जिज्ञासा और वर्तमान भारतीय परिदृश्य

भारत में भी, हम जिज्ञासा को विभिन्न रूपों में दमन करते हैं। शहरी समृद्ध परिवारों में, बच्चे स्ट्रोलरों, कुर्सियों और सीटों पर सीमित कर दिए जाते हैं, और शहरी गरीब परिवारों में वे छोटे-छोटे घरों में सीमित होते हैं। हमारे देश में सुरक्षा कारणों (जैसे दुर्घटना, चोट, अपहरण, बाल उत्पीड़न, अन्य व्यक्तियों और जीवों से होने वाले नुकसान) की वजह से बच्चों को अपने परिवेश की खोजबीन करने और उसे अनुभव करने से रोका जाता है। शिक्षक भी कई बार बच्चों को उनकी मेजों तक ही सीमित कर देते हैं। बच्चों को

यहाँ- वहाँ घूमने की स्वतंत्रता नहीं होती और खोजबीन करने, चीजों को अनुभव करने की स्वतंत्रता भी नहीं होती। शिक्षा के अधिकांश कार्यक्रम न सिर्फ बच्चों की जगह को सीमित कर देते हैं, बल्कि उनके

अनुभवों को भी सीमित कर देते हैं। स्थिर और कठोर पाठ्यचर्या, कार्यपद्धति और तयशुदा गतिविधियां, बच्चों को जिज्ञासु और सृजनशील होने का अवसर नहीं प्रदान करते हैं। ऐसे में उन्हें लगभग कोई गुंजाइश नहीं मिलती कि वे अपनी प्रतिक्रियाएँ दे सकें, जिनके माध्यम से वे अपने भीतर उठते किसी भाव को व्यक्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा (NCF), 2005 ने भी इन सन्दर्भों में बदलाव को प्रोत्साहित किया है। NCF, 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या लचीला और बाहर के दुनिया से जुड़ा होना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वे ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिसमे बच्चे पहले से ज्ञात जानकारी को सबके साथ साझा कर सकें, बल्कि वे अधिक से अधिक सवाल भी पूछ सकें। शिक्षक यदि बच्चों को कक्षा में सहज होने के अवसर नहीं देंगे तो वे सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा में बिलकुल शान्ति रहे, बच्चे अपनी मेजों पर बैठे रहें और शिक्षक द्वारा दी जाने वाली सारी उत्प्रेरक जानकारियों को चुपचाप सोखते रहें। जबकि एक अच्छी कक्षा के लिए बच्चों का प्राकृतिक कौतुहल आवश्यक है, उनकी जिज्ञासा आवश्यक है।

हमारे देश में शिक्षकों की कमी सभी को ज्ञात है। ऐसे में, भारत में बच्चों के लिए किताबें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये हमारी कक्षाओं में न केवल बच्चों के जिज्ञासा का कारण बनती है, बल्कि यह जिज्ञासा को तृप्त भी करती है। इसलिए बच्चों के पाठ्य-पुस्तक की भूमिका अधिगम और जिज्ञासा से जुड़ जाती है। भारत में किताबों का इतिहास 200 साल पुराना मात्र ही है। पुस्तकें सिर्फ दृष्टि आधारित होती हैं, किन्तु हमारे स्पर्श, ध्वनि सहित अन्य संवेदनाओं पर आधारित बुनियादी अनुभवों को भी तृप्त करती है। ऐसे में, बच्चों द्वारा पढ़ी गई एक पाठ्य-पुस्तक तथा विद्यालय के अनुभव उसे विभिन्न परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील बनाती है, बल्कि उसके कौतुहल और कल्पना के संसार को भी संपन्न बनाती है।

इसलिए हमारे देश के लिए आवश्यक है कि पुस्तकें तथा अन्य संबंधित सामग्री काफी संपन्न और उन्नत हों, साथ ही, वे बच्चों से समग्र संवाद स्थापित करने वाले हों।

अभ्यास प्रश्न

8. पाठ्यचर्या होनी चाहिए:-
    a. लचीली
    b. कठोर
    c. शून्य
    d. छोटा
9. बच्चों को जिज्ञासु और सृजनशील होने का अवसर नहीं प्रदान किया जाय तो:
    a. वे ज्यादा समझदार बनते हैं
    b. वे अनुशासनहीन हो जाते हैं
    c. उनकी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त नहीं होती है
    d. वे कौतुहल करते हैं

3.7 तार्किक शक्ति हेतु बहुलवाद दृष्टिकोण का विकास

बहुलवाद एक ऐसे समाज को प्रोत्साहित करता है, जिसमें विभिन्न जातीय, धार्मिक और सामाजिक समूहों के सदस्य अपनी-अपनी परंपराओं और विशेष हितों में भागीदारी और विकास को बनाए रखते हैं; जबकि एक राष्ट्र की एकता के लिए आवश्यक अंतर-निर्भरता के लिए सहकारी रूप से कार्य करते हैं। बहुलवाद की अधिकांश परिभाषाओं का फोकस विश्व के विविध लोगों के बीच परस्पर निर्भरता, विकास और सहयोग के तत्वों के आसपास विकसित होता है। बहुलवाद का दर्शन और विचारधारा नया नहीं है, लेकिन इसके क्रियान्वन पर आजकल फोकस बन रहा है। बहुलवादी विचारों का पालन और अभ्यास करने के लिए, शिक्षा छात्रों, शिक्षकों, सलाहकारों और समुदाय को अनुभव प्रदान कर रहा है। बहुलवाद का दर्शन किसी एक शैक्षिक पर्यावरण तक ही सीमित नहीं करता है। शिक्षक या विद्यालय और समुदाय के बीच प्रभावी संवाद भागीदारी के सूक्ष्म तरीकों से बहुलवाद के बारे में जागरूकता प्राप्त करा सकते हैं। विद्यालय गतिविधियों, कार्यशालाओं, पाठ्यक्रमों और छोटे समूहों के माध्यम से बहुलवाद के क्रियान्वयन में तेजी लाया जा सकता है। बहुलवाद बहुसांस्कृतिक मुद्दों और चिंताओं को समाहित करता है।

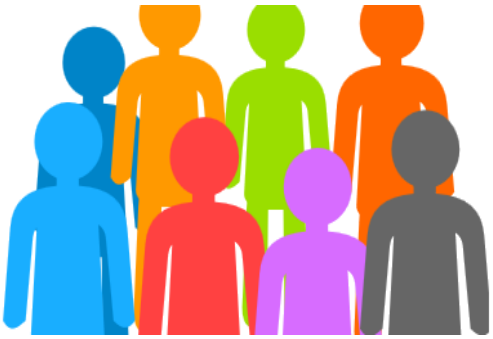

भारतीय समाज की बहुलवादी और विविध प्रकृति निश्चित रूप से न केवल पाठ्यपुस्तकों की बल्कि विभिन्न सामग्रियों को तैयार करने के लिए एक मजबूत आधार बनती है। इसके द्वारा बच्चों की रचनात्मकता, भागीदारी और अभिरुचि को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे उनकी शिक्षा उन्नत हो सके। सिर्फ पाठ्यपुस्तक छात्रों के विभिन्न समूहों की विभिन्न जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। इसके अलावा, एक ही सामग्री / अवधारणा को अलग-अलग तरीकों से पढ़ाया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट ने पाठ्य-पुस्तकों में दोषों को हटाने के लिए कई सिफारिशें कीं, जिसमें यह भी बताया गया था कि अध्ययन के किसी भी विषय के लिए कोई एकल पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। उचित संख्या में उन्हीं किताबों को स्वीकृति दी जानी चाहिए जो निर्धारित मानकों को संतुष्ट करती हों। कोठारी आयोग की रिपोर्ट में रूप से कहा गया है कि पाठ्यचर्या में सुधार के किसी भी प्रयास की सफलता के लिए बुनियादी पाठ्य-पुस्तकों, शिक्षकों, मार्गदर्शक और अन्य प्रकार के सीखने के संसाधनों की तैयारी है।

किसी बच्चे की तार्किक क्षमता के विकास के लिए भी उनके सामने कई विकल्प चाहिए। बहुविकल्प नवाचार के लिए आवश्यक हैं, जबकि बंधे हुए या विकल्पों का ना होना बच्चों के सृजनशीलता को ख़त्म कर सकता है। पूछताछ तथा समझने के विभिन्न माध्यम द्वारा छात्रों में कौशल विकसित करना चाहिए। इसे शिक्षक सभी ग्रेड स्तरों और भी सामग्री क्षेत्रों पर लागू कर सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्रित करने, जानकारी की व्याख्या करने, विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और प्रभावी ढंग से कई बिंदुओं को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। साथ ही, वे एक सहयोगी समूह के भीतर व्यक्तियों के विविध योगदान का सम्मान करना भी सीखते हैं। सीखने के सार्वभौमिक प्रारूप सिद्धांत (Universal Design of Learning) भी विविध क्षेत्रों में बहु-विकल्पों को बढ़ावा देते हैं।

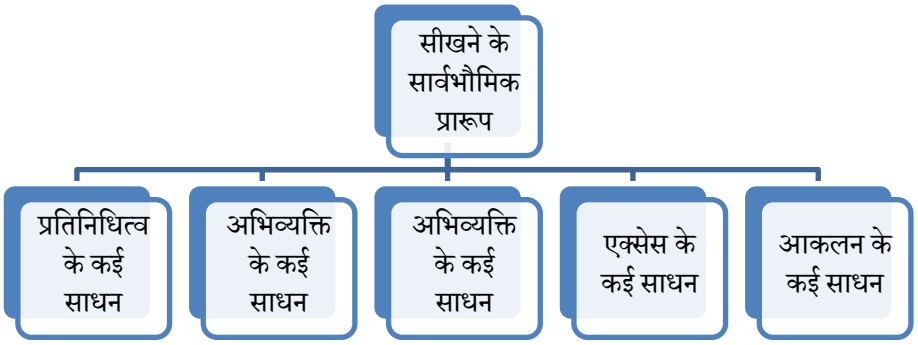

अभ्यास प्रश्न

10. बहुलवाद
    a. खेल की एक प्रविधि है

b. एक तथ्य तक सिमित करता है
c. बहुसांस्कृतिक चिंताओं को समाहित करता है
d. किसी विशेष सामाजिक समुदाय का समर्थन करता है

3.8 सारांश

जिज्ञासा को एक उत्सुकता के रूप में समझा जा सकता है। व्यक्ति की यह उत्सुकता मुख्यतः जानने की इच्छा से संबंधित होता है। जिज्ञासा व्यक्ति या बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि जिज्ञासा बच्चे या व्यक्ति के सीखने के व्यवहार में समावेशित होता है। यह व्यक्ति में प्राकृतिक या जन्मजात क्षमताओं से जुड़ा होता है। साथ ही, किसी बच्चे या व्यक्ति में जिज्ञासा को प्रोत्साहित या हतोत्साहित किया जा सकता है। मनुष्यों द्वारा वैज्ञानिक खोज, शोध और अन्य अकादमिक कुशलताओं के पीछे जिज्ञासा या उत्सुकता एक प्रमुख कारण है। बच्चा व्यापक, पर्वेक्षक और प्रायोगिक दृष्टिकोण वाला होता है। वह केवल अपने चारों ओर की जटिल दुनिया से खुद को बंद नहीं करता है, बल्कि वह दुनिया का निरीक्षण करता है। वह अपने चारों ओर की वस्तुओं को जानने के लिए उसे छूता है, स्वाद लेता है, वह जानना चाहता है कि वह कैसे काम करती है। वह साहसिक होता है, वह गलतियां करने से डरता नहीं है।

एक शिक्षक के रूप में बच्चे की इस तरह की स्थितियों में क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? यह प्रश्न आपके दिमाग में उभरने चाहिए। क्या शिक्षक/शिक्षिका को बच्चे को खोजबीन करने से रोकना चाहिए? उत्तर है नहीं। उसे उसके प्राकृतिक जिज्ञासा को विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। बाल मन और जिज्ञासा एक-दूसरे के पूरक शब्द हैं। जिज्ञासा का सीधा संबंध कौतुहल से है। उम्र बढ़ने के साथ ही अपने परिवेश की हर गुत्थी को सुलझाने की जुगत लगाना बाल्यावस्था की मूल-प्रवृत्ति है। जिज्ञासा के बिना खोज करने की कोई प्रेरणा नहीं होती। जिज्ञासा के बिना, बच्चे के मन में उदासीनता और अरुचि पैदा हो जाती है और बिना जाँच-पड़ताल और खोजबीन की जिन्दगी के संवेगिक, सामाजिक तथा आर्थिक सन्दर्भ में विकास नहीं हो सकता है। शिक्षकों को बच्चों में जिज्ञासा को बनाए रखने के लिए उन्हें अनुभव करने तथा खोज करने के मौके देने होंगे। यह तभी सम्भव होता है जब बच्चा छूने, स्वाद लेने, देखने, सूँघने और सुनने की अपने पाँचों इन्द्रियों का उपयोग करके बाहर से प्राप्त होने वाली उत्प्रेरक जानकारियों को व्यवस्थित रूप से आत्मसात करे और उनसे समझ विकसित करे।

भारत में भी, हम जिज्ञासा को विभिन्न रूपों में दमन करते हैं। हमारे देश में सुरक्षा कारणों की वजह से बच्चों को अपने परिवेश की खोजबीन करने और उसे अनुभव करने से रोका जाता है। शिक्षक भी कई बार बच्चों को उनकी मेजों तक ही सीमित कर देते हैं। शिक्षा के अधिकांश कार्यक्रम न सिर्फ बच्चों की जगह को सीमित कर देते हैं, बल्कि उनके अनुभवों को भी सीमित कर देते हैं। स्थिर और कठोर पाठ्यचर्या, कार्यपद्धति और तयशुदा गतिविधियां, बच्चों को जिज्ञासु और सृजनशील होने का अवसर

नहीं प्रदान करते हैं। ऐसे में उन्हें लगभग कोई गुंजाइश नहीं मिलती कि वे अपनी प्रतिक्रियाएँ दे सकें, जिनके माध्यम से वे अपने भीतर उठते किसी भाव को व्यक्त कर सकते हैं।

3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. (a)
2. (d)
3. (a)
4. (b)
5. (c)
6. (d)
7. (b)
8. (a)
9. (c)
10. (c)

3.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची व कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Mandlik, S. G. N. (2014). Learning Curve, Issue xxii, May 2014. Hindi Translation by **राजेश उत्साही** published in Learning Curve. जून 9, 2015. Retrieved from http://www.teachersofindia.org
2. NCERT (2005). National Curriculum Framework. New Delhi: National Council of Educational Research and Training.
3. Pennsylvania Early Childhood Mental Health Advisory Committee (2011). Nurturing the Natural Curiosity of Children. FOCUS on Early Childhood Mental Health factsheets. Factsheet # 30, September 2011. Retrieved from https://www.pakeys.org/uploadedContent/Docs/ECMH/Focus%20on%20ECMH-Curiousity.pdf
4. Trivedi, P. (n.d.). बच्चों में जिज्ञासा पैदा कर हम उनका सीखना आसान कर सकते हैं और तब हम पायेंगे कि हमारा काम आसान होता जा रहा है. Retrieved from http://www.primarykamaster.com/2015/05/blog-post_21.html

5. University of Toronto (2011). Natural Curiosity: Building Children Understands of the World through Environmental Inquiry: A Resource for Teachers.
6. हिंदुस्तान (2010). सबसे खौफ़नाक है जिज्ञासा का मरना. http://www.livehindustan.com/news//article1-story-93218.html Last updated: 26 जनवरी, 2010 10:49 PM
7. हिंदुस्तान (2014). बच्चों की जिज्ञासा को चाहिए ढेर सारी किताबें. Retrieved from http://www.livehindustan.com/news//article1-story-435236.html. Last updated: 1 जुलाई, 2014 8:50 pm

3.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. जिज्ञासा से आप क्या समझते हैं? यह किस प्रकार से बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है?
2. प्राकृतिक घटनाओं के साथ बच्चों के स्वतः जिज्ञासा को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है? व्याख्या करें।
3. बच्चों के जिज्ञासा को समाजिक तथा समसामयिक प्रसंगों से जोड़ना काफी लाभकारी होता है, उदहारण के साथ समझाएं।
4. बच्चों में तार्किक क्षमता के विकास के लिए बहु-विकल्प दृष्टिकोण का विकास आवश्यक है, वर्णन करें।

इकाई 4- सामाजिक विज्ञान अधिगम के संदर्भ: समावेशी कक्षा, कक्षा में विविधता, लोकतांत्रिक स्थान, शिक्षार्थियों की विशेष आवश्यकताएं

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 समावेशन का समाजशास्त्रीय आधार

4.3.1 समावेशी नीतियां और व्यवहार

4.4 विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञानकी आवश्यकता एवं महत्व

4.5 सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों के अनुकूलन के सिद्धांत तथा निर्देश

4.5.1 सामाजिक विज्ञानके पाठ्य पुस्तकों के संपादन संबंधी निर्देश

4.5.2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण और अधिगम में दृष्टिबाधित छात्रों को शामिल करने के लिए युक्तियाँ और रणनीतियाँ

4.5.3 समावेशी कक्षाओं में दृष्टिबाधित छात्रों की सहभागिता को सुगम बनाना

4.5.4 सामाजिक विज्ञान शिक्षण और अधिगम में श्रवण बाधित छात्रों को शामिल करने की युक्तियां और रणनीतियां

4.5.5 समावेशी कक्षाओं में श्रवण बाधित छात्रों की सहभागिता की सुविधा

4.5.6 बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को सामाजिक विज्ञान शिक्षण और अधिगम में शामिल करने के लिए युक्तियाँ और रणनीतिया

4.5.7 बौद्धिक विकलांग छात्रों के समावेशी कक्षाओं में सहभागिता की सुविधा

4.6 सामाजिक विज्ञान की आधुनिक शिक्षण विधियां

4.6.1 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक भ्रमण का महत्व

4.7 सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु सहायक सामग्री

4.8 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामुदायिक संसाधन एवं उनका महत्व

4.8.1 सामुदायिक साधनों के प्रकार

4.8.2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में संग्रहालय का महत्व

4.8.3 विद्यालय में संग्रहालय

4.9 सारांश
4.10 शब्दावली
4.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
4.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची
4.13 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

भारत में चेन्नई में रह रहे 6 साल के मोहन अपने माता-पिता के साथ स्कूल में प्रवेश करने के लिए गया। सामान्य स्कूल ने उन्हें उनके प्रवेश से इंकार कर दिया क्योंकि वह पूरी तरह से देख नहीं सकता था। वह प्रवेश के लिए एक विशेष स्कूल में गया। विशेष स्कूल ने भी प्रवेश से इंकार कर दिया क्योंकि वह आंशिक रूप से देख सकता था।

प्रत्येक बच्चे को उम्र, लिंग, पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जाति, पंथ, धर्म और क्षमता के बावजूद शिक्षा का अधिकार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के "शिक्षा के लिए समानता" अनुभाग में असमानताओं को हटाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और उन लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के द्वारा शैक्षिक अवसर की समानता को सम्मिलित किया गया है जो अभी तक उपेक्षित थे। सुदूर खानाबदोश आबादी के छात्रों के लिए समानता और भाषाई, जातीय व सांस्कृतिक अल्पसंख्यक, सड़क पर काम करने वाले छात्रों, विकलांग छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त करने हेतु इन छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उपयोग होना चाहिए।

समावेशी शिक्षा सभी शिक्षार्थियों तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है। इसमें विद्यालय में संस्कृति, नीतियों और प्रथाओं का पुनर्गठन शामिल है ताकि वह अपने यहां छात्रों की विविधता का समावेश कर सके। एक विद्यालय को समावेशी होने के लिए प्रशासक, शिक्षक और अन्य छात्रों सहित स्कूल में सभी का रवैया सकारात्मक होना आवश्यक है। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी छात्रों को उनकी क्षमता स्तर की परवाह किए बिना एक मुख्यधारा की कक्षा में या सबसे उपयुक्त या कम-से-कम प्रतिबंधक वातावरण में उन्हें शामिल किया जाये। और सभी क्षमता स्तर के विद्यार्थियों को समान रूप से पढ़ाया जाता है तथा शिक्षकों को अपने पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों को पद्धतियों को समायोजित करना चाहिए ताकि सभी छात्रों को लाभ मिल सके।

4.2 उद्देश्य

1. समावेशी शिक्षा की अवधारणा महत्व और उद्देश्य प्राप्त करना
2. समावेशी व्यवहार को लागू करने के लिए स्कूल की भूमिका को समझना
3. छात्रों में विविधता का स्वागत समर्थन और सम्मान के मूल्य को विकसित करना
4. आत्मनिर्भरता एवं परास्वलंबन की भावना का विकास करना।
5. छात्रों में उचित मूल्य एवं उचित आदतों का विकास करना।
6. अपने सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण को खोजने एवं समझने की क्षमता का विकास करना।

4.3 समावेशन का समाजशास्त्रीय आधार

समावेशन का प्रमुख अंतर्निहित मुद्दा विविधता की स्वीकृति है और हम सभी को यह जानने की जरूरत है कि विविधिता एक ताकत या विशेषता है ना की एक बाध्यता। विविधता की अवधारणा में स्वीकृति और सम्मान शामिल हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और व्यक्तिगत विभिनता एक वास्तविक पहचान है तथा विविध गुण मानव विविधता के प्रमुख आयामों में से एक है। यह सुरक्षित सकारात्मक और संरक्षित वातावरण में इन मतभेदों की अन्वेषण है जो एक दूसरे को समझने और व्यक्ति के भीतर निहित विविधता के समृद्ध आयामों को अपनाने और सम्मान करने के लिए एक कदम है। शैक्षणिक उपचार व्यक्तिगत जरूरतों, उनके निजी शिक्षण शैलियों और परयावरणीय परिणामों के अनुसार होना चाहिए जिसका वे सामना कर रहे हैं।

समावेशन का उद्देश्य उम्र, सामाजिक वर्ग, जातीयता, धर्म, लिंग की परवाह किए बिना बहिष्कार और भेदभावपूर्ण रवैया को समाप्त करना है। यह केवल व्यक्तियों कि व्यवहार पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है बल्कि सेटिंग्स, नीतियों, संस्कृति और संरचनाएं कैसे विविधता को पहचान और महत्व प्रदान कर सकते हैं; इस पर भी ध्यान केंद्रित करता है। मूल अवधारणा यह है कि समान अवसर और सभी छात्रों तक पहुंच का मतलब हर किसी के साथ समान व्यवहार करना नही है, यह विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य नहीं करेगा। शैक्षिक अवसर की समानता के लिए परिस्थितियों की समझ की आवश्यकता होती है; जहां विविध आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सामान्य कक्षा में अधिक समर्थन या अतिरिक्त प्रावधान किया जाए ताकि इन छात्रों की अन्य छात्रों के समान उपलब्धि के अवसर को प्राप्त किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए हम सभी को समावेशी विद्यालयों में समावेशी कक्षाओं को बढ़ावा देना होगा।

शोधों से समावेशी शिक्षा की आवश्यकता सामने आई है जो यह दर्शाता है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए सामाजिक विकास और शैक्षिक परिणाम समावेशित वातावरण में बेहतर किया जा सकता है। यह सामाजिक कौशल और बेहतर सामाजिक संपर्क विकसित करता है क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक

वातावरण में रहते हैं जहां अलग अलग विशेषताओं रुचियों और क्षमताओं वाले अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करना पड़ता है। जब गैर अक्षम साथी एक कक्षा में अक्षम छात्र के साथ अध्ययन करते हैं तो वे विकलांग छात्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और कार्यों को अपनाना चाहते हैं। इस प्रकार समावेशी शिक्षा विभिन्न क्षमता वाले शिक्षार्थियों को स्वीकार करने और सम्मान करने के लिए एक समावेशी समाज की नीव रखती है।

4.3.1 समावेशी नीतियां और व्यवहार

समावेशी शिक्षा मानव अधिकारों और सामाजिक मॉडल की अवधारणा के आधार पर एक प्रतिमान का निर्माण करती है जो समानता और अविभाज्य मूल्यों के रूप में अंतर को जोड़ती है। भारत में और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कई अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार समझौतें और कानून हैं जो इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि शिक्षा में अनिवार्य अलगाव छात्रों और युवाओं के बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948), मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के अधिकार (1971), मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम (1987), विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर घोषणा (1975), संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मलेन (1989), द जॉमटियन डेक्लेरेशन ऑन एज (1990), रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट (1992), संयुक्त राष्ट्र मानक नियम, विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसरों के समानता (1993), यूनेस्को की सलामांका स्टेटमेंट (1994), विकलांग व्यक्ति अधिनियम (1995), द नेशनल ट्रस्ट एक्ट (1999), वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, डकार (2000), सर्व शिक्षा अभियान (2001), विकलांग व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति (2006) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (2009)। इन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पहलों और दस्तावेजों ने समावेशी शिक्षा में नई नीतियों और रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में इस प्रकार के मुद्दे पर जोर दिया गया है:

- हर बच्चे की अनूठी विशेषताएं रुचियां, क्षमताओं और सीखने की जरूरत है होती है।
- इन विशेषताओं और जरूरतों की व्यापक विविधता को ध्यान में रखने के लिए शिक्षा प्रणाली को डिज़ाइन और शैक्षिक कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए
- समावेशी अभिविन्यास वाले नियमित स्कूल भेदभावपूर्ण व्यवहारों का सामना करने, स्वागत समुदाय बनाने, एक समावेशी समाज बनाने और सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने का सबसे प्रभावी साधन हैं; इसके अलावा, वे अधिकांश छात्रों को प्रभावी शिक्षा प्रदान करते हैं और दक्षता में सुधार करते है।
- मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि छात्रों की अपने शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक, भाषाई या अन्य स्थितियों के बावजूद सभी छात्रों को स्कूलों में शामिल करना चाहिए। इसमें विकलांग और प्रतिभाशाली छात्रों, सड़क पर काम करने वाले छात्रों, सुदूर और खानाबदोश

आबादी वाले बच्चे, भाषाई, जातीय या धार्मिक अल्पसंख्यकों के छात्रों और अन्य वंचित या हाशिए वाले क्षेत्रों या समूहों के छात्रों को शामिल करना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. समावेशित शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
2. समावेशी शिक्षा की समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन करें।
3. समावेशी शिक्षा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा में कहां तक सहायक है?

4.4 विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व

राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामाजिक विज्ञान एक अत्यंत आवश्यक विषय है। यह छात्रों का बहुमुखी विकास कराती है जो राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाला सभ्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाती है। सामाजिक विज्ञान द्वारा मानव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के साथ-साथ देश प्रेम, विश्व बंधुत्व आपसी सद्भावना तथा सहयोग और अंतराष्ट्रीय सद्भावना का अध्ययन किया जाता है जिससे छात्रों में 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना का विकास होता है।

शिक्षा दर्शन और शिक्षा मनोविज्ञान के प्रभाव के कारण आधुनिक समय में समाजिक विज्ञान के शिक्षण की नई-नई विधियां आती जा रही हैं। ये यह विधियां विशेष आवश्यकता वाले छात्रों पर शिक्षा की प्रगति के लिए प्रयोग की जा रही है। इस विचारधारा द्वारा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के एकीकृत उपागम द्वारा कई विधियों को मिलाजुला कर उपयोग किया जाता है जिससे छात्रों को पढ़ने में आनंद आता है, उनमें विचार करने की तथा क्रियाशील रहने की क्षमता बढ़ जाती है।

सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में कुछ ऐसी सामग्री होती है जिनका प्रत्यय विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आसानी से नहीं कर पाते हैं उदाहरण के लिए पहाड़ी वातावरण का वर्णन, पहाड़ों पर चढ़ाई, बांधों का मॉडल, चित्र में रंग भरना आदि कार्य जहां दृष्टिबाधित आसानी से नहीं कर पाते, वही श्रवण बाधित छात्रों को प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि वैचारिक संप्रत्ययों को समझने में अत्यंत कठिनाई होती है क्योंकि उन्हें संप्रेषण में काफी समस्या आती है। एक और जहां दृष्टि बाधित छात्र उन चीजों तथा संप्रत्ययों को आसानी से नहीं समझ पाते जो दृश्य रूप में हो, वही दूसरी ओर श्रवण बाधित छात्र उन संप्रत्यय को नहीं समझ पाते जो दृश्य रूप में नहीं हो। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को एक साथ समाजिक विज्ञान के विभिन्न प्रत्यय को समझाने के लिए प्रत्यक्ष रुप से यथास्थान का भ्रमण कराया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें एक ओर जहां छात्रों के प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता जैसे राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहभागिता को सुनिश्चित करती हैं, वहीं

दूसरी ओर उनमें नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करती है, साथ ही वातावरण के साथ उनका बेहतर समायोजन भी करवाती है।

4.5 सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों के अनुकूलन के सिद्धांत तथा निर्देश

पाठ्य पुस्तकें सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक साधन हैं। यह अध्यापकों के लिए एक आधारशिला है जो स्पष्ट करती हैं किस कक्षा स्तर पर छात्रों को क्या पढ़ाना है। इसके बिना आधुनिक शिक्षण पद्धति की कल्पना करना आधुनिक समय में कठिन है। पाठ्य पुस्तकें, विषय विशेषज्ञों द्वारा काफी अनुसंधान और विचार-विमर्श के पश्चात समझदारी और परिश्रम के साथ तैयार की जाती हैं। वे अध्यापकों के लिए एक प्रमुख शिक्षण साधन तो हैं ही साथ ही छात्रों के लिए ज्ञान ग्रहण करके सीखने का सशक्त माध्यम हैं।

सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में लिखी सामग्रियों में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार कुछ परिवर्तन किया जाता है। यह परिवर्तन पुस्तक की सामग्री को इस योग्य बना देता है कि ये छात्र उसको समझ कर संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लें। पुस्तकों में किया गया यह परिवर्तन पुस्तक का संपादन कहलाता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक एवं हाईस्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में चित्रों की भरमार होती हैं, कई अन्य आकृतियां भी बनी होती हैं, कई शब्द या वाक्य भी होते हैं, जिन्हें समझने में दृष्टिबाधित छात्र असमर्थ होते हैं। वहीं दूसरी ओर श्रवण बाधित छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान की बेहतर समझ के लिए आवश्यक है, इन पुस्तकों में दिए गए चित्रों की संख्या में और वृद्धि कर उन्हें और आकर्षक एवं दृष्टिप्रधान बनाया जाए। अतः इन कारणों से पुस्तकों में परिवर्तन किया जाता है।

पुस्तक संपादन करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत है:

1. सामग्री का रूपांतरण करना
2. सामग्री का द्विगुणन करना
3. सामग्री का विकल्प देना
4. सामग्री को छोड़ देना

इन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों की सामग्रियों का रूपांतरण, द्विगुणन किया जा सकता है, कुछ के लिए विकल्प दिया जा सकता है तथा कुछ सामग्रियों को छोड़ा भी जा सकता है। संपादन करने से विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1. प्रत्यय स्पष्ट हो जाते हैं।
2. अनुभव बढ़ जाते हैं।
3. छात्र स्वयं क्रिया करके ज्ञान प्राप्त करते हैं।

4. पाठ्य पुस्तके रोचक हो जाती है।
5. दृष्टिबाधित छात्रों में स्पर्शीय क्षमता का विकास होता है।
6. रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है।

4.5.1 सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों के संपादन संबंधी निर्देश

1. अध्यापक पुस्तकों को पहले पढ़ कर संपादन की आवश्यकता को समझे और उसकी आवश्यकता के अनुरूप क्रिया करें।
2. उचित सामग्री का आवश्यकतानुसार निर्माण करें।
3. यदि सामग्री से संबंधित अनुभव कक्षा के बाहर देना है तो उसको पूर्व निर्धारित कर लें, तब छात्रों को बाहर ले जाकर अनुभव प्रदान करें।
4. जब कक्षा में वह सामग्री पढ़ाई जाए, तभी संपादित सामग्री छात्रों को दें।
5. सामग्री को ग्रहण करने के लिए छात्रों से बहु-इंद्रियों का प्रयोग कराएं।

4.5.2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण और अधिगम में दृष्टिबाधित छात्रों को शामिल करने के लिए युक्तियाँ और रणनीतियाँ

- ग्राफिकल प्रस्तुतियों और नक्शे जैसे चित्रों के विस्तृत मौखिक वर्णन का उपयोग करें।
- मॉडल का उपयोग करें।
- विभिन्न तथ्यों / अवधारणाओं को समझाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरणों का उपयोग करें
- अमूर्त अवधारणाओं को समझाने के लिए फिल्मों और वीडियो जैसे ऑडियो विजुअल सामग्रियों का उपयोग करें।
- बहस, क्विज़, मैप रीडिंग इत्यादि शामिल समूह कार्य को व्यवस्थित करें।
- ऐतिहासिक स्थानों (शैक्षिक दौरे) के लिए छात्रों को व्यवस्थित करें
- छात्रों को गंध और स्पर्श जैसे अन्य इंद्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करें।

4.5.3 समावेशी कक्षाओं में दृष्टिबाधित छात्रों की सहभागिता को सुगम बनाना

- ब्रेल और बड़े फ़ॉन्ट, इलेक्ट्रॉनिक पाठ और ऑडियो प्रारूपों में पुस्तकों को उपलब्ध कराएं।
- दृश्य सामग्री का मौखिक वर्णन प्रदान करें।
- कक्षा में स्पर्शयोग्य सामग्री और मॉडल, वास्तविक जीवन वस्तुओं का उपयोग करें।
- ब्रेल स्लेट और स्टाइलस, टेलर फ्रेम, एबेकस, टेंटाइल जियोमेट्रिक किट, कंप्यूटर के लिए विशेष सॉफ्टवेयर, कम दृष्टि एड्स आदि जैसी सहायक उपकरणों का उपयोग करें।
- अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग करें

- यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त समय और छोटा कार्य दें।
- समूह कार्य की सुविधा प्रदान करें। दृष्टियुक्त साथी दृष्टिहीन साथी को अधिक स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं और उनके नेत्रहीन छात्र अपने कार्यों के लिए दृष्टियुक्त साथियों से अधिक संबंधित हो सकते है
- नोटों की तस्वीर प्रतिलिपि प्रदान करें, जिन्हें एक सहपाठी/ भाई / परिवार के सदस्य आदि द्वारा नेत्रहीन बच्चे को बताया सकता है।
- खतरनाक बाधाएं और वस्तुओं (जैसे डेस्क में कील आदि) को हटाकर, कक्षा के बारे में बच्चे को परिचित करके कक्षाएं व्यवस्थित करें ताकि छात्रों को पता हो कि वस्तुएं कहां स्थित हैं, अनावश्यक शोर को दूर करना, अच्छी रोशनी और बैठने की व्यवस्था करना (बेहतर होगा चॉकबोर्ड के सामने या नजदीक में)।

4.5.4 सामाजिक विज्ञान शिक्षण और अधिगम में श्रवण बाधित छात्रों को शामिल करने की युक्तियां और रणनीतियां

- प्रत्येक पाठ की शुरुआत में एक संक्षिप्त विवरण दें
- पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की फोटोकॉपी प्रदान करें
- प्रमुख बिंदुओं और शब्दों को हाइलाइट / रेखांकित करें
- विज़न / ग्राफ़िक आयोजकों का प्रयोग करें जैसे टाइम लाइन (विशेषकर कालानुक्रम को समझाने के लिए), प्रवाह चार्ट, पोस्टर आदि।
- कट और पेस्ट जैसी गतिविधियों से जुड़े समूह कार्य को व्यवस्थित करें और तथ्यों / अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए सचित्र प्रदर्शन, मॉडल, चित्र, पोस्टर, फ्लैश कार्ड या किसी भी दृश्य वस्तु का उपयोग करें।
- विभिन्न संदर्भों में शब्द का विशिष्ट अर्थ सिखाएं। उदाहरण के लिए, इतिहास में 'चरण' का मतलब समय की अवधि है, अंग्रेजी में इसका उपयोग किसी मंच के लिए किया जाता है।
- वास्तविक जीवन के अनुभवों के अवसरों के लिए योजना बनाना। उदाहरण के लिए, छात्रों द्वारा राष्ट्रीय नेता के महत्व की व्याख्या करने के लिए तिलक के जन्मदिन पर एक स्कीट, वरिष्ठ नागरिक दिवस पर पुराने लोगों के घर की यात्रा, महिला दिवस पर एक निबंध प्रतियोगिता।
- फिल्मों / वृत्तचित्रों और वीडियो का उपयोग करें

- ✓ पाठ सामग्री को समझाने के लिए पत्रिकाओं, स्क्रैपबुक और समाचार पत्र आदि का उपयोग करें।
- ✓ सम्बंधित बिंदुओं की बेहतर समझ के लिए उन्हें विभिन्न विषयों के साथ जोड़े।
- ✓ जो पहले सिखाया गया है उसके साथ लिंक बनाएं।

4.5.5 समावेशी कक्षाओं में श्रवण बाधित छात्रों की सहभागिता की सुविधा

- स्वाभाविक और स्पष्ट रूप से और धीरे धीरे (यदि आवश्यक हो) होंठ गति को बढ़ाए बिना बोलें
- अपने खुद के नोट्स और शब्दकोश बनाने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करें।
- संक्षिप्त, स्पष्ट, सरल, अर्थपूर्ण और तथ्यात्मक वाक्यों और विवरणों का उपयोग करें।
- अन्य छात्रों को श्रवण बाधित छात्रों के साथ बातचीत करने, वार्तालाप एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए प्रोत्साहित करें।
- मुश्किल या अमूर्त शब्दों को अर्थ के साथ चौक बोर्ड पर लिखे।
- पर्यावरण के अवधारणाओं की व्याख्या के लिए जहां तक संभव हो वास्तविक जीवन के अनुभव का उपयोग करें।
- दिए गए बिंदु को शुरू करने के लिए छात्रों के पिछले ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछें और उन्हें चौक बोर्ड पर सभी छात्रों के लिए लिखे जिससे श्रवण बाधित बच्चे पुनःस्मरण कर सके।
- श्रवण बाधित छात्रों को होष्ठ भाषा पढ़ने के लिए और ध्यान भटकाव से बचने के लिए आगे की पंक्ति में बैठाएं।
- पृष्ठभूमि शोर को खत्म करें
- श्रवण बाधित छात्र को अन्य छात्र को स्पष्ट रूप से देखने दें, जो कक्षा में बोल रहा है।
- यदि आवश्यक हो, तो जानकारी देने के लिए चेहरे का भाव, इशारों और शरीर की भाषा का उपयोग करें।
- श्रवण बाधित छात्र का सामान्य छात्रों के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण का निर्माण होने दें।
- अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए पोस्टर, चार्ट, फ़्लैश कार्ड, चित्र, मैनिपुलेट्स, ग्राफिक आयोजकों, कलाकृतियों या किसी भी दृश्य वस्तु का उपयोग करें।
- एक समय में दृश्य सूचना का केवल एक स्रोत पेश करें।
- लिखित घोषणाओं का उपयोग करें (उदाहरण के लिए, असाइनमेंट, नियत दिनांक, परीक्षा की तारीखें, कक्षा अनुसूची में परिवर्तन, विशेष कार्यक्रम दिनांक आदि)।

- गतिविधि और बच्चे से आपकी अपेक्षाएं की एक रुपरेखा प्रदान करें।
- बेहतर समझने के लिए आवश्यक विराम दें
- सीखने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग करे।
- शब्दावली, पढ़ने और लिखने के कौशल सुधारने के लिए कक्षाओं में विभिन्न विषयों को पढ़ाने के दौरान छात्रों के साहित्य, पत्रिकाएं और पत्रिकाओं का उपयोग करें।

4.5.6 बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को सामाजिक विज्ञान शिक्षण और अधिगम में शामिल करने के लिए युक्तियाँ और रणनीतिया

- बहुआयामी इनपुट का उपयोग करें
- पाठ्यपुस्तक में चित्रों के साथ दिए गए सभी उदाहरणों को वर्णित किया जा सकता है (फ़्लैश कार्ड का उपयोग करके, यदि आवश्यक हो)।
- अध्यापन करते समय, बहुत सारे ग्राफ़िक आयोजकों, समय-सारणी और तालिकाओं का उपयोग करें।
- मानचित्र बढ़े और रंगीन होना चाहिए।
- चित्रों से जुड़ें टेक्स्ट को बड़ा किया जा सकता है तस्वीरों को कार्ड में दर्शाया जा सकता है और एक कहानी के रूप में क्रमिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।
- अक्सर प्रासंगिक प्रश्न पूछना यह जानने में मदद करता है कि बच्चे ने कितना सीखा है।
- ग्लोब, मॉडल आदि जैसे ठोस इनपुट प्रदान करें।
- अलग-अलग तरीकों से सिखाना और मूल्यांकन करना। उदाहरण के लिए, नाटकीय रूपांतरण, क्षेत्र यात्राओं, वास्तविक जीवन के अनुभवों, परियोजना आदि के माध्यम से।
- सभी महत्वपूर्ण वाक्यांशों और जानकारी को हाइलाइट करें
- चित्र छात्रों के स्तर और शीर्षक के अनुसार होना चाहिए।

4.5.7 बौद्धिक विकलांग छात्रों के समावेशी कक्षाओं में सहभागिता की सुविधा

- बहू इन्द्रिय दृष्टिकोण का प्रयोग करें, जिसमें सभी प्रकार की शैक्षिक शैलियों को शामिल किया गया हो जैसे दृश्य, श्रवण, टैकटाइल।
- अभिव्यक्ति के वैकल्पिक तरीके और मूल्यांकन जैसे चित्र, मॉडल, प्रस्तुति प्रदान करें।
- प्रत्यक्ष शिक्षण (शिक्षकों द्वारा शिक्षण) रणनीति का उपयोग

- सुधार के लिए लाल कलम के उपयोग से बचें, क्योंकि इसे अक्सर निराशा के रूप में देखा जाता है
- छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को संशोधित करें।
- वॉल्यूम में कमी: यदि आवश्यक हो, तो छोटा कार्य दें
- सरल कार्य / परीक्षण पत्र बनाकर जटिलता को कम करें।
- कार्य के लिए अतिरिक्त समय दें
- रीडर और स्कीच (लेखक) के प्रावधान की अनुमति दें
- विषयों की पसंद प्रदान करें (कुछ विषयों को संभालने के लिए कुछ छात्रों को मुश्किल हो सकता है, इसलिए उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विषयों को चुनने का विकल्प दिया जा सकता है)।
- सहायक उपकरण जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर, लिखित निर्देश आदि का उपयोग करने के लिए अवसर प्रदान करें।
- दैनिक दिनचर्या और क्रियाकलापों का अनुसूची बनाए, कक्षा के उद्देश्यों की रूपरेखा प्रदान करे। यदि समय सारणी में कोई परिवर्तन होता है तो छात्रों को सूचित करें।
- छात्रों की रुचियों को पता करें और उन्हे प्रेरित करें।
- सहपाठियो के समर्थन को प्रोत्साहित करें और सहकारी शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करें।

अभ्यास प्रश्न

4. सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों के संपादन के कौन-कौन से सिद्धांत हैं?
5. पाठ्य पुस्तकों के संपादन के लाभों का वर्णन करें।
6. समाजिक विज्ञान का अध्ययन एक सभ्य नागरिक बनाने में कहां तक सहायक है?
7. बहू इन्द्रिय दृष्टिकोण का प्रयोग जिसमें सभी प्रकार की शैक्षिक शैलियों को शामिल करना, बौद्धिक विकलांग छात्रों के समावेशी कक्षाओं में सहभागिता के लिए आवश्यक है। (सत्य/असत्य)

4.6 सामाजिक विज्ञान की आधुनिक शिक्षण विधियां

वर्तमान में शिक्षा के विभिन्न उपागमो में हो रहे विकास के फलस्वरुप सामाजिक विज्ञान शिक्षण की नई-नई विधियां आती जा रही हैं। पुरानी विधियां भी नए रूपों में अध्यापकों को शिक्षण के लिए बताई जा रही

हैं। आधुनिक समय में एक विधि द्वारा ही शिक्षण कराया जाए यह पर्याप्त नहीं है, कई विधियों को मिलाजुला कर प्रयोग करने की परंपरा बढ़ रही है। इससे शिक्षण में विविधता भी बनी रहती है और छात्र शिक्षण में रुचि लेने लगते हैं।

प्राथमिक से हाईस्कूल स्तर के छात्रों के शिक्षण के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए:

- कहानी विधि
- प्रश्नोत्तर विधि
- क्रिया करके सीखने की विधि
- योजना विधि
- वर्णनात्मक विधि
- निरीक्षण विधि
- खेल विधि
- डाल्टन प्लान विधि
- चर्चा विधि
- इकाई विधि
-

वैसे तो बहुत-सी शिक्षण विधियों को शिक्षा-शास्त्रियों और शिक्षा-मनोवैज्ञानिकों ने जन्म दिया है, किंतु प्रश्न उठता है कि कौन-सी विधि अच्छी विधि है? एक अच्छी विधि में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:

- छात्रों में है स्पष्ट चिंतन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करें।
- निर्णय लेने की क्षमता का विकास करें।
- कार्य के प्रति प्रेम उत्पन्न कराएं।
- विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराते हुए स्वाध्याय करने की छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न करें।
- छात्रों में सहयोगपूर्ण क्रियाओं को प्रेरित करें।
- छात्रों के संवेगों को नियंत्रित कराएं। उचित दृष्टिकोण का विकास कराए।
- जीवन में सही दिशा निर्देश दें।
- शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग दें।

- प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास कराएं।
- जागरूक समाज उपयोगी नागरिकता की ओर प्रेरित करें।

उपरोक्त विधियों का प्रयोग करके विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के शिक्षण को रोचक, सरल एवं स्पष्ट बनाया जा सकता है। दृष्टिबाधित छात्रों में दृष्टि के अभाव के कारण उन्हें स्पर्श करा कर, कहानी विधि द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा, क्रिया करके सीखने की विधि द्वारा आदि उपागमों की आवश्यकता पड़ती हैं; वही श्रवण बाधित छात्रों को भ्रमण विधि द्वारा,खेल विधि द्वारा, निरीक्षण विधि द्वारा, योजना विधि द्वारा और करके सीखने की विधि द्वारा अध्ययन को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है।

4.6.1 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक भ्रमण का महत्व

सामाजिक विज्ञान शिक्षण का एक श्रेष्ठ साधन शैक्षिक भ्रमण है। कहा भी गया है कि समाजिक अध्ययन का अधिकांश भाग घुमा घुमा कर सिखाया जाता है, अर्थात विभिन्न स्थानों पर ले जाकर अध्ययन कराया जाता है।

विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को समय-समय पर साधनानुसार देश के ऐसे स्थानों की यात्रा करानी चाहिए, जिनका सामाजिक विज्ञान में बहुत महत्व है। ऐतिहासिक स्थल, भौगोलिक स्थल, उद्योगों के स्थान आदि छात्रों को अपने आप अनुभवों को ग्रहण करने में योगदान देते हैं। पुस्तकीय ज्ञान को शैक्षिक भ्रमण व्यवहारिक ज्ञान में बदल देता है। इस भ्रमण को छात्र अपने जीवन में हमेशा याद रखते हैं, उसे प्राप्त ज्ञान और अनुभव का जीवन में प्रयोग करते हैं। इससे छात्रों को राष्ट्रीय विकास का पता चलता है, सांस्कृतिक धरोहर का आनंद मिलता है और उनमें नए मूल्यों का विकास होता है।

4.7 सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु सहायक सामग्री

सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन प्रभावपूर्ण बनाने के लिए विविध शिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए भी उन सब शिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है जो सामान्य छात्रों के लिए बनाई गई हैं। हां, इनमें इन छात्रों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। यह सब सामग्री है इन छात्रों के शिक्षण को भी सरल, सरस और प्रभावपूर्ण बना सकती है। उनकी विषय वस्तु से संबंधित प्रत्ययों को स्पष्ट कर सकती है, उनके अवधान को विषय की ओर आकृष्ट करके छात्रों को सक्रिय बनाती है। शिक्षण प्रक्रिया को रोचक स्पष्ट बोधगम्य और बोधगम्य बनाती है, साथ ही ज्ञान को अस्थाई बनाती है यह सामग्रियां निम्नलिखित है:

1. किताब
2. चार्ट

3. मॉडल
4. मानचित्र
5. ग्लोब
6. पत्र-पत्रिकाएं
7. टेप रिकॉर्डर
8. श्यामपट्ट
9. एटलस

इनमें से कुछ सामग्रियों का प्रयोग विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए वैसे ही किया जा सकता है, जैसी वे हैं। कुछ का रूपांतरण करके प्रयोग किया जा सकता है, कुछ के स्थान पर वैकल्पिक सामग्रियों का प्रयोग किया जा सकता है, कुछ सामग्रियों का द्विगुणन किया जा सकता है और कुछ सामग्रियों को छोड़ा भी जा सकता है।

4.8 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामुदायिक संसाधन एवं उनका महत्व

समुदाय विशेष आवश्यकता वाले वाले छात्रों के लिए अत्यंत रुचिकर, अर्थपूर्ण, आश्चर्यों से भरी हुई शिक्षण कराने की जीवंत प्रयोगशाला है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को केवल समाज में व्याप्त विभिन्न ज्ञान के भंडार पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनको समुदाय में इस ज्ञान का व्यवहारिक अनुभव देना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर समुदाय में विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं, जिनके द्वारा ये छात्र ज्ञान का मूर्त और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। सामुदायिक साधन छात्रों को यह बताते हैं कि किस प्रकार एक समुदाय की संस्कृति, उद्योग, राजनीति और भौगोलिक परिस्थितियों ने मानव संबंधों के विकास में योगदान दिया है, इसलिए समाजिक विज्ञान का अध्ययन कराने में सामुदायिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को बढ़ाने में विद्यालय और समुदाय मिल-जुलकर छात्रों के विकास में योगदान दें तभी छात्रों के प्रभावशाली व्यक्तित्व को तैयार किया जा सकता है। ये व्यक्तित्व किताबी ज्ञान से ही नहीं भरे होंगे, बल्कि व्यवहारिक गुणों से भी भरपूर होंगे। सामुदायिक संसाधन एक ओर जहां सामुदायिक जीवन की क्रियाओं द्वारा छात्रों में अंतर्दृष्टि विकसित करता है और सामुदायिक समस्याओं से छात्रों को परिचित कराता है, वहीं दूसरी ओर समुदाय के प्रति छात्रों में अपनापन का भाव विकसित करता है तथा सामुदायिक समस्याओं को हल करने के प्रति उन्हें जागरूक भी करता है।

4.8.1 सामुदायिक साधनों के प्रकार

1. भौगोलिक साधन: पहाड़ियां, नदियां, बांध, खानें, झीलें आदि।
2. ऐतिहासिक साधन: ऐतिहासिक इमारतें, खंडहर, प्राचीन पूजा स्थल आदि।

3. आर्थिक साधन: बाजार, बैंक, उद्योग, डेरी, यातायात केंद्र, कृषि छापखाने आदि।
4. सांस्कृतिक साधन: सांस्कृतिक केंद्र, संग्रहालय, बाल भवन, चिड़ियाघर, मेले, त्योहार, उत्सव आदि।
5. सरकारी इमारतें: पुस्तकालय,संसद भवन, पुलिस स्टेशन, डाकघर, आकाशवाणी केंद्र, दूरदर्शन केंद्र आदि।

4.8.2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में संग्रहालय का महत्व

आजकल देश के सभी भागों में किसी न किसी रूप में संग्रहालय देखने को मिलते हैं। ये सरकार द्वारा या सामुदायिक संस्थाओं द्वारा समय-समय पर निर्मित किए जा रहे हैं। ये संग्रहालय अध्ययन के लिए विशेष स्थल बनते जा रहे हैं। छोटी से लेकर बड़ी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी ज्ञान देने में सक्षम है। यहां वास्तविक वस्तुओं के रूप में विविध प्रकार की सामग्रियां संग्रहित होती है। समय, काल, परिस्थितियों के अनुसार यहां पर सामग्रियां सुसज्जित रूप में रखी रहती हैं। विशेष शिक्षण करने के लिए सामग्रियां भी कई संग्रहालयों में मिलती हैं। संग्रहित सामग्रियों की जानकारी देने वाले प्रशिक्षित व्यक्ति भी मिल जाते हैं, जो इन संग्रहित सामग्रियों की जानकारी रोचक ढंग से देते हैं। देश के कई प्रमुख संग्रहालयों में ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से अतीत की घटनाओं के बारे में भी बताया जाता है, यह छात्रों के लिए रोचक सामग्री होती है। शिक्षक इन सामग्रियों का उपयोग विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान के बेहतर शिक्षण में कर सकते हैं।

4.8.3 विद्यालय में संग्रहालय

विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए विद्यालय में संग्रहालय बनाए जाने चाहिए। ये इन छात्रों को वातावरण की विभिन्न सामग्रियों के समग्र प्रत्यय बनाने में यह योगदान देते हैं। इन संग्रहालयों में राष्ट्रीय स्तर की सामग्रियां- राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय झंडा, महापुरुषों के द्वारा प्रयोग की गई सामग्रियों के मॉडल, संसद भवन, इंडिया गेट, ताजमहल, चारमीनार, मंदिरों के गोपुरम, मस्जिद की इमारत, चर्च की इमारत आदि बनवा कर रखे जा सकते हैं।

भूगोल संबंधी सामग्रियां, जैसे ग्लोब, ट्री,प डेल्टा, ज्वालामुखी के मॉडल, समुद्र में पाए जाने वाली चीजों के अवशेष, पशुपक्षी, , यातायात के साधनों के मॉडल आदि रखे जा सकते हैं। इन संग्रहालय का विस्तार विद्यालय में धीरे-धीरे किया जा सकता है, जो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए खासकर समाजिक विज्ञान के शिक्षण में बेहतर योगदान दे सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न

8. सामाजिक विज्ञान की आधुनिक विधियों के क्या लाभ हैं?
9. सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु सहायक सामग्री की आवश्यकता क्यों है?

10. विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामुदायिक संसाधन के महत्व को बताएं।
11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यालय में संग्रहालय की आवश्यकता क्यों है?

4.9 सारांश

इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है जो समावेशी कक्षा में बेहतर तरीके से संभव है क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी शिक्षार्थियों तक शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है । इसमें विद्यालय में संस्कृति नीतियों और प्रथाओं वह का पुनर्गठन शामिल है ताकि वह अपने यहां छात्रों की विविधिता का समावेश कर सके। समाजिक विज्ञान छात्रों का बहुमुखी विकास कराती है जो राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाला सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाती है लेकिन इसके लिए सामाजिक विज्ञान का प्रभावपूर्ण अध्ययन अति आवश्यक है । समाजिक विज्ञान को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए विविध शिक्षण सामग्रियों और पद्धतियों की आवश्यकता पड़ती है जिनका वर्णन ऊपर किया गया है और जिनके उपयोग द्वारा इस विषय के शिक्षण को सरल, रोचक और प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है।

भारत विविधताओं का देश है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, भाषाई, वैचारिक, खानपान और वेशभूषा संबंधित विभिन्नताएं हमारे देश में विद्यमान हैं। इनके शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए सामाजिक सद्भाव तथा नागरिक सहिष्णुता की भावना आवश्यक है, जो सामाजिक विज्ञान के बेहतर शिक्षण द्वारा विकसित किया जा सकता है। भारतीय प्रजातंत्र की अपनी कुछ समस्याएं भी हैं, जिनको समझना तथा उनका समाधान करना नितांत आवश्यक है। वर्तमान में भारत सांप्रदायिकता, जातिय झगड़े, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, भाषावाद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है जिनके मूल में सामाजिक सहिष्णुता और नागरिक भाव का अभाव है और वर्तमान परिपेक्ष्य में विद्यार्थियों में एक सच्चे नागरिक का भाव जिनमें देश के प्रति प्रेम और समाज के प्रति सद्भाव और सहिष्णुता का भाव हो, का विकास नहीं हो पा रहा है। जबकि देश के प्रगति के लिए यह अपरिहार्य है। समाजिक विज्ञान के बेहतर शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में ये भाव उत्पन्न एवं विकसित किये जा सकते हैं और खासकर समावेशी कक्षाओं में यह भाव बेहतर तरीके से विकसित किए जा सकते हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नित्य नए आविष्कारों ने आज मानव समाज में महान परिवर्तन ला दिए हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप उसके स्वरूप, आकार आदि में परिवर्तन आ गया है, साथ ही मानवीय संबंधों में जटिलता आ गई है। वर्तमान विश्व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता एवं प्रतिद्वंदिता की ओर जा रहा है। इस परिप्रेक्ष में समाजिक विज्ञान के बेहतर शिक्षण की आवश्यकता है ताकि अंतराष्ट्रीय सद्भावना और विश्व शांति की स्थापना हो सके, साथ ही मानवीय संबंधों को सुधारा जा सके और मैत्री एवं बंधुता की भावनाओं का विकास हो सके। समाजिक विज्ञान द्वारा मानव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के साथ साथ देश प्रेम, विश्व बंधुत्व, आपसी सद्भावना तथा सहयोग और अंतराष्ट्रीय सद्भावना का अध्ययन किया जाता है जिससे छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास होता है।

4.10 शब्दावली

1. समावेशी शिक्षा: समावेशी शिक्षा सभी शिक्षार्थियों तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है। इसमें विद्यालय में संस्कृति, नीतियों और प्रथाओं का पुनर्गठन शामिल है ताकि वह अपने यहां छात्रों की विविधता का समावेश कर सके।
2. समावेशी कक्षा: शिक्षा प्रदान करने की एक ऐसी व्यवस्था है जहां छात्रों को उनकी क्षमता, जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान, विकलांगता आदि की परवाह किए बगैर सामान्य शिक्षा कक्षा में सभी को एक समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है और उनकी शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाता है।
3. विशेष आवश्यकता वाले छात्र: विशेष आवश्यकता वाले छात्र ऐसे छात्र होते हैं जिनके शिक्षण अधिगम के लिए विशेष तकनीको एवं पाठ्यचर्या और विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विशेषताओं में थोड़े अलग होते हैं।
4. दृष्टि बाधित छात्र: ऐसे छात्रों को दृष्टि बाधित छात्र कहा जाता है जिनकी दृष्टि इतना अधिक अक्षमताग्रस्त ही की ब्रेल लिपि के बिना उनके लिए पढ़ना लिखना असंभव है।
5. श्रवण बाधित छात्र: श्रवण बाधित छात्र वैसे छात्र होते हैं जिन्हें सुनने में बाधा उत्पन्न होती है। श्रवण बाधित व्यक्ति अपनी श्रवण शक्ति को अंशतः या पूर्णतः गवा देते हैं तथा उनके भाषा का विकास नहीं हो पाता है।
6. बौद्धिक अक्षमता: बौद्धिक अक्षमता मानसिक विकास की एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चों का बौद्धिक विकास औसत बुद्धि वाले बालको से कम होता है। जिसके कारण वे मंद गति से सीखते हैं और स्कूल के औसत बच्चों की की तुलना में पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जाते हैं।
7. पुस्तक संपादन: पुस्तकों में लिखी सामग्रियों में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार कुछ परिवर्तन पुस्तक का संपादन कहलाता है।

4.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. समावेशी शिक्षा सभी शिक्षार्थियों तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है। इसमें विद्यालय में संस्कृति, नीतियों और प्रथाओं का पुनर्गठन शामिल है ताकि वह अपने यहां छात्रों की विविधता का समावेश कर सके।
2. कि सभी शिक्षार्थियों के लिए सामाजिक विकास और शैक्षिक परिणाम समावेशित वातावरण में बेहतर किया जा सकता है। यह सामाजिक कौशल और बेहतर सामाजिक संपर्क विकसित

करता है क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक वातावरण में रहते हैं जहां अलग अलग विशेषताओं रुचियों और क्षमताओं वाले अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करना पड़ता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा विभिन्न क्षमता वाले शिक्षार्थियों को स्वीकार करने और सम्मान करने के लिए एक समावेशी समाज की नीव रखती है।

3. समावेशी शिक्षा सभी शिक्षार्थियों तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है। समावेशन का उद्देश्य उम्र, सामाजिक वर्ग, जातीयता, धर्म, लिंग की परवाह किए बिना बहिष्कार और भेदभावपूर्ण रवैया को समाप्त करना है।
4. पुस्तक संपादन करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत है: (i) सामग्री का रूपांतरण करना, (ii) सामग्री का द्विगुणन करना, (iii) सामग्री का विकल्प देना और (iv) सामग्री को छोड़ देना।
5. सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में लिखी सामग्रियों में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार कुछ परिवर्तन किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों के संपादन का प्रयोग करके विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के शिक्षण को रोचक, सरल एवं स्पष्ट बनाया जा सकता है। इससे प्रत्यय स्पष्ट हो जाते हैं और अनुभव बढ़ जाते हैं साथ ही छात्र स्वयं क्रिया करके ज्ञान प्राप्त करते हैं।
6. सामाजिक विज्ञान छात्रों का बहुमुखी विकास कराती है जो राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाला सभ्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाती है। सामाजिक विज्ञान द्वारा मानव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के साथ-साथ देश प्रेम, विश्व बंधुत्व आपसी सद्भावना तथा सहयोग और अंतराष्ट्रीय सद्भावना का अध्ययन किया जाता है जिससे छात्रों में 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना का विकास होता है।
7. सत्य
8. आधुनिक समय में एक विधि द्वारा ही शिक्षण कराया जाए यह पर्याप्त नहीं है, कई विधियों को मिलाजुला कर प्रयोग करने की परंपरा बढ़ रही है। इससे शिक्षण में विविधता भी बनी रहती है और छात्र शिक्षण में रुचि लेने लगते हैं और शिक्षण को रोचक, सरल एवं स्पष्ट बनाया जा सकता है।
9. सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन प्रभावपूर्ण बनाने के लिए विविध शिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती हैं। यहां विषय वस्तु से संबंधित प्रत्ययों को स्पष्ट कर सकती है, छात्रों के अवधान को विषय की ओर आकृष्ट करके छात्रों को सक्रिय बनाती है। शिक्षण प्रक्रिया को रोचक स्पष्ट बोधगम्य और बोधगम्य बनाती है, साथ ही ज्ञान को अस्थाई बनाती है।
10. समुदाय विशेष आवश्यकता वाले वाले छात्रों के लिए अत्यंत रुचिकर, अर्थपूर्ण, आश्चर्यों से भरी हुई शिक्षण कराने की जीवंत प्रयोगशाला है। सामुदायिक संसाधन एक ओर जहां सामुदायिक जीवन की क्रियाओं द्वारा छात्रों में अंतर्दृष्टि विकसित करता है और सामुदायिक समस्याओं से छात्रों को परिचित कराता है, वहीं दूसरी ओर समुदाय के प्रति छात्रों में अपनापन

का भाव विकसित करता है तथा सामुदायिक समस्याओं को हल करने के प्रति उन्हें जागरूक भी करता है।

11. विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए विद्यालय में संग्रहालय बनाए जाने चाहिए। ये इन छात्रों को वातावरण की विभिन्न सामग्रियों के समग्र प्रत्यय बनाने में यह योगदान देते हैं। इन संग्रहालय का विस्तार विद्यालय में धीरे-धीरे किया जा सकता है, जो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए खासकर समाजिक विज्ञान के शिक्षण में बेहतर योगदान दे सकते हैं।

4.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Chauhan, S. S. (1989). Education of Exceptional Children. New Delhi: Indus Publishing Company.
2. Julka, A. (2007). Meeting Special Needs in School: A Manual. New Delhi: NCERT.
3. Julka, A. (2014). Teachers Creating Inclusive Classrooms: Issues and Challenges: A Research Study. New Delhi: NCERT.
4. Julka, A., Mukhopadhyay, S & Vyas, S. (2014). Including Children with Special Needs: Primary Stage. New Delhi: NCERT.
5. Julka, A., Samal, L & Salim, D. (2015). Including Children with Special Needs: Upper Primary Stage. New Delhi: NCERT.
6. Mangal, S.K. (2007). Educating Exceptional Children: An Introduction to Special Education. Delhi: PHI Learning Private Limited.
7. UNESCO (2012). The Right of Children with Disabilities to Education: A Right-Based Approach to Inclusive Education (Position Paper) Paris: UNESCO.
8. UNESCO (2000). Inclusion in Education: The Participation of Disabled Learners: World Education Forum: Education for All 2000 Assessment. Paris: UNESCO.

4.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. सामाजिक समावेशी शिक्षा अधिगम को कैसे सफलतापूर्वक प्रोत्साहित करती है? समावेशी समाज के निर्माण में इसकी भूमिका को रेखांकित करें।
2. उन युक्तियों और रणनीतियों का वर्णन करें जिसके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण और अधिगम को रोचक, सरल और प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है?

इकाई 5 - सामाजिक विज्ञान में सूचना एवं संचार तकनीकी: सामाजिक विज्ञान के विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, वाणिज्य एवं राजनीति विज्ञान में आई.सी.टी. का उपयोग

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 आईसीटी की मूल बातें
5.3.1 आईसीटी के घटक
5.3.2 सीमाएं और निष्कर्ष
5.4 कम्प्यूटर और कम्युनिकेशन
5.4.1 आईसीटी के साथ सामाजिक विज्ञान सिखाने की तैयारी
5.4.2 सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आईसीटी कैसे लागू करें?
5.5 दस्तावेज और प्रस्तुतियाँ लिखना / बनाना
5.5.1 ग्राफिक्स प्रस्तुतीकरण
5.5.2 वर्ड प्रोसेसिंग
5.6 स्प्रेडशीट्स और डेटाबेस
5.6.1 एक स्प्रेडशीट के साथ काम करना
5.6.2 एक डाटाबेस के साथ काम करना
5.7 सामाजिक और नैतिक मुद्दे
5.7.1 सामाजिक विज्ञान में आईसीटी उपयोग करने के लाभ
5.7.2 सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आईसीटी के आवेदन में बाधाएं और अनुशंसाएँ
5.8 सारांश
5.9 शब्दावली
5.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
5.11 निबंधात्मक प्रश्न
5.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

5.1 प्रस्तावना

सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां (आईसीटी) जीवन के सभी पहलुओं में सामान्य इकाई बन गई हैं। पिछले बीस वर्षों में आईसीटी के उपयोग ने व्यापार और शासन के भीतर लगभग सभी प्रकार के प्रयासों और प्रक्रियाओं को मौलिक रूप से बदल दिया है। शिक्षा सामाजिक दृष्टि से एक बहुत ही उन्मुख गतिविधि है और गुणवत्ता की शिक्षा पारंपरिक रूप से शिक्षार्थियों के साथ निजी संपर्कों के उच्च स्तर वाले मजबूत शिक्षकों के साथ जुड़ी हुई है। शिक्षा में आईसीटी का इस्तेमाल खुद को अधिक छात्र-केंद्रित सीखने की सेटिंग में उधार देता है। लेकिन डिजिटल मीडिया और सूचना में तेजी से चलती दुनिया के साथ, शिक्षा में आईसीटी की भूमिका अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हो रही है और इसके विकास ने मानव संसार के समग्र विकास में योगदान दिया है। आज संचार प्रौद्योगिकी क्रांति, उसके वर्तमान भूमिका की चर्चा प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि मानव द्वारा निष्पादित कार्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा किए जा सकते हैं।

उभरती संचार और सूचना प्रौद्योगिकी धीरे-धीरे समस्त मानवीय कार्यकलाप करने लगी हैं। इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी, शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार, मतदान, घरेलू मनोरंजन, टीवी जाल इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा जैसी शब्दावली से आप सभी परिचित हो चुके हैं। विश्व स्तर पर अंतर्क्रिया का नया विकल्प हमारे कार्य संसार को बदलने की शुरुआत है। आज बहुराष्ट्रीय निगम सारे संसार में अपने व्यापारिक कार्यकलापों को सुगमता से चला सकते हैं। उभरती प्रौद्योगिकी की शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बहुत बड़ी धनराशि, समय और सर्जनशीलता के अथक प्रयास सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए किए जा रहे हैं। संचार प्रौद्योगिकी द्वारा अनेक विधियों तथा अनेक स्तरों पर शिक्षा का लाभ मिलता है। सामाजिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोणों से संचार प्रौद्योगिकी ने शिक्षा और प्रशिक्षण पर प्रभाव डाला है। विकसित देशों में अनेक संस्थाएं विभिन्न संचार प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम जैसे अंतरक्रियात्मक टीवी, दूर सम्मेलन, अंत:जाल (इंटरनेट) और अन्य आधुनिक माध्यम इसके उदाहरण हैं।

विकासशील देशों में भी कुछ दूर शिक्षा मुक्त अधिगम संस्थाएं पाठ्यक्रमों को इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रदान कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप विद्यार्थियों का संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से अध्ययन कर रहा है जिसमें लोकप्रिय और आधुनिक दोनों ही माध्यम शामिल हैं।

इस इकाई में उन प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया है, जिनका शिक्षा पर जोरदार प्रभाव पड़ता है। औपचारिक और दूर मुक्त अधिगम स्थितियों में नई प्रौद्योगिकियों और उनके अनुप्रयोगों का सृजन अनेक रूपों में प्रगति पर है। विभिन्न प्रौद्योगिकियों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए इस इकाई में हम तीन बड़ी प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करेंगे। यह प्रौद्योगिकियां आपस में अलग अलग नहीं हैं। इनके अनुप्रयोग परस्पर व्यापी होते हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अध्यापक के हाथ मजबूत करती है, उसके अध्यापन को अधिक प्रभावी बनाती है परंतु ध्यान रहे कि शिक्षाशास्त्र महत्वपूर्ण है और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अपने आप में विद्यार्थियों के लिए उत्तम परिणाम सुनिश्चित नहीं करती; जब तक उसे प्रभावी ढंग से सुनियोजित, रूपांकित और क्रियान्वित न किया जाए। सूचना एवं संचार

प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का भरपूर लाभ पाने के लिए उसका अध्ययन करके ही व्यवहार में लाया जा सकता है, इसलिए उचित होगा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आप अध्ययन की ऐसी नई विधियां खोजें जिनमें प्रौद्योगिकी का उपयोग हो। आप अध्ययन करते समय कुछ वर्तमान या उभरती सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में ला कर भी देख सकते हैं और अपनी कक्षा में उनकी शैक्षिक प्रभाविता का आकलन कर सकते हैं।

डेनियल (2002) के अनुसार आईसीटी बहुत ही कम समय में आधुनिक समाज के बुनियादी स्तंभ में से एक बन गए हैं। कई देश अब आईसीटी को समझते हैं और आईसीटी के मूल कौशल और अवधारणाओं को पढ़ने, लेखन और संख्यात्मकता के साथ शिक्षा के मुख्य भाग के रूप में देखते हैं। हालांकि, एक गलत धारणा प्रतीत होती है कि आईसीटी आमतौर पर 'कंप्यूटर और कंप्यूटिंग संबंधित गतिविधियों' का संदर्भ देती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर और उनके उपयोग आधुनिक सूचना प्रबंधन, अन्य प्रौद्योगिकियों और/या प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पेलग्रम एंड लॉ (2003) कहते हैं कि 1980 के दशक के अंत में, शब्द 'कंप्यूटर' को 'आईटी' (सूचना प्रौद्योगिकी) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिससे कि कम्प्यूटिंग प्रौद्योगिकी से जानकारी को स्टोर और पुनः प्राप्त करने की क्षमता में बदलाव का संकेत मिलता है। इसके बाद 1992 के आसपास 'आईसीटी' (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) शब्द की शुरूआत हुई, जब ई-मेल सामान्य जनता के लिए उपलब्ध हो गई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट (1999) के अनुसार आईसीटी इंटरनेट सेवा प्रावधान, दूरसंचार उपकरण और सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों और सेवाओं, मीडिया और प्रसारण, पुस्तकालय और दस्तावेज केंद्र, वाणिज्यिक सूचना प्रदाताओं, नेटवर्क आधारित सूचना सेवाओं, और अन्य संबंधित जानकारी और संचार गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। यूनेस्को (2002) के अनुसार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को अन्य संबंधित प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से संचार प्रौद्योगिकी के साथ 'सूचना प्रौद्योगिकी' के संयोजन के रूप में माना जा सकता है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए शिक्षा में विभिन्न प्रकार के आईसीटी उत्पादों को उपलब्ध है और शिक्षा के लिए प्रासंगिकता, जैसे कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलिविज़न पाठ, रेडियो प्रसारण, इंटरैक्टिव रेडियो परामर्श, इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पॉस सिस्टम, ऑडिओकासेट्स और सीडी रोम आदि का उपयोग किया जाता है।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप-

1. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अर्थ बता सकेंगे एवं परिभाषित कर सकेंगे।
2. प्रस्तुतीकरण दस्तावेज़ या आईसीटी प्रस्तुति बनाने के लिए पाठ और उचित ग्राफिक्स का उपयोग सकेंगे।
3. वर्ड प्रोसेसर का कुशलतापूर्वक उपयोग करना सीख सकेंगे तथा पठन पाठन सामग्री का निर्माण भी कर सकेंगे।

4. अध्ययन अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित विभिन्न प्रौद्योगिक विधियों की व्याख्या कर सकेंगे।

5.3 आईसीटी की मूल बातें

शिक्षा, वर्तमान समय में, तेजी से बदलाव की स्थिति में है। यह बदलाव, यहाँ पर अभिरुची के साथ किया जाता है, समारोह की चौंकाने वाली कमी के साथ, हम में से कुछ अप्रभावित छोड़ते हैं। शैक्षिक संस्थान शैली में, संगठन में और समुदाय के संबंध में बदल रहे हैं। छात्रों को विशेष रूप से अपनी पिछली परिपक्वता में बदलना पड़ रहा है, और जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है और उसकी अध्यापन के तरीकों को और भी तेजी से बदल रहा है। कैरियर जागरूकता और मार्गदर्शन क्षेत्र की तुलना में कोई तिमाही में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। युवा लोगों के पास आजकल कैरियर विकल्पों की एक बड़ी रेंज होती है, जिनके लिए उच्च योग्यता प्राप्त करने की अधिक संभावनाएं, और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की मदद से उपलब्ध जानकारी के अधिक स्रोत हैं। व्यापक विकल्प हैं और जानकारी के स्रोत हैं जो छात्रों के कैरियर विकल्पों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करते हैं, पेशेवर और तकनीकी कौशल की मांग और संतुष्टि की डिग्री, इस काम में पाए जाने पर, उस पसंद पर मार्गदर्शन कैरियर की और इसके लिए तैयारी आवश्यक है, अगर वे अपने अवसरों का पूर्ण उपयोग करना चाहते हैं आईसीटी एक छत्र का शब्द है जिसमें सूचनाओं के हेरफेर और संचार के लिए सभी तकनीकों शामिल हैं। शब्द का प्रयोग कभी-कभी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को प्राथमिकता में किया जाता है, खासकर दो समूहों में: शिक्षा और सरकार।

सामान्य उपयोग में अक्सर यह माना जाता है कि आईसीटी आईटी का पर्याय है; आईसीटी वास्तव में जानकारी दर्ज करने के लिए किसी भी माध्यम को शामिल करता है (चुंबकीय डिस्क / टेप, ऑप्टिकल डिस्क (सीडी/ डीवीडी), फ़्लैश मेमोरी आदि और यकीनन भी कागजी रिकॉर्ड); प्रसारण सूचना के लिए प्रौद्योगिकी- रेडियो, टेलीविजन; और आवाज और ध्वनि या छवियों के माध्यम से संचार करने के लिए प्रौद्योगिकी - माइक्रोफोन, कैमरा, लाउडस्पीकर, सेलुलर फोन से टेलीफोन। इस प्रकार, आईसीटी अधिक स्पष्ट करता है कि प्रसारण और वायरलेस मोबाइल दूरसंचार जैसे प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।

आईसीटी क्षमताओं को बड़े पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के परिष्कार से विकासशील देशों में कम प्रावधान तक व्यापक रूप से भिन्नता है। लेकिन बाद में तेजी से पकड़ रहे हैं, अक्सर तकनीक की पुरानी पीढ़ियों को छलांग लगाते हैं और नए समाधान विकसित करते हैं जो उनकी विशिष्ट ज़रूरतों से मेल खाते हैं। आईसीटी प्रौद्योगिकी की मदद से सूचना का संचार है हम इसे मिडिया या मल्टीमीडिया के रूप में कुछ समय के रूप में समझते हैं। लेकिन यह तकनीक मूल रूप से मास मीडिया प्लस मल्टीमीडिया (एम-मीडिया) है।

5.3.1 आईसीटी के घटक

i. **रेडियो-** मीडिया की सबसे व्यापक शाखा में सबसे बड़ा क्षेत्र शामिल हैं यह अपने सस्ती प्रकृति द्वारा पहुंचने वाले बड़ी संख्या में लोगों के उद्देश्य को पूरा करता है। विभिन्न तरंग दैर्ध्यों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा शुरू किया जा सकता है, यह सभी आयु समूहों में समान रूप से लोकप्रिय है। इसका लाभकारी कारक यह है कि इसके द्रव्यमान को शामिल किया गया है; न केवल साक्षर हैं बल्कि बाहर के स्कूल के लोग और वयस्क (निरक्षर) भारत के सड़कों के बच्चों के समूह के शब्दों में- "हम काम करते समय टीवी नहीं देख सकते, लेकिन हम रेडियो सुन सकते हैं हर कोई पुस्तकों को पढ़ सकता है, टीवी के लिए बिजली की आवश्यकता है, लेकिन रेडियो के लिए यह आवश्यक नहीं है "। स्कूल के छात्रों को इसके शैक्षणिक कार्यक्रमों और कैरियर संबंधी समाचारों से राष्ट्रीय रेडियो (एआईआर) पर लाभ मिलता है। ये विभिन्न आयु समूहों में पढ़ रहे छात्रों के करियर विकल्पों के बारे में जागरूकता के लिए बहुत उपयोगी हैं।

ii. **टेलीविजन-** मनोरंजन के क्षेत्र में और जानकारी के स्रोत के माध्यम से सबसे बड़ा ब्रेक के रूप में विकसित किया गया है, लेकिन शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रमों और जन संचार के क्षेत्र में इसके उपयोग में भी बड़ा योगदान शुरू हो गया है। सबसे संभावित साधन होने के कारण यह ग्रामीण और शहरी दोनों सेटिंग दोनों में स्थापित सामूहिक रूप से औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। इसलिए, "रोजगार समाचार" आदि जैसे युवाओं के लिए करियर शिक्षा और कैरियर विकल्पों के बारे में जागरूकता के लिए शिक्षित कार्यक्रम टेलीविजन पर विकसित होते हैं।

iii. **प्रिंट मीडिया-** शायद शिक्षा और सूचना स्रोत की बहुत प्रभावशाली और सबसे सस्ता एजेंसी है। इस मीडिया का उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना और लोगों को दिन-प्रतिदिन घटनाओं को सूचित करना है। सामान्य तौर पर, यह समाज के साक्षरता तक ही सीमित रहता है। यद्यपि विज्ञापन और कार्टून चित्र बड़े पैमाने पर बहुत रुचि रखते हैं यह छात्रों के कैरियर विकल्पों की जानकारी और जागरूकता का सबसे बड़ा स्रोत है क्योंकि यह छात्रों के प्रत्येक आर्थिक स्तर के लिए सस्ती है।

iv. **मोशन पिक्चर-** फिल्म उद्योग देश में बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है जो एक विविध प्रतिभाओं की भर्ती कर रहा है। यह द्रव्यमान का अधिकतम ध्यान भी ग्रहण करता है यह मनोरंजन उत्पन्न कर सकता है और साथ ही एक मजबूत संदेश प्रदान कर सकता है। नई फिल्में ऐसा कर रही हैं और इस प्रकार जागरूकता पैदा कर रही हैं, केवल वृत्तचित्रों की ही नौकरी नहीं है। शिक्षा एवं से संबंधित कुछ नवीन फिल्में या चलचित्र आज के आधुनिक युग में सामाजिक चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जैसे- लंच बॉक्स, नील बटा सन्नाटा, आई एम कलाम इत्यादि।

v. **इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया-** जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि यह शब्द कई मीडिया का एकीकरण है, जिसमें पाठन सामग्री, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीकांफ्रेंसिंग इत्यादि जानकारी प्रदान करने के लिए

शामिल किया जाता है। यह संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पाठ, ग्राफिक्स, एनीमेशन और वीडियो का अद्वितीय संयोजन है। इससे पहले शब्द एमएम का इस्तेमाल मीडिया के संग्रह से किया जाता था, जैसे उपकरण के अलग-अलग प्रस्तुतीकरण जैसे प्रिंटिंग सामग्री, स्लाइड्स, ऑडियो टेप इत्यादि सीखने के पैकेज, जैसे कि यह कम्प्यूटर संचालित इंटरैक्टिव की एक श्रेणी को संदर्भित करता है जो बना, स्टोर, संचारित करता है और जानकारी के पाठ, ग्राफ़िकल और श्रवण नेटवर्क को पुनः प्राप्त करते हैं।

vi. **पीसी-आधारित आईसीटी: इंटरनेट -** इंटरनेट से जुड़े एक पीसी (व्यक्तिगत कंप्यूटर) संचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है, पिछले कुछ दशकों के दौरान जनता के प्रसार के बाद से। हालांकि, जबकि आईसीटी के इस मोड ने बहुत कुछ हासिल किया है, वहीं इसकी सीमाएं दुनिया के संदर्भ में बड़े पैमाने पर हैं। इंटरनेट ने कई अवसर खोल दिए हैं, जानकारी प्राप्त करने, विश्व स्तर पर संचार कराने, ई-मेल, वॉयस-मेल, ई-कॉमर्स के माध्यम से या आम तौर पर लाइन चैट या इंस्टेंट मैसेजिंग के माध्यम से मज़े करना। एक बार आश्चर्य होता है: इंटरनेट के समय से पहले लोग कैसे संवाद करते थे? लेकिन यह इंटरनेट का युग है और कोई भी दूसरे के साथ संवाद कर सकता है और जितना संभव हो उतना आसानी से और तेज़ी से जितना भी ज़्यादा ज़रूरी है उतनी जानकारी खोज और विनिमय कर सकता है।

vii. **www (वर्ल्ड वाइड वेब)-** इन 3W ने इस विश्व को एक वैश्विक गांव में बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए खड़े हैं यह बहुत सारी जानकारी और ज्ञान को जोड़ने में सक्षम है और इसे किसी और सभी के लिए सुलभ बना दिया है। इस प्रकार नई चीजें सीखना और तेजी से बदलती हुई दुनिया के साथ होने के नाते अब कोई बेतुका काम नहीं है, लेकिन कुछ बटनों का केवल एक प्रेस है। शिक्षण इंटरनेट आधारित आईसीटी वर्तमान में स्कूल के पाठ्यक्रम के भीतर प्रयोग किया जाता है इस प्रकार की आईसीटी (दूसरों के बीच) को अब एक मुख्य विषय के रूप में देखा जाता है जिसे कुछ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इस विकास का प्रमुख लाभ आईसीटी एक हस्तांतरणीय विषय बन गया है। आईसीटी के इस्तेमाल से निर्मित इंटरैक्शन ने पाठ को और अधिक प्रभावी बना दिया है और बच्चों को ऐसे तरीके से सीखने की अनुमति दी है जिससे वे आनंद लेते हैं। इंटरनेट के अलावा संचार एक पीसी कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, प्रिंटर, लेजर या इंकजेट, फ्लैश मेमोरी कार्ड और लैन के माध्यम से स्थानीय नेटवर्क के भीतर सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से सूचना के संचार की अनुमति देता है।

संचार विद्वान गैथेर और लोरिमर ने कहा है "हम दूसरों के साथ हमारे संचार के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं- चाहे वे सिर्फ एक घर हों या दो या दुनिया भर में आधे रास्ते पर हों। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में एक टेलीविजन के बिना जीना लगभग असंभव हो गया हमारे घरों में, टेलीफोन के बिना बहुत कम है, और अब हम निजी कंप्यूटर के माध्यम से शायद ही रह सकते हैं जिसके माध्यम से हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और ई-मेल भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। नई संचार तकनीक की वास्तविकता यह है कि किसी को

भी किसी के साथ संपर्क में रहना है अन्यथा, कहीं भी, किसी भी समय, बहुत कम पैसे के लिए-कम से कम विकसित दुनिया में। "

5.3.2 सीमाएं और निष्कर्ष

सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों ने समाज में गहरा प्रवेश किया है और इसलिए अक्सर बहुत ही लागत प्रभावी है; भारत जैसे विकासशील देशों में शिक्षकों ने छात्रों को किसी भी विषय के बारे में जानकारी देने के लिए अक्सर ब्लैकबोर्ड और चाक से अधिक का उपयोग नहीं किया है। पुस्तकों, पत्रिकाओं या समाचार पत्रों के रूप में मुद्रित कागज़ात किसी भी शिक्षित नागरिक के दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं, जैसे कि रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण मीडिया। फोटोकॉपी मशीन का प्रयोग व्यापक रूप से छात्रों द्वारा पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिन्हें वे खरीदना नहीं कर सकते। इंटरनेट से जुड़े पीसी की लागत अक्सर विकासशील देशों में निषेधात्मक होती है। पावर की जरूरत है, भौतिक स्थान और कनेक्टिविटी के मुद्दे भी ऐसे कारक हैं जो इन प्रौद्योगिकियों को विकासशील देशों में जड़ लेने की चुनौती को बढ़ाते हैं।

पीसी-इंटरनेट आधारित आईसीटी की सीमाएं हैं

भाषा: वर्तमान में इंटरनेट पर उपलब्ध अधिकांश सूचनाएं अंग्रेजी में हैं, बहुत कम से कम एक सीमित कारक पाठ/ आवाज़: इंटरनेट पर अधिक जानकारी के लिए उपयोगकर्ता द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि टेलीविजन और रेडियो की निष्क्रिय प्रकृति का विरोध किया गया है। चूंकि इंटरनेट की अधिकांश जानकारी पाठ्य है, उपयोगकर्ता को इसे पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। वीडियो-साझा करने वाली वेबसाइटों जैसे इंटरनेट सूचना के और भी निष्क्रिय प्रकारों को नेविगेशन के लिए दर्शक द्वारा क्रिया (और पढ़ने) की आवश्यकता होती है। सहभागिता सामाजिक नेटवर्क और बढ़ी उपयोगकर्ता-प्रबंधित सूचना स्टोर इस शताब्दी के शुरुआती भाग में उभर आए हैं, सामग्री (चाहे इंटरनेट, टेलीविजन या रेडियो के माध्यम से वितरित किया जाए) के बीच हुई बातचीत एक सूचना क्रांति के लिए आगे बढ़ रही है।

निष्कर्ष

आजकल युवा लोग अत्याधिक जटिलता की कार्यशील दुनिया में बड़े हो रहे हैं। कुछ अप्रासंगिक जानकारी के साथ बमबारी कर रहे हैं, दूसरों के पास कोई भी नहीं है। नतीजतन कई लोग ऐसी नौकरी चुनते हैं जिसके साथ वे असंतुष्ट हैं, और खुद को हताशा और उनके नियोक्ता व्यय का कारण बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आईसीटी और साथ ही सामान्य सबक, अतिरिक्त पाठयक्रम चर्चा समूहों, ध्वनि और टीवी प्रसारण, फिल्म शो, करियर सम्मेलनों, यात्राओं काम के स्थानों और वास्तविक काम के अनुभवों के लिए युवाओं के लिए करियर के बारे में जागरूकता से संबंधित उनके करियर की जानकारी के लिए वरदान बन सकते हैं।

रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि जैसे विभिन्न घटकों द्वारा सूचना देने के द्वारा आईसीटी छात्रों के कैरियर विकल्पों के बारे में जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने भविष्य के कॅरिअर के लिए छात्र ज्ञान को समृद्ध करता है।

5.4 कम्प्यूटर और कम्युनिकेशन

कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का एक विशेष लाभ का इसकी सरलता और द्रुतगति हैं जिससे वह अधिगम प्रक्रिया का प्रबंधन कर सकता है। कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक उपयोगी उपकरण है यह प्रौद्योगिकी भविष्य में शिक्षा को अत्यधिक प्रभावित करेगी तथा वर्तमान में प्रभावित कर रही है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कक्षा अध्यापक के लगभग सभी कार्य कर सकती है। इसका प्रयोग विभिन्न शिक्षा प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है व्यक्तिगत शिक्षण, घर में अध्ययन एवं स्वतंत्र रूप से ज्ञानार्जन अधिगम। कंप्यूटर की सजीवता, आलेखों और स्पष्ट रंगीन दृश्यावली की प्रस्तुति के द्वारा कठिन और अमूर्त शैक्षिक संकल्पनाओं को समझाना सरल हो जाता है। नूतन परिवर्धनों के फलस्वरूप, सूचना प्राप्त करने, शिक्षा, प्रशिक्षण और संचार के लिए कंप्यूटरों का अब व्यापक प्रयोग होने लगा है। एक अध्ययन के आधार पर पता चलता है कि कंप्यूटर आधारित साधनों से सीखने के समय में 30% की बचत हो सकती है।

आभासी वास्तविकता: कंप्यूटर के क्षेत्र में एक नया विकास आभासी वास्तविकता का है। कंप्यूटर प्रद्योगिकी में नूतन प्रगति के कारण कंप्यूटर के प्रयोग का यह क्षेत्र उभरकर आया है। आभासी वास्तविकता का लक्ष्य एक ऐसे कंप्यूटर जनित आभासी पर्यावरण की रचना करना है जिसका उपयोग विज्ञान के प्रयोगों की परिकल्पना के लिए एक अत्यंत उन्नत साधन के रुप में किया जा सके जैसे कंप्यूटर की संरचनाओं का अध्ययन प्राकृतिक घटनाओं का लगभग वैसा ही अनुरूपण और खतरनाक प्रयोगों को क्रियान्वित कर पाना। इस प्रकार विद्यार्थी जीवन सदृश कृत्रिम संसार के साथ अंतर्क्रिया करके अपनी इच्छा अनुसार प्रत्यक्ष अनुभूति, खोज और परिचालन कर सकता है। कंप्यूटर पर बनी बनी कृत्रिम संसार की विभिन्न वस्तुएं हमारी वास्तविक संसार की वस्तु की तरह ही व्यवहार करती हैं वास्तविक जीवन में वस्तु का बोध हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से होता है, जैसे देखना, सुनना, स्पर्श, स्वाद या गंध लेना। आभासी वास्तविकता के द्वारा कंप्यूटर दृश्य जगत, श्रव्य जगत, और स्पर्श जगतकी रचना करके केवल तीन इंद्रियों- दर्शन, श्रवण और स्पर्श की अनुभूति की सामग्री प्रदान करता है।

कंप्यूटर उन्नत अभिलेखन तकनीकी के प्रयोग से बिंबों का सृजन करते हैं। आभासी वास्तविकता मानव और यंत्रों के बीच अंत:क्रिया का वह उपकरण है जिससे शिक्षण और प्रशिक्षण में क्रांति आ आ सकती है।

सामाजिक विज्ञान शिक्षा को बदलने के लिए आवश्यक प्रतिमान बदलाव काफी आसान है क्योंकि यह सामाजिक विज्ञान शिक्षा की संरचना और पद्धति में किए जाने वाले चुनौतियां में परिवर्तन करने की पहचान करने के लिए तैयार है। इसे प्राप्त करने के तरीकों में से एक सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आईसीटी के माध्यम से है। यह इसलिए है क्योंकि कोई भी देश अपनी पूर्णता को विकसित नहीं कर सकता है और

प्रभावी और कुशल आईसीटी शिक्षा के बिना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधुनिक सामाजिक रुझानों के साथ तालमेल रख सकता है। शिक्षक द्वारा ठीक से सिखाने के लिए और शिक्षार्थियों द्वारा आत्मसात करने के लिए, आईसीटी के उपयोग की पूर्ण आवश्यकता है।

अध्यापन जानकारी या कौशल या दोनों को किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के उद्देश्यपूर्ण प्रदान करना है पाठ्यक्रम की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को अपने समाज के कल्याण के लिए अपना पूरा हिस्सा बांटने में सक्षम बनाना है जिसमें वह रहता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा इस आवश्यक उद्देश्य के लिए तैयार है। सामाजिक विज्ञान हमारे छात्रों में जिम्मेदार नागरिकता का पालन करते हैं। एडीनैंग (2001) के अनुसार, शिक्षण शैक्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य शिक्षार्थी को कुछ कौशल, दक्षता और बौद्धिक क्षमता को अपने लिए और जिस समाज में वह रहता है, उसके लिए उपयोगी जीवन जीने के लिए आवश्यक है। उपरोक्त, इस आधुनिक वितरण में आईसीटी के उपयोग के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, सामाजिक विज्ञान शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य हमारे युवाओं को किसी अन्योन्याश्रित विश्व (एनसीएसएस 1993) में एक सांस्कृतिक विविधतावादी लोकतांत्रिक समाज के नागरिक के रूप में जनता के लिए जानकारी देने और तर्कसंगत फैसले करने की क्षमता विकसित करने में मदद करना है । इसलिए, आईसीटी का उपयोग शिक्षण और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में एक आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि इसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से त्वरित और बेहतर समझने के लिए सिखाया जाना चाहिए।

एक सूचना समाज में छात्रों को जानकारी जल्दी से उपयुक्त स्रोत मिलती है और जानकारी का आदान-प्रदान कर सकती है और दुनिया भर में दूसरों के साथ तेजी से सहयोग कर सकता है । इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ यह आवश्यक है कि छात्रों को वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) की संभावनाओं के बारे में एक स्पष्ट लेकिन महत्वपूर्ण समझ हो । छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल, चैटिंग और मेलिंग सूची, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग, कंप्यूटर और मॉडेम के साथ फ़ैक्स करना चाहिए; और वे जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण और ईमानदार विकल्प बनाने में सक्षम होना चाहिए।

5.4.1 आईसीटी के साथ सामाजिक विज्ञान सिखाने की तैयारी

आईसीटी के साथ सिखाने और सीखने की योजना बनाने के बारे में बहुत से विचार हैं। पहला कदम "काम की योजनाएं" तैयार करना है जो विस्तार से बताता है कि एक विषय या किसी विशेष राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को कवर करने के लिए लंबी अवधि में एक पूरी श्रृंखला की किस तरह एक साथ फिट हो जाती है। फिर निम्नलिखित जानकारी के साथ प्रत्येक दिन या विषय के लिए एक सबक योजना (Lesson Plan) बनाएं:

- इस अध्याय को पढ़ाया जाना है;
- पाठ की अवधि (समय);

- उद्देश्य जो सबक के समग्र उद्देश्य हैं;
- उद्देश्य जो विशिष्ट और लक्षित उन्मुख हैं उद्देश्य बताते हैं कि कक्षा के अंत में और उसके बाद बच्चे की क्या उम्मीद है;
- प्रवेश व्यवहार जिसमें कहा गया है कि शिक्षार्थी पहले से ही पढ़ाए जाने वाले विषय के बारे में जानता है;
- संसाधन और उपकरण जो कंप्यूटर और टेलीफोन जैसे एड्स पढ़ाने वाले हैं, जो सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग किया जाएगा;

शिक्षक को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसे अपने पाठ के लिए तैयारी करते समय निम्नलिखित चर को ध्यान में रखना होगा:

- शिक्षार्थियों की उम्र और हित
- समाज की आवश्यकताएं
- उस दिन की अवधि
- उपलब्ध स्थान, और कक्षा पर्यावरण
- संसाधनों तक पहुंच; तथा
- शिक्षक का प्रस्तावित शिक्षण शैली

इस तरह से योजना बहुत जरूरी है क्योंकि सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग आवश्यक है क्योंकि:

- इससे पहले कि वह वास्तव में उन्हें सिखाने से पहले शिक्षक अपने पाठ के बारे में सोचने में मदद करता है;
- यह अध्याय के समय का समय प्राप्त करने और एक अन्य शिक्षक के समय का उपयोग करने से बचने में शिक्षक को मदद करता है
- यह शिक्षक को सुरक्षा की भावना देता है यह उसे जानने के लिए सक्षम बनाता है कि सबक में हर बिंदु पर क्या होगा;
- यह शिक्षक को प्रत्येक पाठ के दौरान क्या हुआ याद करने और घटना के बाद उनकी सफलता पर प्रतिबिंबित करने के लिए सक्षम करता है;
- यह शिक्षक को कुछ शीर्ष-गुणवत्ता वाले सबक, संसाधनों और सामग्रियों को विकसित करने में मदद करता है जिन्हें किसी के शिक्षण कैरियर में बाद के दौर में फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।

5.4.2 सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आईसीटी कैसे लागू करें?

आईसीटी चॉकबोर्ड और पाठ्यपुस्तकों से इंटरेक्टिव मीडिया को पूरा करने, दूरी सीखने की पूरी व्यवस्था, ई-लर्निंग और आभासी स्कूलों से अलग-अलग छात्रों के लिए कस्टमाइजिंग स्पेसिंग (Rotherhan, 2006) के साथ अध्यापन कर रही है। इसलिए शिक्षकों को आईसीटी उपकरणों के उपयोग में सतर्क रहने और अच्छी तरह से निरुपित होना चाहिए। काउली (2007) ने सामाजिक विज्ञान शिक्षा के अध्यापन में आईसीटी का उपयोग करने के तरीकों के रूप में सूचीबद्ध किया है:

- पहले और बताए गए अनुसार पाठ की योजना
- पाठ के लिए अनुसंधान को समझना
- इंटरनेट पर शैक्षिक संसाधनों की एक विशाल श्रेणी और विभिन्न प्रकार की जानकारी तक पहुंच।
- विभेदित कार्यपत्रकों का निर्माण करना
- छात्रों के ग्रेड का रिकॉर्ड रखते हुए
- पाठ्यपुस्तकों और अन्य संसाधनों के अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए
- रिपोर्टिंग और अन्य संचार लेखन
- ई-मेल के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों और विद्यालयों के साथ संचार करना
- पाठ बनाने के लिए डिजिटल कैमरा और वीडियो का उपयोग करना आकर्षक बनाने और प्रभावशाली प्रदर्शन बनाने के लिए
- कक्षा में एक इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड के साथ काम करना
- शिक्षण बढ़ाने के लिए वेबसाइट का उपयोग करना

हमारे माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान की शिक्षा के लिए आवंटित 45 मिनट कहीं भी पर्याप्त नहीं हैं उदाहरण के लिए, इंटरनेट, कार्यपत्रकों, डिजिटल कैमरों और वीडियो के साथ-साथ उपर्युक्त लेखक के रूप में वेबसाइटों का उपयोग समय की सीमा के परिणामस्वरूप बहुत सी सीमाओं को भुगतना होगा हालांकि, वे हमारे उच्च संस्थानों के लिए अच्छी सिफारिशें हैं ।

कक्षा में आईसीटी को लागू करने में, काउली ने सुझाव दिया कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को चाहिए:

- छात्रों को वास्तव में इसका इस्तेमाल करने की इजाजत देने से पहले आईसीटी उपकरणों को शुरू से ही ठीक करने के लिए जमीन के नियम निर्धारित करें। इससे उन्हें ध्यान दिया जाएगा कि उन्हें क्या सिखाया जा रहा है।
- सीमाओं को बहुत स्पष्ट बनाओ और मशीनों के दुरुपयोग के लिए प्रतिबंधों को समान रूप से स्पष्ट करें। यदि किसी बच्चे को कंप्यूटर से दूर बैठने की ज़रूरत हो तो एक वैकल्पिक कार्य या गतिविधि आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।

- यदि जगह अनुमति देता है, तो बच्चे को मशीनों पर ढीले होने से पहले सबक समझाने के लिए तालिकाओं पर बैठें। इसका कारण यह है कि उपकरण पर हाथ होने के बाद समूह के ध्यान को बनाए रखने के लिए बहुत मुश्किल है अगर एक इलेक्ट्रॉनिक व्हाइटबोर्ड उपलब्ध है, तो आप उस पर पूरे वर्ग के लिए काम का प्रदर्शन कर सकते हैं।
- बच्चों को ध्यान से बताएं कि नाजुक कंप्यूटर और अन्य आईसीटी उपकरण कैसे हो सकते हैं।
- वर्ड प्रोसेसर, स्प्रैडशीट इत्यादि का सही उपयोग के बारे में कक्षा शिक्षण सदस्यों के साथ कम से कम एक या दो घंटे खर्च करें।
- गतिविधियों के बारे में सोचो और उन्हें कक्षा में कुछ उन्नत कार्यों को लागू करने के लिए डिज़ाइन करें, जैसे अनुभाग ब्रेक, कॉलम, तालिकाओं का निर्माण।
- छात्रों को उन कंप्यूटरों को साझा करने के विभिन्न तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जहां आपूर्ति पर्याप्त नहीं है उन्हें समूहों में काम करना सीखना चाहिए।

5.5 दस्तावेज और प्रस्तुतियाँ लिखना / बनाना

यह छात्रों को इतिहास, भूगोल या अर्थशास्त्र में एक विषय पर आईसीटी टूल के साथ एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, बहुत प्रेरित करता है। छात्र उपयोग वाली ग्राफिक्स, फोटो, चित्र और अन्य जानकारी की सराहना करेंगे जो विषय पर इंटरनेट पर उपलब्ध है। आईसीटी के इस आवेदन का उपयोग किसी विशिष्ट विषय पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए, पाठ्यक्रम में चर्चा किए गए विषय को संदर्भ देने और कक्षा में वास्तविकता लाने के लिए किया जा सकता है। इस समस्या पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि छात्र केवल वेब पेज को प्रस्तुति में कॉपी करते हैं या अन्य छात्रों से सामग्री का उपयोग करते हैं।

5.5.1 ग्राफिक्स प्रस्तुतीकरण

ग्राफिक्स (ग्रीक शब्द 'ग्राफिकॉस') से बना है। यह कुछ चित्रों, जैसे एक दीवार, कैनवास, स्क्रीन, कागज या पत्थर के दृश्य चित्र या डिज़ाइन, को सूचित करने, वर्णन करने या मनोरंजन करने के लिए हैं। इसमें समकालीन उपयोग में शामिल हैं: डेटा के सचित्र प्रतिनिधित्व, कंप्यूटर-एडेड डिजाइन और निर्माण के रूप में, और शैक्षिक और मनोरंजन सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवियाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स कहा जाता है।

उदाहरण: तस्वीरें, चित्र, रेखा कला, ग्राफ, आरेख, टाइपोग्राफ़ी, संख्याएं, प्रतीकों, ज्यामितीय डिजाइन, नक्शे, इंजीनियरिंग चित्र या अन्य चित्र हैं। ग्राफिक्स अक्सर पाठ, चित्रण और रंग को जोड़ते हैं ग्राफिक डिजाइन में किसी भी अन्य तत्व के बिना एक ब्रोशर, फ्लायर, पोस्टर, वेब साइट या पुस्तक के रूप में, अकेले टाइपोग्राफी की जानबूझकर चयन, निर्माण या व्यवस्था हो सकती है, स्पष्टता या प्रभावी संचार का उद्देश्य हो सकता है, अन्य सांस्कृतिक तत्वों के साथ संबद्धता की मांग की जा सकती है, या केवल एक

विशिष्ट शैली की रचना कर सकते हैं। ग्राफिक कार्यात्मक या कलात्मक हो सकते हैं उत्तरार्द्ध एक रिकॉर्ड किए गए संस्करण हो सकता है, जैसे एक तस्वीर, या एक वैज्ञानिक द्वारा आवश्यक विशेषताओं, या एक कलाकार को उजागर करने के लिए एक व्याख्या, जो इस मामले में काल्पनिक ग्राफिक्स के साथ भेद धुंधला हो सकता है । छात्रों को एक उचित तरीके से ग्राफ़िकल (पुनः) प्रस्तुतियों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। क्योंकि «एक तस्वीर हजार शब्दों से अधिक कह सकती है» विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट विभिन्न ग्राफ़िक अभ्यावेदनों से सचित्र हैं, उदाहरण के लिए, रेखा ग्राफ, बार चार्ट या पाई चार्ट। डेटा को उपयुक्त या अनुपयुक्त तरीके से दिखाया जा सकता है; बाद में मूल डेटा की गलत व्याख्या करने के लिए अग्रणी। जिस तरीके से ग्राफ़ का उपयोग किया जाता है के साथ परिचित छात्रों को अपने काम को कई विषय क्षेत्रों और उनके कामकाजी जीवन में स्पष्ट रूप से पेश करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, आज के सूचना युग में आपके निष्कर्षों को उचित और स्पष्ट तरीके से पेश करने की क्षमता की आवश्यकता है। छात्र हर दिन के जीवन में विभिन्न अनुप्रयोगों का विश्लेषण करते हैं जहां ग्राफ़िक प्रतिनिधित्व किया जाता है। जब भी संभव उदाहरण इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो अनुचित उपयोग को स्पष्ट करते हैं उदाहरण स्कूल के वातावरण में, समुदाय के बारे में डेटा, व्यापारिक दुनिया में, और दैनिक या साप्ताहिक अखबार में उदाहरण मिल सकते हैं। मौजूदा आंकड़ों और पहले के वर्षों से डेटा अलग-अलग रूपों में सचित्र होना चाहिए। पाठ, डेटा और ग्राफिक्स विभिन्न प्रस्तुतियों में उपयोग किए जा सकते हैं: लिखित दस्तावेज, प्रस्तुतीकरण और वेब पेज ।

5.5.2 वर्ड प्रोसेसिंग

शिक्षा पर शायद कोई अन्य प्रौद्योगिकी संसाधन और किसी प्रौद्योगिकी का इतना प्रभाव नहीं पड़ा है जितना की शब्द संसाधन (वर्ड प्रोसेसिंग) का है। वर्ड प्रोसेसिंग केवल उच्च बहुमुखी प्रतिभा और लचीलेपन की पेशकश ही नहीं करता है, यह "मॉडल मुक्त" निर्देशात्मक सॉफ्टवेयर भी है; यह कोई विशेष अनुदेशात्मक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित नहीं करता है । एक शिक्षक किसी निर्देशित निर्देश या रचनावादी गतिविधि को समर्थन देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। चूंकि शिक्षण और शिक्षा के लिए सहायता के रूप में इसका मूल्य सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है, इसलिए वर्ड प्रोसेसिंग शिक्षा में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर बन गया है। यह शिक्षक और छात्रों के लिए कई सामान्य लाभ (अन्य विधियों से ऊपर और अनूठे लाभ) प्रदान करता है:-

i. **समय बचाता है -** वर्ड प्रोसेसर नए शिक्षण एवं सहायक सामग्री बनाने की बजाय पुराने उपलब्ध संसाधनों को संशोधित करने तथा उन्नत करने के लिए प्रेरित करता है जिससे शिक्षकों का तैयारी का समय और अधिक कुशलता से उपयोग हो सके। शिक्षक शब्द प्रसंस्करण दस्तावेजों को एक टाइपराइटर या हाथ से अधिक जल्दी से सुधार कर सकते हैं।
ii. **दस्तावेज़ उपस्थिति बढ़ाता है-** वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के साथ बनाई जाने वाली सामग्री हस्तलिखित या टाइप की गई सामग्री की तुलना में अधिक पॉलिश और पेशेवर दिखती है, यह

आश्चर्य की बात नहीं है कि छात्रों को बेहतर लगता है कि वर्ड प्रसंस्करण उनके काम आसान कर देती है। यह विशेष रूप से कई टेम्पलेट्स के साथ संभव है जो आज सॉफ्टवेयर सूट का हिस्सा हैं।

iii. **दस्तावेज़ों को साझा करने की अनुमति देता है-** वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से दस्तावेज़ों को लेखकों में आसानी से साझा किया जा सकता है। शिक्षक डिस्क पर पाठ योजनाओं, कार्यपत्रकों या अन्य सामग्रियों का आदान-प्रदान कर सकते हैं और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें संशोधित कर सकते हैं। विद्यार्थी खुद के बीच विचारों और उत्पादों को भी साझा कर सकते हैं।

iv. **दस्तावेज़ों के सहयोग की अनुमति देता है-** विशेष रूप से Google डॉक्स, शिक्षक और छात्रों की की सहायता उनके दस्तावेजों का समन्वयन, निर्माण और संपादन कर सकती है। विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न पठनीय और संरचित दस्तावेजों का निर्माण करने के लिए छात्रों को एक शब्द-प्रोसेसर को कुशलतापूर्वक और समझदारी से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। आज के समाज में शब्द-प्रोसेसर का प्रयोग करने में सक्षम होना जरूरी है। जब कोई कंप्यूटर बेहतर विकल्प प्रदान करता है तो कुछ लोग टाइपराइटर का उपयोग करते हैं कागज पर लिखने की सामान्य पद्धति या टाइपराइटर के साथ टाइपिंग की तुलना में वर्ड-प्रोसेसर का उपयोग करने के स्पष्ट लाभ हैं। छात्रों को एक शब्द-प्रोसेसर के उपयोग की सराहना करनी चाहिए और इसे सबसे अधिक लेखन कार्यों के लिए उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उद्देश्य एक योग्य टाइपिस्ट या सचिव को प्रशिक्षित नहीं करना है, लेकिन शब्द प्रसंस्करण और कुंजीपटल कौशल का ज्ञान रोजगार की मांग करते समय एक फायदा है । छात्रों को सीखना चाहिए कि एक शिक्षक के पर्यवेक्षण के तहत एक वर्ड-प्रोसेसर का उपयोग कैसे करना चाहिए जिसका प्रदर्शन करना चाहिए और जोर देना चाहिए कि इसका उपयोग करना कितना आसान है। छात्रों को सरल, लेकिन सार्थक अभ्यास में टाइप करना शुरू करना चाहिए। उन्हें एक शब्द प्रोसेसर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न विशेषताओं (उदाहरण के लिए, बोल्ड, इटैलिक, रेखांकित, उचित मार्जिन, केंद्रित, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, फॉन्ट, हेडर और पाद लेख, टेबल, पाठ की जगह और डेटा डालें) का उपयोग करने के बारे में पता होना चाहिए स्पेल टेम्पलेट्स, चेकर्स, व्याकरण चेकर्स, शब्दकोश, थिसॉरस और मर्ज सुविधाओं जैसे अतिरिक्त उपयोगिताओं का उपयोग करें । किसी शब्द-प्रोसेसर पर सार्थक गतिविधियों में व्यक्तिगत या व्यावसायिक पत्रों की तैयारी, स्कूल की घटनाओं के निमंत्रण और स्कूल की घटनाओं की सूची शामिल है। छात्रों को स्वतंत्र रूप से एक वर्ड-प्रोसेसर का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए ताकि विभिन्न दस्तावेजों को तैयार किया जा सके जो कि सबसे ज्यादा प्रस्तुति के रूप में पठनीय और संरचित हो। वे किसी भी निश्चित कार्य के लिए वर्ड-प्रोसेसर का उपयोग करते हैं या नहीं के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए सबसे कुशल तरीका है

v. **छात्र-केंद्रित, हाथों की गतिविधियां-** शिक्षक शुरू में डिस्क पर नमूना दस्तावेजों जैसे साधारण अभ्यास बना सकते हैं, और पहले छात्रों को खोलने, संशोधित करने और फाइलों को

फिर से सहेजने की आवश्यकता होती है; तो अधिक कठिन अभ्यास जैसे हेडर, पादलेख, शब्दकोश, थिसॉरस, वर्तनी और व्याकरण चेकर्स के उपयोग के लिए प्रगति के लिए।

5.6 स्प्रेडशीट्स और डेटाबेस

सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में, स्प्रैडशीट्स और डाटाबेस एक ही उद्देश्य की सेवा करते हैं: छात्रों को जानकारी व्यवस्थित करने और व्यवस्थित करने के लिए सक्षम करने के लिए। उदाहरण के लिए, छात्र तिथियों, घटनाओं, देशों और शामिल लोगों की सूची बनाने के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग कर सकते हैं। इस सूची को तब तिथि, देश या व्यक्ति के नाम से व्यवस्थित किया जा सकता है। ऐसी सूचियां अच्छी पढ़ाई वाले एड्स बनाती हैं युवा छात्रों को जानकारी एकत्र करना है, और एक डेटाबेस स्थापित करने में मजा आएगा, उदाहरण के लिए उनके क्षेत्र में देशों के बारे में तथ्यों पर।

5.6.1 एक स्प्रेडशीट के साथ काम करना

वर्कशीट सामान्यतः कागज के एक शीट को संदर्भित करता है, जिसमें जवाब देने के लिए विद्यार्थियों और जगहों के लिए सवाल शामिल होते हैं। यह शब्द स्प्रैडशीट सॉफ़्टवेयर या एक अनौपचारिक पेपर के डेटा के एक सरणी को भी संदर्भित कर सकता है जो एक अकाउंटेंट जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग करता है। छात्रों को तैयार स्पीडशीट को समझने और उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।

स्प्रेडशीट प्रोग्राम शिक्षा के सभी स्तरों पर कक्षाओं में व्यापक उपयोग में हैं। शिक्षक उन्हें मुख्य रूप से बजट और ग्रेडबुक रखने और गणितीय विषयों को सिखाने में सहायता करने के लिए उपयोग करते हैं। वे शिक्षकों और छात्रों को कई प्रकार के अनूठे लाभ प्रदान करते हैं, जैसे-

समय बचाएं - स्प्रेडशीट्स शिक्षकों और छात्रों को अनिवार्य गणनाओं को तुरंत पूरा करने की अनुमति देकर बहुमूल्य समय बचाते हैं। वे न केवल शुरुआती गणनाओं को तेजी से और अधिक सटीक बनाकर समय की बचत करते हैं, लेकिन उनकी स्वचालित पुनर्गणना सुविधाओं के कारण ग्रेड और बजट जैसे उत्पादों को अपडेट करना आसान भी होता है। उन प्रपत्रों के साथ प्रविष्टियां भी आसानी से बदल, जोड़ या हटाई जा सकती हैं, जो स्वचालित रूप से अंतिम ग्रेड की पुन: गणना कर सकती हैं।

जानकारी प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित करते हैं- यद्यपि स्प्रैडशीट प्रोग्राम संख्यात्मक डेटा के लिए हैं, कॉलम में जानकारी संग्रहीत करने की उनकी क्षमता उन्हें सूचनात्मक चार्ट तैयार करने के लिए आदर्श उपकरण बनाती है, जैसे शेड्यूल और उपस्थिति सूचियां जिनमें कुछ संख्याएं हो सकती हैं और सभी पर कोई गणना नहीं हो सकती है।

"क्या होगा अगर" प्रश्न पूछने में सहायता - स्प्रैडशीट लोगों की संख्याओं में होने वाले बदलावों के प्रभाव को देखने में मदद करते हैं। चूंकि वर्कशीट में परिवर्तन किए जाने पर मान स्वचालित रूप से पुन: गणना किए जाते हैं, एक उपयोगकर्ता संख्याओं के साथ खेल सकता है और तुरंत परिणाम देखता है यह क्षमता

"क्या होगा अगर" प्रश्नों को प्रस्तुत करने और उन्हें जल्दी और आसानी से उत्तर देने के लिए संभव बनाता है

गणित के साथ काम करने के लिए प्रेरणा बढ़ाते हैं- बहुत से शिक्षक महसूस करते हैं कि स्प्रैडशीट संख्याओं के साथ काम करने में अधिक मज़ा आता है। छात्र कभी-कभी गणितीय अवधारणाओं को शुष्क और उबाऊ मानते हैं; स्प्रैडशीट्स इन अवधारणाओं को इतने ग्राफ़िक बना सकते हैं कि छात्रों को वे कैसे काम करते हैं यह देखने के साथ वास्तविक प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। स्प्रैडशीट व्यक्तिगत या समूह के काम के लिए उपयोगी उपकरण हैं, और उद्योग और वाणिज्य में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। छात्रों को समझना चाहिए कि एक स्प्रैडशीट क्या है, चर को हेरफेर करना कितना आसान है, और इस हेरफेर के प्रभाव को देखना चाहिए।

छात्रों को एक स्प्रैडशीट की अवधारणा और एक स्प्रेडशीट में घटकों के लिए पेश किया जाता है। वे कोशिकाओं में मूल्यों को बदलकर एक स्प्रैडशीट में हेरफेर करते हैं, और प्रभावों को देखने के लिए सूत्र भी बदल सकते हैं। कोशिकाओं में दर्ज किए गए मानों के आधार पर आलेख स्वचालित रूप से जेनरेट हो सकते हैं। छात्रों को दैनिक कार्यों में एक स्प्रेडशीट के विभिन्न उपयोगों को भी समझने में सक्षम होना चाहिए।

5.6.2 एक डाटाबेस के साथ काम करना

डाटाबेस एक डेटा का संगठित संग्रह है। यह स्कीमा, तालिकाओं, प्रश्नों, रिपोर्टों, विचारों और अन्य वस्तुओं का संग्रह है। डेटा आमतौर पर वास्तविकता के पहलुओं के लिए आदर्श रूप से संगठित होते हैं, जिसमें ऐसी प्रक्रियाओं का समर्थन किया जाता है, जिनमें जानकारी की आवश्यकता होती है, जैसे कि होटल के कमरों की उपलब्धता को ऐसे तरीके से मॉडलिंग करना जिससे रिक्तियों के साथ होटल खोजने में सहायता मिलती है।

एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (डीबीएमएस) एक कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन है जो उपयोगकर्ता के साथ संपर्क करता है, अन्य अनुप्रयोगों, और डाटाबेस खुद डेटा कैप्चर और विश्लेषण करने के लिए। एक सामान्य उद्देश्य डीबीएमएस को डेटाबेस की परिभाषा, निर्माण, पूछताछ, अद्यतन और प्रशासन की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।

कंप्यूटर डेटाबेस में आम तौर पर डेटा रिकॉर्ड या फ़ाइलें, जैसे बिक्री लेनदेन, उत्पाद कैटलॉग और इन्वेंट्री और ग्राहक प्रोफाइल होते हैं। आमतौर पर, एक डेटाबेस प्रबंधक उपयोगकर्ताओं को पढ़ने / लिखने की पहुंच को नियंत्रित करने, रिपोर्ट बनाने और उपयोग का विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है। कुछ डाटाबेस एसीआईडी (परमाणुता, स्थिरता, अलगाव और स्थायित्व) की गारंटी देते हैं कि डेटा संगत है और लेनदेन पूर्ण हैं।छात्रों को एक सक्षम तरीके से एक तैयार डेटाबेस का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में और हर दिन के जीवन में, डेटा को कंप्यूटर द्वारा प्रबंधित किया जाता है जो कि बढ़ते हुए एक साथ जुड़े हुए हैं, उदाहरण के लिए एयरलाइन आरक्षण और होटल आरक्षण के लिए। लोगों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी को डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है - छात्रों को व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण की आवश्यकता से अवगत होना चाहिए।

छात्र हर दिन के जीवन में विभिन्न अनुप्रयोगों का विश्लेषण करते हैं जहां डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। जब भी संभव हो, उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो डेटा संरक्षण की स्पष्ट आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं, जैसे: छात्र रिकॉर्ड, पर्यटक प्रवाह और ज़रूरतों के बारे में जानकारी।

उपयुक्त उदाहरण का प्रयोग करना, शिक्षक एक डेटाबेस के उपयुक्त ढांचे को तैयार करता है। छात्र तो आवश्यक आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उदाहरण के लिए साक्षात्कार के लिए जिसके लिए उन्हें एक उपयुक्त प्रश्नावली तैयार करनी होगी। डाटाबेस में प्रवेश किया जाता है। विभिन्न सूचियों का उत्पादन और चर्चा होना चाहिए।

5.7 सामाजिक और नैतिक मुद्दे

सामाजिक विज्ञान में सुरक्षा गोपनीयता से जुड़े आईसीटी विषयों पर चर्चा करने और आंकड़ों और कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए उनके दृष्टिकोण का सबसे अच्छा स्थान है। समाज पर आईसीटी के प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए यह एक अच्छा क्षण भी है (बदलते हुए और नए व्यवसाय, बेरोजगारी, आईसीटी निवेश का आर्थिक मूल्य, तथाकथित «नई अर्थव्यवस्था», आदि)। विद्यार्थी नस्लवाद, हिंसा जैसी समस्याग्रस्त सूचनाओं से निपटने के लिए यहां सीख सकते हैं और वे लिंग और सांस्कृतिक मुद्दों की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं। इसे इंटरनेट के उपयोग से मजबूत किया जा सकता है।

हम कहा जा रहे है? प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें यह जानना होगा कि हम कहां से आए हैं कंप्यूटिंग की दुनिया में काम के स्थान पर आने वाले समय से बहुत अलग होगा, लेकिन अब तक के रुझानों का अध्ययन करते हुए कई बदलावों का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा, हमें आज की शब्दावली और प्रक्रियाओं को समझने के लिए कंप्यूटिंग के कुछ इतिहास को जानना होगा। छात्रों को यह महसूस करने के लिए बनाया जाना चाहिए कि कंप्यूटर हमेशा समाज के लिए सकारात्मक योगदान नहीं देते हैं। वर्षों में उन्हें सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मुद्दों की गंभीरता की सराहना करनी चाहिए। कंप्यूटिंग सुविधाओं के नियंत्रण में उन लोगों द्वारा गलत तरीके और दुरुपयोग के साथ-साथ अनैतिक व्यवहार भी हो सकते हैं। छात्रों को ऐसे व्यवहार के बारे में पता होना चाहिए और यह कैसे ठीक किया जा सकता है। छात्रों को वर्षों में कंप्यूटर के विकास में प्रमुख चरणों को समझना चाहिए। यह निम्नलिखित बिंदुओं से देखा जा सकता है: प्रारंभिक इतिहास (बुनाई, मशीनों की गणना, कोड तोड़ने); सीपीयू विकास (गति और पावर बनाम सुधार, मूल्य, आकार और ऊर्जा खपत में कमी); इनपुट डिवाइस (छिद्रित कार्ड से चूहों और भाषण मान्यता के विकास); आउटपुट डिवाइस (टेलिटाइप से वीडियो डिस्प्ले यूनिट तक); और भंडारण उपकरणों (छिद्रित कागज से हार्ड डिस्क तक); सॉफ़्टवेयर (वायरिंग को उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ़्टवेयर टूल्स में बदलने से); पाठ और दस्तावेज़ प्रसंस्करण («कागज रहित कार्यालय» के लिए अग्रणी); और ऑपरेटिंग विधियों (बैच प्रसंस्करण और समय-साझाकरण से स्थानीय और व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, मल्टी-टास्किंग और वितरित प्रसंस्करण से विकास)।

छात्रों से उम्मीद की जाती है कि कंप्यूटर अपराध और धोखाधड़ी, इक्विटी, बौद्धिक स्वामित्व, सूचना की गोपनीयता, स्वचालन और बेरोजगारी के बीच संबंध और कंप्यूटर सुरक्षा (चोरी, हैकिंग, वायरस) जैसी मूलभूत अवधारणाओं को समझना चाहिए।

5.7.1 सामाजिक विज्ञान में आईसीटी उपयोग करने के लाभ

रेनी (2006) ने देखा कि किशोर वयस्कों की तुलना में आईसीटी का अधिक उपयोग करते हैं। यह दावा प्यू रिसर्च सेंटर (2002) द्वारा समर्थित है। प्यू रिसर्च सेंटर के निष्कर्षों के अनुसार;

- 89 प्रतिशत ईमेल का उपयोग करते हैं
- 84 प्रतिशत फिल्मों और टेलीविजन शो के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं
- 81 प्रतिशत खेल खेलते हैं
- 76 प्रतिशत समाचार प्राप्त करते हैं
- 51 प्रतिशत संगीत डाउनलोड करते हैं
- 43 प्रतिशत उत्पाद खरीदते हैं
- 31 प्रतिशत वीडियो डाउनलोड करते हैं

उपरोक्त निष्कर्ष बताते हैं कि किशोर इंटरनेट के उपयोग में कैसे शामिल हैं । इसका महत्व यह है कि शिक्षकों ने आईसीटी का उपयोग करके उन्हें सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सक्रिय शिक्षार्थियों के जरिए कक्षा के निर्देशों को डिजाइन करने में इन तथ्यों का इस्तेमाल किया ।

आईसीटी में पूरी तरह से पुनर्निर्माण करने की क्षमता है जो हम स्कूली शिक्षा, शिक्षा और शिक्षण के बारे में सोचने के लिए उपयोग करते हैं। आईसीटी छात्रों को प्रौद्योगिकी के उत्पाद और प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है।

आईसीटी छात्रों को निम्न कार्य में सहायता करती है:

- करके सीखना
- प्रतिक्रिया प्राप्त करना
- समझ को परिष्कृत करना
- नया ज्ञान प्राप्त करना
- मुश्किल अवधारणाओं को विज़ुअलाइज़ करना
- जानकारी के व्यापक संग्रह का उपयोग
- असली दुनिया की समस्याओं के साथ हाथापाई;
- सीखने के लिए एक सक्रिय वातावरण को व्यस्त रखना

छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी के उपरोक्त लाभों के अलावा, 2005 के न्यू मीडिया कंसोर्टियम (एनएमसी) की वार्षिक क्षितिज रिपोर्ट ने सामाजिक विज्ञान शिक्षा के शिक्षण के लिए आईसीटी के उपयोग में कई नई प्रगति प्रकट की है। आईसीटी के साथ सामाजिक विज्ञान के शिक्षा और शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं:

- **इंटेलिजेंट खोज:** व्यक्तिगत छात्र गतिविधि से स्कूल को एकत्रित करने और सूचीबद्ध करने के लिए सूचनाओं को ढूंढने और व्यवस्थित करने के लिए कुशल और प्रभावी तरीके प्रदान करना।
- **शैक्षिक गेमिंग:** नए खेल और अवधारणाओं की पेशकश, अध्ययन के अधिक क्षेत्रों में अधिक इंटरैक्टिव वातावरण प्रदान करते हैं।
- **सामाजिक नेटवर्क और ज्ञान जाले:** सामाजिक विज्ञान शिक्षा में ज्ञान के निर्माण, उपयोग और परीक्षण में विद्यार्थियों / संकाय टीमों के अंदर और बीच में आसान संचार प्रदान करना।

शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आईसीटी लागू करने के लाभ:

सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आईसीटी का उपयोग न केवल छात्रों के लिए फायदेमंद है, बल्कि शिक्षकों के लिए भी है। काउली (2007) के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आईसीटी का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से शिक्षक को मदद करता है:

1. कार्यपत्रकों, पाठ योजनाओं और अन्य कंप्यूटरीकृत संसाधनों को बनाने, संपादित करने, बचाने और बदलने की क्षमता।
2. आसानी से जिसके साथ एक कार्यपत्रक अलग-अलग सीखने की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभेदित किया जा सकता है।
3. संसाधनों के प्रेरक गुण।
4. कंप्यूटर पर काम करते समय विद्यार्थियों के व्यवहार और ध्यान से आम तौर पर बेहतर होता है।
5. डेटा और अभिलेखों के साथ रखने, बदलने और काम करने की क्षमता, उदाहरण के आकलन रिकॉर्ड के लिए।
6. स्प्रैडशीट्स का उपयोग करके आसानी से गणना किए गए स्कोर और प्रतिशत का अवसर।
7. कम्प्यूटर पर लिखने की समय-बचत की प्रकृति, इसके साथ ही इसकी अधिक पेशेवर दिखने वाली प्रस्तुति।
8. इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध ज्ञान और जानकारी का विशाल संग्रह।

आईसीटी विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान शिक्षा देने में उपयोगी है I इसका इस्तेमाल सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान और ज्ञान को सुधारने में किया जाता है। हालांकि, यह कहना सही नहीं है कि आईसीटी सीमाओं के बिना नहीं है अगले खंड आईसीटी की सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए बाधाओं को प्रस्तुत करता है-

5.7.2 सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आईसीटी के आवेदन में बाधाएं और अनुशंसाएँ

पेलग्रुम ((2001) के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आईसीटी के उपयोग में निम्नलिखित बाधाएं हैं-

1. अपर्याप्त कंप्यूटर उपलब्धता
2. शिक्षक ज्ञान या कौशल की कमी
3. पाठ्यक्रम समेकित समस्याएं
4. कंप्यूटर का समय निर्धारित समय सारिणी में
5. अपर्याप्त उपकरण या सॉफ्टवेयर
6. शिक्षक की अपर्याप्त समय उपलब्धता
7. पर्यवेक्षी कर्मचारियों और तकनीकी सहायता की कमी
8. पुराना नेटवर्क
9. अपर्याप्त प्रशिक्षण के अवसर
10. स्कूल में पर्याप्त जगह की कमी

ये सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आईसीटी के प्रभावी उपयोग करने में बहुत गंभीर समस्याएं हैं I जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह सभी सामाजिक विज्ञान शिक्षक कंप्यूटर साक्षर नहीं हैं। एक शिक्षक जो कंप्यूटर साक्षर नहीं है आईसीटी के साथ सामाजिक विज्ञान को प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ा सकता है। अपर्याप्त शिक्षक, समय और स्थान जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए अतिरिक्त समस्याएं हैं।

अनुशंसाएँ

स्कूलों में सामाजिक विज्ञान शिक्षा प्रयोगशालाओं को बनाया जाना चाहिए। प्रयोगशालाओं में पर्याप्त कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक मेल, कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस और अन्य सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम, लेजर डिस्क, हाइपरमिडिया, स्कैनर, सांख्यिकीय पैकेज और अन्य आईसीटी उपकरण होना चाहिए ताकि सामाजिक विज्ञान शिक्षा पाठ प्रतिपादन में सहायता मिल सके, और सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को कंप्यूटर साक्षर होना चाहिए।

5.8 सारांश

आईसीटी दुनिया को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) जिसने इतने नाटकीय रूप से दुनिया को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरीकों से प्रभावित कर रहा है। यह विद्यालय के अंदर तथा बाहर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को बदल रहा है। स्कूल में, आईसीटी अपेक्षाकृत सरल उपकरणों से और अधिक जटिल, परिष्कृत और आकर्षक वातावरण में बदल रहा है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आईसीटी के प्रभावी उपयोग के लिए, शिक्षक को अपने पाठ की अच्छी तरह से योजना करने और समझने की आवश्यकता होती है कि वह अपने शिक्षण में आईसीटी कैसे लागू करें। एक बार यह ठीक से और प्रभावी ढंग से किया जाता है, तो दोनों शिक्षक और छात्रों के फायदे का पता लगाया जा सकता है। हालांकि,

कुछ ऐसे बाधाएं हैं जो सामाजिक विज्ञान शिक्षा में आईसीटी के प्रभावी उपयोग को रोकते हैं, जैसे कि अपर्याप्त कंप्यूटर, अंतरिक्ष, समय और कंप्यूटर का अच्छा उपयोग करने के लिए शिक्षकों की अक्षमता भी। देखी गई समस्याओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षा के शिक्षकों को कंप्यूटर और अन्य आईसीटी सुविधाओं के उपयोग में अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

5.9 शब्दावली

1. **आईसीटी-** आईसीटी अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिसमें कंप्यूटर, टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल एवं सभी आधुनिक तकनीक शामिल है।
2. **कंप्यूटर-** स्वचालित रूप से गणना एवं हर तरह के कार्य करने वाली मशीन।
3. **कम्यूनिकेशन-** कुछ लोगों या समूहों द्वारा या उसके बीच संदेश संचार / संवाद की गतिविधि।
4. **आभासी वास्तविकता-** आभासी वास्तविकता एक कृत्रिम वातावरण है जिसे सॉफ्टवेयर के साथ बनाया गया है और उपयोगकर्ता को ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि उपयोगकर्ता विश्वास को निलंबित करता है और इसे एक वास्तविक वातावरण के रूप में स्वीकार करता है।
5. **दस्तावेज लिखना-** कुछ भी जो प्रतीकात्मक लेखन के माध्यम से किसी व्यक्ति की सोच का प्रतिनिधित्व करता है।
6. **प्रस्तुतियाँ बनाना-** एक प्रस्तुति एक दर्शक को एक विषय प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। यह आम तौर पर एक प्रदर्शन, परिचय, व्याख्यान, या भाषण है।
7. **ग्राफिक्स प्रस्तुतीकरण-** सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रकार के चार्ट्स और ग्राफ़ बनाने और विभिन्न फ़ॉन्ट्स में शब्द डालने के कार्य शामिल हैं।
8. **वर्ड प्रोसेसिंग-** किसी कंप्यूटर पर चलने वाले विशेष दस्तावेज या हेरफेर सॉफ्टवेयर का उपयोग जो उपयोगकर्ता को पाठ आधारित दस्तावेज़ बनाने, संपादित करने, और मुद्रित करने की अनुमति देता है।
9. **स्प्रेडशीट्स-** एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जिसमें डेटा को ग्रिड की पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है और गणना में उपयोग किया जा सकता है।
10. **डेटाबेस-** कंप्यूटर में रखी गई डेटा का एक संरचित समूह, विशेष रूप से एक है जो विभिन्न तरीकों से सुलभ है।

5.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. आईसीटी के तीन लाभ लिखिए।
   i. समय बचाता है

ii. दस्तावेज़ उपस्थिति बढ़ाता है
iii. दस्तावेज़ों को साझा करने की अनुमति देता है

2. आईसीसी के तीन बाधाएं बताइए।
   i. अपर्याप्त कंप्यूटर उपलब्धता
   ii. शिक्षक ज्ञान या कौशल की कमी
   iii. पाठ्यक्रम समेकित समस्याएं

5.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Babu, Er.B.C.(2001). Mass Media and Interpersonal Communication for Social awakening. New Delhi: Authors Press.
2. Bransford, J. D.; Brown, A. L.; and Cookling, R. R. (2000)). How people learn. Washington, DC: National Academic Press.
3. Cowley, S. (2007). Guerilla guide to teaching. New York: Continuum International Publishing Group.
4. Dhama, O.P. & Bhatnagar, O.P. (1985). Education & communication for Development. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd.
5. Hawkins, R.J. (2002). Ten Lessons for ICT and Education in the Developing World. In Dutta, S., Lanvin, B. and Paua, F. (eds), Global Information Technology Report (2004-2005), World Economic Forum, Oxford University Press.
6. McCain, T. (2000). Windows on the future: Education in the age of technology. New York: Corwin press.
7. McKenzie, J. (2000). Beyond Technology. Bellingham, WA: FNO press.
8. McKenzie, J. (2001). Planning good change with technology and literacy. Bellingham, WA: FNO Press.
9. National Council for the Social Studies (NCSS) 1993. "A vision of powerful teaching and learning in the Social Studies: Building Social understanding and civil efficiency". Social Education 57 (September): 213-23.
10. New Media Consortium (2005). The Horizon Report. http:/nmc.org.

11. O'Neil, H. and Perez, R.; eds. (2003). Technology applications in education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
12. Pelgrum, W. J. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education. Computers in education 37(2): 163-178.
13. Pew Research Centre (2002). Study of student use of internet. www.pewinternet.org.
14. Rainie, I. (2006). Life outline. Unpublished paper, presented to the public libraries association. Boston. March, 23.

5.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. आईसीटी से आप क्या समझते हैं ? आईआईटी के मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए।
2. सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आईसीटी की उपयोगिता और सीमाएं बताइए।
3. आभासी वास्तविकता से क्या अभिप्राय है? और ग्राफिक्स प्रस्तुतीकरण से आप क्या समझते हैं ?
4. वर्ड प्रोसेसिंग शिक्षण प्रशिक्षण में कैसे उपयोगी है ? अपने शब्दों में लिखिए।
5. स्प्रेडशीट और डेटाबेस से आप क्या समझते हैं ? संक्षेप में बताइए।

खण्ड 2

Block 2

इकाई 1- सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या निर्माण के सामान्य उपागम

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सामान्य उपागम
1.3.1 प्रासंगिक/विषय संबंधित उपागम
1.3.2 संकेंद्रिक उपागम
1.3.3 समस्या समाधान उपागम
1.3.4 संप्रत्यय एवं सामान्यीकरण उपागम
1.3.5 विद्यार्थी कार्यकलाप उपागम
1.3.6 अनुवर्ती (ट्रॉपिकल) उपागम
1.3.7 सर्पिल (स्पाइरल) उपागम
1.4 विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान का स्थान
1.5 नई शिक्षा नीति 1986 में सामाजिक विज्ञान शिक्षा
1.6 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 1975 में सामाजिक विज्ञान
1.7 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 1988 में सामाजिक विज्ञान
1.8 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 2000 में सामाजिक विज्ञान
1.9 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 2005 में सामाजिक विज्ञान
1.10 सारांश
1.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
1.12 संदर्भ एवं सहायक ग्रंथ
1.13 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

सामाजिक विज्ञान शिक्षण पत्र के खंड 2 जिसका शीर्षक, "सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम, संसाधन एवं शिक्षकों का व्यावसायिक विकास है", के प्रारंभिक इकाई अर्थात इकाई 1 में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के विविध आयामों की चर्चा की गई है। पाठ्यक्रम किसी भी विषय का एक महत्वपूर्ण अंग

होता है। उस विषय में क्या शामिल क्या जाना है? किसे पढ़ाना है? कौन पढ़ाएगा? आदि प्रश्नों के उत्तर पाठ्यक्रम के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। अतः, विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों को पाठ्यक्रम के विभिन्न आयामों के संबंध में ज्ञान होना आवश्यक है। विषय के महत्व के कारण पाठ्यक्रम का महत्व और भी बढ़ जाता है। सामाजिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के विविध आयामों से परिचित कराने हेतु सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के विविध आयामों, तथा सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सामान्य उपागमों आदि को इस इकाई में शामिल किया गया है तथा इकाई के प्रारंभ में ही इनको स्थान दिया गया है। विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान का स्थान, नई शिक्षा नीति 1986 में सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में की गई मुख्य सिफारिशों तथा विभिन्न राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुपों, यथा – राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 1975, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 1988, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 2000 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 2005 में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के संबंध में की गई सिफरिशों की चर्चा इस इकाई के विविध खंडों में की गई है। आइए अब इकाई के विविध खंडों में उपरोक्त विषयों पर की गई चर्चा को समझने का प्रयास करते हैं।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जाएँगे कि

1. सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सामान्य उपागमों का वर्णन कर सकेंगे।
2. विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान का स्थान निर्धारित कर सकेंगे।
3. नई शिक्षा निति 1986 में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के संबंध में की गई मुख्य सिफारिशों का उल्लेख कर सकेंगे।
4. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 1975 में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के संबंध में वर्णित तथ्यों का उल्लेख कर सकेंगे।
5. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 1988 में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के संबंध में वर्णित तथ्यों का उल्लेख कर सकेंगे।
6. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 2000 में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के संबंध में वर्णित तथ्यों का उल्लेख कर सकेंगे।
7. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 2005 में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के संबंध में वर्णित तथ्यों का उल्लेख कर सकेंगे।

1.3 सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सामान्य उपागम

पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न उपागम होते हैं। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न उपागम निम्नलिखित हैं :

1.3.1 प्रासंगिक/विषय संबंधित उपागम

इस उपागम में वैसे प्रसंग या विषय के विकास पर बल दिया जाता है जिसको केंद्र में रखकर सामाजिक विज्ञान का समग्र पाठ्यक्रम विकसित किया जा सके। ये प्रसंग या विषय वास्तव में वृहत शीर्षक या व्यापक समस्या क्षेत्र होते हैं। उदाहरणार्थ कुछ शीर्षक या समस्या के क्षेत्र नीचे दिए गए हैं:

- मनुष्य एवं उसका वातावरण;
- अपने वातावरण के संबंध में मानव की खोज;
- अपने वातावरण में मनुष्य की स्वतंत्रता;
- नगरीकरण की समस्या;
- जीवन की समस्या;
- पर्यावरण संकट; तथा
- जाति एवं प्रजाति की समस्या;

प्रत्येक प्रसंग/विषय से कई उप प्रसंग या उप विषय एवं प्रत्येक उप प्रसंग या उप विषय से कई शीर्षक विकसित किए जा सकते हैं। अंतिम रुप से प्रत्येक शीर्षक को कई अध्यायों में बाँटा जा सकता है। अध्यायों की संख्या विद्यालय समय सारिणी में उस विषय को आवंटित समय के आधार पर निश्चित की जाती है। चित्र 1 में प्रासंगिक/विषय संबंधी उपागम पर आधारित सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम की संरचना को दर्शाया गया है:

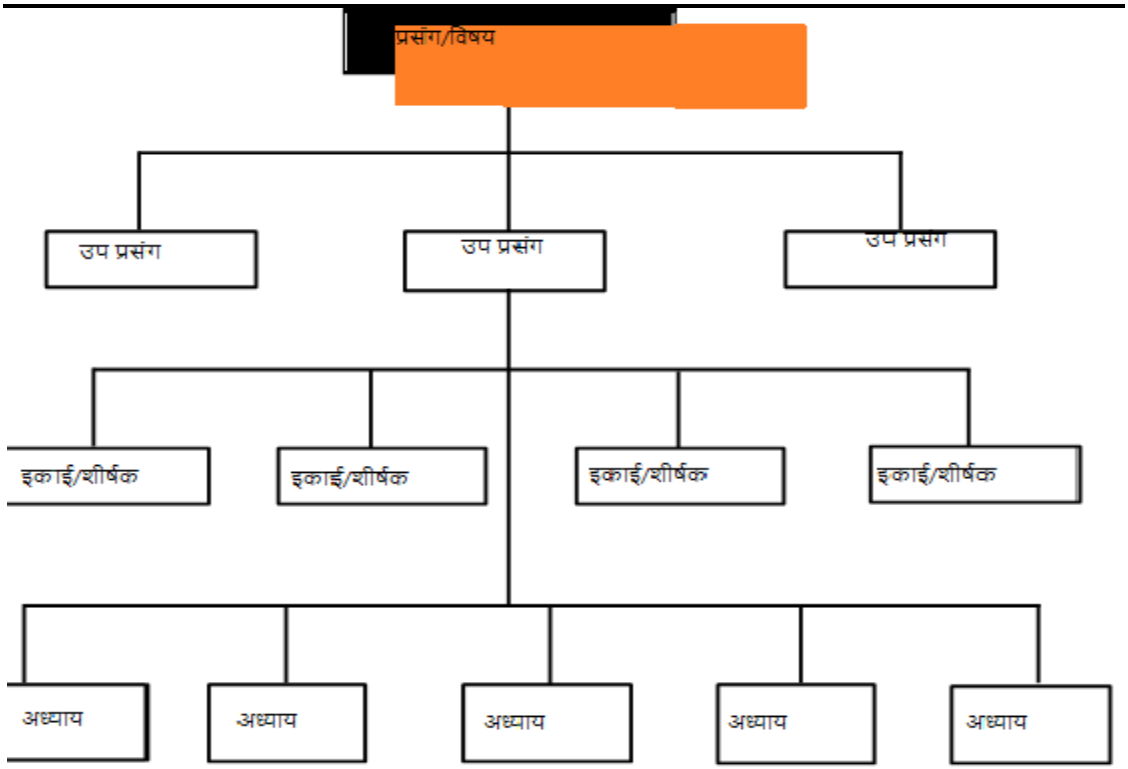

चित्र 1: प्रासंगिक/विषय संबंधित उपागम पर आधारित सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की संरचना क उपागम (स्रोत: फाउण्डेशन ऑफ सोशल स्टडिज)

1.3.2 संकेंद्रिक उपागम

इस उपागम द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय शिक्षण-अधिगम के सिद्धांत ज्ञात से अज्ञात की ओर या सरल से जटिल की ओर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम पूर्ण अनुभव/तथ्यों, जिनसे कि बालक भली-भाँति परिचित होता है, से प्रारंभ होकर उन अनुभवों, जो कि बालक के वास्तविक जीवन से बहुत दूर होता है, कि ओर विस्तृत होता है। इस पाठ्यक्रम को निरंतर विकसित हो रहे समावृत वृतों से, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है, से प्रदर्शित किया जाता है। यह विद्यार्थी की आयु एवं परिपक्वता के अनुसार विस्तृत होता है। अधिकांशतः, यह घर के वातावरण से शुरू होता है, फिर विद्यालय पास-पड़ोस, स्थानीय सरकार, राज्य, देश एवं उसके बाद विश्व इस प्रकार विस्तृत होता है। यह उपागम इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कि विद्यार्थी चीजों को प्रथम दृष्टया समग्र रूप से देखता है तथा उसके बाद उसका विश्लेषण करना सीखता है। यह उपागम सामाजिक विज्ञान के विषयवस्तु के सतत अधिगम को प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के स्तरों के माध्यम से संपोषित करता है।

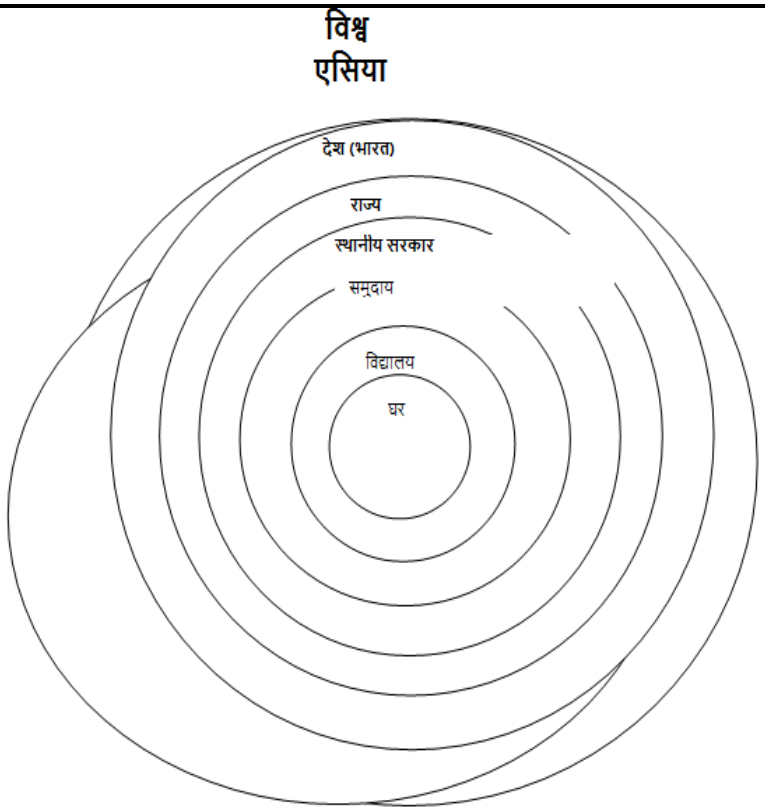

चित्र 2: अनुवर्ती उपागम पर आधारित प्राथमिक कक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम (स्रोत: फाउण्डेशन ऑफ सोशल स्टडिज)

1.3.3 समस्या समाधान उपागम

इस उपागम में सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को विद्यार्थी एवं समाज की प्रमुख समस्याओं, जिन्हें की अध्ययन के लिए चयनित किया जाता है, के आधार पर विकसित किया जाता है। प्रत्येक समस्या को अध्यापित किए जा सकने योग्य इकाइयों में विभाजित किया जाता है।

1.3.4 संप्रत्यय एवं सामान्यीकरण उपागम

इस उपागम में संप्रत्यय एवं सामान्यीकरण का प्रयोग विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए किया जाता है। संप्रत्यय, सामान्यतः विचार होते हैं जो कि या तो अमूर्त होते हैं या वास्तविक। सामान्यीकरण लोगों, स्थानों या वस्तुओं के विषय में कथन होते हैं जिन्हें कि जाँचना या प्रमाणित करना होता है। सामान्यीकरण हमेशा, उस समूह जिसके लिए सामान्यीकरण किया गया है, के प्रत्येक सदस्य के लिए सही हो यह आवश्यक नहीं है। कुछ सामान्यीकरण वांछनीय होते हैं क्योंकि वे विद्यार्थियों में तथ्यों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न करते हैं जबकि कुछ समान्यीकरण अवांछनीय होते हैं क्योंकि ये नकारात्मक अभिवृत्ति को उत्पन्न करते हैं।

इस उपागम को आधार बनाकर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का विकास करते समय कई संप्रत्ययों एवं सामान्यीकरण, जो कि अध्ययन के समस्त क्षेत्र को समाहित करते हैं, का विकास किया जाता है। प्रत्येक संप्रत्यय एवं सामान्यीकरण से समाज में तत्कालीन समस्याओं एवं मुद्दों को सामने लाया जाता है। इसके बाद शीर्षक एवं शीर्षकों के अनुकूल अध्याय तैयार किए जाते हैं। तालिका 1 में इस उपागम पर आधारित पाठ्यक्रम को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1: संप्रत्यय एवं सामान्यीकरण उपागम के आधार पर विकसित सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का एक उदाहरण

शीर्षक	मुख्य संप्रत्यय	कुछ सामन्यीकरण
ग्रामीण जनसंख्या में कमी	ग्रामीण-शहरी प्रव्रजन	ग्रामीण-शहरी प्रव्रजन भार में ग्रामीण विकास की गति को धीमा कर रहा है। शहरी समस्याएँ बहुत हैं और सामान्यतः उनका समाधान कठिन होता है।
परिवार के प्रकार	एकाकी परिवार संयुक्त परिवार	विभिन्न संस्कृतियों पर आधारित एकाकी एवं संयुक्त परिवार प्रणाली पारिवारिक समूहन के दो आदर्श प्रकार है। परिवार प्रणाली गतिशील है, अर्थात यह समय के साथ बदलते रहता है।

1.3.5 विद्यार्थी कार्यकलाप उपागम

यह उपागम विद्यार्थी को इस बात की स्वतंत्रता देता है कि वे स्वयं अपने अधिगम अनुभवों का चयन करें एवं उन्हें व्यवस्थित करें। इस उपागम को अधिकांशतः, शिक्षा के उच्च स्तर पर अपनाया जाता है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि इसका क्रियान्वयन अंतर्संबंधित क्रिया-कलापों की एक श्रृंखला, जिसमें कि विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, के माध्यम से किया जा सके।

1.3.6 अनुवर्ती (ट्रॉपिकल) उपागम

इस उपागम में विद्यार्थी की आयु, योग्यता एवं रुचि के अनुकूल कुछ शीर्षक सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। प्रत्येक शीर्षक स्वतंत्र रूप से भी महत्वपूर्ण होता है और सभी शीर्षक एक-दूसरे से संपर्क अध्यायों के माध्यम से भी जुड़े होते हैं। इस उपागम के अनुसार, विशेष शीर्षकों को सामाजिक अध्ययन के केंद्रीय प्रसंग या विषय के रूप में लिया जाता है।

1.3.7 सर्पिल (स्पाइरल) उपागम

सर्पिल उपागम के संप्रत्यय को ब्रुनर द्वारा दिया गया। इस उपागम में कुछ निश्चित प्रसंगों/विषयों को अधिगम के पूरे वर्ष में पढ़ाया जाता है। विद्यार्थी बार-बार एक ही विषय वस्तु को पढ़ता है लेकिन हर बार उस विषय वस्तु का क्षेत्र विस्तार हो जाता है। यह उपागम यह बताता है कि शिक्षक को विद्यार्थी के विकास की अवस्था के अनुसार अनुदेशन/शिक्षण की विधि को बदल देना चाहिए।

1.4 विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान का स्थान

वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक विज्ञान विश्व के अधिकांश देशों के विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है। भारत में सामाजिक विज्ञान निम्न प्राथमिक कक्षाओं से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। इस स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण विज्ञान के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में अध्ययन के मुख्य क्षेत्र के रूप में शामिल होता है और इसे सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। इस स्तर पर अध्ययन के क्षेत्र में मुख्यतः 3 य 4 विषय यथा, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल आदि शामिल होते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 एवं 12) पर सामाजिक विज्ञान के विविध घटकों या विषयों जैसे कि राजनीति विज्ञान, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विद्यार्थियों को वैकल्पिक/विशिष्ट पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर तक इसे पाठ्यक्रम में अनिवार्य स्थान प्राप्त है जबकि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह वैकल्पिक हो जाता है। पाठ्यक्रम में प्राप्त स्थान के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य में भी परिवर्तन हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि विद्यालय शिक्षा के विविध स्तरों पर पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान को जो स्थान प्राप्त है, वह उसे प्राप्त होना चाहिए या नहीं। पाठ्यक्रम में किसी भी विषय का स्थान निर्धारण उस विषय के महत्व से होता है। अतः, विद्यालय शिक्षा के विविध स्तरों पर पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान को प्राप्त स्थान का औचित्य स्थापन करने के लिए हमें सामाजिक विज्ञान विषय के महत्व पर चर्चा करनी होगी।

सामाजिक विज्ञान समाज एवं उसके विभिन्न सदस्यों के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। इसमें विषय यथा अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, पुरातत्वशास्त्र, मानव- शास्त्र, विधि आदि शामिल होते हैं। इन सारे विषयों का अध्ययन वास्तव में मनुष्य का अध्ययन है। यह विद्यार्थियों को विश्व एवं पर्यावरण के विषय में जागरूक करता है। इस विषय का अध्ययन, कैसे विश्व अलग-अलग समाज विकसित हुआ है, अतीत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं, वैसे विचार एवं व्यक्ति जिन्होंने मनुष्य के जीवन को प्रभावित किया है, को समझने के योग्य बनाता है। यह विद्यार्थियों को विभिन्न समाजों की संरचना, प्रबंध एवं प्रशासन को समझने के योग्य बनाता है। इस प्रकार, यह विद्यार्थी को विश्व में अपना स्थान समझने के योग्य बनाता है। यह विद्यार्थियों के सामाजिक समझ में वृद्धि करता है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सामाजिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। यह वस्तुतः मानव एवं समस्त विश्व के साथ उसके संबंधों का अध्ययन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में ही रहना है। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जो मनुष्य को विश्व एवं अपने समाज में अपना स्थान निर्धारित करने तथा उसके साथ अंतर्क्रिया करने के योग्य बनाता है। दूसरे शब्दों में, यह मनुष्य को सामाजिक जीवन जीने के योग्य बनाता है। अतः, इस विषय का अध्ययन-अध्यापन अनिवार्य है। फलस्वरूप इसे विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम में अनिवार्य स्थान मिलना ही चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सामान्य उपागमों को सूचीबद्ध करें।
2. संकेद्रिक उपागम द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय शिक्षण-अधिगम के किस सिद्धांत को केंद्र में रखा जाता है?
3. सामान्यीकरण किसे कहते हैं?
4. सर्पिल(स्पाइरल) उपागम का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया ।
5. माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान का क्या स्थान है?

1.5 नई शिक्षा नीति 1986 में सामाजिक विज्ञान शिक्षा

नई शिक्षा नीति 1986 भारत सरकार की शिक्षा नीतियों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा के संबंध में इसमें निम्नलिखित मुख्य बातें कही गई है:

- सामाजिक विज्ञान संभव तक एकमात्र ऐसा पाठ्यक्रम क्षेत्र है जो कि नई शिक्षा नीति 1986 में वर्णित सभी मुख्य विषयों/घटकों की शिक्षा प्रदान करने का सशक्त उपकरण है।
- माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की भूमिका से परिचित कराना चाहिए।
- यह बच्चों को इतिहास एवं राष्ट्रीय संस्कृति का ज्ञान प्रदान करने, एक नागरिक के रूप में संविधान द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा जो कर्तव्य निश्चित किए गए हैं उनको समझने का अवसर देने के लिए उचित समय होता है।

नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित मुख्य संप्रत्ययों को सामाजिक विज्ञान में शामिल करने की बात कही गई है:

- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास
- संवैधानिक दायित्व
- मूल्य यथा भारत का सामान्य सांस्कृतिक विरासत

- प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता एवं समतावाद
- लैंगिक समानता
- पर्यावरण का संरक्षण
- छोटा परिवार

उपरोक्त तथ्य सामाजिक विज्ञान शिक्षा के संबंध में नई शिक्षा नीति 1986 में कही गई हैं। इन मुख्य तथ्यों को आधार बनाकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 1988 की रचना की गई थी। सामाजिक विज्ञान शिक्षा के संबंध में उसमें जो सिफारिश की गई है उन्हें हम इस इकाई के अगले खंड में पढ़ेंगे।

1.6 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 1975 में सामाजिक विज्ञान

राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा '' दस वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम" के नाम से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप, 1975 तैयार किया जिसका प्रकाशन वर्ष 1976 में हुआ। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है इस प्रारुप में केवल प्रारंभिक दस वर्षों के विद्यालयी शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रारुप में सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित मुख्य बातें कही गई हैं:

1. विद्यालयी शिक्षा के प्रथम दस वर्ष में पढ़ाए जानेवाले विषयों में से एक सामाजिक विज्ञान होना चाहिए।
2. सामाजिक विज्ञान शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए:

- विद्यार्थियों को अपने भौगोलिक और सामाजिक परिवेश के अतीत और वर्तमान का ज्ञान कराना;
- सामाजिक विज्ञान के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक संस्थाओं के माध्यम से होनेवाली जन-जीवन की गतिविधियों में गहरी रुचि उत्पन्न करना;
- मानवीय संबंधों एवं सामाजिक मूल्यों और दृष्टिकोणों के प्रति अंतर्दृष्टि के विकास में सहायता करना;
- भारत के सांस्कृतिक विरासत की पहचान करने तथा सामाजिक परिवर्तन को समझने एवं अपनाने के योग्य बनाना; तथा
- विद्यार्थियों के सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण के महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिबद्धता के साथ भाग लेने की भावना का विकास करना;

3. इस प्रकार समेकित रुप में सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में, समाजवाद और जनतंत्र के मूल्यों और आदर्शों का प्रसार करना है।
4. प्रथम से दसवीं कक्षा तक सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, नागरिक-शास्त्र और अर्थशास्त्र विषय शामिल किए जाने चाहिए।

5. समय की कमी के कारण प्रत्येक विषय में से महत्वपूर्ण इकाइयों को चुनकर, उन्हें सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए तथा बाद की तीन कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन के स्वतंत्र विषय के रुप में पढ़या जाना चाहिए।
6. मिडिल और निम्न माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र और अर्थशास्त्र की सामग्री का संकलन तीन विभिन्न ततरीकों से किया जा सकता है:
    i. मिडिल कक्षाओं में इतिहास, भूगोल और नागरिकशास्त्र को संकलित कर निम्न माध्यमिक स्तर तक पढ़ाया जाना चाहिए और निम्न माध्यमिक स्तर से अर्थशास्त्र को भी एक पृथक विषय के रुप में शामिल कर दिया जाना चाहिए;
    ii. इतिहास और भूगोल को एक वर्ग में नागरिकशास्त्र और अर्थशास्त्र को दूसरे वर्ग में रखा जा सकता है। इन दोनों वर्गों को छठीं कक्षा से प्रारंभ कर दसवीं कक्षा तक पढ़ाया जा सकता है।
    iii. इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र और अर्थशास्त्र की विषयवस्तु को एक संश्लिष्ट विषय के रुप में रख कर पाँच वर्षों तक एक साथ पढ़या जा सकता है।
7. सामाजिक विज्ञान के शिक्षण द्वारा विद्यार्थी में अपने देश के साथ-साथ पड़ोसी देशों की राजनैतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं की समझ उत्पन्न की जानी चाहिए।
8. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसहगामी क्रियाओं में ऐसे तथ्यों एवं गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में दया, समूह भावना, सहयोग, साहस, उत्तरदायित्व, नेतृत्व, आदि जैसे सामाजिक गुण उत्पन्न हो। वह राष्ट्रीय और नागरिक सम्पत्ति के मूल्य को समझे और उसका संरक्षण करने के लिए तत्पर रहे। वह जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, एवं समाजवाद के सिद्धांत से भली-भाँति परिचित हो जाय।

अभ्यास प्रश्न

6. नई शिक्षा नीति 1986 में सामाजिक विज्ञान को किस चीज का एक सशक्त उपकरण माना गया है?
7. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 1975 का प्रकाशन किस वर्ष हुआ?
8. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 1975 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण के समेकित उद्देश्य क्या हैं?

1.7 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 1988 में सामाजिक विज्ञान

वर्ष 1975 के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1988 में "प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम" के नाम से एक नवीन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप का विकास किया। इस नवीन पाठ्यचर्या प्रारुप में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित बातें कही गई हैं:

i. विद्यार्थी को एक श्रेष्ठ नागरिक के रुप में विकसित करने के लिए सामाजिक विज्ञान की सामान्य शिक्षा महत्वपूर्ण है।

ii. सामाजिक विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थी में उसके भौतिक एवं सामाजिक वातावरण एवं भारत के सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहन समझ विकसित करना होना चाहिए।

iii. सामाजिक विज्ञान का अध्ययन विश्व के विभिन्न संस्कृतियों, वर्तमान भौतिक एवं सामाजिक वातावरण को समझने में सहायता करता है। यह मनुष्य का उसके भौतिक एवं सामाजिक वातावारण तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संस्थानों, जिसके द्वारा मनुष्य एक-दूसरे एवं समाज के प्रकार्यों को अंतर्संबंधित करते हैं, से अंतर्क्रिया को समझने में सहायता करता है।

iv. समाजिक विज्ञान का अध्ययन विद्यर्थियों को इस योग्य बनाता है कि वो वर्तमान को अतीत में हुए विकास के परिदृश्य में देख सके।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम का संयोजन निम्न प्रकार किया जा सकता है:

- पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य बालक का विकास होता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति बालक को उसके उम्र के अन्य बालकों एवं उसके सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के साथ अंतर्क्रिया करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करके किया जा सकता है। अतः, इस अवसर पर बालक अपने समाज के साथ अंतर्क्रिया कर जीवन संबंधी कौशलों को प्राप्त करता है।

- प्राथमिक स्तर (प्रारंभिक 5 वर्षों के लिए) पर – सामाजिक विज्ञान में बालक के आसपास के भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से संबंधित सामान्य तथ्यों को पढ़ाया जाना चाहिए एवं उसे पर्यावरणीय अध्ययन का नाम दिया जाना चाहिए। इसे दो भगों, प्रथम एवं द्वितीय में बाँटा जा सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर (अंत के 3 वर्षों के लिए) एवं माध्यमिक स्तर (2 वर्ष) पर – इसे समाज विज्ञान के नाम से एक स्वतंत्र विषय के रुप में पढ़ाया जाना चाहिए।

v. सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए, 'सामाजिक वातावरण का अध्ययन, सामाजिक वातावरण के द्वारा, सामाजिक वातावरण के लिए' उपागम अपनाया जा सकता है। इसका आशय यह है कि विद्यार्थी सामाजिक रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक विरासतों, समाज के इतिहास आदि का अवलोकन, अन्वेषण एवं सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से सीख सकता है। इससे उनकी रुचि का विकास होगा, वे अपने सांस्कृतिक विरासत में अच्छी बातों का संरक्षण करने का प्रयास कर सकेगा एवं निवर्तमान सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरण को प्रोन्नत करने का प्रयास करेगा।

vi. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एक संरचना 1988 पृष्ठ 27 जो की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों पर आधारित था में यह बात कही गई है कि सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम बनाते समय विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि कोई भी मुख्य घटक छूट न जाए या इसको कम महत्त्व मिल जाए।

1.8 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 2000 में सामाजिक विज्ञान

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 2000 में एक नवीन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप की पुनः रचना की। इस पाठ्यचर्या प्रारुप को "विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा" की संज्ञा दी गई। इस पाठ्यचर्या प्रारुप में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित बातें कही गई हैं:

1. सामाजिक विज्ञान के अध्यापन का उद्देश्य विद्यार्थियों में मानवीय और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों को विकसित करना और अपने होने पर तथा अपने देश पर एवं देश का नागरिक होने पर गर्व की भावना का विकास करनेवाला होना चाहिए।
2. सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में वस्तुनिष्ठता अपनाई जानी चाहिए क्योंकि पक्षपातपूर्ण शिक्षण विद्यार्थियों को गलत सूचना प्रदान करेगा एवं उनमें दुर्भावना का विकास करेगा।
3. विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तर पर पाठ्यक्रम का स्वरुप कुछ इस प्रकार होना चाहिए:

    - पहली और दूसरी कक्षा में सामाजिक विज्ञान को प्रत्यक्ष रुप से शामिल नहीं किया गया है लेकिन मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा के शिक्षण को सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण में गुँथकर प्रदान करने की बात की गई है ताकि विद्यार्थियों को अप्रत्यक्ष रुप से सामाजिक विज्ञान का ज्ञान मिलता रहे।
    - तीसरी से पाँचवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को शामिल करने की बात की गई है। इस स्तर पर विद्यार्थियों में पर्यावरणीय घटनाओं के प्रति चेतना और समझ उत्पन्न करने तथा विद्यार्थियों के सामाजिक-संवेगात्मक एवं सांस्कृतिक विकास में सहायता प्रदान करनेवाले अनुभवों को शामिल किया जाता है। विद्यार्थियों को घर, विद्यालय और पड़ोस जैसे- आस-पास के पर्यावरण एवं परिवेश से प्रारंभ करके धीरे-धीरे राज्य और देश से उनका परिचय कराया जाय। पारंपरिक वेशभूषाओं, लोक संगीत, लोक नृत्य स्थानीय समुदाय और क्षेत्र में आयोजित होने वाले मेलों और त्योहारों आदि के प्रति गर्व और आदर की भावना उत्पन्न करनेवाले अनुभवों एवं कार्य-कलापों को शामिल किया जाय।
    - उच्च प्राथमिक स्तर (अंतिम 3 वर्ष) के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रुप में शामिल किया गया है। सामाजिक विज्ञान के विषयवस्तु को मुख्यतः भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र से लिया जाता है। इसमें भारत और विश्व का अध्ययन, सामाजिक कौशल और नागरिक दक्षता आदि को स्थान दिया जा सकता है।

- माध्यमिक स्तर (2 वर्ष) के पाठ्यक्रम में भी एक स्वतंत्र विषय के रुप में सामाजिक विज्ञान को स्थान दिया गया है। भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के साथ-साथ इसमें समाज शास्त्र के कुछ तथ्यों को भी शामिल किया जाता है। यह विद्यार्थियों में समकालीन समाज की समझ को विकसित करता है। मानव- पर्यावरण अंतर्क्रिया, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, स्वतंत्र भारत की राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियाँ, विश्वशांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं उपनिवेशवाद की समाप्ति में भारत की भूमिका, प्रवासी भारतीय आदि तथ्यों को इस स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करें। भूमंडलीकरण, उदारीकरण आदि जैसे संप्रत्ययों का स्थानीय समाज के साथ संबंध को भी इस स्तर के पाठ्यचर्या में स्थान देना होगा। इस स्तर पर विद्यार्थियों में तथ्यों के स्रोतों को ढूँढने, समस्याओं एवं मुदों का तर्कसम्मत एवं वैज्ञानिक विश्लेषण करने की क्षमता उत्पन्न करनी होगी।

4. भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों से सामाजिक विज्ञान के विषयवस्तु को ग्रहण कर उसका संतुलित और श्रेणीवार संयोजन सरल से जटिल की ओर और निकटस्थ से दूरस्थ के सिद्धांत के आधार पर करने की बात की गई है।
5. अध्यापन कार्य क्षेत्रीय कार्य, प्रोजेक्ट कार्य या सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से संपादित किया जाना चाहिए।

1.9 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 2005 में सामाजिक विज्ञान

वर्ष 2005 में राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने एक बार पुनः राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप का विकास किया और इसे 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप की रुपरेखा 2005' की संज्ञा दी।
इस पाठ्यचर्या प्रारुप में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में जो मुख्य बातें कही गई हैं वो निम्नलिखित हैं:

i. सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में एक प्रचलित धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। यह धारणा इतनी प्रबल है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों ही इस विषय के प्रति अरुचि का प्रदर्शन करते हैं। अतः, इस धारणा का खंडन कर समाज में इस तथ्य को प्रकाशित करने की है कि सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विश्लेषणात्मक कौशल का विकास करता है जो कि अन्योन्याश्रित विश्व से सामंजस्य स्थापित करने एवं विश्व के लिए आवश्यक है।
ii. सामाजिक विज्ञान को सिर्फ वैसी सूचनाओं, जिसका की वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है, का आदान-प्रदान करनेवाला विषय माना जाता है। अतः, सामाजिक विज्ञान विषय से सूचनाओं के भार को कम करने की दिशा में सार्थक प्रयास आवश्यक है।

iii. सामाजिक विज्ञान में समाज के विविध पहलुओं से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जाता है और इसके विषयवस्तु को विभिन्न विषयों यथा इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र आदि से लिया जाता है।

iv. इसके विषयवस्तु का उद्देश्य चिरपरिचित सामाजिक तथ्यों के आलोचनात्मक परीक्षण एवं प्रश्नीकरण के द्वारा विद्यार्थियों की जागरुकता को बढ़ाना है।

v. सामाजिक विज्ञान के अध्यापन का उद्देश्य विद्यार्थी में एक आलोचनात्मक नैतिक और मानसिक ऊर्जा का विकास होना चाइए ताकि विद्यार्थी मानवीय मूल्यों में हो रहे पतन को रोक कर उनका संरक्षण कर सके।

vi. पाठ्यक्रम के स्वरुप के संबंध में यह कहा गया है कि पाठ्यचर्या में एवं विद्यार्थियों की आयु को ध्यान में रखते हुए ऐसे अवधारणाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो सांस्कृतिक रुप से प्रासंगिक हो। विभिन्न विषयों के पृथक अध्ययन के साथ-साथ अंतर्विषयक संबंधों के ज्ञान के लिए कुछ विषयों का सावधानीपूर्वक चयन कर उसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

vii. सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को उपयोगितावाद से समतावाद की ओर ले जाने की आवश्यकता है ताकि मानवीय मूल्यों का संवर्द्धन हो सके।

viii. विद्यार्थियों में सामाजिक न्याय के प्रति आवश्यक जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सामाजिक और राजनितिक मुद्दों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

ix. सामाजिक विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? इस प्रश्न के उत्तर में पाठ्यचर्या की रुप रेखा में कहा गया है कि समाज की संरचना, शासन एवं प्रबंध, मानवीय एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों, विविध संस्कृतियों आदि को समझने, उनका सम्मान करने, उनके संबंध में प्रश्न करने, तार्किक रुप से चिंतन करने के योग्य बनाने के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है।

x. पाठ्यक्रम के नियोजन को कुछ इस प्रकार निश्चित किया गया है:

- प्राथमिक कक्षा के लिए – प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण को भाषा एवं गणित के अभिन्न अंग के रुप में शामिल किया जाय। इस स्तर पर शिक्षण विधि सहभागी एवं परिचर्चा आधारित होनी चाहिए। अनुदेशन में प्रयुक्त भाषा यौन(जेंडर) संवेदी होनी चाहिए।
- कक्षा 3 से 5 तक- सामाजिक विज्ञान विषय को पर्यावरणीय अध्ययन के रुप में पढ़ाया जाना चाहिए। इसके केंद्र में पर्यावरण एवं इसके संरक्षण की आवश्यकता को रखना होगा। बच्चों के सामाजिक मुद्दों यथा गरीबी, असाक्षरता, जाति एवं वर्ग भेद, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्याप्त भेद आदि को प्रति संवेदनशील करना होगा। विषयवस्तु बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों को एवं उनके जीवन संसार को प्रतिबिम्बित करनेवाली होनी चाहिए। शिक्षण विधि स्थानीय जीवन से जुड़े क्रिया-कलाप पर आधारित होनी चाहिए।

- उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की विषयवस्तु को इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र से लिया जाता है।
- माध्यमिक स्तर पर भी सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। इस स्तर पर पाठ्यक्रम के केंद्र में तत्कालीन भारत होना चाहिए और विद्यार्थी को उन सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं जिसका कि राष्ट्र सामना कर रहा है, की गहरी समझ विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए।
- उच्चतर माध्यमिक स्तर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस स्तर पर विद्यार्थी के पास पढ़ने वाले विषयों के विकल्प उपलब्ध रहते हैं। इस स्तर पर विद्यार्थी या तो औपचारिक शिक्षा समाप्त कर देते हैं या उच्च शिक्षा में प्रवेश करते हैं या फिर व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। इस स्तर की शिक्षा लचीली एवं विविधतापूर्ण होनी चाहिए। इससे विद्यार्थी न सिर्फ कार्यक्षेत्र में प्रवेश के योग्य हो पाएँ बल्कि वे उच्च शिक्षा के साथ समन्वय भी स्थापित कर सके। अतः, इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए। इस स्तर पर पाठ्यक्रम में राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान आदि विषय शामिल होते हैं।

xi. पाठ्यसामाग्री का निर्माण करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए:

- सामाजिक विज्ञान के विविध घटकों यथा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान आदि के लिए समान शिक्षण समय एवं अंक का आवंटन होना चाहिए।
- विषयवस्तु का वितरण करते समय विभिन्न वषयों के मध्य संतुलन होना चाहिए और विषयों के मध्य के पारस्परिक अंतर्संबंध, यदि है, तो उसे यथासंभव इंगित करना चाहिए।
- पाठ्यक्रम में निरंतरता हो इसके लिए विभिन्न विषयों का क्रमबद्ध संयोजन किया जाना चाहिए और इस क्रमबद्धता का आधार तर्क होना चाहिए।
- पुस्तक के प्रत्येक भाग में एक समान अध्याय होने चाहिए। एक समान होने से यहाँ आशय संख्या में समान होने से है।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में तकनीकि शब्दों की एक शब्दावली एवं पुस्तक कें अंत में अनुक्रमणिका होनी चाहिए।
- पुस्तक का प्रकाशन पूर्व परीक्षण होना चाहिए ताकि उसमें जेंडर, सामाजिक पूर्वाग्रह आदि तथ्यों की जाँच की जा सके। जाँच से अनुलिपीकरण को रोकने एवं लेखन शैली में एकरुपता बनाए रखने में भी सहायता मिलती है।

xii. सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए ऐसी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए जो सृजनात्मकता, सौंदर्यबोध, एवं समीक्षात्मक परिदृश्य को विद्यार्थियों में विकसित करे एवं

अतीत एवं वर्तमान में हो रहे परिवर्तनों को समझने एवं उनमें संबंध स्थापित करने में सहायता करे।

xiii. अधिगम को सहभागी बनाने के लिए शिक्षण विधि को सूचना प्रदान करने की विधि के बजाय उसे वाद-विवाद एवं परिचर्चा के रुप में बदलना होगा। इस उपागम को अपनाने से विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। अतः, शिक्षण में मुक्त उपागम को अपनाना आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न

9. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 1988 के अनुसार सामाजिक विज्ञन की शिक्षा क्यों आवश्यक है?
10. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 1988 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के प्रारंभिक पाँच वर्षों में सामाजिक विज्ञान को किस नाम से पढ़ाया जाना चाहिए?
11. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 2000 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए?
12. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 2000 का प्रकाशन किस नाम से किया गया?
13. सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में समाज में प्रचलित जिन धारणाओं का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 2005 में वर्णन किया गया है, उन्हें सूचीबद्ध करें।
14. सामाजिक विज्ञान की विषयवस्तु में मुख्यतः किन-किन विषयों को स्थान दिया जाता है?

1.10 सारांश

प्रस्तुत इकाई में सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के विविध पहलुओं का वर्णन किया गया है। इकाई का आरंभ सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के निर्माण के सामान्य उपागमों की चर्चा के साथ की गई है। इसके बाद विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान के स्थान को निर्धारित किया गया है। सामाजिक विज्ञान के महत्व को स्थापित करते हुए एवं पाठ्यक्रम में इसको प्राप्त अनिवार्य स्थान का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में कही गई बातों का उल्लेख किया गया है। इकाई के अंत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित विविध राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुपों में सामाजिक विज्ञान के संबंध में वर्णित तथ्यों पर चर्चा के साथ इकाई को समाप्त किया गया है। इस प्रकार, इस इकाई में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के विविध पहलुओं को समाहित करने का प्रयास किया गया है जिसका उद्देश्य शिक्षाशास्त्र के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के संबंध में ज्ञान प्रदान करना है। अतः, इस प्रकार यह इकाई सामाजिक विज्ञान शिक्षण-अधिगम के कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों एवं शिक्षाशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अंत्यत ही उपयोगी है।

1.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. प्रासंगिक/विषय संबंधित उपागम-
    a. संकेंद्रिक उपागम
    b. संप्रत्यय एवं सामान्यीकरण उपागम
    c. विद्यार्थी कार्य-कलाप उपागम
    d. अनुवर्ती (ट्रॉपिकल) उपागम
    e. सर्पिल स्पाइरल उपागम
2. ज्ञात से अज्ञात की ओर या सरल से जटिल की ओर
3. सामान्यीकरण लोगों स्थानों या वस्तुओं के विषय में कथन होते हैं जिन्हें कि जाँचना या प्रमाणित करना होता है।
4. ब्रुनर
5. अनिवार्य
6. नई शिक्षा नीति में वर्णित सभी मुख्य विषयों/घटकों की शिक्षा प्रदान करने का
7. 1976
8. विद्यार्थियों में समाजवाद और जनतंत्र के मूल्यों और आदर्शों का प्रसार करना है।
9. विद्यार्थियों को श्रेष्ठ नागरिक के रुप में विकसित करने के लिए
10. पर्यावरणीय अध्ययन
11. विद्यार्थियों में राष्ट्रीय और मानवीय परिप्रेक्ष्यों को विकसित करना और अपने होने पर तथा देश एवं देश का नागरिक होने पर गर्व का भाव विकसित करना
12. विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005
13. इस प्रश्न के उत्तर के लिए इस इकाई का खंड 1.9 देखें।
14. इस प्रश्न के उत्तर के लिए इस इकाई का खंड 1.9 देखें।

1.12 संदर्भ एवं सहयोगी ग्रंथ

1. दसवर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम 1976. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली.
2. नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री ऐण्ड सेकेंडरी एजुकेशन 1988. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली.
3. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली.
4. विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2000. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली.

5. Mankind, M.A. (1979) Integrated Social Studies: A Handbook of Social Studies for teachers, Ibadan, O.U.P.
6. Module 1, Foundation of Social Studies (PDE115).
7. Ogunsanya, M. (1982). Introduction to methodologies of social studies. Department of Educational Management, University of Ibadan.
8. www.ncert.nic.in/oth_anoun/npe86.pdf.

1.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सामान्य उपागमों का वर्णन करें।
2. विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान के स्थान की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
3. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 1975 पर सामाजिक विज्ञान विषय के विशेष संदर्भ में एक आलोचनात्मक निबंध लिखें।
4. सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 1988 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप 2000 में उल्लिखित तथ्यों का विस्तृत वर्णन करें।
5. सामाजिक विज्ञान शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारुप का निर्माण करें।

इकाई 3- सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री, आवश्यकता और उद्देश्य, संग्रहण एवं उपक्रम; सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष, आवश्यकता, संस्थापन, घटक एवं संस्थापन

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देशय
3.3 सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम सामग्री
3.3.1 सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ व परिभाषा
3.3.2 शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार
3.3.3 शिक्षण अधिगम सामग्री के उद्देश्य और महत्त्व
3.3.4 सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री संग्रहण एवं उपक्रम के सिद्धान्त
3.3.5 सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का संग्रहण एवं उपक्रम
3.3.6 अधिगम सामग्री निर्माण के प्रमुख चरण
3.3.7 आओ कुछ प्रमुख अधिगम सामग्री का निर्माण करें
3.4 सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष
3.4.1 सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष की आवश्यकता या महत्त्व
3.4.2 सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष के घटक तथा संस्थापन
3.4.3 सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष के घटक
3.5 सारांश
3.6 शब्दावली
3.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
3.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची
3.9 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री
3.10 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम, साधन तथा शिक्षक के व्यावसायिक विकास की यह तीसरी इकाई है। इससे पहले की इकाइयों के अध्ययन के बाद आप सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख चरण तथा शिक्षा व विभिन्न शैक्षिक बोर्ड्स के मूल्यांकन की विविध अवस्थाओं के बारे में बता सकते है।

शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्यक्रम में विविध विषयों का समावेश किया जाता है। सामाजिक विज्ञान ना केवल शिक्षार्थी के पाठ्यक्रम का एक विशिष्ट विषय है, अपितु यह शिक्षार्थी के मानसिक, बौद्धिक और सौंदर्यात्मक भावों का विकास करता है। विषय को रुचिपूर्ण बनाने हेतु शिक्षक द्वारा अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिससे कक्षा कक्ष शिक्षण सजीव लगे। अधिगम सामग्री के साथ ही सामाजिक विज्ञान का संसाधन कक्ष शिक्षार्थियों के लिए अधिगम वातावरण तैयार करता है, तथा उनके अधिगम को सरल व रुचिपूर्ण बनाता है।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री को समझ पाएंगे, साथ ही सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष के अर्थ व महत्त्व को विश्लेषित कर सकेंगे।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप-

1. शिक्षण अधिगम सामग्री के अर्थ तथा प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे।
2. सामाजिक विज्ञान विषय में अधिगम सामग्रियों के उद्देश्य और उपयोगिता का सामान्यीकरण कर सकेंगे।
3. सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री के संग्रहण एवं उपक्रम के सिद्धान्तों को श्रेणीबद्ध कर सकेंगे।
4. शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण के प्रमुख चरणों को सूचीबद्ध कर सकेंगे।
5. सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष के अर्थ तथा आवश्यकता का विश्लेषण कर सकेंगे।
6. सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष के घटक तथा संस्थापन सिद्धान्तों की व्याख्या कर सकेंगे।

3.3.1 सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ व परिभाषा

मानव ज्ञानेन्द्रियाँ अधिगम का प्रवेश द्वार मानी जाती है। शिक्षण अधिगम तभी सुचारू रूप से अग्रसर किया जा सकता है, जब वह शिक्षार्थी के मानसिक पटल पर अपनी छाप अंकित करता है। सामाजिक विज्ञान विषय के प्रस्तुतीकरण में शिक्षार्थी की सभी इन्द्रियों का उच्चतम स्तर तक प्रयोग अनिवार्य रूप से समाविष्ट किया जाना चाहिए । चूँकि सामाजिक विज्ञान विषय को प्रायः उबाऊ, रसहीन, व अरोचक विषय माना जाता है। ऐसे में यदि शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का विवेकपूर्ण उपयोग करे तो वह अधिगम को सरल, प्रभावी तथा रोचक बना सकता है। अधिगम सामग्री वे युक्तियां अथवा प्रक्रियाएं हैं

जो शिक्षण एवं अधिगम को अधिक रोचक, उत्तेजित, आनंदमयी, प्रेरणामयी और प्रभावशाली बनाती है। अधिगम सामग्री को और स्पष्ट समझने हेतु हमें इसकी परिभाषाओं पर भी विचार करना चाहिए –

डेन्ड के अनुसार "अधिगम सामग्री वह सामग्री है, जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गयी पाठ्यसामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है"।

गुड का शिक्षा शब्दकोष के अनुसार "अधिगम सहायक साधन से अभिप्राय प्रत्येक वह वस्तु है, जिस के द्वारा अधिगम प्रक्रिया को श्रवण इन्द्रिय अथवा दृष्टि इन्द्रिय से प्रोत्साहित किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है"।

विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर आप समझ गए होंगे की सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम सामग्री में वे संसाधन सम्मिलित है, जो छात्रों को अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करते है। उदहारण के तौर पे पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, गाइडें, वीडियो, कम्प्यूटर, शिक्षण सहायक साधन इत्यादि।

अधिगम संसाधन सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व पर बल देते हुए कोठारी आयोग का कथन है, "शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्येक स्कूल को अधिगम संसाधन प्रदान करना अनिवार्य है। इससे निस्संदेह देश में शैक्षिक क्रांति उत्पन्न होगी"।

सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम सामग्री

3.3.2 शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार

अधिगम सामग्री के अर्थ को समझने के बाद अब हम इसके वर्गीकरण को समझेंगे। विभिन्न शिक्षाविद् सामाजिक विज्ञान अधिगम सामग्रियों का विविध वर्गीकरण करते है। परंतु सामान्य तौर पर हम इन्हें तीन वर्गों में विभक्त कर सकते है—

a. मुद्रित अधिगम सामग्री

b. अमुद्रित अधिगम सामग्री
c. क्रियात्मक सहायक सामग्री

a. मुद्रित अधिगम सामग्री - मुद्रित अधिगम सामग्री में निम्न साधन सम्मिलित किए जाते है-

- पाठ्यक्रम विषय—वस्तु शिक्षण सामग्री:– इस प्रकार के साधनों में सम्मिलित है– मुक्त अधिगम वस्तुएं, व्याख्यान नोट्स, रीडिंग सेट्स तथा रिसोर्स पैक।
- मुक्त अधिगम वस्तुएं:– इन्हें पाठ्यपुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं अथवा स्कूल में उपलब्ध अन्य संसाधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- व्याख्यान नोट्स:– व्याख्यान नोट्स कई प्रकार के होते है, यथा उल्लेखित शीर्षकों की सूची, मुख्य विचारों का सारांश, अथवा सम्पूर्ण पाठ इत्यादि।
- रीडर्स:– रीडर ऐसी सूचनाओं का एकत्रीकरण है, जिसका कॉपीराइट् स्पष्ट किया होता है। रीडर्स में विभिन्न जर्नलों, समाचारपत्रों आदि के चयनित लेखों एवं पाठों के पद्यांशों को संग्रहित किया जाता है।
- रीडिंग सैट्स:– रीडिंग सेट किसी विषय अथवा उपविषय से सम्बन्धित पाठों का संग्रह है। इनमें भी रीडर की तरह विभिन्न लेखों के पद्यांश एवं नोट्स सम्मिलित होते है। इनकी प्रतिलिपि बहुत कम मूल्य में तैयार की जा सकती है। इसकी एक प्रति पुस्तकालय में रखी जा सकती है, ताकि यह छात्रों को आसानी से प्राप्त हो सके।

मुद्रित अधिगम सामग्री

अन्य संसाधनों द्वारा निर्मित सामग्री:– इन सामग्रियों में सम्मिलित है–

- **पाठ्यपुस्तक अध्ययन गाइडें -** सामाजिक विज्ञान विषय में अध्ययन गाइड का विशिष्ट स्थान है। इनकी विशेषताएं है; संक्षिप्त सारांश, पुस्तक के विशेष भागों से सम्बन्धित प्रश्न–उत्तर, कठिन भागों से सम्बन्धित अतिरिक्त जानकारी तथा आत्म–आंकलन प्रश्न इत्यादि।
- **रीडिंग गाइडें -** पाठ्य रीडिंग गाइड छात्रों को पाठ्य संसाधन अथवा इसके उपयुक्त विकल्पों को ढूंढने में सहायक है। पाठ्य गाइडों में विस्तारपूर्वक पाठ्य सूचियां होती है। इनमें लाभदायक जानकारी एवं सुझाव दिये होते है, जैसे पाठ के किस भाग पर अधिक ध्यान दिया जाये और किस भाग को छोड़ दिया जाये।
- **कोर्स गाइडें -** इन्हें अध्ययन गाइडें भी कहा जाता है। ये छात्रों को विस्तृत रुपरेखा प्रदान करती है जो उनके कोर्स के दौरान सहायक होता है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है; अधिगम परिणामों का उद्देश्य एवं कथन, कोर्स पाठ्यक्रम का सारांश, भाषणों, सेमिनारों, कार्यशाला, प्रयोगशाला कार्य सहित सभी शिक्षण सत्रों के वर्णन की संक्षिप्त सूची, सभी उपलब्ध यथा मुद्रित, श्रव्य–दृश्य एवं कंप्यूटर सहायक अधिगम सॉफ्टवेर सहित सभी उपलब्ध संसाधनों की सूची आदि।

विशिष्ट अधिगम क्रियाओं में सहायक सामग्री:– इनमें प्रमुख संसाधन है;

- **मैनुअल-** मैनुअल में कार्य करने की विधि का उल्लेख होता है। यह साधन नई प्रक्रियाओं को सीखने में बहुत सहायता करते है, उदाहरणार्थ परियोजनाओं की व्यवस्था कैसे की जाये, सामाजिक विज्ञान के अध्ययनार्थ शैक्षिक भ्रमण का आयोजन कैसे किया जाये आदि।
- **प्रयोगशाला गाइडें-** प्रयोगशाला गाइडों में सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषय जैसे भूगोल, इतिहास आदि में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों एवं साधनों जैसे मानचित्र, एटलस आदि के प्रयोग एवं प्रयोगशाला रिपोर्ट लिखने से सम्बन्धित जानकारी होती है।
- **सेमिनार गाइडें-** सेमिनार गाइडों में छात्रों को सेमिनार तैयार करने संबंधी सूचना एवं निर्देश होते है। इनमें लाभदायक पुस्तक सूची तथा अध्ययन के लिए विषय–वस्तु हो सकती है।
- **क्षेत्रीय कार्य गाइडें-** इन्हें ऐसी सूचनाओं के एकत्रीकरण के रूप में तैयार किया जा सकता है जो छात्रों को क्षेत्रीय कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करने एवं एक सक्रिय खोजकर्त्ता की तरह व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करे। इनमें विभिन्न क्षेत्रों में ध्यान आकर्षित करने के लिए चित्रों एवं रेखाचित्रों का भी प्रयोग किया जाता है।

अधिगम प्रक्रिया में सहायक साधन:– इनमें प्रमुख संसाधन है–

- **कौशल गाइडें-** कौशल गाइड एक पृष्ठ की भी हो सकती है, जिसमें रिपोर्ट लिखने, प्रयोगशाला अथवा कम्प्यूटर का प्रयोग करने, समूह में कार्य करने, पोर्टफोलियो बनाने आदि सम्बन्धी

दिशा–निर्देश दिए गए होते है। ये गाइडें छात्रों की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है।

- **कौशल प्रोफइलें-** इनमें कौशलों एवं रेटिंग स्कोरों का स्पष्ट उल्लेख होता है। इनके प्रयोग से छात्र स्वः प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं आंकलन कर सकते है।
- **लॉग-** लॉग एक प्रकार की डायरी है, जिनमें प्रयोगात्मक कार्य को स्वतंत्रापूर्ण करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए लाभदायक सूचना होती है। इनमें सम्बन्धित लेख, पुनर्निरीक्षण प्रश्न एवं कौशल प्रोफाइल सम्मिलित होते है।

अमुद्रित अधिगम सामग्री

b. अमुद्रित अधिगम सामग्री- आज का युग तकनीकी और संचार का युग है। आज का शिक्षार्थी ज्ञानार्जन के लिए मुद्रित सामग्री से अधिक अमुद्रित सामग्री का अधिक प्रयोग करते है। अमुद्रित अधिगम सामग्री को हम दूसरे शब्दों ऑनलाइन स्त्रोत भी कह सकते है। उदहारण के तौर पे ई–लर्निंग, एम–लर्निंग, ई–बुक्स, ई–जर्नलस, ई–मैगज़ीन्स, शैक्षिक ब्लॉगस, फ़्लिप्ड कक्षाकक्ष, वर्चुअल कक्षाकक्ष इत्यादि। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ऑनलाइन स्त्रोत प्रमुख स्थान रखते है, क्योंकि इन साधनों द्वारा नवीन व अद्यतन जानकारी सीमित समय में प्राप्त की जा सकती है। ऑनलाइन स्त्रोत दूरस्थ स्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि इन अधिगम सामग्री की सहायता से दूर दराज के शिक्षार्थी अपने ज्ञान को सीमित स्त्रोतों की मदद से नवीन बना सकते है। प्रमुखतया ऑनलाइन स्त्रोत अधिगमकर्ता नियंत्रित साधन है, परंतु इसका उपयोग समग्र रूप में किस तरह किया जाए इसके लिए अध्यापक सही दिशा निर्देश प्रदान कर सकता है।

c. क्रियात्मक सहायक सामग्री- क्रियात्मक सहायक सामग्री को हम पुनः तीन भागों में विभक्त कर सकते है;

- प्रक्षेपित सहायक सामग्री
- अप्रक्षेपित सहायक सामग्री और
- क्रियात्मक सामग्री
- प्रक्षेपित सहायक सामग्री:– इस वर्गीकरण में निम्न साधन आते है

मूक प्रक्षेपित साधन

i. **स्लाइडें-** गुड के शिक्षा शब्दकोष के अनुसार, स्लाइड का अर्थ है "कोई भी स्पष्ट पारदर्शी वस्तु जिसे एकल रूप से प्रयोगार्थ प्रक्षेपक में लगाया जा सके या प्रकाश द्वारा दिखाया जा सके। इसमें कांच पर लगी या सफेद चिकने शीशे पर लगी स्पष्ट फ़िल्मे भी सम्मिलित है"। स्लाइड एक पारदर्शी फोटोग्राफ है जिसका प्रक्षेपण किया जाता है। स्लाइड रंगदार भी हो सकती है और श्याम–श्वेत भी। स्लाइडें ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए पुनरावृत्ति, पुनर्निरीक्षण, और अभ्यास एवं व्याख्या के साथ पाठ की योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया में सहायक होती है।

ii. **फ़िल्म- पट्टियां-** गुड के शिक्षा शब्दकोष के अनुसार, "फिल्म–पट्टी एक छोटी फिल्म होती है, जिसमें कई चित्र होते है। प्रत्येक चित्र दूसरे से अलग होता है, परन्तु सामान्यतः उन चित्रों में निरन्तरता विद्यमान होती है। इन्हें स्थिर चित्रों की श्रृंखला के रूप में प्रक्षेपक द्वारा दिखाया जाता है"। एक फिल्म पट्टी पर चित्रों की संख्या **10** से **100** तक हो सकती है। इनके प्रयोग में शिक्षार्थियों की सहभागिता के लिए पर्याप्त अवसर रहता है। फिल्म पट्टियां बाज़ार में आसानी से और पर्याप्त संख्या में प्राप्त की जा सकती है। ये शिक्षण को तार्किक क्रम प्रदान करती है। सामाजिक विज्ञान विषय में इनका प्रमुख महत्त्व है।

iii. **ओवरहेड प्रक्षेपक-** ओवरहैड प्रक्षेपक के कारण अध्यापक के सम्प्रेक्षण में नए आयाम का सूत्रपात हुआ है। इस का नाम ओवरहैड प्रोजेक्टर इस लिए पड़ा है क्योंकि इस के द्वारा प्रक्षेपित बिम्ब अध्यापक के पीछे सिर के ऊपर होता है। सिर के ऊपर प्रक्षेपण में पारदर्शी दृश्य प्रकाश–स्त्रोत के ऊपर रखा जाता है। प्रकाश इस पारदर्शी दृश्य में से गुज़र कर अध्यापक के पीछे पर्दे पर **90°** कोण पर प्रतिबिम्बित होता है।

ओवरहेड प्रक्षेपक

iv. **चित्र–विस्तारक-** चित्र–विस्तारक यन्त्र भी एक प्रक्षेपण दृश्य सहायक यन्त्र है। यह एपीस्कोप और डियास्कोप का मिश्रित रूप है, यही कारण है की इसे एपिडियास्कोप कहा जाता है। एपिडियास्कोप पारदर्शी वस्तुओं जैसे चलचित्र, फ़िल्म–पट्टियाँ, स्लाइडें, और अपारदर्शी वस्तुओं जैसे पुस्तकें, कोई मुद्रित सामग्री, चित्र, मानचित्र, सिक्के, कार्टून आदि दोनों का प्रक्षेपण कर सकता है। एपिडियास्कोप द्वारा दिखाई जाने वाली सामग्री से प्राप्त सूचनायें अधिक स्पष्ट होती है, और शिक्षार्थी के मस्तिष्क में अधिक समय तक संग्रहित रहती है।

v. **स्लाइड प्रोजेक्टर अथवा जादुई लालटेन-** स्लाइड प्रोजेक्टर अथवा डायस्कोप जो जादुई लालटेन के नाम से भी विख्यात है, शिक्षण प्रक्रिया में दृश्य सहायक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह पारदर्शी स्लाइडों को दीवार अथवा पर्दे पर दिखाने के काम आता है, क्योंकि यह स्लाइडों के प्रक्षेपण करता है, इसलिए इसे स्लाइड प्रोजेक्टर भी कहा जाता है।

स्लाइड प्रोजेक्टर

ध्वनि–प्रक्षेपित साधन

- **शैक्षिक चलचित्र प्रक्षेपक-** चलचित्र प्रक्षेपकों को फिल्म प्रक्षेपक भी कहते है। चलचित्र प्रक्षेपकों से आकृतियों के बहु पक्षीय रूप को गति और ध्वनि सहित प्रदर्शित किया जाता है। इसमें शिक्षार्थी चित्र विस्तारक की अपेक्षाकृत अधिक रूचि लेते है। फ़िल्मों के माध्यम से हम शिक्षण प्रक्रिया की सजीवता को बढ़ा सकते है।

शैक्षिक चलचित्र प्रक्षेपक

अप्रक्षेपित साधन- अप्रक्षेपित साधनों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:–

- **ग्राफ़िक संसाधन-** चित्र, चार्ट, मानचित्र, आरेख, ग्राफ, एटलस, पपेट्स, कॉमिक्स, फोटोग्राफ, फ़्लैश कार्ड्स, पोस्टर इत्यादि।
- **क्रियात्मक साधन-** कम्प्यूटर सहायक अनुदेशन, क्षेत्रीय यात्रायें, संग्रहालय, शिक्षण मशीनें, अभिक्रमित अधिगम पैकेज आदि।
- **त्रि–आयामी साधन-** आरेख, मॉडल, ग्लोब, वास्तविक वस्तुएँ, नमूने आदि
- **क्रियात्मक सामग्री-** इस प्रकार की सामग्री में शैक्षिक खेल, प्रदर्शन, अभिनयीकरण, क्षेत्रीय यात्राएँ, शैक्षिक गीत, नाटक, कठपुतली प्रदर्शन, कहानी वाचन आदि को सम्मिलित किया जाता है।उपयुक्त विवरण के बाद आप अधिगम सामग्री के वर्गीकरण को समझ गए होंगे।

अप्रक्षेपित साधन

अभ्यास प्रश्न

1. एक फिल्म पट्टी पर चित्रों की संख्या **10** से _____ तक हो सकती है।
2. शिक्षण अधिगम सामग्री की प्रमुखतः कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है**?**
3. अमुद्रित अधिगम सामग्री में ई–लर्निंग, एम–लर्निंग, ई–बुक्स, ई–जर्नलस, ई–मैगज़ीन्स आदि समाहित है। (सत्य/असत्य)

3.3.3 शिक्षण अधिगम सामग्री के उद्देश्य और महत्त्व

अधिगम सामग्रियों के अर्थ व प्रकार को समझने के बाद आपके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, की इन सामग्रियों की शिक्षण प्रक्रिया में क्या उद्देश्य व उपयोगिता है। अब हम सामाजिक विज्ञान विषय में अधिगम सामग्रियों के उद्देश्य और उपयोगिता को निम्न बिंदुओं की सहायता से समझेंगे–

- **स्थायित्व-** शिक्षण अधिगम सामग्री विषय को स्थायी रूप से सीखने और समझने में सहायक होती है, तथा लंबे समय तक मानव स्मृति में संचित रहती है।
- **रोचकता प्रदान करना-** अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार, "रचनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान में ख़ुशी जीवंत करना शिक्षक की सर्वोच्च कला है"। अधिगम सामग्री विषय को रोचक बनाती है, तथा शिक्षार्थियों के ध्यान आकर्षण को सकारात्मकता प्रदान करती हुई अधिगम को सरल बनाती है।

- **सर्वोत्तम अभिप्रेरक-** मैल्कम फ़ोर्ब्स के अनुसार, "शिक्षा का मकसद है एक खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित करना"। अधिगम साधन शिक्षार्थियों की संवेदनओं के सर्वोत्तम अभिप्रेरक है, यह अधिगम में रूचि उद्दीप्त करते है।
- **स्पष्टता**- सामाजिक विज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करने में अधिगम सामग्री अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते है।
- **ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग-** अधिगम सामग्री मुख्य तौर पर शिक्षार्थी की प्रमुख ज्ञानेन्द्रियों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, तथा ज्ञानेन्द्रियों द्वारा किया गया अधिगम स्थायी माना जाता है।
- **शिक्षण सूत्रों पर आधारित-** अधिगम सामग्री के प्रयोग से अध्यापक के लिए शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करना सुगम हो जाता है, जैसे सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर आदि।
- **वैज्ञानिक रूचि का विकास-** अधिगम सामग्री का प्रयोग शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक रूचि विकसित करने में सहायक सिद्ध होता है। वास्तविक अवलोकन तथा प्रयोगों द्वारा उनमें सामान्यीकरण की भावना विकसित होती है।
- **छात्रों को पुनर्बलन प्रदान करना-** शिक्षार्थी जो सिद्धान्त रूप में पढ़ते है, जब उन्हें प्रयोगात्मक रूप में बताया जाता है तो उनके सैद्धान्तिक ज्ञान का भी मूल्यांकन होता है। इससे उन्हें पुनर्बलन मिलता है।
- **अधिगम के स्थानांतरण में सहायक-** कक्षा में सीखा गया ज्ञान अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करने से स्थायी होता है, इसे अधिगम का स्थानांतरण कहते है। अधिगम सामग्री से यह स्थानांतरण अधिक होता है।
- **स्व–अध्ययन के लिए प्रेरित करना-** अधिगम सामग्री शिक्षार्थियों को नए ज्ञान की और अग्रसित करती है, जो उन्हें स्व–अध्ययन तथा नए ज्ञान को खोजने की ओर प्रेरित करता है।
- **विचारों की निरन्तरता-** अधिगम सामग्री शिक्षार्थियों में विचारों को उद्वेलित करने में सक्षम होते है जिसके फलस्वरूप अधिगम अधिक होता है, क्योंकि केवल शाब्दिक शिक्षण द्वारा शिक्षार्थी निष्क्रिय श्रोता बन जाता है। सहायक सामग्री उनके तीव्रगामी अधिगम हेतु आवश्यक है।
- **वैयक्तिक विभिन्नताओं के अनुरूप -** शिक्षार्थियों में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नतायें होती है। कई शिक्षार्थी श्रवण से अधिक सीखते है, अनेकों की प्रदर्शन से सहायता की जाती है, तो कई प्रयोग करके सीखते है। विभिन्न सामग्री का प्रयोग करके शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट किया जा सकता है।

दृष्टांत

पुनीत कक्षा आठवीं 'अ' का और अमित आठवीं 'बी' का छात्र है। स्कूल के मध्यान्ह अवकाश में दोनों अपने विचारों को साझा करते है। पुनीत निराश के स्वर में अमित को कहता है की उसे सामाजिक विज्ञान की कक्षा नीरस लगती है। तभी अमित प्रसन्न मुद्रा में पुनीत को कहता है, की उसके अनुभाग के सभी शिक्षार्थी सामाजिक विज्ञान

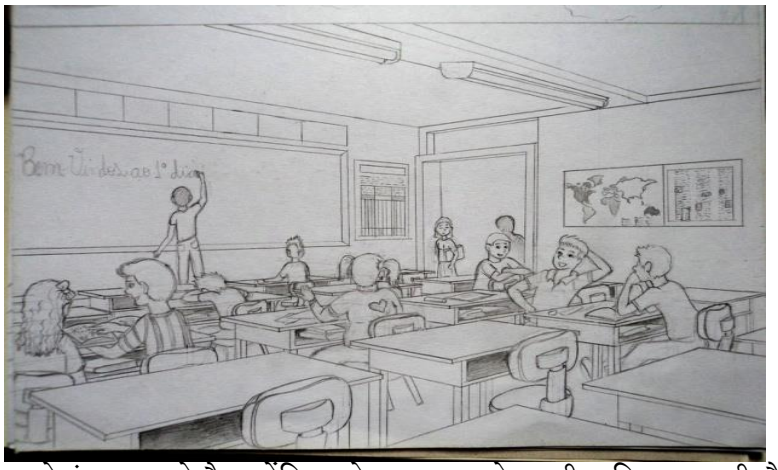

की कक्षा का उत्सुकता से इंतजार करते है, क्योंकि उनके अध्यापक रोज नयी अधिगम सामग्री जैसे चार्ट, मॉडल, शैक्षिक भ्रमण और समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षण को रोचक और उत्साही बनाते है, और प्रत्येक शिक्षार्थी उसमें सक्रिय भूमिका निभाता है।

उपरोक्त बिंदुओं की सहायता से अब आप समझ गए होंगे की शिक्षण अधिगम सामग्री कक्षागत वातावरण को सहज और सरल बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है, साथ ही यह शिक्षार्थियों की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि की सक्रिय माध्यम हैं। शिक्षक होने के नाते अब प्रश्न यह उठता है की इन सामग्रियों का संग्रहण और उपक्रम किस तरह किया जाये तथा यह सामग्रियाँ किन सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखके निर्मित होनी चाहिए।

3.3.4 सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री संग्रहण एवं उपक्रम के सिद्धान्त

अध्यापक को अधिगम सामग्री के निर्माण और संकलन में उचित और बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लेने चाहिए। अधिगम सामग्री का चयन सुसम्बद्धता, प्रभावशीलता तथा उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए। कोई भी अधिगम सामग्री शिक्षण उद्देश्यों तथा विशिष्ट शिक्षार्थी समूह की अनुपम विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इस के लिए अध्यापक को निम्नलिखित सिद्धान्तों और तथ्यों का अनुसरण करना चाहिए:–

- **शिक्षार्थी–केन्द्रीयता का सिद्धान्त-** अधिगम सामग्री शिक्षार्थी की आयु, कक्षा, बुद्धि, रूचि, अनुभव तथा अन्य विशेषताओं के अनुकूल होनी चाहिए। कोई भी अधिगम साधन जब तक वह

शिक्षार्थी की पृष्ठभूमि, रुचियों, योग्यताओं तथा आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगी तब तक वह शिक्षार्थियों को पूर्ण सहायता प्रदान नहीं कर सकता।

- **उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धान्त-** शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना होता है। जिसमें उसके व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष महत्वपूर्ण है। अधिगम सामग्री शिक्षार्थी के ज्ञान, बोध, कौशल, प्रयोग, अभिवृत्ति आदि से समबन्धित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होने चाहिए जिससे शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास संभव हो सके।
- **रूचि एवं अभिप्रेरणा का सिद्धान्त-** अधिगम सामग्री रोचक एवं अभिप्रेरक होनी चाहिए। अधिगम सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षार्थियों में वास्तविक रूप से रूचि और अभिप्रेरणा उत्पन्न कर सके और उसके ध्यान को आकर्षित कर सके।
- **संबद्धता एवं अनुरूपता का सिद्धान्त-** अधिगम सामग्री पढ़ाये जा रहे प्रकरण अथवा विषय–वस्तु एवं शिक्षार्थियों के स्तर से सम्बन्धित होनी चाहिए। अतः अधिगम सामग्री का चयन करते करते समय शिक्षार्थियों के अधिगम अनुभवों के साथ ही उसकी संबद्धता, औचित्य, उपयुक्तता एवं अनुरूपता की और ध्यान देना चाहिए।
- **प्रोत्साहन का सिद्धान्त-** ऐसी अधिगम सामग्री का चयन करना चाहिए जो शिक्षार्थियों को विषय के विभिन्न पहलुओं की और देखने के लिए प्रोत्साहित करे। शिक्षार्थी के स्वतंत्र एवं उद्देश्यपूर्ण चिंतन को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।
- **संसाधनों की प्राप्ति का सिद्धान्त-** अधिगम सामग्री का चयन एवं प्रयोग उन की प्राप्ति के संसाधनों के अनुकूल होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से इन बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए जैसे; कक्षा कक्ष का आकार, विद्यालय के आर्थिक संसाधन तथा इन सामग्रियों को कार्यशील बनाने हेतु कक्षा के साधन आदि।
- **सांस्कृतिक संबद्धता का सिद्धान्त-** अधिगम सामग्री हमारी सांस्कृतिक विरासत, विविध भाषा समूह, दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यक लोगों द्वारा संस्कृति को दिए गए योगदान से सम्बन्धित सूझ–बूझ के विकास को प्रोत्साहित करने वाली तथा इन विविधताओं को मुख्य धारा में समाविष्ट करने वाली होनी चाहिए।
- **नैतिकता का सिद्धान्त-** अधिगम सामग्री का चयन तथा संग्रहण नैतिक मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। इन अधिगम सामग्री द्वारा छात्रों को ऐसे पदार्थ नहीं दिखाने चाहिए जिनमें क्रूरता, हिंसा, अश्लीलता या अपराधों का महिमामंडन किया गया हो।
- **एकता का सिद्धान्त-** अधिगम सामग्री का संग्रहण करते हुए यह तथ्य दृष्टिगत रखने चाहिए की यह नियमित शिक्षण कार्य से अलग–थलग नहीं है, बल्कि उसके पूरक के रूप में सहायक होते है। अतः अधिगम सामग्री को शिक्षण प्रक्रिया के साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए।

- **सौंदर्यात्मक मूल्य का सिद्धान्त-** एकत्र की गयी अधिगम सामग्री में सौंदर्यात्मक, कलात्मक, साहित्यिक, सामाजिक एवं शैक्षिक मूल्य होने चाहिए।

उपरोक्त विभिन्न सिद्धान्तों के आधार पर आप समझ गए होंगे की अधिगम सामग्री के संग्रहण एवं तैयारी हेतु हमें कई पक्षों को ध्यान रखना चाहिए। अधिगम सामग्री के संग्रहण हेतु हमें उसका शैक्षिक महत्त्व, शिक्षार्थी–केंद्रितता, विषय अनुरूपता तथा उसके सम्बंधित मूल्यों को भी दृष्टिगत रखना चाहिए।

3.3.5 सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का संग्रहण एवं उपक्रम

अब गौर करने वाला बिंदु यह है की अधिगम सामग्री का किस तरह निर्माण किया जाये जिससे वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक व सुग्राह्य बना सके।

दृष्टांत

तारा एक छोटे से गाँव में सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका है। देश में लोकसभा के चुनाव है, अतः जाहिर है की प्रचार प्रसार के लिए पार्टियां उसके गाँव भी आती है। उसकी कक्षा के शिक्षार्थी उत्सुकता से उससे पूछते है की चुनाव क्या होते है, तथा उनका क्या महत्व होता है?

तारा बड़ी मेहनत करके पार्टियों द्वारा बांटे गए पत्रक, पर्चे, झंडे, समाचार पत्र में आयी ख़बरों इत्यादि को एकत्र करके अपनी कक्षा में लेके जाती है, तथा उन सभी सामग्रियों की सहायता से शिक्षार्थियों को चुनाव की प्रक्रिया के बारे में समझाती है।

उपरोक्त दृष्टांत द्वारा आप समझ गए होंगे की नई अधिगम सामग्री के निर्माण और उसे एकत्र करने में समय, ऊर्जा और विभिन्न स्त्रोतों की आवश्यकता होती है। शैक्षिक संस्थानों के अतिरिक्त अन्य विकसित कार्यालयों तथा सहायक कर्मियों से विभिन्न पोस्टर, पुस्तिका, इत्यादि प्राप्त की जा सकती है, जो शैक्षिक सजगता के काम आ सकती है। प्रासंगिक सामग्री के प्राप्त हो जाने के बाद विषय तथा शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर उसका उपयोग करना चाहिए। शैक्षिक सामग्री को निम्न स्त्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है:–

- जिला व राजकीय पुस्तकालय
- विद्यालय
- स्थानीय गैर सरकारी संगठन
- सामाजिक व धार्मिक संगठन/क्लब
- ग्राम सरपंच
- विषय से सम्बन्धित सरकारी संस्थान

3.3.6 अधिगम सामग्री निर्माण के प्रमुख चरण

अब आप समझ ही गए होंगे की शिक्षक अधिगम सामग्री आवश्यकनुसार विभिन्न विभागों या संगठनों से एकत्रित कर सकता है। कभी–कभी अध्यापक को इन सामग्रियों का निर्माण भी करना होता है, क्योंकि प्रत्येक सामग्री तैयार नहीं मिलती। अधिगम सामग्री निर्माण के प्रमुख चरण इस प्रकार है:–

- **समस्या व आवश्यकता की पहचान-** सर्वप्रथम शिक्षक को विषय, शैक्षिक उद्देश्यों आदि का ज्ञान होना चाहिए की उसे किस प्रकार की तथा किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिगम सामग्री चाहिए। इसी चरण में उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर, रुचियों तथा आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए ।
- **समस्या का विशलेषण-** इस चरण में शिक्षक समस्या का विश्लेषण करता है, तथा मौजूद स्त्रोतों की पड़ताल करता है।
- **उद्देश्यात्मक व्याख्या-** इस चरण में शिक्षक उद्देश्यों के अनुसार उपयुक्त सामग्री के निर्माण तथा संगठन की योजना बनाता है।
- **विषय वस्तु व्यवस्था/लिपि-** शिक्षक सामग्री की विषय–वस्तु निर्धारित करता है, तथा उसकी भाषा को सुगम तथा सरल बनाने की कोशिश करता है।
- **संपादन-** इस चरण में शिक्षक बनायी गयी अधिगम सामग्री का संपादन करता है, तथा उचित क्रम प्रदान करता है।
- **परीक्षण-** इस चरण में शिक्षक अपने बनाये गए अधिगम सामग्री का परिक्षण करता है, तथा त्रुटियों को सही करता है।

- **संशोधन-** अधिगम सामग्री के निर्माण का अंतिम चरण है, उसमें संशोधन करना तथा उसे अंतिम रूप प्रदान करना।

3.3.7 आओ कुछ प्रमुख अधिगम सामग्री का निर्माण करें

अधिगम सामग्री के निर्माण के चरण को स्पष्ट करने के बाद सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त कुछ प्रमुख अधिगम सामग्री के निर्माण को समझते है।

पोस्टर:– पोस्टर में काग़ज़ की एक बड़ी शीट जिसमे शीर्षक, लघु संदेश, और चित्र समाहित होते है। पोस्टर द्वारा एक समय में विशाल संख्या में शिक्षार्थियों को दृश्य सन्देश प्रस्तुत किया जा सकता है।

पोस्टर निर्माण के चरण

सामग्री- काग़ज़ की बड़ी शीट, (सफ़ेद या रंगीन), रंगीन पेन/पेन्सिल, चित्र (आवश्यकतानुसार)

चरण- लघु और आकर्षक शीर्षक बनाये, जो की पाठ्यक्रम की इकाई का उल्लेख करता हो।

- कुछ लघु और बहुत संक्षिप्त वाक्य जो संदेश प्रस्तुत करते हो, बनाये जो पाठ्यक्रम की इकाई से भी सम्बन्धित होने चाहिए।
- पाठ के शीर्षक व संदेश के अनुसार प्रारूप योजना/ ख़ाका तैयार करे।
- ख़ाके के अनुसार उदहारण प्रस्तुत करें जो शीर्षक व संदेश को प्रस्तुत करता हो। शिक्षक संदर्भित उदहारण चित्र, समाचार पत्र व पत्रिकाओं से भी ले सकते है।
- पोस्टर को रंगीन पेंसिल या पेन से सजाये और अंतिम रूप दे।

पोस्टर निर्माण

पुस्तिका निर्माण:– पुस्तिका एक अधिगम सहायक सामग्री है, जिसका उपयोग अवधारणा या विचारों को प्रस्तुत करने में किया जाता है। पुस्तिका में पाठ तथा दृश्य चित्रों का समायोजन होता है। यह विशाल मात्रा में क्रमित सूचना प्रदान कराने का महत्वपूर्ण साधन है। एक पुस्तिका में **12** से **24** पृष्ठ होते है।

पुस्तिका निर्माण के चरण:–

- पाठ्यक्रम इकाई के अनुसार पुस्तिका का शीर्षक तय करे।
- इकाई की अवश्यकानुसार सूचनायें विभिन्न स्त्रोतों या विकास कार्यालयों या अधिकारी से प्राप्त करे।
- सन्देश का अनुक्रम बनाये।
- हम अपने सन्देश को दो प्रकार से प्रस्तुत कर सकते है, पहला कहानी या संवाद रूप में और दूसरा कथन या अनुदेशन के रूप में।
- सामग्री के अनुरूप उदहारण व चित्रों का निर्माण करें।
- पुस्तिका के हर पृष्ठ का कृत्रिम प्रतिरूप तैयार करे।
- पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ में उदहारणों तथा सामग्री को व्यवस्थित करे तथा अंतिम प्रारूप प्रदान करें।
- हस्तलिखित पुस्तिका शिक्षार्थियों की सहायता से निर्मित करे और उसकी ज़िल्द चढ़ाये।

ऑडियो कैसेट निर्माण- यह एक महत्वपूर्ण अधिगम सामग्री है। हम इसमें गीत, नाटक, तथा व्याख्यान आदि जो पाठ्यक्रम की इकाई से सम्बन्धित हो, उनका निर्माण रेडियों टेलीविज़न या स्थानीय कलाकारों की सहायता से रिकॉर्ड किए जा सकते है। शिक्षक आसानी से रोचक सामग्री अपने अधिगमकर्ता के लिए तैयार कर सकते है। शिक्षक स्थानीय कलाकारों से आग्रह कर गीत या नाटक की रचना करवा सकता है, जो शिक्षार्थियों की पाठ्यचर्या या अधिगम में सहायक होते है। शिक्षक इन रचनाओं को रिकॉर्ड कर अपनी कक्षा में इनका उपयोग कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न

4. शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करते समय रूचि और _____का सिद्धान्त दृष्टिगत रखना चाहिए।
5. काग़ज़ की एक बड़ी शीट जिसमे शीर्षक, लघु संदेश, और चित्र समाहित होते है, को कहा जाता है**?**

   अ. पोस्टर ब. पुस्तिका स. चार्ट द. मॉडल
6. एक पुस्तिका में 30 से 40 पृष्ठ होते है।**(**सत्य/असत्य**)**

3.4 सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष

जिस प्रकार भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान जैसे विज्ञानों का शिक्षण देने तथा कला और हस्तकलाओं का शिक्षण देने के लिये हमें अलग अलग प्रयोगशालों तथा कक्ष की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए हमें सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष की आवश्यकता होती है। जिसमें शिक्षक विषय से जुड़े सभी साधन सामग्री का प्रयोग कुशलता से कर सकता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अधिगम रुचिपूर्ण बनाने हेतु विभिन्न शिक्षण–सहायक सामग्री का उपयोग करना होता है; जैसे मानचित्र, मॉडल, चार्ट, पोस्टर, चित्र, कार्टून, ग्लोब, प्रक्षेपक, फ़िल्म–पट्टियां, आदि। इन्हें सुरक्षित रखने और आसानी से उपलब्ध होने के लिए सामाजिक विज्ञान हेतु एक अलग कक्ष होना आवश्यक है। इस विशेष कक्ष की सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष भी कहा जाता है।

3.4.1 सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष की आवश्यकता या महत्त्व

घाटे के शब्दों में "प्रत्येक उस विषय के लिए अलग कक्ष होना चाहिए जिसे विद्यालय में पढ़ाए जाने योग्य माना जाता है"। निम्नलिखित बिंदु सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष के महत्त्व को स्पष्ट करते है;

- सुखद वातावरण:– एम॰ पी॰ मोफत के शब्दों में "कक्षा की साज सज्जा और उसकी व्यवस्थाओं का प्राप्त परिणामों की गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। संतोषजनक परिणामों की उम्मीद तभी की जा सकती है, जब पर्याप्त और सुविधाजनक कार्य–सुविधाएं प्रदान की जाएं। सामाजिक विज्ञान के कौशल प्राप्त करने और उनका अभ्यास करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने हेतु इसे जुटाया जाता है"। सुखद सामाजिक वातावरण वाला ऐसा कक्ष अधिगम प्रोयगशाला और क्रियाकलापों का अच्छा केंद्र बन जाता है, जिसमें कक्षा प्रक्रियाओं में छात्र–क्रिया और छात्र–भागीदारी पर काफी बल दिया जाता है।
- **प्रभावशाली शिक्षण-** सभी साधनों से लैस सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष का सर्वोच्च महत्त्व होता है, क्योंकि यह प्रभावशाली शिक्षण में सहायक होता है। महत्वपूर्ण चित्रों, चार्टों, ग्राफों, मानचित्रों, मॉडलों और ग्लोब के स्थायी प्रदर्शन और अध्यापक द्वारा उनका निरन्तर सन्दर्भ दिए जाने से सामाजिक विज्ञान का शिक्षण निःसन्देह प्रभावशाली, रोचक और सजीव हो जाता है।
- **कार्यात्मक वातावरण-** समस्त सामग्री से लैस सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष में तेज़ और तत्पर कार्यात्मक वातावरण प्रदान किया जाता है। संसाधन कक्ष में भौतिक वातावरण छात्रों के लिए एक कार्यशाला प्रदान करता है, जिससे वातावरण सैद्धान्तिक मात्र नहीं बल्कि कार्यात्मक हो जाता है।
- **सृजनात्मक अभिव्यक्ति-** सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष से छात्रों में सृजनात्मक अभिवृत्ति विकसित होती है। इसमें छात्रों को मॉडल, चित्र, चार्ट इत्यादि बनाने का अवसर दिया जाता है। इससे उनमें रचनात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न होती है। छात्र की सृजनात्मक अभिव्यक्ति से बोधगम्यता और अधिगम का विकास होता है, जिससे वह प्रयासशील और सृजनात्मक बनता है।

- **यथार्थ ज्ञान-** संसाधन कक्ष में क्रिया (करना) द्वारा सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। संसाधन कक्ष में वास्तविक पदार्थ, प्राचीन पुस्तकें तथा विषय से जुड़ी अद्यतन जानकारी से छात्र लाभान्वित होते है, और ज्ञान को यथार्थ रूप प्रदान होता है।
- **स्व- अनुशासन का केंद्र-** सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष स्वः–अनुशासन का सबसे मुख्य केंद्र होता है। इसमें छात्र अपनी योग्यता, रूचि, क्षमता और आवश्यकता इत्यादि के अनुसार कार्य करता है। परिणामस्वरूप वह स्व -अनुशासन में रहते हुए स्व–क्रिया की ओर अग्रसर होता है।
- **एकाग्रता में सहायक-** सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष में विषय पढ़ाने के लिए अनुकूल व उचित वातावरण तैयार किया जा सकता है। छात्रों को विशिष्ट सहायक सामग्री द्वारा पढ़ने में आनंद प्राप्त होता है। उन्हें महसूस होता है की वे एक विशिष्ट वातावरण में है, जिससे उनकी एकाग्रता दृढ़ होती है।
- **विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग -** सामाजिक विज्ञान में विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जैसे परियोजना विधि, खेल विधि, समस्या–समाधान विधि,स्त्रोत विधि आदि। इन सभी विधियों के लिए विशेष वस्तुओं या बैठने की विशिष्ट व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो केवल एक विशेष कक्ष में ही संभव है।
- **उचित वर्गीकरण-** सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि की विषय वस्तु सम्मिलित होती है। सहायक सामग्री इन सभी विषयों से सम्बन्धित होती है। संसाधन कक्ष से स्थायी आधार से सामग्री को उचित वर्गों में रखने में सहायता प्राप्त होती है।
- **उपकरणों की सुरक्षा-** सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष में चार्टों, मानचित्रों, मॉडलों, फ़िल्म–पट्टियों, चित्रदर्शी प्रक्षेपक इत्यादि कीमती उपकरणों की सुरक्षा हो जाती है। इस कक्ष में टूटने योग्य वस्तुओं की सुरक्षा होती है, और सरंक्षण में सहायता प्राप्त होती है। इन्हें सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी अध्यापक की होती है, जिसके लिए वह छात्रों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। इससे छात्रों में अपनत्व की भावना भी विकसित होती है।
- **स्थायी ज्ञान-** प्रयोग क्रिया स्वयं में एक वैज्ञानिक विधि समझी जाती है। सामाजिक विज्ञान में संसाधन कक्ष का प्रयोग करने से वैज्ञानिक अभिवृत्ति उत्पन्न होती है, और इसे स्थायी ज्ञान कहा जाता है।

उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर आप समझ ही गए होंगे की सामाजिक विज्ञान विषय में सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष का एक विशिष्ट महत्त्व है। संसाधन कक्ष अधिगम हेतु वातावरण तैयार करता है। कक्षा में अधिगम करके छात्र विषय के और करीब आते है, तथा जुड़ाव महसूस करते है। संसाधन कक्ष शिक्षार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षक के लिए भी महत्तव रखता है। यह शिक्षक में आत्मविश्वास तथा प्रेरणा जगाता है, साथ ही शिक्षक को काल्पनिक शक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है।

अब यह विचारणीय बिंदु है की सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष के क्या घटक होने चाहिए तथा किस तरह से उसकी स्थापना की जाये। अब हम संसाधन कक्ष के प्रमुख घटक व संस्थापन के बारे में विस्तार से समझेंगें।

3.4.2 सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष के घटक तथा संस्थापन

सामाजिक विज्ञान संस्थापन कक्ष को निर्मित करते समय निम्न बिंदुओं को दृष्टिगत रखना चाहिए;

i. **उचित इमारत-** सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष की इमारत में कुछ मूल तत्व होने चाहिए जैसे;
   - **a.** उचित प्रकाश और हवादार कक्ष, पर्याप्त बुक केस और अन्य भंडारण सुविधाएँ।
   - **b.** इसमें जो छात्र और अध्यापक कार्य करने वाले है, उन्हें समायोजित करने के लिए मेज़ और कुर्सियाँ।
   - **c.** वायु संचार और प्रकाश के लिए उचित व्यवस्था के साथ श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, चार्ट, मानचित्रों, मॉडलों और पुस्तक की शेल्फों के प्रदर्शन के लिए दीवार के स्थान का उपयोग किया जा सकता है। इसको एक श्रव्य– दृश्य कक्ष के रूप में उपयोग किए जाने की गुंजाइश भी होनी चाहिए।

ii. **उचित व्यवस्था-** संसाधन कक्ष उपयुक्त रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि इसमें आकर्षक और प्रोत्साहक वातावरण प्रदान किया जा सके। खाली दीवारों वाली और स्थायी प्रकार की कक्षा के विपरीत फर्नीचर और प्रदर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि ऐसा प्रभाव उत्पन्न हों की कक्ष में कुछ रोचक कार्य हो रहा है।

iii. **आवश्यक फर्नीचर -** सामाजिक विज्ञान के संसाधन कक्ष में निम्न वस्तुऐं आवश्यक होती है; कार्य करने की मेज़, कुर्सियां, शेल्फ, स्टैंड, मानचित्रों के लिए रैक, अल्मारियां और श्यामपट्ट। मेजों को छोटा और समतल होना चाहिए, जिन्हें सामूहिक कार्य के लिए आसानी से पुनः व्यवस्थित किया जा सके। कक्षा की सामान्य व्यवस्था अध्यापक और छात्रों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

iv. **बैठने की व्यवस्था-** बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए की छात्रों को आराम, स्वस्थता और कुशलता प्रदान करे। यह वांछित है की सीटें व्यक्तिगत–डेस्क या डबल–डेस्क या मेज़ और कुर्सियाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के योग्य हो और ऐसी हो की अध्यापक के पाठों या सामूहिक कार्य करने के बाद उन्हें पुनः व्यवस्थित किया जा सके।

v. **अध्यापक की डेस्क-** अध्यापक की डेस्क एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य होनी चाहिए ताकि उसका सामान्य व्यवस्था और अनुदेशन दोनों के लिए प्रयोग किया जा सके। इस पर एक मानचित्रावली, शब्दकोश, एक स्मृतिपत्र पैड आदि होना चाहिए।

vi. **बाहरी दुनिया में विस्तार-** अध्यापक द्वारा सामाजिक विज्ञान के संसाधन कक्ष का बाहरी दुनिया में, जहां तक वह और उसके छात्र जा सकते है, विस्तार किया जाना चाहिए। यह पर्यटन तथा सभी प्रकार के सामुदायिक संपर्कों द्वारा किया जाता है। बाहरी दुनिया के साथ जीवन्त और निरन्तर सम्पर्क रहने से सामाजिक अध्ययन के लिए विशेष कक्ष का प्रयोजन न्यायोचित सिद्ध होगा।

vii. **क्रियाओं का केंद्र-** यह सर्वोच्च रूप से महत्त्वपूर्ण है, की सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष एक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण और क्रियाओं का केंद्र बिंदु बन जाए। यह एक ऐसा स्थान होना चाहिए, जहां विचार जीवन्त बन जाएं और क्रियाओं तथा वस्तुओं द्वारा दर्शाए जा सके, जिससे सैद्धान्तिक अनुभवों को छात्रों के जीवन में अधिक चिर स्थायी बनाया जा सके।

viii. **साज- सज्जा-** दीवारों को बड़े चित्रों, कार्टूनों, रेखाचित्रों, ग्राफों, समय रेखाओं और मानचित्र से सजाया जाना चाहिए, जिससे छात्रों की सृजनात्मक क्रियाओं की झलक दिखाई दे। जैसे ही व्यक्ति कक्ष में प्रवेश करे, उसे महसूस होना चाहिए की उसने आकर्षक और समस्त सामग्री से लैस सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष में प्रवेश किया हो।

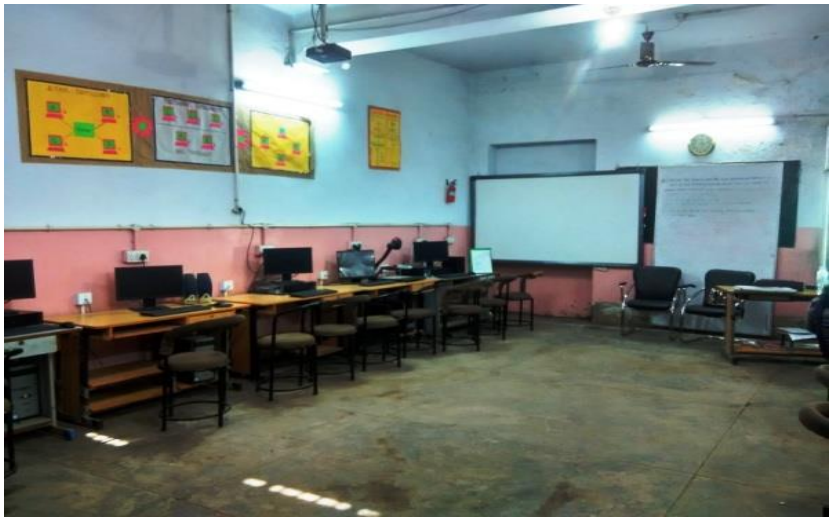

सामाजिक विज्ञान संस्थापन कक्ष

3.4.3 सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष के घटक

सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष के निम्न घटक होने चाहिए-

i. **प्रक्षेपण पर्दा-** श्यामपट्ट के ऊपर उपयुक्त आकार का एक स्थायी पर्दा होना चाहिए जिसे किसी भी समय प्रक्षेपण कार्य के लिए आसानी से नीचे किया जा सके। खिड़कियों में गहरे पर्दे लगे होने चाहिए जिनका उपयोग किसी फ़िल्म को पर्दे पर दिखाई जाते समय किया जा सके।

ii. **चैनल रेलिंग-**शिक्षण के दौरान चित्र, चार्ट, मानचित्र या ग्राफ टांगने के लिए श्यामपट्ट की दीवार के साथ–साथ सरकने वाले हुडों के साथ एक स्थायी चैनल रेलिंग काफी लाभदायक होती है।

iii. **मानचित्र-** विभिन्न देशों के भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और चित्रमय मानचित्र होने चाहिए।

iv. **चार्ट-**संसाधन कक्ष में विभिन्न प्रकार के चार्ट होने चाहिए जैसे फ्लो–चार्ट, समय–चार्ट, सारणीकरण–चार्ट, विकास–चार्ट, सम्बन्ध–चार्ट इत्यादि। चार्ट बाज़ार से ख़रीदे जा सकते है या छात्रों द्वारा तैयार करवाये जा सकते है।

v. **मॉडल्स-** सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष में विभिन्न संकल्पना को दर्शाते हुए मॉडल होने चाहिए जैसे पृथ्वी की गति, औद्योगिक क्रांति, बांध और प्रोजेक्ट, ऋतु परिवर्तन, पुरानी इमारतें, विभिन्न देशों के महान व्यक्ति आदि।

vi. **समय ग्राफ-** राजवंशों की क्रमिक और आकस्मिक उन्नति एवं अवनति, विरोधी शक्तियों की प्रगति, विचारों और संस्कृतियों, व्यक्तियों और आंदोलनों को दर्शाने के लिए ग्राफों का प्रबंध भी संसाधन कक्ष में होना चाहिए।

vii. **समय रेखाएं-** प्रत्येक सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष में समय रेखा का प्रबंध होना चाहिए जिसे दीवार की आधी दूरी तक होना चाहिए। यह रंगा हुआ होना चाहिए या हार्डबोर्ड या कार्डबोर्ड से बना होना चाहिए। पूरी रेखा में महत्तवपूर्ण तिथियों और व्यक्तियों को उपयुक्त रूप से अंकित किया जाना चाहिए। इससे छात्रों को महान व्यक्तियों के जीवन से परिचित कराने में सहायता प्राप्त होगी।

viii. **स्लाइड एलबम-** कक्ष में स्लाइड एलबमों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए जिसमें विषय को दर्शाती हुई स्लाइडें हो।

ix. **ऋतु वैज्ञानिक उपकरण-** ऋतु वैज्ञानिक उपकरणों में बैरोमीटर, ट्यूब बैरोमीटर, वर्षा मापक यंत्र, वायु दिशा सूचक यंत्र, सेंटीग्रेड थर्मामीटर आदि का प्रबंध होना चाहिए।

x. **सर्वेक्षण उपकरण-** संसाधन कक्ष में निम्नलिखित सर्वेक्षण उपकरण होने चाहिए जैसे बॉक्स कम्पास, प्रिस्मैटिक कम्पास, समतल मेज़, झंडे, टेप, स्केल, कोण मापक यंत्र (प्रोट्रैक्टर), विभाजनी (डिवाइडर) और सर्वेक्षण क्षेत्रीय पुस्तक आदि।

xi. **श्रव्य–दृश्य सामग्री-** इन सामग्री में प्रक्षेपक, फ़िल्म–पट्टी प्रक्षेपक, चित्रदर्शी, जादुई लैंप, टेप रिकॉर्डर आदि आते है, जिनका संसाधन कक्ष में उपयुक्त स्थान होना चाहिए।

xii. **पेंट, ड्राइंग सेट-** सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष में पेंट, वॉटर कलर, रंगीन पेंसिल, स्याही, ब्रश, ड्राइंग सेट, पिन और पेन होल्डरों इत्यादि का प्रबंध किया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में प्रायोगिक कार्य के लिए छात्रों को इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता होती है।

xiii. **लाइब्रेरी पुस्तकें-** संसाधन कक्ष में अध्यापकों और शिक्षार्थियों दोनों के लिए छोटा पुस्तकालय चाहिए, जहाँ अध्यापक सामाजिक विज्ञान की प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन कर सके और छात्र भी इस सुविधा का लाभ उठा सके। छात्रों की जानकारी को नवीनतम रखने के लिए इसमें जर्नल, पत्रिकाएं, आत्मकथाएं, यात्रा कथाएं और विभिन्न देशों के सामाजिक विज्ञान एनसायक्लोपेडिया होने चाहिए।

संसाधन कक्ष की पुस्तकें

xiv. **संग्रह-** सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष में एक कोना पुराने पत्रों, चित्रों, समाचार पत्रों, पत्रिका, हस्तलेखों, प्रतिमाओं, सिक्कों, पोशाकों, बर्तनों, ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह, चित्रकलाओं और कलाचित्र के लिए होना चाहिए।

xv. **संग्रहालय-** संसाधन कक्ष में एक छोटा संग्रहालय भी होना चाहिए। इसमें अलमारियाँ, केबिनेट और फाइलें होनी चाहिए जहाँ बीजों, प्राचीन चित्रों और पत्थरों के नमूनों को रखा जा सके।

xvi. **विभिन्न प्रदर्शन–बोर्ड-** संसाधन कक्ष में विभिन्न बोर्ड जैसे फ्लेनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड आदि होने चाहिए जिसमें शिक्षक समय–समय पर चित्र, चार्ट, समाचार पत्रों की कटिंग आदि लगाता है। कक्षा में पढ़ाये गए या पढ़ाये जा रहे प्रकरणों से सम्बन्धित कार्टून, पोस्टर, चित्र, रिपोर्ट आदि लगाए जाते है, जिससे छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है।

अभ्यास प्रश्न

7. सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष के द्वारा सुखद वातावरण तैयार किया जा सकता है। **(**सत्य/असत्य**)**
8. संसाधन कक्ष की प्रमुख विशेषता है–
   अ. उचित प्रकाश ब. हवादार कक्ष स. पर्याप्त बुक केस द. उपयुक्त सभी
9. बैरोमीटर, ट्यूब बैरोमीटर, वर्षा मापक यंत्र, वायु दिशा सूचक यंत्र आदि_____उपकरण है।

3.5 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं की सामाजिक विज्ञान विषय को प्रभावी व सरल बनाने के लिए विविध शिक्षण सहायक सामग्री, तथा विषय की रोचकता तथा सजीवता जीवंत करने हेतु सामाजिक विज्ञान कक्ष का उपयोग किया जाता है। समय–समय पर शिक्षक को मुद्रित, अमुद्रित तथा क्रियात्मक सामग्री का विषयानुरूप उपयोग करना चाहिए। ये सामग्रियाँ शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करती है, तथा विषय को रोचकता व सरलता। सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष ऐसा होना चाहिए की उसका निम्नलिखित सभी रूपों में उपयोग किया जा सके जैसे– कक्षा, कार्यशाला, पुस्तकालय, संग्रहालय, गैर–व्यावसायिक थिएटर, छात्र क्लब; एक में सबका सम्मिलन। इसके साधनों में स्थिरता से और निरन्तर वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे यह कक्ष सामाजिक विज्ञान के सभी छात्रों और अध्यापकों की क्रियाओं का एक रोचक, उत्साहपूर्ण और आकर्षक केंद्र बन जाए। इस इकाई के अध्ययन के बाद शिक्षण अधिगम सामग्री को वर्गीकृत कर सकेंगे, साथ ही संसाधन कक्ष की महत्ता तथा संस्थापन व उसके प्रमुख घटकों की व्याख्या कर पायेंगे।

3.6 शब्दावली

1. **अधिगम-** अधिगम एक प्रक्रिया है जो अनुभव पर आधारित है, जो व्यावहारिक क्षमता के दीर्घकालिक परिवर्तन को दर्शाती है।
2. **कोठारी आयोग** (1964-66) **या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग-** सन् **1964** में भारत की केन्द्रीय सरकार ने डॉ० दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नयी दिशा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया।
3. **शिक्षण सूत्र-** शिक्षण को प्रभावी बनाने के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त, जिससे अधिगम सरल व प्रभावी बन जाता है, जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर आदि।

3.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. **100**
2. तीन
3. सत्य
4. अभिप्रेरणा
5. पोस्टर
6. असत्य

7. सत्य
8. द. उपयुक्त सभी
9. ऋतु वैज्ञानिक

3.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रसाद, जनार्दन०, *(2005) ऑडियो–विडियो एजुकेशन टीचिंग इनोवेटिव टेक्निक्स,* कनिष्का पब्लिशर्स, नई दिल्ली
2. वालिया० जे० एस०, **(2011)** *अधिगम संसाधन एवं अधिगम का आंकलन,* टैगोर प्रिन्टर्स, जालंधर
3. वालिया० जे० एस०, **(2007)** *सामाजिक अध्ययन शिक्षण,* अहीम पॉल पब्लिशर्स, जालंधर
4. अग्रवाल, जे० सी०, **(2015)** *टीचिंग ऑफ़ सोशल स्टडीज– ए प्रैक्टिकल एप्रोच,* विकास पब्लिशिंग, नई दिल्ली
5. मंगल, एस० के०, **(2009)** *शिक्षा तकनीकी*, पी एच आई लर्निंग लिमिटेड, नई दिल्ली
6. http://www.slideshare.net/SARASPREET/projected-teaching-aids
7. प्रयुक्त छवियों के लिंक–

http://newsonrelevantscience.blogspot.in/2012/06/50-excellent-online-professional.html

https://www.pinterest.com/pin/331085010088320372/

http://www.wcnc.com/news/education/hundreds-of-cms-kids-vote-in-mock-election/349381410

http://www.staples.com/Apollo-Quantum-16000-Overhead-Projector/product_439423

https://dir.indiamart.com/impcat/slide-projectors.html?biz=10

http://rajkamalsvm.com/social.aspx

https://www.pinterest.com/charlottew0217/cover/

http://library.osu.eu/index.php?kategorie=35122

http://jharkhandbihar.com/productdetails.php?prodid=18461

http://www.kv4ambala.org/index.aspx?pagename=facilitiesindepartment

3.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. सामाजिक विज्ञान अधिगम सामग्री का वर्गीकरण कीजिए।
2. सामाजिक विज्ञान अधिगम सामग्री के निर्माण सिद्धान्तों का विश्लेषण कीजिए।
3. सामाजिक विज्ञान संसाधन कक्ष का अर्थ व महत्त्व स्पष्ट कीजिए।

इकाई 4 - सामाजिक विज्ञान का शिक्षक

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 सामाजिक विज्ञान का शिक्षक ऐसा हो
  4.3.1 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा आयोग के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षक
  4.3.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षक
  4.3.3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षक
4.4 सामाजिक विज्ञान के शिक्षक में कौशल एवं योग्यताएँ
  4.4.1 आधार भूत कौशल
  4.4.2 कार्यात्मक कौशल
4.5 सामाजिक विज्ञान का मननशील शिक्षक
  4.5.1 मननशील (रिफ्लेक्शन) का अर्थ
  4.5.2 मननशील शिक्षण
  4.5.3 मननशील शिक्षण के महत्वपूर्ण घटक
4.6 सारांश
4.7 शब्दावली
4.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
4.9 संदर्भ ग्रंथ सूची
4.10 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के दार्शनिक दृष्टिकोणऋ भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की शिक्षा पर विभिन्न आयोगों, समितियों आदि के विचारों एवं सुझावोंऋ विद्यालयी शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक तैयारीऋ सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों में आवश्यक कौशल एवं योग्यताएँ तथा आधार भूत एवं कार्यात्मक कौशलऋ सामाजिक विज्ञान

के लिए एक मननशील शिक्षक एवं शिक्षण तथा मननशील शिक्षण के महत्वपूर्ण घटकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

आपको यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि विद्यार्थियों द्वारा परस्पर भागीदारी युक्त वातावरण में ज्ञान तथा वुफशलता अर्जित करने की दिशा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐसी विधियों का समावेश होना चाहिए, जो विद्यार्थियों में रचनात्मकता, सौंदर्यबोध और समीक्षात्मक क्षमता का विकास करे एवं विद्यार्थियों में अतीत और वर्तमान के बीच सम्बन्ध स्थापित करने तथा समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझने में सक्षम बनाए। समस्या-समाधन, जाँच-पड़ताल, नाटकीय रूपांतर, वाद-विवाद एवं परिचर्चा, परियोजना कार्य तथा भूमिका-निर्वाह जैसी वुफछ ऐसी विधएँ हैं, जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। शिक्षण में पफोटोग्राफ़, चार्ट तथा मानचित्रा एवं पुरातत्ववादी तथा भौतिक एवं सांस्कृतिक प्रतिकृतियों जैसी अधिक श्रव्य-दृश्य सामग्रियों (विशेषकर आई.सी.टी. आधरित) का प्रयोग करना चाहिए।

आपको सामाजिक विज्ञान का शिक्षण करना है, इसलिए यह भी समझना होगा कि सीखने की प्रक्रिया को परस्पर भागीदारी की प्रक्रिया बनाने के लिए आवश्यक है कि मात्रा सूचनाओं के आदान-प्रदान के स्थान पर वाद-विवाद, परिचर्चा एवं संवाद को प्राथमिकता मिले। सीखने की यह विधि शिक्षकों और विद्यार्थियों को सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति सचेत रखेगी। शिक्षा या विषय संबंधी अवधरणाओं को व्यक्तियों, समुदायों, ऐतिहासिक स्थलों, फील्ड (स्थल विशेष) पर भ्रमण आदि के सजीव अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक एवं आर्थिक भिन्नता के कारण कक्षा में शिक्षकों को विद्यार्थियों के प्रति बिना पूर्वाग्रह और पक्षपात की प्रवृत्ति दिखाना होगा। इसलिए शिक्षण के तरीके बंधनमुक्त अर्थात भेदभाव रहित होना आवश्यक है। शिक्षकों को सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भौगोलिक यथार्थता के विभिन्न आयामों को दैनिक जीवन एवं स्थानीय परिस्थितियों से जोड़कर कक्षा में पढ़ना चाहिए तथा अपने आप में और विद्यार्थियों में स्व-बोध एवं स्व-अधिगम क्षमता बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

1. सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के दार्शनिक दृष्टिकोण के बारे में लिख सकेंगे।
2. देश में सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की शिक्षा पर विभिन्न आयोगों, समितियों आदि के विचारों एवं सुझावों पर संक्षिप्त विवरण लिख सकेंगे।
3. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा आयोग द्वारा अपेक्षित भावी सामाजिक विज्ञान शिक्षक पर टिप्पणी लिख सकेंगे।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 पर पुनर्विचार समिति-1990 के द्वारा सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को तैयार करने पर दिए गए सुझावों का वर्णन कर सकेंगे।
5. विद्यालयी शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक तैयारी हेतु दी गई बातों पर विश्लेषण कर सकेंगे।
6. सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों में जो आवश्यक कौशल एवं योग्यताएँ होनी चाहिए, उनकी सूची बना सकेंगे।
7. सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के आवश्यक आधार भूत एवं कार्यात्मक कौशलों का वर्गीकरण कर सकेंगे।
8. सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के आवश्यक आधार भूत एवं कार्यात्मक कौशलों पर चार्ट बना सकेंगे।
9. सामाजिक विज्ञान के लिए एक मननशील शिक्षक का अर्थ लिख सकेंगे।
10. मननशील शिक्षण का सक्षिप्त विवरण लिख सकेंगे।
11. सामाजिक विज्ञान के मननशील शिक्षण के महत्वपूर्ण घटकों की विवेचनात्मक व्याख्या कर सकेंगे।

4.3 सामाजिक विज्ञान का शिक्षक ऐसा हो

आपको सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक बनाना होगा, इसलिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक से अपेक्षा करते हुए जे. कृष्णमूर्ति एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करते है, जहाँ विद्यार्थी को वास्तविकता का बोध कराते हुए प्रेम, करुणा, प्रज्ञा, संवेदनशीलता व अंतःज्ञान आदि गुणों से युक्त बनाए। मानवीय मूल्यों से समन्वित शिक्षा की परिकल्पना के द्वारा वह 'बालकों का व्यक्तिफत्व निर्माण' करना चाहते थे। 'बालकों के व्यक्तिफत्व निर्माण' में उन्होंने शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार किया इसलिए उनके अनुसार 'शिक्षण' एक महानतम् पेशा है। शिक्षक का मूल दायित्व है कि वह ऐसे विद्यार्थी मन को जन्म दे जिसके भीतर कोई भय और द्वंद्व न हो। विद्यालय का वातावरण प्रेम व सहानुभूति पर आधारित हो। भयमुत्तफ विद्यालयी परिवेश के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों में मूल्यों का निर्माण करें।

लेकिन एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में तभी मानवीय मूल्यों का विकास कर सकता है जब उसके जीवन का आचार-विचार भी मानवीय मूल्यों से आच्छादित हो। इसलिए यदि हम विद्यालयी परिवेश में मूल्योन्मुख शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास करने की बात करते हैं तो सर्वप्रथम शिक्षकों को मानवीय मूल्यों का बोध कराते हुए, उनमें मूल्य-चेतना का विकास करना होगा। जब शिक्षकों में मूल्य प्रतिमान समाज के लिए उच्च कोटि के होंगे, तो विद्यार्थियों में भी, जो भविष्य के निर्माता हैं, संस्कारित मूल्य प्रतिमान की भावनाएँ विकसित होंगी।

महर्षि अरविन्द ने भी कहा है कि- **'अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते हैं। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से उन्हें सींच-सींच कर महाप्राण शक्तियाँ बनाते हैं।'** महर्षि अरविन्द का उक्त कथन न केवल उल्लेखनीय है बल्कि स्मरणीय भी है। इस दृष्टि से नैतिक मूल्यों से ओत-प्रोत श्रेष्ठ एवं सृजनशील शिक्षकों के निर्माण में 'शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम' की अहम् भूमिका है। अतः शिक्षक शिक्षा का संबंध शिक्षकों के केवल संज्ञानात्मक विकास (ज्ञान, कौशल और योग्यता) से ही नहीं है बल्कि यह जीवन के उस भावात्मक पक्ष से भी संबंधित है जो शिक्षक को 'शिक्षक' के रूप में उसके अस्तित्व का बोध कराती है। अतः आप अपेक्षित सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के दार्शनिक दृष्टिकोण को समझ गए होंगे। अब हम हमारे देश में सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की शिक्षा पर विभिन्न आयोगों, समितियों आदि के विचारों एवं सुझावों पर चर्चा करेंगे।

अभ्यास प्रश्न

1. जे. कृष्णमूर्ति ने कैसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की थी?

4.3.1 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा आयोग के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षक

आपको यहाँ पर देश के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा आयोग द्वारा अपेक्षित भावी सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के बारे में दी गई अनुशंसाओं को समझना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा आयोग (1983) (जिसे चट्टोपाध्याय आयोग भी कहते है) ने शिक्षकों की शिक्षा के लिए अनुशंसा की थी कि किसी भी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए विद्यार्थी-शिक्षक को आधारभूत कौशलों एवं क्षमताओं को अर्जित करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे - विद्यार्थियों की प्रबल क्षमताओं का ध्यान रखते हुए कक्षा प्रबंधन की क्षमता, तार्किक एवं स्पष्ट विचारों का संप्रेषण, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध तकनीकी की उपयोगिता, कक्षा के बाहर के शैक्षिक अनुभवों से शिक्षित करना, समुदाय के साथ काम करना सीखना और विद्यार्थियों की मदद करना आदि।

इसके साथ ही, शिक्षक शिक्षा के लिए विद्यार्थी-शिक्षकों का चयन करने हेतु निम्न घटकों का ध्यान रखने का सुझाव भी दिया -

- शारीरिक रूप से स्वस्थ हो,
- भाषिक योग्यता एवं संप्रेषण कौशल,
- सामान्य मानसिक योग्यता,
- सामान्य रूप से संसार की जानकारी हो,
- जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो,
- अच्छे मानवीय संबंध विकसित करने की क्षमता।

आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि शिक्षकों की भूमिका से संबंधित विभिन्न कौशलों को सीखना, जिसमें शैक्षिक तकनीकी एवं सॉफ्रटवेयर तैयार करना भी है। विद्यार्थी-शिक्षकों को, कौशलों के उपयोग में दक्ष होना चाहिए तथा सहपाठियों में भी यह क्षमता विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। विशेषकर, शैक्षिक तकनीकी (आई.सी.टी.) के हार्डवेयरों के रख-रखाव में दक्ष होना चाहिए तथा उन्हें सॉफ्रटवेयरों के लिए उपलब्ध स्रोतों की जानकारी भी होनी चाहिए। शिक्षा संस्थानों को उनके विद्यार्थी-शिक्षकों को पाठ्य-सहगामी गतिविधियों की एवं उनके अभिभावकों को उनके पूर्ण निष्पादन की वास्तविक स्थिति से अवगत कर सकेंगे तथा उन्हें आगामी अध्ययन हेतु सकारात्मक सुझाव दे सकेंगे। इसके अलावा, आकलन की प्रक्रिया से विद्यार्थी-शिक्षक को स्वयं द्वारा अपनाई गई शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निष्पादन के आधार पर फीडबैक मिलेगा। जिससे वह अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान कर उचित सुधर व संवर्धन करेगा। इस प्रकार आपने यह समझा होगा कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा आयोग के अनुसार कैसे अपेक्षित सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होना चाहिए? अब हम हमारे देश की प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 पर पुनर्विचार समिति-1990 के द्वारा सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को तैयार करने पर दिए गए सुझावों पर चर्चा करेंगे।

अभ्यास प्रश्न

2. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा आयोग के अनुसार अच्छा शिक्षक बनने के लिए विद्यार्थी-शिक्षक में क्या योग्यता होनी चाहिए?

4.3.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षक

यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 पर पुनर्विचार समिति-1990 (जिसे आचार्य राममूर्ति समिति भी कहते है) ने सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को तैयार करने के लिए क्या सुझाव दिए थे? पुनर्विचार समिति-1990 के सुझावों में सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को तैयार करने के लिए प्रमुख रूप से शिक्षा के क्रियात्मक कौशलों एवं ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष के सभी पहलुओं का ज्ञान प्रदान करने की क्षमता विकसित करना, वर्गीकृत समाज में शिक्षा की भूमिका की समझ तथा इस भूमिका का क्रियात्मक अर्थ प्रदान करने की योग्यता विकसित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों में निम्नलिखित व्यक्तिगत लक्षण भी होने चाहिए -

- स्वतंत्रातापूर्वक कार्य करने एवं सोचने की योग्यता,
- प्रचलन के विरुद्ध या लोकप्रिय मतानुसार कार्य करने की योग्यता,
- उत्प्रेरक एवं समझदार लोगों के साथ कार्य करने की योग्यता,
- समझ एवं अनुभव के आधार पर नेतृत्व करने की क्षमता,
- सृजनात्मकता एवं स्थिर क्रिया के लिए योग्यता,

- मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों को संगठित करने की योग्यता,
- समाज एवं शासन के विभिन्न विभागों के साथ कार्य करने की योग्यता,
- उपलब्धि के लिए उच्च अभिप्रेरणात्मक आवश्यकताएँ होना,
- उपलब्धि की इच्छा एवं प्रतिवूफल स्थितियों में कार्य करने की योग्यता, तथा
- उत्तरदायित्व स्वीकारने एवं जिम्मेदारियों को समझने की इच्छाशक्ति तथा उच्च अंतर्वैयक्तिक कौशल।

इस प्रकार आपने यह जाना होगा कि अपेक्षित भावी सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को तैयार करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 पर पुनर्विचार समिति-1990 ने क्या-क्या सुझाव दिए। अब हम विद्यालयी शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए आवश्यक तैयारी हेतु दी गई बातों पर चर्चा करेंगे।

अभ्यास प्रश्न

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 पर पुनर्विचार समिति-1990 ने शिक्षकों को तैयार करने के कौन-से प्रमुख सुझाव दिए थे?

4.3.3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षक

आपको यह समझना जरूरी होगा कि विद्यालयी शिक्षा को दिशा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या की रूपरेखा होना अतिआवश्यक है। लेकिन इस पाठ्यचर्या की रूपरेखा को कक्षा में कार्यान्वित करने की प्रमुख जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। इसलिए विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में भी सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की आवश्यक तैयारी हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं-

- शिक्षकों की ऐसी तैयारी जरूरी हो कि वे विद्यार्थियों का ध्यान रख सकें और उनके साथ रहना पसंद करें,
- सामाजिक, सांस्वृफतिक एवं राजनीतिक संदर्भों में विद्यार्थियों को समझ सकें ,
- ग्रहणशील और निरंतर सीखने वाले हों,
- शिक्षा को अपने व्यक्तिगत अनुभवों की सार्थकता की खोज के रूप में देखें तथा ज्ञान निर्माण को मननशील अधिगम की लगातार उभरती प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें,
- ज्ञान को पाठ्यपुस्तकों के बाह्य ज्ञान के रूप में न देखकर साझा संदर्भों और व्यक्तिगत संदर्भों में उसके निर्माण को देखें,
- समाज के प्रति अपना दायित्व समझें और, बेहतर विश्व के लिए काम करें,

- उत्पादक कार्य के महत्त्व को समझें तथा कक्षा के बाहर और अंदर व्यावहारिक अनुभव देने के लिए कार्य को शिक्षण का माध्यम बनाएँ,
- पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उसके नीतिगत-निहितार्थ एवं पाठों का विश्लेषण करें।

इस प्रकार आपने यह जाना होगा कि कैसे सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हो? जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के दर्शन को वास्तविक रूप से कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सके।

आप जानते है कि 21 वीं शताब्दीं के सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों में वैश्वीकरण, सार्वजनीकरण, निजीकरण तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक संदर्भों के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए कई कौशलों एवं योग्यताओं की आवश्यकता होगी। इसी बात को ध्यान रखते हुए अब हम सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए उन जरूरी कौशलों एवं योग्यताओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

अभ्यास प्रश्न

4. ज्ञान को पाठ्यपुस्तकों के बाह्य ज्ञान के रूप में न देखकर साझा संदर्भों और व्यक्तिगत संदर्भों में उसके निर्माण को देखें यह सुझाव कौन-सी विद्यालयी शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में दिया गया है?

4.4 सामाजिक विज्ञान के शिक्षक में कौशल एवं योग्यताएँ

अब तक आपने समझा होगा कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 पर पुनर्विचार समिति-1990 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की आवश्यक तैयारी हेतु अनेक सुझाव दिए गए है। अब इन सुझावों व अनुशंसाओं के आधार पर तथा 21 वीं शताब्दीं की वैश्वीकरण, सार्वजनीकरण, निजीकरण और सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक संदर्भों के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों में जो आवश्यक कौशल एवं योग्यताएँ होनी चाहिए, उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। इन दो भागों को भी अलग-अलग उप-भागों में वर्गीवृफत कर विस्तृत व्याख्या की गई है जिसे फ्लोचार्ट में दर्शाया गया है।

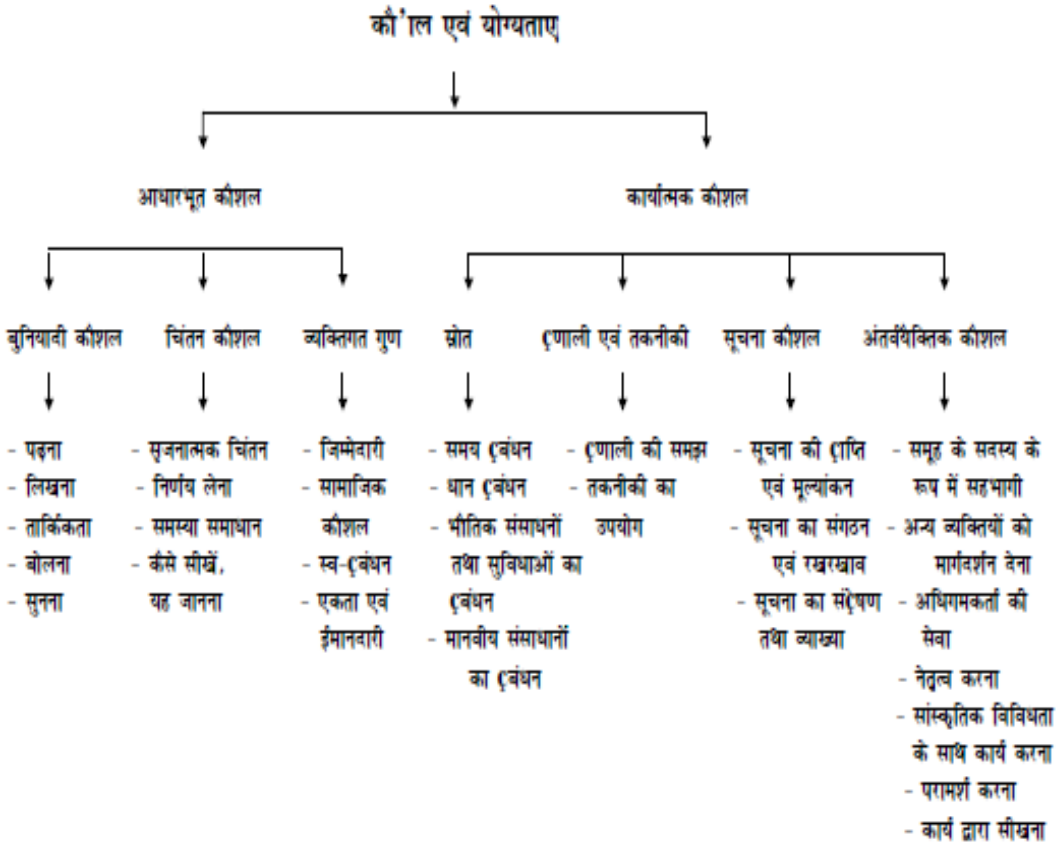

i. आधार भूत कौशल - सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए आवश्यक आधार भूत कौशल, जिन्हें स्थानांतरणीय कौशल भी कहते हैं।

ii. कार्यात्मक कौशल - सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए कार्य से संबंधित विशिष्ट कौशलों को कार्यात्मक कौशल कहते हैं।

अब आप, आपमें सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक के रूप में आवश्यक आधार भूत एवं कार्यात्मक कौशलों का विकास करने के लिए विस्तृत अध्ययन करेंगे।

4.4.1 आधार भूत कौशल

सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए जरूरी आधार भूत कौशलों के अंतर्गत बुनियादी कौशल, चिंतन कौशल तथा व्यक्तिगत गुणों का बिन्दुवार वर्णन किया गया है। जो इस प्रकार है -

1. बुनियादी कौशल

i. **पढ़ना -** किताबों, रिपोर्टों, दिशा-निर्देशों आदि में लिखित सूचनाओं को पहचानना, समझना तथा व्याख्या करना। लिखित सूचना के मुख्य संदेश या मुख्य विचार पर निर्णय लेना सीखना।

ii. **लिखना -** चिंतन, विचार, सूचना एवं संदेशों को लिखित में संप्रेषित करना। अधिगमकर्ता, उद्देश्य एवं विषयवस्तु के अनुसार उपयुक्त भाषा, शैली, संरचना तथा निर्धारित प्रारूप में पत्र, रिपोर्ट, प्रस्ताव, ग्राफ , फ्लोचार्ट , दिशा-निर्देश, निर्देशिका आदि लिखना।

iii. **तार्किकता -** बुनियादी गणनाओं में आधारभूत संकल्पनाओं का उपयोग करना जैसे - प्रायोगिक स्थिति में पूर्णांक तथा प्रतिशतांक। मात्रात्मक सूचना को समझने के लिए सारणी, ग्राफ, आरेख, चार्ट आदि का प्रयोग करना।

iv. **बोलना -** परिस्थिति एवं सुनने वालों के अनुसार उपयुक्त संगठित विचारों का मौखिक संप्रेषण करना। सहभागी के रूप में समूह प्रस्तुतीकरण, विचार-विमर्श तथा चर्चा में स्पष्ट बोलना।

v. **सुनना -** सावधानीपूर्वक सुनना एवं समझना तथा सुनने वालों को उचित फीडबैक देना। स्वीकारने, व्याख्या करने तथा प्रतिक्रिया व्यक्त करने में वाचिक संदेशों के साथ शारीरिक भाषा (हाव-भाव) का उपयोग करना।

2. चिंतन कौशल

i. **सृजनात्मक चिंतन -** मुक्त चिंतन करना, नए तरीके से सूचनाओं या विचारों को जोड़ना, अलग-अलग विचारों के मध्य संबंध बनाना तथा नवीन संभावनाओं को प्रकट करने में उद्देश्यों का पुनर्निधारण करना।

ii. **निर्णय लेना -** विशिष्ट उद्देश्यों एवं प्रतिबंधों का निर्धारण करना, विकल्पों का निर्माण करना, जोख़िम समझना, अच्छे विकल्प का चयन एवं मूल्यांकन करना।

iii. **समस्या समाधान -** समस्या उत्पन्न होने के कारणों को पहचानना, समस्या के समाधान के लिए संभावित कारणों की पहचान कर योजना बनाना तथा उसका क्रियान्वयन करना। योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी कर मूल्यांकन करना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर योजना पर पुनर्विचार करना।

iv. **कैसे सीखें, यह जानना -** एक समान तथा अलग-अलग परिस्थितियों में नए ज्ञान एवं कौशलों का उपयोग करना तथा सीखना एवं गलत अवधारणाओं के प्रति जागरूक रहना अन्यथा वह गलत परिणाम दे सकती हैं।

3. व्यक्तिगत गुण

i. **जिम्मेदारी -** लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयत्न करना, उत्कृष्ट स्तर का कार्य करना, पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करना, दिए गए अरुचिकर कार्य को भी अच्छा करना, उच्च स्तर की एकाग्रता का गुण प्रदर्शित करना।

ii. सा**माजिक कौशल -** समूह में समझदारी, बंधुत्व, सहमति, विनम्रता एवं तादात्म्य का परिचय देना, स्वयं द्वारा अच्छी एवं बुरी सामाजिक परिस्थितियों में आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार करना, दूसरों से अच्छे संबंध स्थापित करना, उचित प्रतिक्रिया देना, लोग क्या कहेंगे? इस बात पर ध्यान न देकर रुचिपूर्वक कार्य करना।

iii. **स्व-प्रबंधन -** स्वयं के ज्ञान, कौशल एवं योग्यताओं का सही आकलन करना, स्पष्ट एवं वास्तविक व्यक्तिगत लक्ष्य होना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रगति की निगरानी करना तथा स्वयं को लक्ष्य की उपलब्धि पर अभिप्रेरित करना, स्व-नियंत्रण प्रदर्शित करना तथा फीडबैक पर बिना भाव के प्रतिक्रिया व्यक्त करना, स्वयं शुरुआत करने वाला बनना।

iv. **एकता एवं ईमानदारी -** विश्वास होना, निर्णय लेने में आने वाली समस्याओं का सामना करना, सामाजिक एवं व्यक्तिगत मूल्यों को सामान्यतः कार्य के अनुसार बनाए रखना, संगठन, स्वयं तथा अन्यों के प्रति नियम एवं विश्वास की समझ होना, कार्य के लिए नैतिकता का चयन करना।

अभ्यास प्रश्न

5. बुनियादी कौशल, चिंतन कौशल एवं व्यक्तिगत गुण किस प्रकार के कौशल के अंतर्गत आते हैं?

4.4.2 कार्यात्मक कौशल

यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए आवश्यक कार्यात्मक कौशलों के अंतर्गत स्रोत, प्रणाली एवं तकनीकी, सूचना कौशल तथा अंतवैयक्तिक कौशल का बिन्दुवार वर्णन किया गया है। जो इस प्रकार है -

1. स्रोत

i. **समय प्रबंधन -** महत्वपूर्ण तथा लक्ष्य से संबंधित गतिविधियों का चयन करना, उन्हें महत्ता के अनुसार क्रम प्रदान करना तथा गतिविधियों का समय निर्धारण करना।

ii. **धन प्रबंधन -** योजनानुसार बजट तैयार करना व उपयोग करना, बजट में दर्शायी गईं मदों के अनुसार धन व्यय करना तथा निगरानी करना, बजट निष्पादन एवं उचित समायोजन के सभी दस्तावेज रखना।

iii. **भौतिक संसाधनों तथा सुविधाओं का प्रबंधन -** भौतिक संसाधनों तथा सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करना तथा उनकी प्राप्ति, संग्रहण एवं वितरण उचित ढंग से करना।

iv. **मानवीय संसाधनों का प्रबंधन -** शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों के ज्ञान, कौशल, योग्यता एवं क्षमता का आकलन करना, वर्तमान तथा भविष्य के कार्यभार को पहचानना, व्यक्तिगत प्रतिभा एवं कार्यभार के मध्य प्रभावी संबंध बनाना, निष्पादन की निगरानी करना एवं फीडबैक प्रदान करना।

2. प्रणाली एवं तकनीकी

i. **प्रणाली की समझ -** यह जानना कि शैक्षणिक, संस्थागत, सामाजिक एवं तकनीकी प्रणाली कैसे कार्य करती है, तथा उनका प्रभावी संचालन। सेवाओं, उन्नति तथा प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव देना तथा गुणवत्ता नियंत्राण एवं सुधार हेतु वैकल्पिक या नवीन प्रणाली का विकास करना।

ii. **तकनीकी का उपयोग -** वांछनीय परिणामों की प्राप्ति के लिए कौन-सी मशीन/उपकरण या प्रक्रिया उपयुक्त होगी, इसका अनुमान लगाना। मशीन के संचालन के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया के साथ कम्प्यूटर एवं उसकी प्रोग्रामिंग तथा उद्देश्यों को समझना। कम्प्यूटर, मशीन या अन्य तकनीकी की सुरक्षा तथा चिन्हित समस्याओं का समाधान करना। इंटरनेट पर उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री का उचित आकलन कर उपयोग करना।

3. सूचना कौशल

i. **सूचना की प्राप्ति एवं मूल्यांकन -** तथ्यों के लिए आवश्यकता की पहचान करना, अस्तित्व में है उन स्रोतों से या नवीन स्रोतों से तथ्य प्राप्त करना तथा उनकी शु(ता, प्रमाणिकता एवं प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना।

ii. **सूचना का संगठन एवं रख-रखाव -** सूचना को लिखित या कम्प्यूटराइज रिकॉर्ड एवं अन्य तरीके से व्यवस्थित रखना तथा संगठित करना।

iii. **सूचना का संप्रेषण तथा व्याख्या -** चयनित तथा विश्लेषित सूचना एवं परिणामों को मौखिक, लिखित, ग्रापिफक, चित्रात्मक तथा मल्टीमीडिया विधि से अन्य लोगों के उपयोग हेतु संप्रेषित करना।

4. अंतर्वैयक्तिक कौशल

i. **समूह के सदस्य के रूप में सहभागिता -** सामूहिक प्रयासों में अपने विचार, सुझाव तथा प्रयासों से सहयोग देना तथा अन्यों के साथ मिलकर कार्य करना। समूह के लाभ के लिए निश्चय करना तथा लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत जिाम्मेदारी लेना।

ii. **अन्य व्यक्तियों को मार्गदर्शन देना -** आवश्यक सूचना तथा कौशल प्राप्त करने में अन्य लोगों की मदद करना। आवश्यक प्रशिक्षण की पहचान करना तथा अन्य लोगों की मदद हेतु आवश्यक सूचना प्रदान करना, जो उनके कार्य के लिए प्रासंगिक तथा उपयोगी हो।

iii. **अधिगमकर्ता की सेवा -** अधिगमकर्ता की अपेक्षा को संतुष्ट करने के लिए उनके साथ काम करना, अधिगमकर्ता की बात ध्यानपूर्वक सुनना, उनकी गलत धारणा को दूर करना एवं उनकी आवश्यकताएँ पहचानना, विशेषकर विवाद या शिकायत की स्थिति में सकारात्मक तरीके से समाधान करना।

iv. **नेतृत्व करना -** अपने चिंतन, विचार व अनुभव के आधार पर पद के प्रति न्याय करना, समूह या व्यक्ति को अभिप्रेरित करना तथा विश्वास कराना, वर्तमान में चल रही नीतियों एवं प्रक्रियाओं की चुनौतियों की जिम्मेदारी लेना।

v. **सांस्कृतिक विविधता के साथ कार्य करना -** पुरुषों एवं महिलाओं के साथ अच्छा कार्य करना, क्योंकि वह विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि के होते हैं। व्यक्तिगत निष्पादन के आधार पर प्रभावी बनना, न कि दृढ़ बनना।

vi. **परामर्श कौशल -** परामर्श के कौशल और क्षमताओं का विकास करना ताकि विद्यार्थियों की शैक्षणिक, व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का समाधान सुझाने में सहायता कर सकें।

vii. **कार्य द्वारा सीखना -** कार्य के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान तथा विविध मूल्यों एवं विविध कौशलों का विकास किस प्रकार होता है? इसकी शिक्षा देना सीखना।

अब तक आपने जाना होगा कि सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक में कौन-कौन से आवश्यक आधार भूत एवं कार्यात्मक कौशल होना चाहिए? अब हम सामाजिक विज्ञान के एक मननशील शिक्षक पर चर्चा करेंगे।

अभ्यास प्रश्न

6. अंतर्वैयक्तिक कौशल के कौन-कौन से घटक हैं?

4.5 सामाजिक विज्ञान का मननशील शिक्षक

आप सब जानते हैं कि समयानुसार शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन नितांत आवश्यक है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा विनियम, 2014 के आधार पर शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को नया स्वरूप प्रदान किया गया है। जिससे संवैधानिक सिद्धंतों एवं शैक्षिक लक्ष्यों तक पहुँचने का प्रयास किया गया है। जिसमें शिक्षकों या विद्यार्थी-शिक्षकों को शिक्षण के विभिन्न उपागमों का उपयोग या प्रयोग करने में निपुण बनाने अर्थात मननशील शिक्षक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस आधार पर समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों में शिक्षण-अधिगम क्रियाकलापों से जुड़े तमाम कौशलों एवं क्षमताओं को विकसित करने प्रयास किया जा रहा है। अब इस विनियम को संवेदनशीलता पूर्वक क्रियान्वित करने की जरूरत है। जिसमें देश के तमाम

विश्वविद्यालयों, शिक्षक शिक्षा संस्थानों तथा विद्यालयों की अहम भूमिका होगी। तभी हम एक श्रेष्ठ समाज या राष्ट्र का नवनिर्माण कर सकेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि एक सामाजिक संवेदनशील राष्ट्र का निर्माण वास्तव में विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों द्वारा किया जाता है।

मननशील शिक्षण, सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा व सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपको अच्छा सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए मननशील शिक्षण आना अति आवश्यक है। इसके अलावा आर.टी.ई. एक्ट-2009 द्वारा भी सामाजिक विज्ञान के मननशील शिक्षण या शिक्षक की जरूरत पर जोर दिया गया है। आर.टी.ई. एक्ट-2009 की धरा 29 में सामाजिक विज्ञान के मननशील शिक्षक से पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित अपेक्षाएं की गई हैं कि वह -

- संविधन में प्रतिष्ठापित (Enshrined) मूल्यों से अनुरूपता करें,
- बालक का सर्वांगीण विकास करें,
- बालक के ज्ञान, अन्तःशक्ति (Potentiality) और योग्यता (Talent) का निर्माण करें,
- पूर्णतम मात्रा (Fullest extent) तक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं (Abilities) का विकास करें,
- बाल अनुकूलन और बाल केन्द्रित रीति से क्रियाकलापों, प्रकटीकरण (Exploration) और खोज के द्वारा शिक्षण करें,
- शिक्षा का माध्यम, जहाँ तक साध्य हो बालक की मातृभाषा में हो, यह सुनिश्चित करें,
- बालक को भय, मानसिक अभिघात (Trauma) और चिन्तामुक्त बनाना और बालक को स्वतंत्रा रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करें,
- बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत् मूल्यांकन करें।
- अब तक आपने समझा होगा कि सामाजिक विज्ञान के लिए एक मननशील शिक्षक क्यों आवश्यक है? अब हमें यहाँ पर समझना जरूरी है कि मननशील शिक्षण क्या है ? मननशील शिक्षण कैसा हो ? मननशील शिक्षण के लिए विद्यालय या कक्षा-कक्ष का वातावरण कैसा हो ? सामाजिक विज्ञान का शिक्षक कैसे जाने की वह मननशील शिक्षण कर रहा है या नहीं ? इस तरह के कई प्रश्न हैं। जिनके बारे में अब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे।

अभ्यास प्रश्न

7. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) के कौन-से विनियम के तहत मननशील शिक्षक बनाने का लक्ष्य रखा गया है?

4.5.1 मननशील (रिफ्लेक्शन) का अर्थ

आपको सर्वप्रथम मननशील (रिफ्लेक्शन) का अर्थ जानना जरूरी है। शिक्षा के संदर्भ में मननशील होना अर्थात हमारा ऐसा व्यवहार जो किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संदेश दे। मननशील होने में मनुष्य के दिमाग, दिल एवं हाथों के मध्य गहरे सम्बन्ध के साथ, अंतर्दृष्टि एवं क्रिया शामिल है। इस प्रकार मननशील होना मनुष्य की एक मानसिक या व्यावहारिक क्रिया है, जो किसी तरह के व्यवहार, विचार या चिन्तन पर हो सकता है। चोन (1983) ने भी कहा कि किसी व्यक्ति का मननशील होना एक मानसिक गतिविधि है, जो क्रिया के पूर्व, क्रिया के दौरान तथा/या क्रिया के पश्चात् हो सकती है। अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के द्वारा किया जाने वाला रिफ्लेक्शन , षिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से जुडे प्रत्येक पहलु से सम्बंधित हो सकता है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के विद्यालय के अंदर एवं बाहर कई तरह के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। जिसमें शिक्षकों के -

- व्यवहार एवं अभिव्यक्ति के तरीके पर स्वयं का रिफ्लेक्शन ,
- व्यवहार एवं अभिव्यक्ति के तरीके पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवलोकन के आधार पर दिए गए फीडबैक से प्राप्त रिफ्लेक्शन ,
- शिक्षण-अधिगम का विद्यार्थियों की उपलब्धि व निष्पादन के परिणामों के आधार पर रिफ्लेक्शन
- स्वयं पर बनाई गई ऑडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग के अवलोकन से प्राप्त रिफ्लेक्शन
- मननशील /रिफ्लेक्टीव जर्नलों/लेखों (स्वयं के अनुभवों पर आधरित लेखों) के आधार पर प्राप्त रिफ्लेक्शन , आदि।

अभी आपने मननशील (रिफ्लेक्शन) का अर्थ समझा होगा। अब हम मननशील शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे।

अभ्यास प्रश्न

8. चोन के अनुसार किसी व्यक्ति के मननशील होने से क्या तात्पर्य हैं?

4.5.2 मननशील शिक्षण

अब हम यह समझेंगे कि मननशील शिक्षण क्या है ? आधुनिक शिक्षा के जनक जॉन डीवी (1910, 1916) ने सर्वप्रथम मननशील शिक्षण के बारें में लिखा था। उन्होंने कहा था कि शिक्षकों को अपनी टिप्पणियों, ज्ञान एवं अनुभव पर चिंतन (रिफ्लेक्ट) करने के लिए समय देना चाहिए। ताकि वे प्रत्येक बच्चे में प्रभावी रूप से अधिगम का पोषण कर सकें। इसी बात पर अर्थात मननशील शिक्षण पर एन.सी.एपफ.-2005 में भी जोर दिया गया है।

फ्मननषील शिक्षण से तात्पर्य, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा सम्बंधित कक्षा के विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि तथा उनके सम्बंधित विषयवस्तु में पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, विषयवस्तु को उपयुक्त शिक्षण विधि द्वारा कक्षा में अंतर्क्रियात्मक तरीके से पढ़ाना है। यहाँ पर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के द्वारा सीखने-सिखाने हेतु किए गए प्रयासों से है। साथ ही, उसके शिक्षण-अधिगम क्रियाकलापों से विद्यार्थियों ने विषयवस्तु के बारे में कितना सीखा, यह जानने के लिए आकलन की विविध प्रक्रियाओं का प्रयोग करना भी शामिल है। साथ ही, वह स्वयं के व्यवहार व पढ़ाने के तरीके, शिक्षण की उपयुक्त विध्यिों व आकलन की प्रक्रियाओं का चयन करने, कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता, कक्षा प्रबंधन आदि का भी आकलन करता है। अतः इस प्रक्रिया से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षक निरन्तर अपनी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता हेतु सुधर करता है।य्

यहाँ पर आपने सामाजिक विज्ञान के शिक्षक से अपेक्षित मननशील शिक्षण के बारे में समझा होगा। अब हम सामाजिक विज्ञान के मननशील शिक्षण के महत्वपूर्ण घटकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

अभ्यास प्रश्न

9. मननशील शिक्षण के बारें में सर्वप्रथम किसने लिखा था?

4.5.3 मननशील शिक्षण के घटक

आपने मननशील का अर्थ एवं मननशील शिक्षण का तात्पर्य समझा होगा। अब हम मननशील शिक्षण के महत्वपूर्ण घटकों पर चर्चा करेगें। जो इस प्रकार हैं -

- विद्यार्थियों की समझ
- विषय का ज्ञान व समझ
- शिक्षण के रचनात्मक उपागमों का उपयोग
- आकलन की विविध प्रक्रियाएँ
- विद्यार्थियों की सहभागिता
- कक्षा-कक्ष प्रबंधन
- विद्यालय प्रमुख/प्राचार्य या विद्यालय प्रशासन का सहयोग
- अवलोकन एवं अवलोकनकर्ता

i. **विद्यार्थियों की समझ -** एक सामान्य कक्षा की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में समावेशी शिक्षा प्रदान करने तथा सामाजिक विज्ञान का मननशील शिक्षक बनने के लिए सामाजिक विज्ञान के

शिक्षक को कक्षा के विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि - सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शारीरिक व मानसिक - की समझ होना जरूरी है। क्योंकि कक्षा में विभिन्न संप्रदाय, वर्ग, रंग, जाति, जनजाति, जेंडर, भाषा या बोली, क्षेत्रा तथा शारीरिक व मानसिक रूप से दुर्बल (विशष समूह के) विद्यार्थी होते हैं। अतः शिक्षक में कक्षा के सभी विद्यार्थियों की विविधता तथा उनके हितों का (बिना किसी भेदभाव के) सम्मान करते हुए समान शिक्षा प्रदान करने की समझ होना आवश्यक है।

इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को समावेशन को एक गतिशील उपागम के रूप में देखना होगा, जिसमें विद्यार्थियों की विविधता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देना तथा व्यक्तिगत भिन्नता को एक समस्या के रूप में न देखकर, अधिगम में संवर्धन के लिए एक अवसर के रूप में देखना होगा। साथ ही, विद्यार्थियों की भाषागत पृष्ठभूमि के आधार पर कक्षा में बातचीत की प्रकृति, मौखिक भाषा, कक्षा में प्रश्न पूछने की प्रकृति एवं प्रश्नों के प्रकार आदि की समझ भी जरूरी है।

ii. **विषय का ज्ञान व समझ -** मननशील शिक्षण के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का शिक्षक कक्षा में जिस विषय की विषयवस्तु को पढ़ाने वाला है, उसका व्यापक ज्ञान व समझ होना आवश्यक है। साथ ही पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु के बारे में वैश्विक, स्थानीय व विद्यालयी परिवेश में उपलब्ध जानकारी को जरूर एकत्रित कर स्वयं को अपडेट करना होगा अर्थात ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन तथा विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़े अनुभवों से जोड़ने का प्रयास करना होगा। जिससे आप शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की जिज्ञासा का उपयुक्त समाधन कर सकेंगे।

iii. **शिक्षण के रचनात्मक उपागमों का उपयोग -** मननशील शिक्षण में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ तथा विषय का ज्ञान एवं समझ होने के साथ-साथ पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि व शिक्षण सहायक सामग्री का ज्ञान तथा प्रयोग करने की समझ होना आवश्यक है। इसके साथ ही, सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को यह भी स्वीकार करना होगा कि सभी तरह का शिक्षण, अधिगम को निर्देशित करता है तथा शिक्षण के केन्द्र में विद्यार्थी होता है (होल्ट 1964)। क्योंकि शिक्षण का कार्य - मूल्य, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य व्यक्तिगत सम्बन्ध , विद्यार्थियों के बीच सम्बन्ध , स्वायत्तता, आत्म-सम्मान एवं विद्यार्थियों को अनुभव व्यक्त करने की स्वतंत्राता देने के साथ उनके व्यक्तित्व से जुड़े सभी पहलुओं को आकार देना है।

क्योंकि विषय एवं विषयवस्तु की प्रकृति के अनुसार शिक्षण- अधिगम प्रक्रिया में उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन व प्रयोग कर विद्यार्थियों में पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु की व्यापक समझ विकसित की जा सकती है, अतः विद्यार्थियों को स्वयं अपना ज्ञान सृजित करने का अवसर मिल सकेगा। साथ ही, स्थानीय (समुदाय के सहयोग से) व विद्यालयी परिवेश में न्यूनतम लागत या निःशुल्क उपलब्ध शिक्षण सहायक सामग्री का चयन व प्रयोग कर

विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु के बारे में अधिक तम सीखा सकते है, अर्थात पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करने का प्रयास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री के एकत्रीकरण व प्रयोग में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता लेने से, विद्यार्थी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में रुचिपूर्वक अंतर्क्रिया कर सीखेंगे।

कभी-कभी विषयवस्तु की प्रकृति के अनुसार विद्यार्थियों के शिक्षण-अधिगम क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने से, विद्यार्थी सामुदायिक क्रियाकलापों से जुड़कर सीखेंगे। इसके अलावा, जहाँ जरूरी हो वहाँ पर मल्टीमीडिया (आई.सी.टी.) संसाधनों जैसे - कम्प्यूटर, इन्टरनेट, ऑडियो-वीडियो कार्यक्रम (सी.डी./डी.वी.डी.), मोबाइल (स्मार्टफोन) आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। इनकी सहायता से शिक्षकों को शिक्षण-अधिगम के लिए तकनीकी संसाधनों का एकीकरण, अध्ययन सामग्री का विकास, बाँटने (शेयरिंग) व अधिगम के लिए सहयोगात्मक नेटवर्क विकसित करने में मदद मिलेगी।

iv. **आकलन की विविध प्रक्रियाएँ -** " सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा कक्षा में पढ़ाई गई विषयवस्तु को विद्यार्थियों ने कितना समझा या सीखा?" इसका आकलन करने के लिए विषयवस्तु की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त आकलन प्रक्रियाओं का प्रयोग करना होगा। जिससे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों से जुड़ी उपलब्धि व निष्पादन का वस्तुनिष्ठ आकलन कर उनकी विषयवस्तु के प्रति समझ की वास्तविक स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार आकलन की इस प्रक्रिया को ही सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) कहते है, जो शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के साथ-साथ निरन्तर चलती रहती है। अतः इस प्रक्रिया को अपनाने से परीक्षा प्रणाली अधिक लचीली होगी।

चूँकि आकलन के केन्द्र में विद्यार्थी है, इसलिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को आकलन करते समय विद्यार्थी के आत्म-सम्मान, पहचान एवं अभिप्रेरणा पर ध्यान देना होगा। साथ ही उसे आकलन के माध्यम से श्रेष्ठ अधिगम , अभिप्रेरणा तथा स्व-आकलन के लिए विद्यार्थियों की मदद करना होगा। तभी विद्यार्थियों में अधिगम के घटकों जैसे - ज्ञान, कौशल, मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति, आदतें आदि की पहचान की जा सकेगी।

इस प्रकार सामाजिक विज्ञान का शिक्षक आकलन की विविध प्रक्रियाओं से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को उनके पूर्ण निष्पादन की वास्तविक स्थिति से अवगत कर सकेंगे तथा उन्हें आगामी अध्ययन हेतु सकारात्मक सुझाव दे सकेंगे। इसके अलावा, आकलन की प्रक्रिया से शिक्षक को स्वयं द्वारा अपनाई गई शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निष्पादन के आधार पर फीडबेक मिलेगा। जिससे वह अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान कर उचित सुधार व संवर्धन करेगा।

अतः सामाजिक विज्ञान के मननशील शिक्षक को आकलन की विविध प्रक्रियाओं का ज्ञान, समझ, प्रयोग, मापन तथा निष्कर्षों के आधार पर परिणाम निकालते आना चाहिए तथा प्राप्त परिणामों की व्याख्या कर विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को समझाते आना चाहिए।

v. **विद्यार्थियों की सहभागिता -** शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया तभी मननशील हो सकती है, जब तक कि विद्यार्थियों की पूर्ण सक्रिय सहभागिता न हो। अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षक में इस बात की क्षमता हो कि वह कक्षा का वातावरण अनुशासित एवं लोकतांत्रिक तथा अधिगम योग्य बना सके। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करे कि विद्यार्थियों को अंतर्क्रिया का पूर्ण अवसर मिले। क्योंकि विद्यार्थी विविध स्थितियों जैसे - परिवेश, घर, विद्यालय, समुदाय, सहपाठी इत्यादि से अपने अनुभव प्राप्त कर सीखता है।

साथ ही, विद्यार्थियों में सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों एवं अंतर्वैयक्तिक सम्बन्धें जैसे - विद्यार्थी-शिक्षक, विद्यार्थी-विद्यार्थी, विद्यार्थी-प्रसाशन सम्बन्ध तथा विशेष समूह के विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार का पोषण होगा। इसके अतिरिक्त उनमें विवेचनात्मक चिंतन (अपने ज्ञान व समझ को परखने का अवसर) एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास भी होगा, जो उनके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।

vi. **कक्षा-कक्ष प्रबंधन -** मननशील शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के शिक्षक में कक्षा-कक्ष प्रबंधन क्षमता होना आवश्यक है। क्योंकि कक्षा में मननशील शिक्षण के दौरान अधिगम योग्य वातावरण तथा लचीली बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे शिक्षक को कक्षा में विषयवस्तु की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग तथा समूह गतिविधि करवाने में सुविध होगी।

इस कौशल से शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए उनका आकलन कर सकते हैं, तथा विद्यार्थियों को भी कक्षा में आने-जाने में सुविध होगी। शिक्षक को, कक्षा-कक्ष प्रबंधन में मानवीय अंतर्वैयक्तिक सम्बन्धें (जैसे - विद्यार्थी-शिक्षक, विद्यार्थी-विद्यार्थी, विद्यार्थी-प्रशासन सम्बन्ध) एवं विशेष समूह के विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार तथा सहयोगात्मक आचरण पर ध्यान देना होगा। इसके साथ, कक्षा में प्रकाश एवं हवा की उचित व्यवस्था, बैठक (पफर्नीचर) व्यवस्था, ब्लैक/व्हाइट बोर्ड, शिक्षण सहायक सामग्री व उपकरणों का रख-रखाव, चार्ट एवं पोस्टरों का प्रदर्शन, संदर्भ पाठ्य सामग्री का रख-रखाव (सीखने का कोना), स्वच्छता एवं सौंदर्य आदि का विद्यार्थियों के सक्रिय सहयोग से प्रबंधन करना होगा। इस प्रकार रुचिकर व अधिगम योग्य वातावरण निर्मित करने से विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी तथा वे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से अंतर्क्रिया करेंगे।

vii. **विद्यालय प्रमुख/प्राचार्य या विद्यालय प्रशासन का सहयोग**- मननशील शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में विद्यालय प्रशासन की सबसे अहम भूमिका है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा विद्यालय प्रमुख/प्राचार्य या विद्यालय प्रशासन को विद्यार्थियों के हित में की जाने वाली नवाचार शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से अवगत कराना होगा तथा उनका इस नवाचार प्रक्रिया में सहयोग व सुझाव प्राप्त करना होगा। क्योंकि ऐसी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, लचीली समय-सारणी तथा विद्यालय में उपलब्ध मानवीय, भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों के सहयोग के बिना संभव नहीं है।

यहाँ तक की कुछ विषयों की विषयवस्तु के प्रकृति के अनुसार विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आयोजित करने से पूर्व उनके अभिभावकों से भी अनुमति प्राप्त करना जरूरी होता है।

इस प्रकार मननशील शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सहज, सरल, रुचिकर व अधिगम योग्य बनाने में विद्यालय प्रमुख/प्राचार्य या विद्यालय प्रशासन, साथी शिक्षकों, विद्यार्थियों, अन्य सह-कर्मचारियों एवं अभिभावकों का सहयोग आवश्यक है।

viii. **अवलोकन एवं अवलोकनकर्ता -** बिना अवलोकन एवं अवलोकनकर्ता के मननशील शिक्षण संभव नहीं है। अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षक में अवलोकन करने का कौशल तथा अवलोकनकर्ता द्वारा दिए गए फीडबैक को स्वीकार करने की क्षमता होना अत्यंत आवश्यक है। मननशील शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा कक्षा में किए गए व्यवहारों एवं गतिविधियों के प्रत्येक पहलुओं का अवलोकन करना आवश्यक है। जो स्वयं द्वारा बनाई गई या पूर्व में विकसित अवलोकन अनुसूचियों, निष्पादन सूचकों, मोबाइल (स्मार्टपफोन) से स्वयं पर बनाई गई ऑडियो व वीडियो रिकार्डिंग, विवेचनात्मक मूल्यांकन, जाँच-पड़ताल आदि के आधार पर किया जा सकता है। यह कार्य साथी शिक्षकों, विद्यार्थियों, विद्यालय के प्राचार्य, पशेवर शिक्षकों आदि के सहयोग से करना होगा।

इस प्रकार सामाजिक विज्ञान का शिक्षक, अवलोकनकर्ता द्वारा दिए गए फीडबैक या मोबाइल (स्मार्टपफोन) द्वारा स्वयं पर बनाई गई ऑडियो व वीडियो रिकार्डिंग को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए अपने शिक्षण-अधिगम क्रियाकलापों के मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान कर निरन्तर शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकेगा। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान का शिक्षक, स्वयं अपने शिक्षण-अधिगम क्रियाकलापों से प्राप्त अनुभवों को लिखकर (मननशील जर्नल/लेख) तथा उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन कर शिक्षण में सुधर कर सकता है। साथ ही, अपने साथी शिक्षकों एवं पेशेवर शिक्षकों के साथ स्वयं द्वारा लिखे गए मननशील जर्नलों पर समूह चर्चा या विचार-विमर्श कर अपने शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। इस गतिविधि से शिक्षक को सैद्धंतिक तथा विद्यालय के अंदर एवं बाहर के अधिगम को ज्ञान के सृजन के रूप में अवलोकन करने का अवसर मिल सकेगा।

इस प्रकार आपने सामाजिक विज्ञान के मननशील शिक्षक के लिए जरूरी मननशील शिक्षण के महत्वपूर्ण घटकों जैसे - विद्यार्थियों की समझ, विषय का ज्ञान व समझ, शिक्षण के रचनात्मक उपागमों का उपयोग, आकलन की विविध प्रक्रियाएँ, विद्यार्थियों की सहभागिता, कक्षा-कक्ष प्रबंधन , विद्यालय प्रमुख/प्राचार्य या विद्यालय प्रशासन का सहयोग तथा अवलोकन एवं अवलोकनकर्ता के बारे में समझा होगा।

अभ्यास प्रश्न

10. मननशील शिक्षण के कौन-कौन से महत्वपूर्ण घटक है?

4.6 सारांश

इस इकाई में आपने आज के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयवस्तु का अध्ययन किया। जिसमें आपने सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के दार्शनिक दृष्टिकोण को समझा। इसके साथ ही, हमारे देश में सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की शिक्षा पर विभिन्न आयोगों, समितियों आदि के विचारों के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा आयोग तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 पर पुनर्विचार समिति-1990 में दिए गए सुझावों का अध्ययन किया। आपने विद्यालयी शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक तैयारी हेतु दी गई बातों पर चर्चा को समझा। इसके अलावा, सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों में आवश्यक कौशल एवं योग्यताएँ तथा आधार भूत एवं कार्यात्मक कौशलों के बारे में आपने विश्लेष्णात्मक अध्ययन किया। आर.टी.ई. एक्ट-2009 एवं एन.सी.टी.ई. विनियम, 2014 के अनुसार आपने सामाजिक विज्ञान के लिए एक मननशील शिक्षक बनने हेतु मननशील का अर्थ, मननशील शिक्षण का तात्पर्य तथा मननशील शिक्षण के महत्वपूर्ण घटकों जैसे - विद्यार्थियों की समझ, विषय का ज्ञान व समझ, शिक्षण के रचनात्मक उपागमों का उपयोग, आकलन की विविध प्रक्रियाएँ, विद्यार्थियों की सहभागिता, कक्षा-कक्ष प्रबंधन , विद्यालय प्रमुख/प्राचार्य या विद्यालय प्रशासन का सहयोग तथा अवलोकन एवं अवलोकनकर्ता के बारे में विस्तृत अध्ययन किया।

4.7 शब्दावली

यह स्व-अधिगम सामग्री है। अतः इस इकाई में आए तकनीकी शब्दों का अर्थ जानने के लिए इंटरनेट या शब्दकोश का उपयोग करें। इसके अलावा आप अपने परिवेश में रहने वाले शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, शिक्षाविदों , शैक्षिक अधिकारियों , शिक्षक शिक्षा में शोध करने वाले शोधार्थियों आदि से तकनीकी शब्दों पर चर्चा करें। इस प्रक्रिया से आप में शैक्षिक तकनीकी की समझ एवं समुदाय के साथ कार्य कर सीखने का अवसर मिलेगा।

4.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. जे. कृष्णमूर्ति एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करते है, जहाँ विद्यार्थी को वास्तविकता का बोध कराते हुए प्रेम, करुणा, प्रज्ञा, संवेदनशीलता व अंतःज्ञान आदि गुणों से युक्त बनाए। मानवीय मूल्यों से समन्वित शिक्षा की परिकल्पना के द्वारा वह 'बालकों का व्यक्तिफत्व निर्माण' करना चाहते थे।
2. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा आयोग के अनुसार एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए विद्यार्थी-शिक्षक को आधारभूत कौशलों एवं क्षमताओं को अर्जित करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे - विद्यार्थियों की प्रबल क्षमताओं का ध्यान रखते हुए कक्षा प्रबंधन की क्षमता, तार्किक एवं स्पष्ट

विचारों का संप्रेषण, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध तकनीकी की उपयोगिता, कक्षा के बाहर के शैक्षिक अनुभवों से शिक्षित करना, समुदाय के साथ काम करना सीखना और विद्यार्थियों की मदद करना आदि।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 पर पुनर्विचार समिति-1990 ने सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को तैयार करने के अनेक सुझाव दिए। जिनमें प्रमुख रूप से शिक्षा के क्रियात्मक कौशलों एवं ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष के सभी पहलुओं का ज्ञान प्रदान करने की क्षमता विकसित करना, स्तरीवृफत समाज में शिक्षा की भूमिका की समझ तथा इस भूमिका का क्रियात्मक अर्थ प्रदान करने की योग्यता विकसित करना शामिल है।
4. ज्ञान को पाठ्यपुस्तकों के बाह्य ज्ञान के रूप में न देखकर साझा संदर्भों और व्यक्तिगत संदर्भों में उसके निर्माण को देखें यह विद्यालयी शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में सुझाव दिया गया है।
5. बुनियादी कौशल, चिंतन कौशल एवं व्यक्तिगत गुण आधार भूत कौशल के अंतर्गत आते हैं।
6. अंतर्वैयक्तिक कौशल के प्रमुख घटकों में समूह के सदस्य के रूप में सहभागिता, अन्य व्यक्तियों को मार्गदर्शन देना, अधिगम कर्ता की सेवा, नेतृत्व करना, सांस्कृतिक विविधता के साथ कार्य करना, परामर्श कौशल एवं कार्य द्वारा सीखना हैं।
7. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) के विनियम, 2014 के तहत मननशील शिक्षक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
8. चोन (1983) के अनुसार किसी व्यक्ति का मननशील होना एक मानसिक गतिविधि है, जो क्रिया के पूर्व, क्रिया के दौरान तथा/या क्रिया के पश्चात् हो सकती है।
9. आधुनिक शिक्षा के जनक जॉन डीवी (1910, 1916) ने सर्वप्रथम मननशील शिक्षण के बारें में लिखा था।
10. विद्यार्थियों की समझ, विषय का ज्ञान व समझ, शिक्षण के रचनात्मक उपागमों का उपयोग, आकलन की विविध प्रक्रियाएँ, विद्यार्थियों की सहभागिता, कक्षा-कक्ष प्रबंधन , विद्यालय प्रमुख/प्राचार्य या विद्यालय प्रशासन का सहयोग एवं अवलोकन एवं अवलोकनकर्ता मननशील शिक्षण के महत्वपूर्ण घटक है।

4.9 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. एन.सी.ई.आर.टी. (2006). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली
(http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/ncf_hindi_2005/ncf2005.pdf)

2. पाटीदार, जितेन्द्र कुमार (2011). शिक्षक ऐसा हो!. भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष-32, अंक-2, अक्टूबर, 2011, पृ.सं. 103-111 (http://www.ncert.nic.in/publication/journals/pdf_files/adhunik_shiksha/BAS_OCT2011.pdf)
3. पाटीदार, जितेन्द्र कुमार (2015). भावी शिक्षक एवं रिफ्लेक्शन -एक दृष्टिकोण (एन.सी.टी.ई. रेग्यूलेशन-2014 के आलोक में) भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष-36, अंक-1, जुलाई, 2015, पृ.सं. 47-57 (http://www.ncert.nic.in/publication/journals/pdf_files/adhunik_shiksha/basjuly2015.pdf)
4. भारत का राजपत्रा (2009): निःषुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, संख्या-39, अगस्त 27, 2009, भारत सरकार, नई दिल्ली. (http://eoc.du.ac.in/RTE%20-%20notified.pdf)
5. शर्मा, आशा (2011). मानवीय मूल्यों से समन्वित अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता. भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष-32, अंक-2, अक्टूबर, 2011, पृ.सं. 93-102 (http://www.ncert.nic.in/publication/journals/pdf_files/adhunik_shiksha/BAS_OCT2011.pdf)
6. Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. Macmillan, NewYork.
7. Holt, J. (1964). *How Children Fail* (revised ed.). Penguin Education.
8. MHRD (1984). *Report of the National Commission on Teachers (Chattopadhyaya Committee Report, 1983-85).* Govt. of India, New Delhi.
9. MHRD (1986). *National Policy on Education-1986*. Govt. of India, New Delhi. (http://www.ncert.nic.in/oth_anoun/npe86.pdf)
10. MHRD (1990). *Report of the Committee for Review of National Policy on Education 1986*. MHRD, Govt. of India, New Delhi. (http://www.teindia.nic.in/files/reports/ccr/ramamurti-committee-report.pdf)
11. MHRD (2012). *Vision of Teacher Education in India – Quality and Regulatory Perception*. Report of the High Power Commission on Teacher Education constituted by the Hon'ble Supreme Court of India (Report of Justice Verma Committee), MHRD, Govt. of India, New Delhi. (http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/JVC%20Vol%203.pdf)

12. NCERT (2006). *Position Paper National Focus Group on Teacher Education for Curriculum Renewal*. NCERT, New Delhi. (http://www.ncert.nic.in/new_ncert/ncert/rightside/links/pdf/focus_group/teacher_edu_final.pdf)
13. NCERT (2006). *Position Paper: National Focus Group on Teaching of Social Science.* NCERT, New Delhi. (http://www.ncert.nic.in/new_ncert/ncert/rightside/links/pdf/focus_group/social_sciencel.pdf)
14. NCERT (2006). *The Reflective Teacher: Organization of In-Service Training of The Teachers of Elementary Schools Under SSA*. NCERT, New Delhi.
15. NCERT (2014). *Draft Package in Social Sciences for Professional Development of In-service Teachers*. *Unpublished*, NCERT, New Delhi. (http://www.ncert.nic.in/departments/nie/dess/publication/prin_material/ITPD%20Final%20june%2014.pdf)
16. NCTE (2009). *National Curriculum Framework for Teacher Education: Towards Preparing Professional and Humane Teachers*. NCTE, New Delhi. (http://ncte-india.org/ncte_new/pdf/NCFTE_2010.pdf)
17. NCTE (2014). *National Council for Teacher Education [Recognition Norms and Procedure] Regulation, 2014*. NCTE, New Delhi. (http://ncte-india.org/ncte_new/?page_id=910)
18. NCTE (2015). *Curriculum Framework: Two - Year B.Ed. Programme.* Retrieved from http://www.ncte-india.org/Curriculum%20Framework/B.Ed%20Curriculum.pdf
19. Schon, D.A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books, New York.
20. Sue, Dymoke and Jennifer Harrison (Ed.) (2010). *Reflective Teaching and Learning*. Sage Publication Pvt. Ltd, New Delhi

4.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. देश में शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा पर गठित विभिन्न आयोगों एवं समितियों की सूची बनाइए। आपके द्वारा बनाई गई सूची में से किसी एक आयोग या समिति के शिक्षक शिक्षा या सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा पर दिए गए विचारों एवं सुझावों का वर्णन कीजिए।
2. विद्यालयी शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में उल्लेखित सामाजिक विज्ञान शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए।
3. सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों में आवश्यक कौशल एवं योग्यताएँ क्यों होनी चाहिए? व्याख्या कीजिए।
4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा विनियम, 2014 के आधार पर मननशील शिक्षकों की आवश्यकता पर जोर क्यों दिया गया है? स्पष्ट वर्णन कीजिए।
5. मननशील शिक्षण के महत्वपूर्ण घटकों पर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

इकाई 5- सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों का पेशेवर विकास

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 शिक्षण के दृष्टिकोण
5.4 पेशेवर विकास में सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के संगठनों एवं क्लबों की भूमिका
5.5 पेशेवर विकास हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण या सेमीनारों/ कार्यशालाओं/ उन्मुखीकरण कार्यक्रमों/ सम्मेलनों में सहभागिता
5.6 सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के पेशेवर विकास में प्रमुख शैक्षिक संस्थानों की भूमिका
5.6.1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.)
5.6.2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.)
5.6.3 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.)
5.6.4 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.)
5.7 सारांश
5.8 शब्दावली
5.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
5.10 संदर्भ ग्रंथ सूची
5.11 निबंधात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के पेशेवर विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों का पेशेवर विकास हेतु सामाजिक विज्ञान की पृष्ठभूमि की समझ के बारे में पढ़ेगें। इसके अलावा, आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों का समय-समय पर पेशेवर विकास करने वाले सामाजिक विज्ञान के पेशेवर एसोसिएशनों, संगठनों, क्लबों आदि के योगदान का भी अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों द्वारा स्वयं की पेशेवर क्षमता का विकास करना भी जरूरी है। इस हेतु आप सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं सेमीनार/कार्यशाला/उन्मुखीकरण कार्यक्रमों/सम्मेलनों आदि में सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की स्वयं की सहभागिता पर समझ विकसित करेंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की पेशेवर क्षमता का विकास करने वाले प्रमुख शैक्षिक संस्थानों जैसे - राष्ट्रीय शैक्षिक

अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) , राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

आप सामाजिक विज्ञान के भावी शिक्षक बनने वाले है, इसलिए आपको यह समझना जरूरी होगा कि सामाजिक विज्ञान समाज के विविध सरोकारों को अपने अंदर समेटता है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्रा, अर्थशास्त्रा एवं समाजशास्त्रा आदि विषयों की विस्तृत विषयवस्तु सम्मिलित होती हैं। क्योंकि एक अर्थपूर्ण सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या, अपनी पाठ्यसामग्री के चयन व संगठन द्वारा विद्यार्थियों में समाज की समीक्षात्मक जानकारी विकसित करने में समर्थ होती है। इसमें नए आयामों और सरोकारों, विशेषकर विद्यार्थियों के स्वयं के जीवन से जुड़े अनुभवों को समाहित किए जाने की भी अनेक संभावनाएँ होती हैं। सामाजिक विज्ञान का महत्त्व एक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मस्तिष्क की नींव तैयार करने के साथ-साथ तेजी से विकसित होते हुए सेवा क्षेत्रा के रोजगारों में इसकी बढ़ती प्रासंगिकता के कारण भी है।

आपको अर्थात सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को यह भी जानना होगा कि प्रायः यह माना जाता है कि मात्रा प्राकृतिक और भौतिक तत्वों की ही प्रकृति वैज्ञानिक है, जबकि मानव विज्ञान से सम्बंधित विषयों (इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदि) की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। परंतु, यहाँ पर यह पहचान करना आवश्यक है कि प्राकृतिक व भौतिक विज्ञान की तरह ही सामाजिक विज्ञान भी वैज्ञानिक जाँच-पड़ताल की जा सकती है। इसके साथ ही, यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि सामाजिक विज्ञान द्वारा अपनाई गई पद्धतियाँ प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों से भिन्न हैं।

आपको समझना होगा कि सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों में स्वतंत्राता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान, समता और विविध्ता के प्रति सम्मान जैसे अनेक मानवीय गुणों के आधर का निर्माण करने तथा उसका विस्तार करने का जिम्मेदारीपूर्ण कार्य भी करता है। अतः सामाजिक विज्ञान शिक्षण का ध्येय विद्यार्थियों को एक नैतिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करना होता है, ताकि वे स्वतंत्रा रूप से सोच सके तथा अपनी विशिष्टता खोये बिना उन सामाजिक समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना कर सवेंफ। इस प्रकार, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक इस उद्देश्य को विद्यार्थियों में सामाजिक विषयों पर विवेचनात्मक चिंतन की योग्यता को बढ़ावा देकर प्राप्त कर सकता है। विवेचनात्मक चिंतन को ध्यान में रखकर शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए एक ऐसी व्यापक पाठ्यचर्या की कल्पना की गई है, जिसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी सहभागितापूर्वक बिना किसी दबाव के ज्ञान प्राप्त कर सके। ऐसी सहजता तथा सहभागिता के द्वारा ही शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए पठन-पाठन रुचिपूर्ण और आनंददायक बनाया जा सकता है।

यहाँ आपको जानना होगा कि सामाजिक विज्ञान का निर्माण करने वाले विषयों जैसे - इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्रा और अर्थशास्त्रा आदि की अपनी-अपनी स्पष्ट प्रणालियाँ हैं, जिनमें प्रायः सीमाओं को बनाए रखना ही उचित माना जाता है। लेकिन, अब वैश्विक समुदाय की विचारधरा तथा सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति आने के कारण इन विषय-सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है, ताकि पाठ्यचर्या में दी गई परिस्थिति या घटना (या विषयवस्तु) को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का

प्रयोग किया जा सके। जो शिक्षकों और विद्यार्थियों में अंतर्विषयक विचारधरा को सोचने एवं समझने के लिए प्रोत्साहित करे।

अभी आपने सामाजिक विज्ञान की पृष्ठभूमि एवं सामाजिक विज्ञान के शिक्षक से जुड़ी अपेक्षाओं को अर्थात पठन-पाठन रुचिपूर्ण और आनंददायक बनाए जाने पर अध्ययन किया।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप -

1. सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के पेशेवर विकास हेतु सामाजिक विज्ञान की पृष्ठभूमि की समझ का उल्लेख कर सकेंगे।
2. सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों का समय-समय पर पेशेवर विकास करने में सामाजिक विज्ञान के पेशेवर एसोसिएशनों, संगठनों, क्लबों आदि की पहचान कर सकेंगे।
3. सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों का पेशेवर विकास करने वाले कुछ एसोसिएशन, संगठन, क्लब आदि की भूमिका एवं कार्यों का वर्णन कर सकेंगे।
4. सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों द्वारा स्वयं की पेशेवर क्षमता का विकास करने हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं सेमीनार/कार्यशाला/उन्मुखीकरण कार्यक्रमों/सम्मेलनों आदि में सहभागिता पर व्याख्या कर सकेंगे।
5. सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की पेशेवर क्षमता का विकास करने वाले प्रमुख शैक्षिक संस्थानों की सूची बना सकेंगे।
6. सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की पेशेवर क्षमता का विकास करने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.), राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) की भूमिका का तुलनात्मक वर्णन कर सकेंगे।

5.3 शिक्षण के दृष्टिकोण

आपको यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि विद्यार्थियों द्वारा परस्पर भागीदारी युक्त वातावरण में ज्ञान तथा वुफशलता अर्जित करने की दिशा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐसी विधियों का समावेश होना चाहिए, जो विद्यार्थियों में रचनात्मकता, सौंदर्यबोध् और समीक्षात्मक क्षमता का विकास करे एवं विद्यार्थियों में अतीत और वर्तमान के बीच सम्बन्ध स्थापित करने तथा समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझने में सक्षम बनाए। समस्या-

समाधन, जाँच-पड़ताल, नाटकीय रूपांतर, वाद-विवाद एवं परिचर्चा, परियोजना कार्य तथा भूमिका-निर्वाह जैसी वुफछ ऐसी विधएँ हैं, जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। शिक्षण में फोटोग्राफ , चार्ट तथा मानचित्रा एवं पुरातत्ववादी तथा भौतिक एवं सांस्कृतिक प्रतिकृतियों जैसी अधिक श्रव्य-दृश्य सामग्रियों (विशेषकर आई.सी.टी. आधरित) का प्रयोग करना चाहिए।

आपको सामाजिक विज्ञान का शिक्षण करना है, इसलिए यह भी समझना होगा कि सीखने की प्रक्रिया को परस्पर भागीदारी की प्रक्रिया बनाने के लिए आवश्यक है कि मात्रा सूचनाओं के आदान-प्रदान के स्थान पर वाद-विवाद, परिचर्चा एवं संवाद को प्राथमिकता मिले। सीखने की यह विधि शिक्षकों और विद्यार्थियों को सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति सचेत रखेगी। शिक्षा या विषय संबंधी अवधरणाओं को व्यक्तियों, समुदायों, ऐतिहासिक स्थलों, फील्ड (स्थल विशेष) पर भ्रमण आदि के सजीव अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक एवं आर्थिक भिन्नता के कारण कक्षा में शिक्षकों को विद्यार्थियों के प्रति बिना पूर्वाग्रह और पक्षपात की प्रवृत्ति दिखाना होगा। इसलिए शिक्षण के तरीके बंधनमुक्त अर्थात भेदभाव रहित होना आवश्यक है। शिक्षकों को सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भौगोलिक यथार्थता के विभिन्न आयामों को दैनिक जीवन एवं स्थानीय परिस्थितियों से जोड़कर कक्षा में पढ़ना चाहिए तथा अपने आप में और विद्यार्थियों में स्व-बोध् एवं स्व-अधिगम क्षमता बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

इस प्रकार अभी आपने सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दृष्टिकोण का समझा होगा। अब हम इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों का समय-समय पर पेशेवर विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। जिनमें सरकारी तंत्रा के साथ-साथ अन्य सामाजिक विज्ञान के पेशेवर एसोसिएशनों, संगठनों, क्लबों आदि के योगदान का भी अध्ययन करेंगे।

अभ्यास प्रश्न

1. सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में किस प्रकार की शिक्षण विधियों का समावेश होना चाहिए?

5.4 पेशेवर विकास में सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के संगठनों एवं क्लबों की भूमिका

आपको यह जानना होगा कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों का पेशेवर विकास करने वाले कौन-कौन से एसोसिएशन, संगठन, क्लब आदि है, तथा उनकी शिक्षकों का पेशेवर विकास में क्या भूमिका एवं कार्य है? इसी कड़ी में यहाँ पर विभिन्न एसोसिएशन, संगठन, क्लब आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।

जिनमें इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजूकेटर्स (आई.ए.टी.ई.) देश के शिक्षक-शिक्षकों का सबसे पुराना और प्रमुख पेशेवर निकाय है। इस एसोसिएशन की स्थापना 25 सितम्बर, 1950 में महाराजा शिवाजीराव विश्वविद्यालय, बडौदा में प्रसिद्ध् शिक्षाविदों स्वर्गीय प्रो. टी. के. एन. मेनन, प्रो. हंसा बेन

मेहता एवं प्रो. एस. एन. मुखर्जी द्वारा की गई थी। इसे 1966 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। यह एसोसिएशन विशेष रूप से देश एवं पड़ौसी देशों की शिक्षा प्रणाली से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों एवं शिक्षकों की शिक्षा से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर सार्थक विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान करता है। इसके अलावा देश में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को आकार देने तथा नीतिगत निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षकों के पेशेवर विकास हेतु विभिन्न विषयों एवं मुद्दों पर राष्ट्रीय एवं अन्तरर्राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार, कार्यशालाएँ तथा सम्मेलन आदि आयोजित किए जाते है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के विचारों, अनुभवों, शोधें आदि के प्रसार हेतु पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है। वर्तमान में देश के विभिन्न क्षेत्रों के 2000 से अधिक शिक्षकों ने एसोसिएशन की सदस्यता ली हुई है।

एसोसिएशन के उद्देश्य है -

- शिक्षक शिक्षा को विकसित करना,
- विशेष रूप से शिक्षक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा से सम्बंधित समस्याओं पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करना,
- शिक्षक शिक्षा एवं सम्बंधित क्षेत्रों पर सेमीनार, कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों आदि का आयोजन करना,
- शिक्षक शिक्षा पर पत्रिकाओं, मोनोग्रापफ और अन्य साहित्य प्रकाशित करना,
- शिक्षक शिक्षा के क्षेत्रा में काम कर रहे संगठनों को सहयोग प्रदान करना।

इस प्रकार देश में शिक्षा के विभिन्न विषयों एवं स्तरों के अनुसार अनेक शिक्षक संघ, संगठन, एसोसिएशन, फेडरेशन , क्लब आदि है। जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा तथा शिक्षकों से जुड़ी चुनौतियों एवं उनके पेशेवर विकास तथा सेवा शर्तों में समयानुसार संशोध्न करने आदि से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखने के लिए सरकार के साथ चर्चा एवं विचार-विमर्श में सहभागिता करते है। जिनमें अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ (ए.आई.पी.टी.एपफ.), इसकी देश में राज्यवार शाखाएँ है। इस संघ में लगभग 30 लाख से अधिक प्राथमिक शिक्षक जुड़े हुए हैं शिक्षक संगठनों का अखिल भारतीय संघ (ए.आई.एपफ.टी.ओ), लगभग 12 लाख शिक्षकों का संघ अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ (ए.आई.एस.टी.एपफ.), लगभग 8.5 लाख माध्यमिक शिक्षकों का संघ उच्च शिक्षा हेतु अखिल भारतीय ईसाई संगठन (ए.आई.ए.सी.एच.ई.), लगभग 300 महाविद्यालयों के प्रधनाचार्यों का एक संघ आदि है।

आपने सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों का पेशेवर विकास करने वाले एसोसिएशन, संगठन, क्लब आदि तथा उनकी शिक्षकों का पेशेवर विकास में भूमिका एवं कार्य के बारे में अध्ययन किया। अब हम सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों द्वारा स्वयं की पेशेवर क्षमता का विकास करने हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं सेमीनार/कार्यशाला/उन्मुखीकरण कार्यक्रमों/सम्मेलनों आदि में सहभागिता पर चर्चा करेंगे।

अभ्यास प्रश्न

2. राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक संघ किन मुद्दों पर सरकार के साथ चर्चा में सहभागिता करते है?

5.5 पेशेवर विकास हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण या सेमीनारों/कार्यशालाओं/उन्मुखीकरण कार्यक्रमों/सम्मेलनों में सहभागिता

आपको यह समझना होगा कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों द्वारा स्वयं की पेशेवर क्षमता का विकास करने हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं सेमीनार/कार्यशाला/उन्मुखीकरण कार्यक्रमों/सम्मेलनों आदि में सहभागिता करना आवश्यक है। शिक्षकों के पेशेवर विकास में सेवाकालीन प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो विद्यालयी शिक्षा तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में हो रहे नित नए परिवर्तनों से अवगत करता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण ज्ञान के विकास के साथ-साथ अभिवृत्ति, कौशल एवं स्वभाव में परिवर्तन तथा आपसी सहयोग द्वारा गतिविध्याँ करने का अवसर मिलता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों की अधिगम आवश्यकताओं को पहचानने एवं उनका निदान करने का प्रयास किया जाता है। यह शिक्षकों में कक्षा में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या के प्रभावी संप्रेषण की क्षमताओं को बढ़ाता है। शिक्षकों को यह भी जानना जरूरी होगा कि विद्यार्थियों की समझ के विकास हेतु पाठ्यपुस्तक 'एकमात्रा स्रोत' न होकर 'स्रोतों में से एक' है।

सेवाकालीन प्रशिक्षण शिक्षकों को भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्रा आदि विषयों में नई प्रवृत्तियों के प्रति सजग करने के साथ-साथ सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों, निःशक्त व्यक्तियों, जेंडर सरोकारो, कक्षा में आई. सी. टी. का प्रभावी रूप से प्रयोग, आत्मसम्मान की कमी, पाठ्यक्रम का बोझ, सामग्रियों की अधिक ता और रटने की प्रवृत्ति आदि संदर्भों में शिक्षित-¬प्रशिक्षित करता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं -

- शिक्षकों को कक्षा में विद्यार्थियों की विविध् पृष्ठभूमि एवं प्रकृति को जानने एवं समझ विकसित करने योग्य बनाना,
- शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान के घटकों के सूक्ष्म अंतर को समझने के लिए तैयार करना तथा उनमें सामाजिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य को विकसित करना,
- शिक्षकों को किसी एक विषय की विषयवस्तु को उसी तरह की अन्य विषयों की विषयवस्तु से जोड़कर शिक्षण-अधिगम करने योग्य बनाना,
- शिक्षकों को ज्ञान के क्षेत्रा एवं जाँच पड़ताल की विधि नई प्रवृत्तियों से परिचित कराना,

- शिक्षकों में नए उभरते हुए विषयों एवं क्षेत्रों का शिक्षण-अधिगम करने के लिए विभिन्न कार्यनीतियाँ, क्षमताएँ एवं कौशल विकसित करना,
- शिक्षकों को शिक्षण-अधिगम के दौरान विषयों की विषयवस्तुओं को स्थानीय परिवेश एवं अनुभवों से जोड़कर शिक्षण-अधिगम करने की क्षमताएँ विकसित करना,
- पाठ्यचर्या के प्रभावी संप्रेषण हेतु शिक्षकों को कक्षा में एवं कक्षा के बाहर स्वयं सीखने या समूह में कार्य करने को प्रोत्साहित करने के लिए सक्षम बनाना,
- शिक्षकों में कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति का आकलन करने के साथ-साथ उनकी समस्याओं का समाधन करने की क्षमता का विकास करना,

अतः सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान ऐसी शिक्षण-अधिगम विध्यिाँ अपनाने का प्रयास किया जाता है, जो रचनात्मकता, सौंदर्यबोध् एवं विवेचनात्मक परिप्रेक्ष्यों को बढ़ावा दें तथा शिक्षकों को समाज में उभरती प्रवृत्तियों को समझने में सक्षम बनाए। इसके अलावा इसमें स्थानीय प्रासंगिकता एवं शिक्षण-अधिगम की विशिष्टता पर बल दिया जाता है। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से शिक्षकों की शिक्षण-अधिगम संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं का आकलन कर आयोजित किया जाता है। जिसमें प्रशिक्षण आयोजक संस्थाओं एवं संगठनों द्वारा विशेष प्रशिक्षण पैकेज या मॉड्यूल तैयार कर सहभागियों को प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण के दौरान सहभागियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा सीखने-सिखाने की नवीन प्रक्रियाओं की समझ एवं कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक-प्रशिक्षकों द्वारा समस्या-समाधन, भूमिका निर्वाह, केस अध्ययन, वाद-विवाद, परिचर्चा, विषयवस्तु से जुड़ी अखबार की कतरने या कोलाज, क्षेत्रा अध्ययन, दृश्य-श्रव्य सामग्री आदि विध्यिों का उपयोग किया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान सहभागियों के पफीडबैक तथा उनकी आवश्यकताओं के आधर पर प्रशिक्षण की कार्ययोजना में संशोध्न किया जा सकता है। यह प्रशिक्षण पूर्ण हाने के पश्चात् सहभागियों की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया एवं व्यवहार में आए परिवर्तनों का आकलन अर्थात सेवाकालीन प्रशिक्षण की प्रभाविता का अध्ययन करने के लिए आयोजक संस्थाओं एवं संगठनों द्वारा फॉलोअप किया जाता है।

इसी प्रकार शिक्षक, सेमीनारों या सम्मेलनों में सहभागिता कर अपने अनुभवों को लेख या शोध पत्रा के रूप में प्रस्तुत कर चर्चा करता है। साथ ही, इस प्रकार के आयोजनों में शिक्षकों को सहभागिता करने से अन्य शिक्षकों एवं शिक्षाविदों के साथ शिक्षा एवं विषय संबंधी विभिन्न मुद्दों एवं चुनौतियों पर अंतर्क्रिया कर अपनी पेशेवर क्षमतां का विकास करने का अवसर मिलता है।

जहाँ तक उन्मुखीकरण कार्यक्रम में सहभागिता की बात करे तो इसमें शिक्षकों को शिक्षा, विषयों, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, आकलन प्रक्रिया आदि की अद्यतन जानकारी से अवगत कराया जाता है, ताकि वे शिक्षा में आधुनिक दौर में हो रहे परिवर्तनों को अपनी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में शामिल कर विद्यार्थियों का लाभान्वित कर सके। जबकि कार्यशालाओं में सहभागिता कर शिक्षक अपने पढ़ाए जाने वाले विषय की किसी विषयवस्तु या किसी विशेष मुद्दे या पहलू को अधिगम योग्य बनाने की

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया पर विश्लेषणात्मक एवं सूक्ष्म गहन अध्ययन कर अपनी क्षमताओं का विकास करता है। इसके अतिरिक्त कार्यशालाओं में विभिन्न प्रकार की शिक्षण-अधिगम सामग्रियों का भी निर्माण किया जाता है, जिसके प्रयोग से कक्षा में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया रुचिकर, आनंददायी तथा अधिगम योग्य हो सकती है।

इस प्रकार आपने समझा होगा कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक स्वयं की पेशेवर क्षमता का विकास कैसे कर सकते है? अब हम सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की पेशेवर क्षमता का विकास करने वाले प्रमुख शैक्षिक संस्थानों की भूमिका पर चर्चा करेंगे।

अभ्यास प्रश्न

3. शिक्षक को अपना पेशेवर विकास करने के लिए किसमें सहभागिता करना चाहिए?

5.6 सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के पेशेवर विकास में प्रमुख शैक्षिक संस्थानों की भूमिका

आपको यहाँ पर यह समझना जरूरी होगा कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की पेशेवर क्षमता का विकास करने में योगदान देने वाले देश के प्रमुख शैक्षिक संस्थान कौन-कौन से है? अतः देश में सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए सरकारी स्वामित्व वाले शिक्षक शिक्षा संस्थानों का बड़ा नेटवर्क है, जो विद्यालयी शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्तर पर 6 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (आर.आई.ई.) के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) विभिन्न शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के साथ-साथ विशेष प्रशिक्षण पैकेज (मॉड्यूल) विकसित करता है। वहीं राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज (मॉड्यूल) विकसित करती है तथा विद्यालयी शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिये विशिष्ट पाठ्यक्रमों का संचालन करती है। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (सी.टी.ई.) एवं शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान (आई.ए.एस.ई.) माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयी शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जबकि जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सेवाकालीन प्रशिक्षण का कार्य करता है, तथा विद्यालयी शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सबसे निचले स्तर पर मंडल/प्रखंड/खंड संसाध्न केन्द्र (बी.आर.सी.) तथा संकुल स्तर पर संकुल संसाध्न केन्द्र (सी.आर.सी.) भी है।

इस प्रकार आप जान गए होंगे कि हमारे देश में शिक्षकों का पेशेवर विकास करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर अनेक शिक्षा संस्थान कार्यरत हैं, जो शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के क्षेत्रा में अनुसंधान , अध्ययन सामग्री का निर्माण, प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्य कर रहे हैं। अब हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) ,

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

5.6.1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.)

आप जानेंगे कि विद्यालयी शिक्षा पर राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख संस्था के रूप में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) को 6 जून 1961 को रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी अधिनियम (1860 का अधिनियम 21) के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 जुलाई 1961 के अपने संकल्प में परिषद की स्थापना की घोषणा की गई थी। इसने 1 सितंबर 1961 को औपचारिक रूप से अपना कार्य शुरू किया। इस परिषद की स्थापना सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु वेंफद्र और राज्य सरकारों को नीतियों और कार्यक्रमों में सहायता और सलाह देने के लिए की गई थी। एन.सी.ई.आर.टी. के मुख्य उद्देश्य हैं -

- विद्यालयी शिक्षा से संबंधित विषय क्षेत्रों में स्वयं अनुसंधान करना, अनुसंधान कार्यों के लिए सहायता तथा प्रोत्साहन देना और उनके बीच समन्वय स्थापित करनाऋ
- आदर्श पाठ्यपुस्तकें , अनुपूरक सामग्री, समाचार पत्रा, पत्रिकाएँ एवं अन्य तत्संबंधी साहित्य तैयार और प्रकाशित करना तथा शैक्षिक किट, मल्टीमीडिया डिजिटल सामग्री आदि का विकास करनाऋ
- अध्यापकों के लिए सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करनाऋ
- नवाचारात्मक शैक्षिक तकनीवेंफ और प(तियाँ विकसित और प्रसारित करनाऋ
- राज्यों के शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग और संपर्क सूत्रा स्थापित करनाऋ
- विद्यालयी शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान वेंफद्र के रूप में कार्य करनाऋ और
- प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करना।

स्वतंत्राता के पश्चात् प्रारंभिक दशक में सात संस्थानों नामतः वेंफद्रीय शिक्षा संस्थान (1947), वेंफद्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसंधान ब्यूरो (1954), वेंफद्रीय शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो (1954), माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय (1958) (प्रारंभ में 1955 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के रूप में स्थापित), राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान (1956), द नेशनल पफंडामेंटल एट एजुके शन सेंट्रल (1956) और राष्ट्रीय ऑडियो-विजुअल शिक्षा संस्थान (1959) को मिलाकर यह परिषद अस्तित्व में आई। इन संस्थाओं के एकीकरण से देश में शिक्षा को समग्र दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता के बारे में पता चला। विगत वर्षों में देश की बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा

करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. की रूपरेखा और कार्यों में सुधार किया गया है। अब यह देश के विभिन्न भागों में स्थित संस्थानों अर्थात सत्राह विभागों, प्रभागों और प्रकोष्ठों वाले नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एन.आई.ई.), क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (आर.आई.ई.) और दो वेंफद्रीय संस्थानों अर्थात भोपाल स्थित पंडित सुंदरलाल शर्मा वेंफद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.) और नयी दिल्ली स्थित वेंफद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.)के साथ उन्नति की ओर अग्रसर है।

एन.सी.ई.आर.टी. ने एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय के रूप में शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप पर पुनर्विचार करने और उसी प्रकार देश में भिन्न संस्कृति की अभिव्यक्ति को सरल बनाने और उसे प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया शुरू की। जनसाधारण के लिए एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन का पर्याय है। वास्तव में एन.सी.ई.आर.टी. ने विद्यालयी बच्चों के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 पर आधारित पाठ्यपुस्तकें नवीनतम हैं। अभी भी अपने नाम को सत्य सि(करते हुए एन.सी.ई.आर.टी. विद्यालयी शिक्षा संबंधी संपूर्ण कार्यों चाहे वह विद्यालयी शिक्षा में अनुसंधान करना हो, अभिनव सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना हो अथवा एस.सी.ई.आर.टी., डी.आई.ई.टी. आदि जैसे राज्य स्तरीय शैक्षिक संगठनों की सहक्रियाएँ हों, के लिए हर संभव तरीके से कार्य करता है।

देश में राष्ट्रीय शिक्षा प(ति अर्थात 10+2+3 पद्धति के कार्यान्वयन के लिए एन.सी.ई.आर.टी. ने पाठ्यक्रम शिक्षा सामग्री, मूल्यांकन साधन और अभिनव शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास के संदर्भ में जानकारियाँ उपलब्ध कराई। विद्यार्थियों के अधिगम निष्कर्षों का मूल्यांकन और शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना इसकी गतिविधि का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रा रहा है।

एन.सी.ई.आर.टी. देश में शिक्षक शिक्षा के लिए समर्पित है। परिषद शिक्षकों को तैयार करने के लिए अपने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम जैसे चार-वर्षीय बी.एससी. बी. एड.ऋ बी.ए. बी.एड. और दो-वर्षीय बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम चलाती है। यह एन.आई.ई. में गाइडेंस और काउंसिलिंग में एक-वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाती है। शिक्षकों को उनके संबंधित विषय क्षेत्रों में नवीनतम विकास की जानकारी देने के लिए सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करती है। शिक्षकों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, स्कूली शिक्षा में नवाचार हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारऋ पेशेवर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवाचार एवं प्रयोगों के लिए उनके योगदानों हेतु शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं।

इस प्रकार आपने स्वतंत्राता के पश्चात् देश की विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा में एन.सी.ई.आर.टी. के अभूतपूर्व एवं व्यापक योगदान के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। अब हम शिक्षक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) की भूमिका पर चर्चा करेंगे।

4. एन.सी.ई.आर.टी. देश में शिक्षक शिक्षा के लिए किस प्रकार अपना योगदान दे रही है?

5.6.2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.)

चुँकि आप एक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के तहत इस इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आपको यह जानना जरूरी होगा कि इस तरह के शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता एवं निगरानी रखने वाला राष्ट्रीय स्तर का संस्थान कौन-सा है? तथा उसके कार्य एवं भूमिका क्या है? आपको समझना होगा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन देश में शिक्षक शिक्षा के नियोजन एवं समन्वित विकास की प्राप्ति, शिक्षक शिक्षा प्रणाली के मानकों एवं मानदंडों के विनियम एवं उपयुक्त अनुरक्षण के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम , 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त, 1975 को किया गया, जो केन्द्र सरकार का एक स्वायत्तशासी संवैधनिक निकाय है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के मानक एवं मानदंड, शिक्षक शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएँ, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थी-शिक्षकों के प्रवेश के नियम, अवधि तथा न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है। यह शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने वाले इच्छुक संस्थानों (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्व-वित्तपोषित) को मान्यता प्रदान करती है, तथा उनमें मानदंड एवं गुणवत्ता विनियमित करने तथा उन पर निगरानी की व्यवस्था करती है। एन.सी.टी.ई. ने एन.सी.टी.ई. विनियम, 2014 के आधर पर अपनी कार्यप्रणाली में क्रमिक सुधर एवं शिक्षक शिक्षा प्रणाली में सुधर हेतु विभिन्न उपाय किए है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य इस प्रकार है -

- शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से सम्बंधित सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना तथा उसके परिणाम प्रकाशित करना,
- शिक्षक शिक्षा के क्षेत्रा में उपयुक्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों की तैयारी करने के मामलों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों को सिपफारिशें करना,
- देश में शिक्षक शिक्षा एवं उसके विकास के लिए समन्वय एवं निगरानी करना,
- विद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक के रूप में नियोजित होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के सम्बन्ध में दिशा निर्देश तैयार करना,
- शिक्षक शिक्षा में किसी विशिष्ट श्रेणी के पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण मानदंड बनाना, जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्राता, उम्मीदवारों की चयन विधि पाठ्यक्रम की अवधि पाठ्यक्रम की विषयवस्तु तथा पाठ्यचर्या का माध्यम शामिल है।

- मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुपालन हेतु दिशानिर्देश बनाना, जिसमें नए पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षणों, भौतिक एवं अनुदेशनात्मक सुविधएँ प्रदान करने तथा स्टॉपफ की योग्यता एवं पैटर्न शामिल है।
- शिक्षक शिक्षा योग्यता से जुडी परीक्षाओं के मानक बनाना तथा ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश एवं पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की योजना से सम्बंधित मानदंड बनाना,
- मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले ट्यूशन शुल्क एवं अन्य शुल्क हेतु दिशानिर्देश बनाना,
- शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार एवं शोध को बढ़ावा देने तथा उसके परिणामों का प्रसार करना,
- परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों, दिशा निर्देशों एवं मानकों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करना तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों को उपयुक्त सलाह देना,
- मान्यता प्राप्त संस्थानों पर जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली, मानदंड एवं तंत्रा विकसित करना,
- शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए योजना बनाना एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों की पहचान करना तथा शिक्षक विकास कार्यक्रमों के लिए नए संस्थान स्थापित करना,
- शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना, तथा
- केन्द्र सरकार द्वारा सौपें गए इस तरह के अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

एन.सी.टी.ई. ने शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2009 विकसित की है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 की पृष्ठभूमि एवं दर्शन तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम , 2009 पर आधरित है। इस रूपरेखा में सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दृष्टिकोण, तरीके एवं कार्यान्वयन की कार्यनीतियों की सिपफारिशें की गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के आदर्श पाठ्यक्रम भी तैयार किए गए है।

एन.सी.टी.ई. द्वारा 28 नवम्बर, 2014 को एन.सी.टी.ई. विनियम, 2014 के आधर पर शिक्षक शिक्षा के विभिन्न 15 कार्यक्रमों के संशोध्ति मानक एवं मानदंड अध्सूचित किए गए। इस विनियम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है -

- इसके अंतर्गत 15 कार्यक्रमों का विस्तृत प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें 3 नए कार्यक्रमों की पहली बार पहचान की गई है। जिनमें 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.-बी.एड., 3 वर्षीय बी.एड. (अंशकालीन) तथा 3 वर्षीय बी.एड.-एम.एड. कार्यक्रम,
- तीन कार्यक्रमों की अवधि - बी.एड./बी.पी.एड./एम.एड. - बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई है, ताकि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अधिक योग्य एवं सर्वोत्तम पेशेवर प्रदान करना,

- इसके बाद, अकेले शिक्षा संस्थानों के स्थान पर समग्र शिक्षा संस्थानों (बहु-अनुशासनिक या बहु-शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों) में शिक्षक शिक्षा स्थापित की जाएगी,
- प्रत्येक कार्यक्रम के तीन घटक होते है- सिद्धंत, प्रायोगिक, इंटर्नशीप। इसमें विद्यालय आधरित गतिविध्यिों एवं इंटर्नशीप के लिए कुल कार्यक्रम का लगभग 25 प्रतिशत कार्यक्रम बनाया गया है,
- आई.सी.टी., योग शिक्षा तथा जेंडर एवं निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा/समावेशी शिक्षा प्रत्येक पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है,
- अधिक एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया,
- शिक्षक प्रशिक्षक या तो प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा में विशेषज्ञता के साथ एम.एड. उपाधि प्राप्त होंगे।
- अंतर्निहित गुणवत्ता आश्वासन तंत्रा के साथ खुली एवं दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.) अधिक कठोर हो गई है।
- सेवाकालीन शिक्षकों को उच्च शिक्षक शिक्षा योग्यता प्राप्त करने के अधिक विकल्प जैसे - डी.एल.एड.(ओ.डी.एल.), बी.एड.(ओ.डी.एल.) एवं बी.एड. (अंशकालीन),
- आवेदन के समय सम्बद्ध् विश्वविद्यालय/संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्रा (एन.ओ.सी.) अनिवार्य है,
- आवेदन, शुल्क का भुगतान एवं निरीक्षण दल की रिपोर्ट आदि का ऑनलाइन प्रावधन,
- निरीक्षण एवं निगरानी के लिए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय समितियों द्वारा पारदर्शी उपयोग के लिए केन्द्रीय कम्प्यूटरीकृत विजिटिंग दल,
- एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्यायन एजेंसी से प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्येक शिक्षक शिक्षा संस्थान को अनिवार्य रूप से प्रत्यायन प्रमाण-पत्रा प्राप्त करना। इस सम्बन्ध में एन.सी.टी.ई. एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) के मध्य एक समझौता ज्ञापन हो चुका है।

इस प्रकार आपने शिक्षक शिक्षा पर केन्द्र सरकार के एक स्वायत्तशासी संवैधनिक निकाय के रूप में एन.सी.टी.ई. की भूमिका का अध्ययन किया। अब हम राज्य स्तर पर विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) की कार्य प्रणाली एवं योगदान पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

अभ्यास प्रश्न

5. एन.सी.टी.ई. का प्रमुख कार्य क्या है?

5.6.3 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.)

यहाँ पर आपको यह जानना जरूरी होगा की आपके राज्य में विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता निर्धारित करने एवं उसकी प्राप्ति तथा शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की प्रमुख जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाली संस्था कौन-सी है? आइए अब हम एक ऐसे ही संस्था के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधर के लिए 60 के दशक में राज्य शिक्षा संस्थान (एस.आई.ई.)स्थापित किए गए थे। उनके प्रमुख कार्यो में शिक्षकों एवं पर्यवेक्षण करने वाले शिक्षकों/अध्किारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन, प्रसार गतिविध्याँ, अनुसंधान और शिक्षण सामग्री का प्रकाशन शामिल था। इसके बाद, समयानुसार अन्य राज्य शैक्षिक संस्थानों/एजेंसियों को भी कुछ राज्यों में विद्यालयी शिक्षा में बढ़ते महत्व के क्षेत्रों जैसे - विज्ञान शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, अंग्रेजी भाषा शिक्षण आदि तथा विशिष्ट चिंता के क्षेत्रा जैसे - परीक्षा प्रणाली में सुधर, मूल्यांकन, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन आदि में शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।

विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में राज्य स्तर पर ऐसे शैक्षिक सहायता प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या बढ़ती गई, इसलिए उनमें समन्वय की आवश्यकता महसुस की गई। 1973 में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ने राज्य में ऐसे सभी मौजूदा संस्थानों को एक संगठन के रूप में विलय कर दिया गया। जिसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) कहते है। राज्य शिक्षा संस्थान (एस.आई.ई.) की तरह ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का भी प्राथमिक रूप से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर विशेष ध्यान था, इसके अलावा विद्यालयी शिक्षा के अन्य स्तरों पर भी ध्यान था। वर्तमान में एस.सी.ई.आर.टी. को विभिन्न प्रकार के अनिवार्य कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है।

एस.सी.ई.आर.टी. से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी श्रेणियों के शैक्षिक कर्मियों के लिए सेवाकालीन शिक्षा और विस्तार/प्रसार कार्यक्रम आयोजित करे। उनके अन्य कार्यों में शामिल है, पाठ्यचर्या, अनुदेशात्मक सामग्री, पाठ्यपुस्तकों, पूरक सामग्री के विकास के साथ-साथ नवाचार एवं अनुसंधान कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करना, राज्य के शिक्षा विभागों की सहायता और निगरानी करना, शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य संसाध्न संस्थान के रूप में कार्य करना, विद्यालयी शिक्षा से सम्बंधित सभी शैक्षणिक मामलों का समन्वय तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ उचित सम्बन्ध बनाना एवं जिला व उप-जिला स्तर के संस्थानों का पर्यवेक्षण और सहायता प्रदान करना। इन अपेक्षाओं के अलावा, एस.सी.ई.आर.टी. से उम्मीद है कि वे उनके राज्य के अध्ययन और सर्वेक्षण के लिए एन.सी.ई.आर.टी. एवं एन.यू.ई.पी.ए. (राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय) द्वारा दिए गए विभिन्न कार्यों की भूमिकाएँ निभाएँ, एन.सी.टी.ई. की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य, विज्ञान मेलों और अन्य गतिविध्यों हेतु राज्य सरकारों के लिए कार्य करना।

आर.टी.ई. अधिनियम की धरा 29 (1) के तहत, राज्य सरकार को एक शैक्षिक प्राध्किरण नियुक्त करना होगा, जो प्रारंभिक स्तर के सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्धरण का पालन कर

सके। इस आधर पर, अधिकांश राज्यों ने एस.सी.ई.आर.टी. को शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एस.सी.ई.आर.टी. का कार्य सीखने की उपलब्धियों का सतत आधर पर आकलन और मूल्यांकन करने के लिए प्रणाली विकसित करना भी शामिल है।

इस प्रकार आपने आपके राज्य में विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा पर राज्यस्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों के साथ-साथ जिला स्तर, मंडल/प्रखंड/खंड स्तर या संकुल स्तर के संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर शिक्षा की गुणवत्ता तथा शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की योजना एवं आयोजन करने वाली संस्था एस.सी.ई.आर.टी. का विस्तृत अध्ययन किया। अब हम इसी कड़ी में शिक्षा के जिला स्तर तक विकेंद्रीकरण में मदद करने के लिए शिक्षक शिक्षा पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत गठित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) की भूमिका पर चर्चा करेंगे।

अभ्यास प्रश्न

6. आर.टी.ई. अधिनियम की किस धरा के तहत राज्य सरकारों द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. को एक शैक्षिक प्राधिकरण नियुक्त किया गया है?

5.6.4 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.)

आपने अभी तक हमारे देश में शिक्षकों का पेशेवर विकास करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के शिक्षा संस्थानों जैसे - राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) का विस्तृत अध्ययन किया। अब आपको समझना होगा कि आपके जिला स्तर पर शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के क्षेत्रा में क्रियात्मक अनुसंधान , स्थानीय स्तर की अध्ययन सामग्री का निर्माण, सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्य कर रहे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) का अध्ययन करेंगें।

1990 के प्रारंभ में भारत सरकार, मानव संसाध्न विकास मंत्रालय द्वारा बनाई गई शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, 1986 के आधर पर प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने और जिला स्तर तक शिक्षा के विकेंद्रीकरण में मदद करने के लिए शिक्षक शिक्षा पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाने की कल्पना की गई थी, जिसके लिए 'गुलाबी किताब' (भारत सरकार, 1989) में सुझाए गए दिशानिर्देशों का पालन किया गया। डी.आई.ई.टी. केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत भारत सरकार, मानव संसाध्न विकास मंत्रालय और राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें आवर्ती व्यय अर्थात शिक्षक प्रशिक्षकों का वेतन एवं अन्य क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों पर व्यय की जाने वाली राशि, भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों तथा उपकरणों की ख़रीद

शामिल है। डी.आई.ई.टी. अपनी क्षमता संवर्धन हेतु कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संस्थानों से उत्कृष्ट शैक्षणिक सहायता प्राप्त करता है

जिला स्तर पर स्थित डी.आई.ई.टी. विकेंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण स्तर है। जो राज्य के शिक्षकों के पेशेवर विकास और विद्यालय सुधर से जुड़ी प्रमुख गतिविध्यिों पर कार्य करता है। डी.आई.ई.टी. को एक तरह से शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के तरीके के रूप में देखा गया है। इस प्रकार डी.आई.ई.टी. के प्रमुख कार्य इस प्रकार है -

- सेवा-पूर्व एवं सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था करना,
- नामांकन, ठहराव, उपलब्धि जेंडर समानता, कुशलता एवं बीच में ही विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों आदि से सम्बंधित मुद्दों पर जिला तथा राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान का आयोजन करना,
- कक्षा में पढ़ाने के दौरान आने वाली समस्याओं की पहचान करने के लिए शिक्षकों को सक्षम बनाने हेतु सहयोगात्मक क्रियात्मक शोध की सुविध प्रदान करना,
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को नवाचार करने में मदद करना तथा उन नवाचारों को साथी शिक्षकों के बीच प्रसार करने के लिए आवध्कि रूप से जिला स्तरीय सेमीनार आयोजित करना तथा समाचार पत्रिकाएँ जारी करना,
- गैर-औपचारिक शिक्षा क्षेत्रा में सहायता प्रदान करना। जिसमें पाठ्यचर्या एवं प्रौढ़ अधिगम कर्ताओं के लिए पूरक अधिगम सामग्री का विकास करने से डी.आई.ई.टी. की विशेषज्ञता का विस्तार होगा,
- आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण तथा सामाजिक चिंताओं की पहचान करने एवं गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के तरीके में आने वाली चुनौतियों का सामना करने जैसे - संकट एवं आपदा प्रबंध्न, जेंडर संवेदनशीलता, विद्यालय प्रमुखों के लिए नेतृत्व मैनुअल आदि के मैनुअल विकसित करना,

साथ ही, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम , 2009 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है। इसके लिए राज्य को विद्यालय की गुणवत्ता की निगरानी एवं विनियमन करने, पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्रा तथा अच्छी तरह से शिक्षित पेशेवर शिक्षकों का प्रावधन करना जरूरी है। जिसमें डी.आई.ई.टी. खंड/मंडल संसाध्न केन्द्र तथा संकुल संसाध्न केन्द्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा में सुधर के प्रयास करता है।

इस प्रकार आपने आपके जिले में विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा पर जिला स्तर, मंडल/प्रखंड/खंड स्तर या संकुल स्तर के संस्थानों तथा विद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित कर शिक्षा की गुणवत्ता तथा शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की योजना बनाने, आयोजन करने तथा निगरानी रखने वाले संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) का अध्ययन किया।

अभ्यास प्रश्न

7. जिला स्तर पर सेवा-पूर्व एवं सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था करना कौन-सी संस्था की जिम्मेदारी है?

5.7 सारांश

इस इकाई में आपने सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के पेशेवर विकास के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान की पृष्ठभूमि की समझ के बारे में समझा। इसके अलावा, आपने सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों का समय-समय पर पेशेवर विकास करने वाले सामाजिक विज्ञान के पेशेवर एसोसिएशनों, संगठनों, क्लबों आदि जैसे - इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजूकेटर्स (आई.ए.टी.ई.) , अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ (ए.आई.पी.टी.एपफ.) , शिक्षक संगठनों का अखिल भारतीय संघ (ए.आई.एपफ.टी.ओ.), अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ (ए.आई.एस.टी.एफ.) तथा उच्च शिक्षा हेतु अखिल भारतीय ईसाई संगठन (ए.आई.ए.सी.एच.ई.) के योगदान का भी अध्ययन किया। आपने पढ़ा कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों द्वारा स्वयं की पेशेवर क्षमता का विकास करने हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण का महत्व एवं सेमीनार/कार्यशाला/उन्मुखीकरण कार्यक्रमों/सम्मेलनों आदि में स्वयं की सहभागिता अति आवश्यक है। इस इकाई में आपने विद्यालयी शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों की पेशेवर क्षमता का विकास करने वाले राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय प्रमुख शैक्षिक संस्थानों जैसे - राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) , राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) का भी गहन एवं व्यापक अध्ययन किया।

5.8 शब्दावली

यह स्व-अधिगम सामग्री है। अतः इस इकाई में आए तकनीकी शब्दों का अर्थ जानने के लिए इंटरनेट या शब्दकोश का उपयोग करें। इसके अलावा आप अपने परिवेश में रहने वाले शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, शिक्षाविदों , शैक्षिक अध्किारियों, शिक्षक शिक्षा में शोध करने वाले शोधार्थियों आदि से तकनीकी शब्दों पर चर्चा करें। इस प्रक्रिया से आपमें शैक्षिक तकनीकी की समझ एवं समुदाय के साथ कार्य कर सीखने का अवसर मिलेगा।

5.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में समस्या-समाधन, जाँच-पड़ताल, नाटकीय रूपांतर, वाद-विवाद और परिचर्चा, परियोजना कार्य तथा भूमिका-निर्वाह आदि विधियों का समावेश होना चाहिए। जो बच्चों में रचनात्मकता, सौंदर्यबोध् और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करे एवं अतीत और वर्तमान के बीच सम्बन्ध स्थापित करने तथा समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझने में सक्षम बनाए।
2. 2. राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक संघ शिक्षा तथा शिक्षकों से जुड़ी चुनौतियों एवं उनके पेशेवर विकास तथा सेवा शर्तों में समयानुसार संशोध्न करने आदि से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखने के लिए सरकार के साथ चर्चा एवं विचार-विमर्श में सहभागिता करते है।
3. शिक्षकों को पेशेवर विकास हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण, सेमीनार, सम्मेलन, उन्मुखीकरण कार्यक्रम, कार्यशाला आदि में सहभागिता करना चाहिए।
4. एन.सी.ई.आर.टी. देश में शिक्षक शिक्षा के लिए शिक्षकों को तैयार करने के लिए अपने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम जैसे चार-वर्षीय बी.एससी. बी. एड.ऋ बी.ए. बी.एड. और दो-वर्षीय बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम चलाती है। यह एन.आई.ई. में गाइडेंस और काउंसिलिंग में एक-वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाती है। शिक्षकों को उनके संबंधित विषय क्षेत्रों में नवीनतम विकास की जानकारी देने के लिए सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं। इसके अलावा शिक्षकों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, स्कूली शिक्षा में नवाचार हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पेशेवर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवाचार एवं प्रयोगों के लिए उनके योगदानों हेतु शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं।
5. एन.सी.टी.ई. के प्रखुम कार्यों में विभिन्न शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के मानक एवं मानदंड, शिक्षक शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएँ, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थी-शिक्षकों के प्रवेश के नियम, अवधि तथा न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना है। यह शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने वाले इच्छुक संस्थानों (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्व-वित्तपोषित) को मान्यता प्रदान करती है, तथा उनमें मानदंड एवं गुणवत्ता विनियमित करने और उन पर निगरानी की व्यवस्था करती है।
6. आर.टी.ई. अधिनियम की धरा 29 (1) के तहत अध्किांश राज्य सरकारों द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. को एक शैक्षिक प्राध्किरण नियुक्त किया गया है।

7. जिला स्तर पर सेवा-पूर्व एवं सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी डी.आई.ई.टी. की है।

5.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. एन.सी.ई.आर.टी. (2006). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली. (http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/ncf_hindi_2005/ncf2005.pdf)
2. एन.सी.ई.आर.टी. (2015). वार्षिक रिपोर्टः 2014-15. एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली. (http://www.ncert.nic.in/pdf_hindi/VarshikReport14-15.pdf)
3. MHRD (2012). *Restructuring and Reorganization of the Centrally Sponsored Scheme on Teacher Education (CSSTE) - Guidelines for Implementation*. MHRD, New Delhi. (http://www.teindia.nic.in/Files/Guidelines/Guidelines-CSSTE-June-2012.pdf)
4. NCERT (2006). *Position Paper: National Focus Group on Teaching of Social Science.* NCERT, New Delhi. (http://www.ncert.nic.in/new_ncert/ncert/rightside/links/pdf/focus_group/social_sciencel.pdf)
5. NCERT (2014). *Draft Package in Social Sciences for Professional Development of In-service Teachers*. *Unpublished*, NCERT, New Delhi. (http://www.ncert.nic.in/departments/nie/dess/publication/prin_material/ITPD%20Final%20june%2014.pdf)
6. NCTE (2009). *National Curriculum Framework for Teacher Education: Towards Preparing Professional and Humane Teachers*. NCTE, New Delhi. (http://ncte-india.org/ncte_new/pdf/NCFTE_2010.pdf)
7. NCTE (2014). *National Council for Teacher Education [Recognition Norms and Procedure] Regulation, 2014*. NCTE, New Delhi. (http://ncte-india.org/ncte_new/?page_id=910)

8. NCTE (2015). *Curriculum Framework: Two - Year B.Ed. Programme.* Retrieved from http://www.ncte-india.org/Curriculum%20Framework/B.Ed%20Curriculum.pdf
9. http://www.iate.in/index.aspx
10. http://aiptfindia.org
11. http://www.teindia.nic.in/Default.aspx
12. http://ncte-india.org/ncte_new/?page_id=782

5.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों का पेशेवर विकास करने वाले शिक्षक संघ, संगठन, एसोसिएशन, फेडरेशन , क्लब आदि की सूची बनाते हुए किसी एक संगठन की शिक्षकों का पेशेवर विकास करने में भूमिका पर व्याख्या कीजिए।
2. सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की पेशेवर क्षमता का विकास करने में सेवाकालीन प्रशिक्षण के योगदान का वर्णन कीजिए।
3. सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की पेशेवर क्षमता का विकास करने में योगदान देने वाले सरकारी शैक्षिक संस्थानों की सूची बनाते हुए किसी एक शैक्षिक संस्थान की विवेचनात्मक व्याख्या कीजिए।